राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 9] सातवीं विधान सभा के नवें सत्र का पांचवां दिवस [संख्या 3

सोमवार,

दिनांक 15 अक्टूबर, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

[श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्रीमती उजला अरोड़ा।

कोटपूतली गोली काण्ड जांच आयोग

71. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण), **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) व **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली में हुए गोली काण्ड की जांच के लिए शर्मा आयोग का गठन कब किया गया ?

(2) आयोग पर खर्च करने के लिए कितनी धन-राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है ?

(3) क्या यह सही है कि आयोग में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है परन्तु अभी तक भवन का प्रबन्ध न होने के कारण आयोग ने कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को आयोग द्वारा बार-बार भवन के लिए लिखने पर भी व्यवस्था नहीं की गयी है ?

उत्तर

राज्य मन्त्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) :

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 1-2-84 द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति की गयी है।

(2) अब तक रु. 20,000/- की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(3) व (4) आयोग के कार्य हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। नियुक्ति उचित समय पर कर दी गयी थी। आयोग की ओर से जब भवन की कठिनाई की ओर मई, 84 में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया तो जिलाधीश, जयपुर को उपयुक्त भवन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दे

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

दिये गये थे। छानबीन के पश्चात् जब जिलाधीश, जयपुर ने सूचित किया कि अन्य कोई उपयुक्त भवन कोटपूतली में उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय डाक बंगले को आयोग के कार्य हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय यह बतायें, 1-2-84 को आपकी अधिसूचना निकली और आज है 15-10-84, आठ महीने व्यतीत हो गये। एक दिन भी जांच आयोग का काम नहीं चला ? मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें कि आठ महीने की इतनी डिले किस कारण से हुई ? आपने सूझ-बूझ से काम क्यों नहीं लिया ? यह नियुक्ति इन्होंने बता दिया कब की गयी थी, मैं पूछना चाहूंगी कि कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी ? 20 हजार रुपये में से अब तक बिना काम शुरू हुए कितना पैसा खर्च हो चुका ? मैं पहले प्रश्न पूरे कर लूं····

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जांच आयोग की नियुक्ति के बाद अब तक कमीशन ने अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है, अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर दो महीने का विलम्ब तो भारत सरकार की स्वीकृति आने में हो गया। फरवरी के महीने में राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को लिखा और 20-3-84 को गृह मन्त्रालय को भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त हुई, कमीशन के जस्टिस गोपाल कृष्णजी के अपाइन्टमेण्ट के बारे में। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, सैंक्शन के अन्दर, बजट इत्यादि के प्रावधान के अन्दर कुछ समय लग गया। पांचवें महीने के अन्दर कमीशन का सिक्योरिटी का स्टाफ, असिस्टेंट सेक्रेटरी की नियुक्ति, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट एडवोकेट की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी थी। उसके बाद, सिटिंग कहां हो, इस बारे में थोड़ा समय लगा। कमीशन की सिक्योरिटी वालों की तरफ से सुझाव दिया गया कि कोटपूतली के मुंसिफ मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है उसके अन्दर जो लिटिगेटिंग शैड है उसको कन्वर्ट कर दिया जाय, नये सिरे से कन्स-ट्रक्शन शुरू किया जाय और बगल में चैम्बर की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय। उनका विचार वहां हियरिंग को प्रारम्भ करने का था। सरकार ने सुझाव दिया था कि स्थानीय डाक बंगला, जो कोटपूतली में है, पूरा उपलब्ध करा दिया जाय और वहां पर कमीशन द्वारा सुनवाई का काम आरंभ किया जाय। आज की स्थिति यह है कि सरकार ने निर्णय लिया है चूंकि यह फायरिंग कोटपूतली में हुई थी इसलिए यह आवश्यक है कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर सुनवाई आरम्भ न करके कोटपूतली में ही आरम्भ की जाय। कमीशन को सूचित कर दिया गया है कि डाक बंगला उपलब्ध करा दिया गया है वहीं पर ही सुनवाई को आरम्भ करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा ख्याल है, जो कागज मैंने देखे हैं, एक मामले को छोड़कर जहां बजट का प्रावधान किया गया है उसकी सैंक्शन में फाइनेंस डिपार्टमेण्ट से थोड़ा विलम्ब हुआ है अन्यथा सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है। सरकार चाहती है इसलिए दो मर्तबा चीफ जस्टिस साहब को लिखा। अगर सरकार की मंशा किसी प्रकार की देरी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

करने की होती तो सरकार की तरफ से दो पत्र माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय को नहीं लिखे जाते कि इस कमीशन की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जाय अन्यथा लोगों के मन में भ्रान्ति होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की मशा के बारे में आपने साफ किया। पांचवें महीने में आपने नियुक्ति की। पांचवें महीने मई में न्यायाधीश महोदय ने सरकार को, जिलाधीश को पत्र लिखा। मई में आपको पत्र मिला है आपके उत्तर के बकौल। मई से पांच महीने आप डिले नहीं मानते हैं? सस्ता न्याय, सुलभ न्याय। न्याय की प्रक्रिया का कितना ढोल पीटते हैं आप? पांचो मर गयी बेचारी को बरबाद कर दिया गया, पागल हो गयी वह, कितने लोग मर गये और आप यह कहते हैं कि डिले नहीं हुई। आप बड़ा साफ दिखलाते हैं अपने आपको। इतना बताइये, आपको पांचवें महीने में पत्र नहीं लिखा न्यायाधीश महोदय ने?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जगह के बारे में पत्र निश्चित रूप से लिखा, मैंने कहा न। पत्र लिखे तो हमने उनको इंगित कर दिया, हमने बता दिया कि जहां आपको सुविधा हो वहां करें लेकिन सरकार की मंशा है कि कोटपूतली में ही किया जाय। हमारे अधिकारियों के साथ कमीशन के सचिव महोदय ने उस स्थान का दौरा किया उन्होंने बताया, यह जगह है, नया कन्स्ट्रक्शन कराना है कोर्ट रूम के अन्दर लिटिगेटिंग शेड तो ओपन है उसको कन्वर्ट किया जाय इसके लिए नया कन्स्ट्रक्शन कराना पड़ेगा और बगल में चैम्बर बनाने पड़ेंगे। तो हमने कहा, यहां कोटपूतली में ही डाक बंगला उपलब्ध है इसी के अन्दर काम प्रारम्भ कर दिया जाय तो इसमें हमारी डिले कहां है, श्रीमन्?

श्रीमती उजला अरोड़ा : पांचवें महीने में नियुक्ति बताई है और 20 हजार रुपये तय किये हैं। आप मुझे बतायें एक महीने में अधिकारियों पर कितना खर्चा आप कर रहे हैं जिससे मुझे मालूम पड़े कि पाँच महीने में कितना खर्चा कर लिया है? अगली बार आप यह उत्तर देने वाले हैं कि चूंकि बजट जांच आयोग का काम शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया था इसलिए वित्तीय स्वीकृति की कोशिश की है। वह आपके पास अगले साल सितम्बर-अक्टूबर तक नहीं आयेगी और आप काम को शुरू नहीं कर पायेंगे। इस तरह से तो स्वीकृतियों में अटक रहे हैं। पहले ऑफिस में अटका दिया, फिर बजट की स्वीकृति में अटका देंगे, देर करेंगे। आप उत्तर दें कि एक महीने में इस आयोग के ऊपर आप कितना खर्चा कर रहे हैं जिस का काम शुरू नहीं हुआ है?

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब कमीशन की नियुक्ति की तब आपके दिमाग में यह बात थी कि नहीं कि इसके लिए पैसे की जरूरत होगी, इसके लिए स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए भवन की भी आवश्यकता पड़ेगी? यह तीनों बातें

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अगर आपके दिमाग में थीं तो इतना समय क्यों लगाया ? जो स्थान आप अब तय कर पाये हैं वह डाक बंगला नया बनाया है या पहले से ही था ? यदि यह पहले से ही था तो इन सब डिले का आपकी लापरवाही के सिवाय कोई कारण नहीं हो सकता। खर्चा कितना कर दिया, यह भी जवाब दें ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, 20 हजार रुपये कमीशन को उपलब्ध कराये हैं। खर्चा कमीशन को करना है सरकार को नहीं करना है। यह रुपया उनके डिस्पोजल पर रहेगा। मैंने कहा उत्तर में कि स्टार्ट में 20 हजार का प्रोविजन किया है और धन की आवश्यकता पड़ेगी तो धन का प्रावधान करेंगे सरकार द्वारा इसके ऊपर खर्चा नहीं हो रहा, जो कुछ खर्चा हो रहा है वह कमीशन को करना है। सरकार इसके बीच में कहां आती है खर्च करने के लिए।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : कमीशन के पास पैसा कहां से आयेगा ? कमीशन अपने सोर्स से लायेगा या राज्य सरकार देगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर धन की और आवश्यकता पड़ेगी, कमीशन जब धन की मांग करेगा तो सरकार धन उपलब्ध करायेगी। धन कहां आड़े आ रहा है इसमें, श्रीमन् ?

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : जो गवाह हैं वह डिले होने से प्रभावित नहीं होंगे क्या ? डिले होने के कारण गवाह कौनसी सच्ची गवाही दे सकते हैं ? जो आई विटनेस हैं उनके ऊपर दबाव, पुलिस द्वारा जोर जबरदस्ती नहीं होगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जायं।

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है, कमीशन की जांच में, टर्म्स आफ रेफरेन्स में यह भी है कि जो विक्टिम महिला थी उसके पुनर्वास के बारे में वह सिफारिश करेगा ? जांच के विलम्बित होने के कारण उसके पुनर्वास वगैरह की ठीक व्यवस्था न होने के कारण वह विक्षिप्त हो गयी।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में साफ है कि उसके पुनर्वास की व्यवस्था की सिफारिश करेगा। लेकिन जांच विलम्बित होने के कारण वह महिला विक्षिप्त हो गयी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : यह सरकार पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगी....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : राजस्थान में ऐसे मंत्री रहेंगे तो कोई जांच नहीं होगी, निहत्थे लोग गोली से भूने जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री अनंगकुमार जैन : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) × ×

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री मोहनलाल मोदी ।

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री भगवानदास शास्त्री : × × ×

श्री अनंगकुमार जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : यह ००० है, नाकाबिले बर्दाश्त है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : ०००

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : यह गलत है ।

एक माननीय सदस्य : यह सही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उस महिला का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य टर्म्स ऑफ रेफरेन्स की बात कर रहे थे, उस महिला का क्या हुआ । आप आज्ञा दें तो मैं यह पढ़ कर सुना देता हूं....

श्री अध्यक्ष : यह विषय से हट कर प्रश्न है, मैंने उनको भी इजाजत नहीं दी थी आपको भी इजाजत नहीं दे सकता ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आने दीजिये । महिला पागल हो गयी, पागल खाने में भर्ती है....

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

००० शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : विलम्ब इसलिये कर रहे हैं ताकि गवाह नहीं मिल सके ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

श्री भगवानदास शास्त्री : ××××

श्री भंवरलाल शर्मा : ×××

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्री जी ।

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

श्री भगवानदास शास्त्री : ×××

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आर्डर । बैठ जायं । माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है । कृपया अव्यवस्था न फैलावें । आर्डर । आर्डर । अंकित न हो

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्रीजी ।

कपिलदेव राजकीय चिकित्सालय, नीमकाथाना

72. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कपिलदेव राजकीय चिकित्सालय, नीमकाथाना में औसतन प्रतिदिन इलाज के लिये कितने रोगी आते हैं और कितने रोगी औसतन प्रतिदिन भर्ती रहते हैं ?

(2) क्या रोगियों की संख्या को देखते हुए 20 शैयाओं के इस चिकित्सालय को 50 शैयाओं से युक्त बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

चिकित्सा मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) :

(1) इस चिकित्सालय में प्रतिदिन औसतन 200 नये-पुराने रोगी आते हैं तथा लगभग 8 से 12 रोगी प्रतिदिन नये भर्ती होते हैं ।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में शैयाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न में पूछा था कि कपिलदेव राजकीय चिकित्सालय नीमकाथाना में औसतन प्रतिदिन इलाज के लिये आते हैं और कितने रोगी औसतन प्रतिदिन भर्ती होते हैं, मंत्री महोदय, आपने उसका उत्तर स्पष्ट नहीं दिया कि प्रतिदिन कितने भर्ती होते हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : 30 से 50 के दरमियान ।

श्री मोहनलाल मोदी : स्वास्थ्य मंत्रीजी मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि 16-2-1984 को 83 पेशेन्ट्स एडमिट रहे, 12-‚-84 को 79 पेशेन्ट्स भर्ती रहे और 18-2 1984 को 80 पेशेन्ट भर्ती रहे है। ऐसी स्थिति के अन्दर भी आप रेफरल हॉस्पिटल नहीं खोल रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि रेफरल हॉस्पिटल 50 शैयाओं का खोलने का क्या नियम है ?

श्री खेतसिह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप, श्रीमन्. को शंका क्यों है। जबकि मैंने अपने जवाब में साफ कहा है कि क्रमोन्नत कर रहे हैं, प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, शंका इसलिये हो गयी कि आप, स्वास्थ्य मंत्रीजी, श्रीमाधोपुर में रेफरल हॉस्पिटल का उद्‌घाटन करने जा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमाधोपुर अलग है, नीमकाथाना अलग है आप इसके लिये क्यों चिन्ता कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : श्रीमाधोपुर भी इसी जिले के अन्तर्गत आता है इसलिये मुझे संदेह है कि कहीं नीमकाथाना का रेफरल हॉस्पिटल श्रीमाधोपुर में नहीं चला जाय। इसलिये आप इसकी घोषणा करें कि निश्चित रूप से नीमकाथाना में रेफरल हॉस्पिटल खोल दिया जायेगा ?

श्री हीरालाल आर्य : इन्होंने दल-बदल भी इसीलिये किया था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : घोषणा करने की तो स्थिति में नहीं हूं लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। 20 शैयाओं का हॉस्पिटल चल रहा है और शैयायें बढ़ाने का विचार कर रहे हैं जिससे आपका परपज सर्व हो जायेगा।

श्री मोहनलाल मोदी : घोषणा करने में क्या दिक्कत है ? रेफरल हॉस्पिटल खोलने का निर्णय ले रहे हैं उसके सम्बन्ध में घोषणा करने में क्या परेशानी है ? नीमकाथाना में 80 मरीज भर्ती रहते हैं, 20 शैयाओं का हॉस्पिटल है 25 हजार की आबादी है, इस पर आपको क्या दिक्कत है घोषणा करने में ?

श्री भगवानदास शास्त्री : इसीलिये तो दल-बदल किया था।

श्री खेतसिह राठौड़ : क्रमोन्नत किये जायेंगे। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आपके प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। प्रस्ताव विचाराधीन है, निश्चित तौर पर इस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहनलाल मोदी : उप जिला है वहां पर खोलने का निर्णय है या नहीं सरकार का ?

एक माननीय सदस्य : नहीं है।

श्री खेतसिह राठौड़ : उप जिला और कुछ जिलों में क्रमोन्नत किये हैं। झालावाड़

(श्री खेतसिंह राठौड़)

से आने वाले माननीय सदस्य बीच में कुद रहे थे, आप उनसे कह दीजिये कि उनके जिले में क्रमोन्नत हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायं ।

श्री गोपाल पचेरवाल ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : झालावाड़ में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया है लेकिन ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, व्यवस्था बनाये रखें, अगला प्रश्न पुकार लिया है । श्री गोपाल पचेरवाल ।

जिला बून्दी में "गरीब को छप्पर" योजना का क्रियान्वयन

73. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बून्दी में वर्ष 1983-84 में "गरीब को छप्पर" योजना के अन्तर्गत कितने मकानों का निर्माण कराया गया तथा कितने लोगों को मकान आवंटित कर दिये गये ? कृपया कुल मकानों की संख्या पंचायत समिति व पंचायतवार, पूर्ण व अपूर्ण आवंटित मकानों की संख्या मय आबंटियों की पंचायतवार संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त अवधिय में पंचायत समिति केशवराय पाटन में कितने व्यक्तियों को अनुदान के रूप में कितना-कितना रुपया कब-कब दिया गया ? कृपया नाम, पता, जाति व पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत अनुदान राशि भुगतान के सम्बन्ध में पंचायत समिति, केशवराय पाटन में अनियमितताएं पायी गयी थीं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

पंचायत राज मंत्री (श्री शीशराम ओला):

(1) "गरीब को छप्पर" योजना के तहत मकान का निर्माण कराकर नहीं दिया जाता है बल्कि भू-खण्ड आबंटित किये जाते हैं जिन पर आबंटिती स्वयं अपने मकान बनाते हैं । वर्ष 1983–84 में इस योजना के अधीन आबंटित भू-खण्डों पर 346 मकान बनाये गये हैं जिनमें से 300 मकान पूर्ण तथा 46 अपूर्ण हैं । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं ।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय फरमा रहे हैं कि मकान नहीं बनाये जाते, भूखण्ड आबंटित किये जाते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि भूखण्ड आबंटन के बाद क्या सरकार उनको अनुदान भी देती है ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि केवल भूखण्ड आवंटित किये जाते हैं जिस पर आबंटिती स्वयं अपने मकान बनाते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : भूखण्ड किन लोगों को दिया जाता है ?

श्री शीशराम ओला : जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिये यह प्रावधान है, उनको 750 रुपये सहायता और 1000 रुपये काम के बदले भुगतान किया जाता है।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि इस योजना के अधीन आवंटित भूखण्डों पर 346 मकान बनाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने व्यक्तियों को अनुदान की राशि दी गई ?

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसकी सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है। 750 रुपये अनुदान और 1000 रुपये काम के एवज में दिये जाते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय माननीय मन्त्री महोदय को इतना भी ज्ञान नहीं है कि सूची केवल केशवरायपाटन की दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को अनुदान दिया गया ?

श्री शीशराम ओला : आपने यह पूछा है, क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत अनुदान राशि भुगतान के सम्बन्ध में पंचायत समिति केशवरायपाटन में अनियमितातायें पायी गयी थीं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न का तीसरा खण्ड है।

श्री शीशराम ओला : आपने कौनसा पूछा है ?

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि 346 भूखण्डों पर जो मकानों का निर्माण किया गया क्या उनमें सरकार का पैसा लगा है या आवन्टियों ने निजी पैसों से निर्माण कराया है ?

श्री शीशराम ओला : आप कृपा इसको पढ़ दें। आपने यह पूछा है कि जिला बून्दी में वर्ष 1983–84 में "गरीब को छप्पर" योजना के अन्तर्गत कितने मकानों का निर्माण कराया गया तथा कितने लोगों को मकान आवन्टित कर दिये गये ? कृपया कुल मकानों की संख्या पंचायत समिति व पंचायतवार, पूर्ण व अपूर्ण आवंटित मकानों की संख्या मय आवंटियों की पंचायतवार संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखें। यह सूची मैंने सदन के पटल पर रख दी है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैंने यह पूछा है कि कितने लोगों को मकान आवंटित किये गये ? आपने भूखण्ड आवंटित किये हैं तो इसमें सरकार का पैसा लगा है क्या ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो जानकारी दी है वह सब गलत है, यह सूची भी गलत है। बून्दी जिले में कई मकान अपूर्ण हैं। कलेक्टर ने जो आंकड़े दिये हैं वह गलत हैं।

श्री शीशराम ओला : आप फिर से दोहरा दीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैंने यह पूछा है बून्दी जिले में कितने मकानों का निर्माण कराया गया ? माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि भूखण्ड आवंटित किये जाते हैं। मेरा कहना यह है कि उसमें पैसा सरकार का लगा है या आवंटियों का ?

दूसरी बात, आपने बताया कि 346 मकानों का निर्माण कराया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम डेढ़ सौ से भी अधिक मकान अपूर्ण हैं।

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। जो व्यक्ति कर्जा लेना चाहे भूखण्ड के लिये उनको कर्जा दिया जाता है और जिसकी हैसियत नहीं है कि वह पनप सके उसको सहायता भी दी जाती है। मैंने विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। गरीब लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 346 मकानों में भूखण्ड खरीदने में सरकार का पैसा लगा है या नहीं ?

श्री शीशराम ओला : आपने पूछा नहीं तो मुझे क्या सपना आता था।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न से यह आशय निकलता है कि क्या सरकार गांवों में "गरीबों को छप्पर" योजना के अन्तर्गत सहायता का प्रावधान रखती है। इसमें यह है कि जो शर्तें पूरी करते हैं वह कर्जा और सहायता लेकर मकान बना सकते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैंने यह प्रश्न किया है कि इस अनुदान राशि में गडबडी हुई है या नहीं ? मेरे को जो लिस्ट दी गयी है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट लोग हैं उनके लिये जो अनुदान दिया गया है उसको कांग्रेस के सरपंच लोग खा गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भैरूंलाल विभाजन संख्या 110

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गयी है, वह गलत है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मन्त्री महोदय ने गलत जानकारी दी है और इतना असर्ट कर रहे हैं तो इतना आश्वासन तो दिया जाना चाहिये कि वे इसकी जांच करवायेंगे।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : आप खण्ड तीन को दुबारा पढ़ लें।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मन्त्री महोदय, जांच कराने का आश्वासन तो देवें। फिर प्रश्न पूछने का क्या फायदा है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरे प्रश्न का तीसरा खण्ड यह है कि क्या उक्त योजना के तहत अनुदान राशि भुगतान के सम्बन्ध में अनियमिततायें पायी गयीं थीं ?

(व्यवधान)

इसका उत्तर दे दीजिये।

श्री शीशराम श्रोला : कृपया बैठिये। मैंने पहले भी बताया कि इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं हुई। इसके अलावा भी माननीय सदस्य यदि मुझे लिखकर देंगे तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। यह लिखकर दे दें कि अमुक-अमुक स्थान पर गड़बड़ी हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। बैठ जायं। आगे चर्चा नहीं हो।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री गोपाल पचेरवाल : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जायं। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 74

श्री भैरूंलाल : विभाजन 110.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न श्री भैरूलाल भारद्वाज।

जमवा रामगढ़ क्षेत्र में वन्य जीव व पक्षी अभयारण्य

75. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़)** : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र में वन्य जीव अभयारण्य तथा डांगरवाड़ा (सैथल सागर) बान्ध पर पक्षी अभयारण्य योजना कब-कब स्वीकृत की गयी है ? इन योजनाओं पर अब तक किन-किन कार्यों पर कितना-कितना पैसा खर्च किया गया है ?

(2) क्या सरकार इन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिये अविलम्ब कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

राज्य मन्त्री, वन (श्री गोबिन्द सिंह गुर्जर) :

(1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 11 (29) राजस्व। 8/81 दिनांक 31-5-82 द्वारा जमवारामगढ़ वन क्षेत्र को जीव अभयारण्य घोषित किया गया है तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 11 (21) राजस्व/18 जयपुर, दिनांक 4-7-81 के द्वारा सैथल सागर को शिकार निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।

जमवारामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में वर्ष 83-84 में विभिन्न वन विकास योजना के अन्तर्गत 2,97,267/– रुपये की तथा वर्ष 84-85 में माह अगस्त, 1984 तक संधारण हेतु 78,727, रुपये व्यय किये जा चुके हैं तथा 330 हैक्टेयर एवं 45 रो किमी. (रोड साईड प्लान्टेशन) क्षेत्र में नये प्लान्टेशन स्थापित किय गये हैं।

(2) धन की उपलब्धता पर विकास कार्य किये जायेंगे।

श्री भैरू'लाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 1981-82 में ही जमवारामगढ़, जो राजधानी के नजदीक है, को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है उसके अन्तर्गत जमवारामगढ़ वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य तथा डांगरवाड़ा (सैथलसागर) बान्ध पर पक्षी अभयारण्य घोषित किया जा चुका है। वहां पर जो काम इनके विकास के लिये चल रहा है वह धीमी गति से चल रहा है। कम से कम वहां वन्य जीवों के लिये पेड़ तो अधिक से अधिक मात्रा में लगाये जाने चाहिये। सरकार को इस काम में विशेष रुचि लेनी चाहिये। लेकिन वहां तो, अध्यक्ष महोदय, साधारणतया जैसे सड़कों की साइड पर पेड़ लगाये जाते हैं वैसे भी पेड़ लगाने की कार्यवाही अभी तक चालू नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, जब वन्य जीव अभयारण्य तथा पक्षियों के लिये जो पक्षी अभयारण्य घोषित किये जाते हैं तब वहां पर स्टाफ की व्यवस्था की जाती है। अभी तक वहां पर स्टाफ की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी है ?

इसके अलावा मैं मन्त्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि वहां पर पर्यटन विभाग के नौका ड्राइवर ने लोगों को ले जाकर पक्षियों का शिकार कराया है ? इसकी रिपोर्ट पुलिस में को गयी, वन विभाग में भी इस बात की शिकायत की गयी, तो उसके खिलाफ में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री भैरू'लाल भारद्वाज : अलग से प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो क्षेत्र एक बार अभयारण्य घोषित किया जा चुका है जिसके बारे में शिकायत की गयी है उसके खिलाफ में क्या कार्यवाही सरकार के द्वारा की गयी यह तो उसका पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप व्यक्तिगत प्रश्न कर रहे हैं।

श्री भैरू'लाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, वहां पर सरकारी आदमी शिकार कराते हैं इस प्रश्न को गम्भीरता से लिया

17

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज) :

जाना चाहिये। अगर वहां पर शिकार होगा तो अभयारण्य का विकास कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है वहां इस तरह से लोग शिकार करें उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, वहां जो पक्षी आते हैं वह साइबेरिया और दूसरे देशों से आते हैं, उन पक्षियों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकार ने एक धेला भी खर्च नहीं किया है यह कहां तक न्याय संगत है ? वहां वन्य पशुओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग आकर शिकार करते हैं। इसके अलावा वहां पर्यटकों की सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो फिर सरकार द्वारा उसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने की कीमत ही क्या रही ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि जब कोई अभयारण्य घोषित किया जाता है तो वहां बहुत बड़े पैमाने पर विकास का काम किया जावे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभयारण्य जब घोषित करते हैं तो उसके पश्चात् उस इलाके में लकड़ी काटने का जो काम होता है उसको बन्द कर दिया जाता है। पेड़ों से जो उत्पादन होता है। या पेड़ों के काटने का जो ठेके का काम होता है वह बन्द कर दिया जाता है और ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे कि पक्षियों को नेचुरल-वे में रह सकने जैसी स्थिति वहां पर हो जाय और उन पक्षियों का विकास हो सके। वहां ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि जिसमें पक्षी प्रकृति के अनुसार रह सकें। वहां कोई बहुत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम नहीं किया जाता है। वहां ऐसी व्यवस्था होती है कि पक्षियों की सुरक्षा हो सके, पक्षी स्वच्छन्दता से आ जा सकें और रह सकें।

जहां तक माननीय सदस्य ने पेड़ों के लगाने का काम करने वाली बात कही है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह अभयारण्य जो होता है उसकी जो योजनायें होती हैं वह केन्द्रीय सरकार के द्वारा मंजूर की जाती हैं। उनके लिये मुतबातिर तौर से ध्यान दिया जाता है। वहां उनके विकास का ध्यान दिया जाता है। माननीय सदस्य सदन के अन्दर और सदन के बाहर जब भी मुझसे मिलते हैं तो मुझे जोर इस बात के लिये देते रहते हैं। सरकार इस ओर सजग है। इसके अलावा हमने केन्द्रीय सरकार की योजनाओं में इसको शामिल कर लिया है ताकि इस अभयारण्य का अच्छी तरह से विकास हो सके।

तीसरी बात जो माननीय सदस्य ने शिकार के बारे में कही उसके लिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो कर्मचारी था उसको सस्पेन्ड कर दिया गया है और उस ऐरिया के रेन्जर को वहां से हटा दिया गया है, उसके खिलाफ 16

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

सी. सी. ए. रूल्स के तहत कार्यवाही की जा रही है। जहां तक सवाल उस नौका ड्राइवर का है, वह ड्राइवर पर्यटन विकास विभाग का कर्मचारी था इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये पर्यटन विभाग को लिख दिया गया है, वह उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, एक बार जब अभयारण्य घोषित किया जाता है तो फिर सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि उस अभयारण्य का विकास हो, वहां पर पशु-पक्षियों की सुरक्षा हो और उसमें जो लोग गड़बड़ी करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। अगर वहां आने वाले पक्षियों का शिकार होगा तो वहां पक्षी कैसे आयेंगे ? दूसरा अगर वहां पशु-पक्षियों के लिये घना जंगल और पेड़ों का झुरमुट नहीं होगा तो अभयारण्य का विकास कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। पक्षियों की प्रवृत्ति अलग होती है उनके लिये ज्यादा जंगल या झुरमुट का होना जरूरी नहीं हैं यह तो प्राकृतिक और वैज्ञानिक विषय है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान की बात अलग है वहां पर घने जंगल नहीं हो सकते हैं परन्तु पूर्वी राजस्थान, जहां पर पहाड़ हैं, में तो सघन जंगल होने चाहिये। जमवा-रामगढ़ में पानी है, पहाड़ है और वन्य जीव भी हैं इसलिये बड़े झुरमुट उन पक्षियों के लिये होना बहुत जरूरी है। वन विभाग के पास अगर पैसे नहीं हों तो केन्द्रीय सरकार से इसके लिये विशेष स्वीकृति लेकर वहां इन पक्षियों के लिये विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि उन जीवों की सुरक्षा हो सके। इसके अलावा शिकार पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाया जाये। जिन लोगों ने वहां पर शिकार किया है और पर्यटन विभाग के जिस कर्मचारी ने शिकार कराया है उसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जावे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

अजमेर में गुजर धरती नगरा के निवासियों को लीज पर भू-आबंटन

76. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1983 एवं जनवरी, 1984 में नगर सुधार न्यास, अजमेर ने गुजर धरती नगरा के अनुसूचित जातियों के निवासियों से 315/- रुपये लेकर केवल रहवासिय कार्यों हेतु 99 वर्ष की लीज पर आवन्टन किये जाने हेतु कोई योजना बनाई है और कई व्यक्तियों से यह राशि वसूल की है ? यदि हां, तो कितने लोगों से यह राशि वसूल की जाकर न्यास के कोष में कब-कब जमा की गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह रुपया जमा कराने वालों ने लीज पर भू-खण्ड लेने की अनिच्छा प्रकट करते हुए अपनी राशि लौटाने हेतु प्रार्थना पत्र दिये

(श्री कैलाश मेघवाल)

थे ? यदि हां, तो यह प्रार्थना पत्र कब-कब कितने लोगों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ लोगों को इस योजना के अन्तर्गत पट्टे भी दिये जा चुके ? यदि हां, तो किस-किस को किस नाप के भू-खण्ड किस भूमि में दिये गये हैं ?

(4) क्या यह भी सही है खण्ड तीन में आबन्टित भू-खण्डों वाली भूमि के अलावा न्यास के अधिकार या कब्जे में इस योजना की क्रियान्विति हेतु कोई भूमि नहीं है ?

(5) क्या राज्य सरकार स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत अथवा अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के इन लोगों को एक रुपये के शुल्क पर पट्टा दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, आयोजना (श्री प्रद्युम्न सिंह) :

(1) गुजर धरती नगरा स्लम का एक हिस्सा है जो वर्ष 1975 में आयी बाढ़ के पश्चात् अधिघोषित की गई थी। वर्ष 1983-84 में कोई नई योजना नहीं बनाई गई। जो व्यक्ति यहां पहले से निवास कर रहे थे उनको व्यवस्थित ढंग से बसाने हेतु 315 रुपये प्रति व्यक्ति से न्यास में राशि जमा कराई गई थी। जिन लोगों से यह राशि ली गई है उनकी सूची संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा आवन्टन या नियमन लीज बेसिस पर ही किया जाता है।

(2) नियमन, आवंटन के लिए रकम जमा कराने वाले कुछ व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से लीज पर न लेने की इच्छा प्रकट की थी। चूंकि लीज के अलावा भूमि देने का कोई और प्रावधान नहीं है अतः उन्हें पूर्णतया वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था और उन्होंने उस पर राशि लौटाने हेतु अवश्य लिखा था परन्तु व्यक्तिगत रूप से राशि लेने नहीं आये।

(3) गुजर धरती में अभी किसी को पट्टा नहीं दिया गया है।

(4) गुजर धरती जो नारा स्लम का एक हिस्सा है, इसमें आने वाली भूमि के बाबत अधिकतर भूमिधारियों द्वारा न्यास को भूमि देने की रजामन्दी वर्षों पूर्व ही दे दी गई थी। कुछ भूमि इसमें से न्यास द्वारा क्रय भी की जा चुकी है अतः इन लोगों की रजामन्दी एवं भूमि क्रय किये जाने के आधार पर इस योजना को क्रियान्वित किया जाना है।

(5) स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत इन लोगों का मामला नहीं आता है अतः इसके तहत पट्टा देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 325 रुपये के हिसाब से 176 लोगों से आपने राशि वसूल की है ? इन 176 लोगों को पट्टे आवंटित करने या उनका नियमन करने के लिए क्या नगर सुधार न्यास के पास उस रोज इतनी जमीन थी जितनी कि 176 लोगों के लिए आवश्यक है ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

दूसरा, क्या यह भी सही है कि दिनांक 28-4-84 को माननीय मुख्य मन्त्रीजी इसी गुजर धरती योजना के अन्तर्गत एक गूजर नगर बस्ती का उद्घाटन करने पधारे थे और उन्होंने दस बारह पट्टे तो दिये बाकी भूमि विवादग्रस्त होने के कारण उन्होंने पट्टे नहीं दिये ?

तीसरी, क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार की नीति शिड्यूल्ड कास्ट् और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को एक रुपये में पट्टा देने की है ? क्या राज्य सरकार इस नीति को लागू करके गूजर धरती के इन आवासियों को एक रुपये में पट्टे पर आवासीय भू-खण्ड देगी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जमीन की उपलब्धता का सवाल है, इस नगरा स्लम एरिया के अन्दर कई बस्तियां हैं। जिस गूजर धरती का यहां पर माननीय सदस्य ने जिक्र किया है वहां पर जिस जमीन पर मकान बने हुए हैं वह सरकारी जमीन हैं। कुछ का कब्जा प्राइवेट लोगों के पास है। इसके बैकग्राउण्ड पर जाना पड़ेगा। यू० आई० टी० ने नेगोसियेट किया और उन प्राइवेट लैण्ड ओनर्स से तय किया कि आप इस जमीन को यू० आई० टी० के पक्ष में विक्रय कर दें ताकि गरीब लोगों को इस पर बसाया जा सके। उन्होंने इस बात पर अपनी सहमति प्रकट की। अब, अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पूरी जमीन सरकारी नहीं थी। जो पहला प्रश्न पूछा उसका उत्तर यह है।

दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि गूजर धरती के अन्दर जो बस्ती है वहां पर मुख्यमन्त्रीजी द्वारा फला तारीख को कोई पट्टों का वितरण किया गया। उसके उत्तर में भी मैंने कहा कि नहीं किया गया था। आपने सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मेरा उत्तर यह है कि जिस तारीख का यह वर्णन किया उस तारीख को यहां उसके बाद इस बस्ती में कोई पट्टे मुख्य मन्त्रीजी द्वारा वितरित नहीं किए गए।

तीसरा प्रश्न जो इन्होंने कहा है, सरकार की यह नीति है कि जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे हैं वहीं लोग कवर होंगे जिनका कब्जा 40 वर्ष से पूर्व का है। तो आपने प्रश्न पूछा सरकार की नीति है लेकिन उस नीति का क्वालीफाइंग क्लाज यह है। अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर नियम यह भी है कि 40 साल पहले से कब्जा किसी का हो गया है और जो 40 वर्ष की तारीख में नहीं आते हैं उनको लाभ मिलने वाला नहीं है। यही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने स्वीकार किया है कि जिस तारीख को 176 लोगों से पैसे लिए गए उस तारीख को न्यास के अधिकार या कब्जे में जमीन नहीं थी, न कोई योजना उसके पास थी। ऐसी स्थिति में क्या यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ धोखा नहीं हुआ ?

दूसरा, अब प्रश्न यह है कि 176 लोग वहां पर 50-60 साल पहले से रह रहे हैं, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 40 वर्ष पहले से जितने

(श्री कैलाश मेघवाल)

लोग रह रहे हैं क्या उनको एक रुपये में पट्टा देने की आप यहां घोषणा करेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो लोग सरकारी भूमि पर 40 वर्ष पहले से कब्जा किये हुए हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, मैं यहां पर पुनः दोहराना चाहता हूं कि सरकार की नीति के अनुसार उनको एक रुपये में पट्टा देंगे। आप राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से बार-बार इस बात को मुझसे कहलाना चाहें कि गोल-मोल जवाब दूं, ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत 40 वर्ष पहले के कब्जे जिनके हैं सरकारी जमीन पर या नजूल की जमीन पर, उनको हम एक रुपया में जमीन का पट्टा देंगे।

दूसरा, आपने पूछा कि जब आपके पास जमीन ही नहीं थी तो आपने कैसे उनसे रुपये जमा करा लिए। मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि जो प्राइवेट लैण्ड होल्डर्स थे उन्होंने इस बात का हमसे करार किया कि यह जमीन हम आपको बेचेंगे, क्योंकि वह अपने मन में जानते थे कि गरीबों को हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए जमीन को बेचकर नगर सुधार न्यास से रकम प्राप्त कर ली जाये इसमें ही भला है। ऐसा उन्होंने करार किया। उस करार के तहत हमने यहां पर उनसे रुपया जमा कराया। इसके मूल में प्रश्न यह है कि जो प्राइवेट लैण्ड ओनर्स हैं वह नहीं चाहते कि इनको जमीन दी जाय लीज के आधार पर, क्योंकि यह लोग यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने इन गरीबों को बहका कर कहा कि सरकार लीज पर दे रही है तुम अपना रुपया वापस ले लो, हम फ्री होल्ड के नाम से जमीन को बेनामी कर देंगे और तुम मुस्तकिल मालिक हो जाओगे। मूल के अन्दर जो जड़-झगड़े की है, वह यहां के लोगों को बहका रहे हैं कि सरकार से रुपया ले लो हम जमीन बेच देंगे। कुछ निहित स्वार्थ के लोग हैं वह गरीबों को बहका रहे हैं इसलिए झगड़ा पड़ा हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : इस बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं, यह स्लम एरिया है, क्या उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बसाने के लिए नगर सुधार न्यास अलग से योजना बनायेगा और सरकार भू-खण्ड आवंटित करेगी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की जो नीति रही है उसके अनुसार 71 और 81 के सर्वेधारी हैं, जिनका राजस्थान के अन्दर सर्वे हुआ है, हमारा प्रयत्न यही होगा कि यथास्थान, यथास्थिति सुनियोजित ढंग से उनको वहां बसाया जाये। जब तक हम महसूस नहीं करते कि यह यहां पर सुनियोजित ढंग से नहीं बस सकते हैं तब तक तो हमको कठिनाई आती है, लेकिन हमारे पास वहां पर जमीन उपलब्ध है और प्राइवेट लैण्ड होल्डर्स, जिन्होंने हमसे करार किया है, को उस स्थान पर वहां बसाया जायेगा। वहां जमीन उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरीश शर्मा।

सांख्यिकी सहायकों का पदोन्नति कोटा

77. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) :

(श्री हरीश शर्मा)

क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में कार्यरत सांख्यिकी सहायकों का पदोन्नति कोटा 33½ प्रतिशत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सांख्यिकी सहायकों का पदोन्नति कोटा सन् 1961 में 50 प्रतिशत था ?

(3) क्या यह सही है कि सांख्यिकी सहायकों का पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत करने का मामला मन्त्री मण्डल में विचाराधीन है ? यदि हां, तो 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटा के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

राज्य मन्त्री, आर्थिक एवं सांख्यिकी (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर) :

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुझे पहले ही जवाब दे चुके है गये सत्र में कि 1961 में कोटा कम क्यों किया गया था। दूसरा सवाल यह है कि कृषि विभाग में उसी योग्यता के लोगों का 50 प्रतिशत कोटा क्यों रखा है और दूसरी केटेगरी में क्यों नहीं है ? आखिर यह पक्षपात क्यों किया ? क्या यहां पर कोई माथुर नहीं था ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह मामला काफी समय से मन्त्री मण्डल के विचाराधीन था। 30-5-84 को यह मन्त्री मण्डल के सामने प्रस्तुत करके 21-9-84 को जो नियमों की उपसमिति है उसमें नियमों से ही किया गया। उसके बाद राज्यपाल महोदय की स्वीकृति 2-10-84 को आई। इसके बाद कार्मिक विभाग इसके ऊपर आदेश निकालने वाला है। जहां तक आपने 50 प्रतिशत कोटा करने का कहा है, तो 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटा के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 50 प्रतिशत की बात कर रहे हैं, उसी योग्यता वाले लोगों को कृषि विभाग में प्रमोशन मिल जायेगा लेकिन इसी सरकार के अन्तर्गत इनको नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों ? यह जवाब दें, मंत्री महोदय।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो नियम बने हुए हैं उन नियमों में जो भी आता है उन सभी को कन्सीडर किया जायेगा। यह सवाल इससे सम्बन्धित भी नहीं है वरना और तफसील से बता देता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम क्या हैं ? एम० ए० सेकण्ड डिवीजन वालों को 50 प्रतिशत प्रमोशन करते हैं, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में क्यों नहीं करते ? यह नियम तो आलरेडी बना हुआ है इस नियम का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। आपने पूछा, 50 प्रतिशत करने का, कब कर रहे हैं, कब निर्णय हुआ है। उसका मैंने जवाब दिया है।

प्रश्न संख्या–78

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कीर्तिमल जैन।

अगला प्रश्न। श्री महाराम चौधरी।

पंचायत समिति मूंडवा व नागौर के अधीन अपूर्ण निर्माण कार्य

79. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1) पंचायत समिति मूण्डवा एवं पंचायत समिति नागौर में कितने पंचायतों के निर्माण कार्य गत तीन वर्षों से अधिक समय से अधूरे पड़े हैं ? कृपया ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

मंत्री, पंचायत राज (श्री शीशराम ओला) : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना हमारे पास बाहर से नहीं आई है इसलिए मैं विनती करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इनको पंचायत मन्त्री की जगह स्थगित मंत्री किया जाय।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन कर दूं....

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित किया गया।

श्री महाराम चौधरी : मेरा परसों भी प्रश्न था उसको भी स्थगित कर दिया। 15 दिन पहले यह सवाल दिया था, इस सवाल को स्थगित कर दिया। आम आदमी को

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको स्थगित कर दिया है।

अगला प्रश्न। श्री बाल चन्द्र आर्य।

जिला झालावाड़ के पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना

80. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार की नीति के अनुसरण में झालावाड़ जिले में वर्ष 1980 से 1984 तक कितने पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़े जा चुके हैं शेष पंचायत मुख्यालयों को तक सड़क मार्ग जोड़ने का सरकार का विचार है ?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : झालावाड़ जिले में वर्ष 1980 से 1984 तक चार पंचायत मुख्यालय सड़कों से जोड़े गये हैं। पांच पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़े जाने की योजना पर कार्य चल रहा है। शेष 118

(**श्री चेतराम मीणा**)

पंचायत मुख्यालय वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि पांच पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का कार्य चल रहा है । कौन सा कार्य है, कौन से मुख्यालय हैं, यह बताने की कृपा करें ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जिन पांच पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का कार्य चल रहा है वे है सतोलिया, तीतरवासा, पनवाड़, दहीखेड़ा, सुनारी ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : उन पर कितना बजट व्यय करने का आपने प्रावधान रखा है, यह भी बतायें ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा यह सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन इन पर कार्य चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन सा कार्य चल रहा है ? केवल मात्र कागजों में है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या यह सही नहीं है कि जिला परिषदों, पंचायतों, पंचायत समितियों, विधायकों सब के प्रस्ताव लेने के बावजूद, पी. डब्ल्यू डी. के प्रस्ताव लेने के बावजूद एक सड़क पूरी नहीं की गई है ? यह धोखा दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है । एक भी सड़क नहीं बनी है । Not a Single.

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार ।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि 1980 से 1984 तक चार वर्षों में चार पंचायतों के मुख्यालयों को सड़क से जोड़ा गया है और 118 पंचायत मुख्यालयों को अभी आपने बताया जोड़ने का प्रावधान है । तो मेरा आपके माध्यम से पूछना है कि इन 118 पंचायत मुख्यालयों को कितनी वर्षों के अन्दर जोड़ देंगे ? क्या इस बारे में आपने कोई नीति निर्धारित की है ? जिस प्रकार दूसरे जिलों में कई पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ा है, ऐसी सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है, तो वह बताने का कष्ट करें ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि वित्तीय साधन जैसे-जैसे उपलब्ध होंगे वैसे-वैसे पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ा जायेगा । यह पूरे राजस्थान के लिये नीति निर्धारित है, केवल झालावाड़ के लिये नहीं है । जितने वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे उसी अनुसार सड़कों का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : यह सिर्फ एक नारा है । अध्यक्ष महोदय, मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में चार साल में एक भी पंचायत हैड क्वार्टर को नहीं जोड़ा गया है ।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

आगामी वर्ष की योजना में एक भी पंचायत हैड क्वार्टर को सड़क से जोड़ने का प्रावधान नहीं है। यह फ्राड है कि बीस सूत्री कार्यक्रम में पंचायत हैड क्वार्टर को सड़क से जोड़ा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जायें, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार और अन्याय इतना फैला हुआ है कि जान बूझकर लोगों तथा एम. एल. एज को परेशान करते हैं, तंग करते हैं और उनकी छवि बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं। जैसा कभी आप ने कहा कि चार साल में उनके क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बनी। मैं वार-बार इस विधान सभा में कह चुका हूं कि मेरे यहां भी पांच साल में एक भी सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की नहीं बनी है....

(व्यवधान)

यही नहीं और सुनो, यहां अभी जो सड़कों की सूची 84–85 के लिये इन्होंने चूरू जिले के लिये प्रकाशित की है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो 84–85 के अन्दर चूरू जिले के लिये सड़कों की स्वीकृत की हैं, चूरू जिले में 7 तहसील हैं, उनमें से 6 में तो स्वीकृत कर दीं लेकिन मेरे क्षेत्र में नहीं कीं। मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था, तीन साल में तीन फीट सड़क दे दो चार साल में चार फीट सड़क दे दो लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग में इतना अन्याय और पक्षपात है, इस पर आपको अंकुश लगाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

जोधपुर, पाली व बालोतरा में औद्योगिक इकाइयों के दूषित पानी के लिये संयंत्र

81. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर, पाली व बालोतरा में औद्योगिक इकाइयों से जो केमिकल युक्त पानी निकलता है एवं आगे ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों, नदी, नालों कुओं बावड़ियों व सिंचाई के साधनों को प्रदूषित कर रहा है उसके उपचार के लिये राज्य सरकार ने आज दिन तक क्या प्रयत्न किये हैं व उसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि केमिकल युक्त पानी से इन शहरों के आसपास के गांवों की खेती योग्य जमीन नष्ट हो चुकी है एवं कुओं व तालाबों का पानी इतना गंदा हो चुका है कि वह पीने लायक भी नहीं रहा ?

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(3) क्या सैंकड़ों मवेशी इस पानी को पीकर मर रहे हैं तथा जनता मे भिन्न-भिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती जा रही हैं ?

(4) विगत 5 वर्षों से जनता द्वारा निरन्तर ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि इसके नियंत्रण हेतु संयंत्र लगाने में उद्योगपति टालमटोल कर रहे हैं ? क्या अधिकारियों ने भी इस दिशा में कार्यवाही में कोताही बरती है ? यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित उद्योगपतियों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) जोधपुर, पाली व बालोतरा में उपरोक्त संयंत्र कब तक स्थापित होने का अनुमान है ?

श्री अध्यक्ष : पर्यावरण राज्य मंत्रीजी ।

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर) :

(1) जी हां । प्रदूषण निवारण हेतु किये गये प्रयासों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जोधपुर जिले के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों का पानी सांगरिया गांव के आस-पास के क्षेत्र में इकट्ठा होकर अन्ततः जोजारी नदी में जाता था परन्तु इस गांव की प्रदूषण की समस्या के कारण अब तक नाला बना कर यह उच्छिष्ठ इधर-उधर फैलने के बजाय सीधा जोजारी नदी में जा रहा है जो कि पैरीनियल नदी नहीं है एवं इससे खेती नहीं की जाती है । अतः खेती के नुकसान होने की सम्भावना का आंकलन किया जा रहा है । पाली जिले में केमिकल युक्त पानी से कुओं व बावडिओं के जल के प्रदूषित होने की सम्भावना बहुत कम है । पाली स्थित कुओं में घुलनशील लवण उसकी भौमिक एवं भूजलीय स्थिति के कारण अधिक है अतएव खेती की भूमि पर इस जल से होने वाले प्रभाव को जानने के लिये काजरी (सैन्ट्रलएरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट) को यह काम सौंपा जाकर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी ।

बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र एवं क्षेत्र के बाहर स्थापित इकाइयों से जो पानी निकलता है, वह खेती योग्य भूमि में नहीं जाता है और न ही खेती योग्य जमीन इससे नष्ट होती है तथा इस स्थान के पास में पीने योग्य पानी का कोई स्रोत नहीं है ।

(3) सम्बन्धित जिलाधीशों तथा पशुपालन विभाग एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को इन विषयों से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(4) प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु उठाये गये कदमों का विवरण प्रश्न के भाग–1 के उत्तर में सदन के पटल पर रख दिया हैं ।

(5) उद्योगपतियों द्वारा संयन्त्र लगाने, उन्हें इस हेतु विवश करने तथा न लगाने पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर प्रश्न के भाग–1 के उत्तर में रख दिया है ।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(6) पाली मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में संयन्त्र स्थापित हो चुका है तथा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर एवं बालोतरा में रीको के द्वारा उपचार संयन्त्र लगाने बाबत परामर्शदाता नियुक्त कर दिये गये हैं जिनकी रिपोर्ट 31 मार्च, 1985 तक प्राप्त होने की सम्भावना है। तत्पश्चात् रिपोर्ट पर विचार कर संयन्त्र लगाने का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में लिये जाने की सम्भावना है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बहुत ही गोलमोल उत्तर दिया है और मेरे ख्याल से इनको जानकारी होने के बावजूद मंत्री महोदय ने इस प्रकार का उत्तर दिया है, जो तथ्यों से परे है और जनहित के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में पाली, बालोतरा, जोधपुर में पीने का पानी, जो केमिकल युक्त है, जमीन ही खराब नहीं हुई है बल्कि वहां के मवेशी भी उस पानी से मर रहे हैं। वहां के कुएं, वहां की बावड़ियां, वहां की नदियां, वहां के खेत सब सपाट हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय आपको जानकारी है, इन्होंने केवल एक गांव का जिक्र किया है, सांगरिया का। मैं कहता हूं, झालासरण लूनी, दनावड़ा, नन्दवास तक पानी गया है और वहां कम से कम हजारों बीघा जमीन खराब हुई है, सैंकड़ों मवेशी मरे हैं और लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। इस प्रकार की जानकारी होने के बावजूद इस प्रकार का उत्तर दिया है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया है मैं समझता हूं कि वह जवाब जनहित में नहीं है। तथ्यों को छिपाया है यह जानते हुए भी कि यह पानी बहुत ही हानिप्रद है, नुकसान दायक है और इससे केवल ज़मीन ही खराब नहीं होती है बल्कि गाय, भैंस और यहां तक कि उड़ने वाले जानवर भी इस पानी को चख लें तो उसी वक्त मर जाते हैं। इस प्रकार का पानी होते हुए 10 साल के बाद भी × × और यह महसूस नहीं करे कि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है तो यह बहुत ही शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो जवाब दिया है वह वास्तव में उद्योगपतियों से मिली हुई टालमटोल की नीति के कारण दिया है। जो अधिकारी लोग हैं उन्हें मालूम है कि दो-तीन करोड़ खर्च होने वाला है और ये खर्च करना नहीं चाहते हैं। इनको मालूम है कि गांव वालों को इतना समय मिलता नहीं है, वे इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। इस बात को टालते जा रहे हैं इसलिये मेरा निवेदन है आप बाध्य करें और जो गलत जवाब दिया है उसके खिलाफ कार्यवाही करवावें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, लूनी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर के जो कपड़े के उद्योग हैं उनके कारण से प्रदूषण हो रहा है। इस बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा, मैंने कोशिश भी की है और मैं स्वयं भी वहां जाकर आया हूं, अध्यक्ष महोदय, यह संयोग ही कहा जायगा कि मैं माननीय सदस्य को

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

भी उस दिन ले जाना चाहता था लेकिन वे किसी जरूरी काम से नहीं चल सके। इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का बहुत ही विस्तार से विवरण माननीय सदस्य को मैंने दे दिया है इसके बावजूद दो-तीन बातें मैं आपके माध्यम से और बताना चाहूंगा। उपचार संयन्त्र लगाने के लिये अब हम एक निश्चित धरातल पर आ चुके हैं। जैसा, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि यह जो संयन्त्र है, काफी महंगा है और दो-तीन करोड़ का है।

श्री अध्यक्ष : यह इतने कामयाब भी नहीं हैं और कामयाब नहीं होने की वजह से विभाग ने अब जो जवाब दिया है, तोड़-मरोड़ कर दिया है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, वही मैं आपको बता रहा हूं, वह लगाने की स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। कुछ उपचार संयन्त्र कास्टिक सोडा रिकवरी के जो हैं, जो कि उपचार संयन्त्र की पहले की स्टेप के हैं, जोधपुर में लगाये हैं। मैं स्वयं देखकर आया हूं। उनके लगाने के बाद करीब 90 प्रतिशत जो प्रदूषण है वह वहीं कन्ट्रोल हो गया है। इसी तरह से पाली में बालोतरा में लगाने के लिये जो सहमति, कन्सेन्ट मांगी है मण्डल से, वह हमने प्रदान कर दी है। उसमें दिक्कत यह आ रही है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें जो ग्रामीणों का पक्ष है, उसको भी आप सुन लें। जन-प्रतिनिधियों को साथ लेजा करके आप स्वयं पधारें। इन्होंने जो टेक्नीक अपनायी है वह बहुत खर्चीली है। शुरू में कह देंगे कि इससे दूर हो जायगा प्रदूषण, दूर होगा नहीं। उसमें जो समस्या है वह हल होने वाली नहीं है। पाली में यह कोशिश की गई है इसलिये कृपया आप स्वयं जन-प्रतिनिधियों को साथ ले जायं। प्रदूषण के बारे में जो कहा है लूनी से आने वाले माननीय सदस्य ने, उसमें काफी सच्चाई है। यहां आपको एक-दो गांवों का नाम ले दिये वहां पर कुए हैं खेती नहीं होती है, पानी पीने के काम में आता नहीं है। यह वास्तव में बड़ी समस्या है और यह बहुत बड़ी होने जा रही है, आगे इसलिये कृपया इसको इस दृष्टि से देखें अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आपके वहां समस्या नहीं है।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : यह गलत बात है। हमारे समझ में आती है, हमने जांच की है हमारी पिटीशन कमेटी ने वहां जाकर जायजा लिया है। यह पाइजन फैलाने वाले ...

(व्यवधान)

हवा को दूषित करने वाले ही नहीं एक तरह से एटमबम के अड्डे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री त्रिलोकसिंह : जिससे किसान के मवेशी और किसान बिलकुल तबाह होता है। इसका अविलम्ब प्रबन्ध किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

व्यर्थ में भाषण न दें, माननीय सदस्य। इस समस्या का ताल्लुक कुछ क्षेत्र विशेष से है, कुछ नदियों से है उनको जिसकी जानकारी है, दोनों सदस्यों को।

(व्यवधान)

श्री अमराराम।

श्री अमराराम (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, इस बात से सब चिन्तित हैं कि जल प्रदूषण पाली, बालोतरा और जोधपुर में हो रहा है। मैं एक प्रश्न यह करूंगा कि जो बोर्ड है स्वयं वह इस प्रकार की रोक लगा रहा है? रोक ही नहीं लगाकर उल्टा एनकरेज कर रहे हैं कि वाटर पाल्यूशन हो। कैसे? मेरे यहां 6 प्लान्ट आये। वह दो-तीन साल से कास्टिक सोडा रिकवरी के प्लान्ट बंद हैं। उनके जो आब्जेक्शन हैं वे हाउस की टेबल पर मंगवायें जायं। उनमें कोई आब्जेक्शन नहीं है उसके बावजूद आब्जेक्शन लगाकर जान बूझकर डिले कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर पाल्यूशन हो, लोगों को ज्यादा नुकसान हो। बाकी यह खुद कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एक लिस्ट एक्सपर्ट्स की दी है, 45 एक्सपर्ट जो देश के हैं उनसे आप रिपोर्ट मंगाओ। स्वयं बोर्ड ने लिस्ट दी है। एक कास्टिक सोडा रिकवरी प्लान्ट 5 लाख का लगता है। एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट है, जो ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार रखता है अपने आप बनाकर और स्कीम बनाकर तैयार रखता है वह एक रिपोर्ट एक पेज की तैयार रखता है। 45000 रुपये एक दिन में केवल एक घण्टे के वह लेगा इस प्रकार का इन्होंने जो यह बिजनेस खोल रखा है, गरीब छोटे-छोटे लोग जो हैं वह तो 45000 दे ही नहीं सकते। आज कई दिनों से कास्टिक रिकवरी प्लान्ट बंद है। मैं आपको पाली का बताऊं, यह फेल क्यों हुआ? उसके बारे में मैंने जानकारी ली है। पाली में वाटर के लिये जो प्लान्ट लगाया है। अगर वह कम्बाइंड न लगा करके इन्डीजुअल लगाते तो कास्टिक वहीं रिकवर होता अगर 800 का एक एक ग्राउंड है तो 700 का कास्टिक वहीं रिकवर हो जाता। लेकिन इन्होंने सारा कास्टिक जो कम्बाइन्ड प्लान्ट लगाया है उसी के कारण से यह फेल हुए हैं। सारी फाइलें पेन्डिंग हैं इनके पास में इनका कोई आब्जेक्शन नहीं है। ये आब्जेक्शन लगा रहे हैं कि इसमें लेट्रीन के लिये क्या होगा, बाथरूम के लिये क्या होगा। मैंने भी निवेदन किया था अध्यक्ष महोदय को कि आप मौके पर आइये। जो इस प्रकार के प्लान्ट हैं, लोग लगाने को तैयार थे। आपको भी मौका मैंने दिखाया था। आपने नाथूनी खार के लिये बालोतरा के लिये कहा कि भई अगर वहां डाला जाय तो नदी के अन्दर काश्तकारों को और आगे गांव वालों को जो पीने के पानी की जो तकलीफ हो रही है दूर हो सकेगी। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। यह तो हो नहीं सका टेम्प्रेरी अरेन्जमेंट कम से कम पांच साल के लिये कर दीजिये जब तक आपका प्लान्ट लगे। आप तो आब्जेक्शन लगाते रहोगे। प्लान्ट लगेगा नहीं। आप आब्जेक्शन की बात कर रहे हैं। कई लोग प्लान्ट लगाने के लिये तैयार हुए हैं। आप उन फाइलों को देखें, उसमें इन्होंने ऐसे-ऐसे आबजेक्शन लगाये हैं। जिसके कारण ये एनकरेज कर रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री अमराराम : और कोई रोकने का प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मन्त्री महोदय ने टालमोल का उत्तर दिया है और जिन अधिकारियों ने यह बात कहने की कोशिश की है कि जो कैमिकली यूज्ड पानी गांवों में जाता है, कुओं में जाता है, नदियों में जाता है उससे कोई नुकसान नहीं होता है, जिन्होंने यह बात बताई है ...

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैंने ऐसी बात नहीं कही है । मैं दुबारा पढ़ देता हूं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप किसी 'ए' क्लास अधिकारी को यहां बुला कर वह पानी पिला सकते हैं जिन्होंने इस तरह का जवाब दिया है ? आपको कम से कम उनको डांटना चाहिए जिन्होंने इस तरह का गलत जवाब दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी बैठ जावें ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि केवल सांगरिया ही झालामंड, कूडी, तनावड़ा, भाकरासनी, मण्डियां केरला, सब जगह यह पानी जाता है । गांवों की जमीनों का इसने नाश कर दिया है । इसने इस तरह की जमीनों का सत्यानाश कर दिया है और इस तरह का जवाब दे रहे हैं । आप इस तरह से टालमोल की नीति अपनाते हैं । आप उद्योगपतियों से मिले हुए हैं । उनको दो करोड़ का खर्चा करने की बात कहते हैं, आप जानते हैं कि दो करोड़ का ब्याज कितना होता है ? वे खर्चा करते नहीं हैं और सरकार के पास कोई चारा नहीं है । अगर आप दावा कर दें तो दस साल में तो कोर्ट से फैसला नहीं होगा । ऐसी हालत में हम क्या करें ? क्या हम उनसे झगड़ा करें, या हम लाठीचार्ज करें ? लड़ाई करें हम उनसे ? कौन सा तरीका अपनायें ? आप यह बतायें कि कब तक प्लाण्ट लगाना चाहते हैं ? इसकी कोई सीमा तय करें । महीना, दो महीना, तीन महीना अगर उद्योगपति प्लाण्ट नहीं लगाते हैं तो क्या आप सक्षम हैं, आपको ऐसा कोई अधिकार है, क्या आप उनको बाध्य कर सकते हैं कि अगर वह नहीं करेंगे तो उद्योगों को बन्द कर देंगे ? कोई तो आप ऐसा तरीका निकालिए । आज आप इसको खत्म कर देंगे फिर छः महीने बाद असेम्बली मिलेगी, छः महीने में कुछ होने वाला नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कोई डेट फिक्स कीजिए । तीन महीने में कर देंगे. छः महीने में कर देंगे । अगर नहीं मानें तो उन उद्योगों, जहां से केमिकल का पानी जाता है, को बन्द कर दें ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि यह जो पानी जा रहा है वह नुकसान करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन वह पानी पीने के काम में नहीं आता ।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

दूसरा, जहां की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद सांगरियां जाकर आया हूं। मैंने वहां पर लोगों को इकट्ठा करके बात की। मैंने खेतों की मिट्टी को दिखा कर कहा है कि इसकी जांच करके यह बताइये कि इसकी उर्वरा शक्ति वापस कितने समय में आएगी। इसके अतिरिक्त जहां तक यह सवाल है कि उद्योगपतियों के खिलाफ हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, नियमों में जो भी कार्यवाही है वह....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : बालोतरा में छः आदमियों के खिलाफ, जोधपुर में जो प्रिंसिपल इण्डस्ट्रीज हैं 12 आदमियों के खिलाफ, पाली में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अमराराम : यह कार्यवाही तो जो दो-दो पीपे पानी निकालते हैं उनके खिलाफ की है, जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं करते हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं या किसानों की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपसी विवाद में न पड़ें, माननीय सदस्य प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं निवेदन कर रहा था कि पाली में करीब 76 आदमियों के खिलाफ हमने कोर्ट में कार्यवाही कर रखी है।

(व्यवधान)

जो कार्यवाही नियमों में हम कर सकते हैं वही करेंगे। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैंने कलेक्टर साहबान को चिट्ठी लिखी है कि सी. आर. पी. सी. की धारा 133 के तहत इस तरह से न्यूसेंस कर रहे हैं। यह जो प्रदूषण है, यह प्रदूषण किस परिभाषा में आता है ? फोर कांजिग न्यूसेंस। इसलिए इन उद्योगों को बन्द करने के लिए धारा 133 में कार्यवाही करें। यह मैंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इन सब उद्योगों के खिलाफ 134 के तहत केसेज बना कर पेश कर दें और कोर्ट से निषेधाज्ञा लेकर इन उद्योगों को बन्द करने की कार्यवाही करें। इसलिए जहां तक कार्यवाही करने का सवाल है, नियमों के अन्तर्गत ही कर सकते हैं वह हम कर रहे हैं।

जहां तक यह सवाल है उद्योग भी चलें और यह पानी जो भी खराब है वह ठीक होकर वापस काम में आ सके, इस प्रकार की कार्यवाही का पूरा ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि कुछ ही समय में ये सारे प्रयास सफल होंगे और इसमें कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मनोहरथाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना

74. श्री भैरूंलाल (मनोहर थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़े जाने की योजना है ? यदि हां, तो यह कब से लागू की जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना की 45 ग्राम पंचायतों में से मात्र 13 ग्राम पंचायत मुख्यालय ही सड़क से जुड़े हुए हैं ? यदि हां, तो शेष 32 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को कब तक सड़क से जोड़ दिये जाने का सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है इस क्षेत्र की हरनावदा मनोहरथाना सड़क योजना में ली जाकर अनुमानित लागत 37 लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है ?

(4) क्या इस सड़क के निर्माण से 6-7 ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ जाते हैं ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं कराया जाने का क्या कारण है और अब कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत मुख्यालय को एक इकाई मानकर सड़क बनाने की योजना चालू की गई है।

(2) जी नहीं। कुल 44 ग्राम पंचायतों में से 20 ग्राम पंचायतें सड़कों से जुड़ी हुई हैं। शेष 24 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को भी वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर सड़कों से जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) वार्षिक योजना में इस सड़क की स्वीकृति 37·50 लाख रुपये की है।

(4) 3 ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर की सड़क से जुड़ जायेंगे। निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस सड़क के निर्माण के पश्चात् 4 अन्य ग्राम पंचायत मुख्यालय, जो कि इस सड़क के निकटतम हैं, सम्पर्क सड़कों से जोड़े जाने की योजना है।

डाक्टर्स का नियोजन

78. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की 126 डिस्पेन्सरीज में कोई डॉक्टर या कम्पाउण्डर कार्यरत नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में 31 दिसम्बर, 1983 तक 519 डाक्टर राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों में रोजगार के लिये पंजीकृत थे ?

(3) उक्त पंजीकृत डॉक्टर्स में से कितने डॉक्टर्स को 1 जनवरी, 1984 से 31 अगस्त, 84 तक रोजगार उपलब्ध कराया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(श्री जीतमल जैन)

(4) क्या यह सही है कि समुचित चिकित्सा सेवा के लिये प्रान्त में आवश्यक संख्या में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो डॉक्टर्स की भर्ती न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। चिकित्सकों के नियोजन के लिये नियोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

(3) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की जाती है। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(4) यह सही है कि प्रान्त में कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों के लिये डॉक्टरों की कुछ कमी है। इसका कारण डॉक्टरों की भर्ती न करना नहीं है, बल्कि डॉक्टरों का ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन के बाद भी न जाना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित चयन व तदर्थ भर्ती करने के पश्चात् भी ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में 81 पद रिक्त है, जिन्हें भरने का प्रयास जारी है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर परिषदों में चुंगी की दरें

78. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की विभिन्न नगर परिषदों द्वारा ली जाने वाली चुंगी की दरें भिन्न हैं और इनको समान करने व इनमें एकरूपता लाने के लिये सरकार ने एक कमेटी का गठन किया हुआ है ?

(2) क्या इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कमेटी द्वारा सिफारिश करने हेतु अब अन्तिम तारीख क्या निश्चित् की गई है और राज्य सरकार इस विषय में अन्तिम निर्णय कब तक ले लेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था।

(2) जी नहीं वर्तमान में चुंगी की दरों में भिन्नता कम करने के लिए, एक विभागीय समिति का दिनांक 1-9-84 को गठन किया गया है। जिसे शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मण्डावा

79. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मण्डावा (झुन्झुनू) में मरीजों के खिलाफ दुर्व्यवहार करने आदि के सम्बन्ध में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनू द्वारा जांच की गई थी ? यदि हां, तो कृपा जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(श्री मालाराम)

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट में चिकित्सक के विरुद्ध की गई शिकायतें प्रमाणित हुई हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की जांच अधिकारी ने शिफारिश की है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) सरकार अब कब तक उक्त चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) चिकित्सक से 260·48 रुपये दिनांक 5-7-84 को वसूल किये गये हैं व भविष्य में सजग रहने की चेतावनी दी जा चुकी है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के अन्तर्गत दर्शायी कार्यवाही की जा चुकी है।

(जांच की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

कन्दरा सुधार एवं पठार स्थिरीकरण परियोजना

80. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :** क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा एवं सुल्तानपुर क्षेत्र में चल रहे कंदरा सुधार एवं पठार स्थिरीकरण परियोजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने का सरकार ने आश्वासन दिया था ?

(2) यदि हां, तो उक्त अधूरे कार्यों को पूरा किये जाने हेतु वर्ष 1984-85 के लिए कुल कितनी राशि एलॉट की गई तथा उसमें से अब तक कुल कितनी राशि किस कार्य हेतु खर्च की गई ?

(3) क्या सरकार जनहित को मद्देनजर रखते हुए उक्त अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) निश्चित लाभ लागत का अनुपात एवं धन राशि की उपलब्धता आदि कारणों पर विचारोपरान्त इन कार्यों के बारे में विचार करने सम्बन्धी उत्तर राज्य सरकार ने दिया था।

(2) कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।

(3) दस्युग्रस्त क्षेत्रों के विकास की एक योजना राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। इस योजना के तहत राशि उपलब्ध होने पर कार्यों को पूर्ण करने का विचार किया जावेगा।

कस्तूरबा नारी शाला प्राथमिक विद्यालय

81. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) :** क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद अजमेर ने कस्तूरबा नारी शाला प्राथमिक विद्यालय के भवन को अस्पताल भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी करते समय उस स्थल पर पूर्व से निर्मित पोल्ट्री फार्म को गिराने के स्पष्ट निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो कृपया आदेश की प्रति निर्माण कार्य के लिये पारित नक्शे सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद अजमेर द्वारा अपने आदेशों की पालना कराने में उपेक्षा बरतने से पोल्ट्री फार्म हेतु निर्मित निर्माण नहीं गिराये गये और उसके ऊपर ही भवन निर्माण चालू कर देने से वहां की छत गिर जाने से दिनांक 20-7-1984 को एक भयंकर दुखान्तिका हुई जिसमें एक अध्यापिका एवं 15 छात्रें मारे गये ?

(3) क्या इस दुखान्तिका के बाद परिषद द्वारा अपने अधिकारियों के अनुत्तरदायी क्रिया कलापों की जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सैक्रेट्री सुधार सभा, मेडिकल एण्ड हैल्थ वार्ड मकान नं. 936/25 आशागंज, अजमेर को नगर परिषद, अजमेर के पत्र क्रमांक एम० बी०/207 दिनांक 10-6-83 के अधीन (उनके सुधार सभा, मेडिकल एण्ड हैल्थ वार्ड आशागंज, अजमेर) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित निर्माण कार्य के नक्शे को कतिपय शर्तों के अधीन जिसका उल्लेख प्रासंगिक पत्र दिनांक 10-6-83 में अंकित है, स्वीकृत किया गया था। नक्शे एवं प्रासंगिक पत्र की प्रतिलिपियां संलग्न हैं, जिसके अवलोकन से जाहिर होगा कि स्वयं पार्टी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत नक्शे में ही विद्यमान "पोल्ट्री फार्म" को गिराया जाना (डिस्मेंटल) ही सुनिश्चित था, व इसी शर्त पर नगर परिषद द्वारा नक्शे को दिनांक 10-6-83 को स्वीकृत किया गया।

(2) यह सही नहीं है कि नगरपरिषद, अजमेर द्वारा अपने किसी आदेशों की पालना कराने में उपेक्षा बरती गई हो। सही यह है कि सचिव, सुधार सभा, मेडिकल एण्ड हैल्थ वार्ड, आशागंज, अजमेर का वैधानिक दायित्व था कि वे परिषद द्वारा स्वीकृत नक्शे में उल्लेखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन ही प्रस्तावित निर्माण कार्य अमल में लाते और चूंकि उनके द्वारा पासशुदा नक्शे की अवहेलना में विद्यमान पोल्ट्री फार्म को बिना गिराये ही गलत तरीके से नया निर्माण कार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 20-7-84 को भवन दुर्घटना में वहां चल रहे विद्यालय की एक अध्यापिका एवं 14 छात्रों की दुर्घटनावश मृत्यु हुई।

(3) जी हां। जांच से श्री टोपानी, श्री चन्द्रशेखर ओवरसियर एवं वार्ड संख्या 20 के सेनेटरी इंस्पेक्टर अपने कर्त्तव्यों में उदासीनता के लिए दोषी पाये गये थे, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं। इस दुखान्तिका के लिए मुख्य जिम्मेदारी सचिव, सुधार सभा,

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

मेडिकल एण्ड हैल्थ वार्ड, आशागंज अजमेर की है, जिसने नियमों व आज्ञा के विरुद्ध निर्माण कराया।

(पत्र की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

(मानचित्र विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

घोलाभाटा विस्तार योजना

82. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर की घोलाभाटा विस्तार योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों में तीन चार साल से नागरिकों ने आवास करना प्रारम्भ कर दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि आवास चालू हो जाने के बावजूद भी न्यास ने इस योजना में निम्नलिखित मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई :—

(क) आवासीय भू-खण्डों की सीमायें अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं ?

(ख) पेयजल एवं निर्माण कार्यों हेतु पानी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ग) बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई है।

(घ) कुछ आवासीय भू-खण्डों के ऊपर से जाने वाली हाइटेंशन पावर लाइन को नहीं हटवाया गया है।

(ङ) एप्रोच रोड का निर्माण नहीं कराया गया है और कॉलोनी में नालियां भी अभी तक नहीं बनवाई गई हैं ?

(3) सरकार इन कमियों को कब तक पूरा करवा देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) न्यास द्वारा उपलब्ध वित्तीय साधनों के अन्तर्गत घोलाभाटा विस्तार योजना में निम्नानुसार मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है :—

क) घोलाभाटा विस्तार योजना की उत्तरी सीमा में भू-खण्डों की सीमायें निर्धारित कर दी गई थीं और इसमें आवश्यक सड़कों का निर्माण कार्य भी करवा दिया गया है। उक्त योजना के दक्षिण भाग की तरफ सीमायें निर्धारित नहीं की गई हैं।

(ख) पेयजल व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को तखमीना भिजवाने हेतु कई बार लिखा गया है जैसे ही तखमीना प्राप्त होगा राशि जमा करा कर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करा दी जावेगी।

(ग) बिजली की व्यवस्था हेतु न्यास के पत्र क्र. 156 दिनांक 6-4 83 के द्वारा 1,69,035 00 की राशि भेजी जा चुकी है। और कार्य शीघ्र करने के लिए समय-समय पर लिखा जा रहा है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(घ) हाई पावर टेंशन लाईन दक्षिणी भाग की जमीन उपलब्ध न होने के कारण अभी हटवाई नहीं गई हैं।

(ङ) हाउसिंग बोर्ड कालोनी की तरफ से उक्त विस्तार योजना के लिए एप्रोच रोड़ 80 फुट की बनी हुई है। उक्त योजना के उत्तरी हिस्से में आवश्यक सड़कों का निर्माण करा दिया गया है चूंकि अब तक मकान नहीं बने हैं इस कारण नालियों का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

(3) जैसे ही दक्षिण भाग की भूमि का कब्ज़ा न्यास को प्राप्त होगा सम्पूर्ण योजना का बचा हुआ कार्य करवा दिया जावेगा।

सवाई माधोपुर शहर में पुलिया का निर्माण

83. **श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर):** क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन शहरों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत सवाई माधोपुर शहर में हरिजन बस्ती में आने जाने के लिए एक पुलिया बनाने का कार्य किया गया था ? यदि हां, तो इस निर्माण कार्य पर कितनी लागत का अनुमान आंका गया था और उसको बनाने में कुल कितना खर्चा किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिस स्थान पर पुलिया बनाना प्रस्तावित किया गया था वह स्थान बदल दिया गया है ? यदि हां, तो किसके द्वारा व किन कारणों से ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पुलिया पहली वर्षा में ही साफ हो गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्माण कार्य का तकमीना अनुमान नहीं लगाया गया था। उस समय मिट्टी खुदाई के कार्य पर दो हजार रुपये व्यय किये गये थे। पुलिया निर्माण का कार्य जून, जुलाई, 1984 में तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर प्रारम्भ किया गया, इस पर 55,000 रु० व्यय हुआ।

(2) जी हां। प्रशासक के आदेशानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्च तकनीकी अधिकारियों से मौके पर विचार-विमर्श के बाद स्थान बदला गया, क्योंकि पूर्व निश्चित स्थान की कृषि भूमि को अवाप्त करने में काफी समय लग सकता था एवं इससे उक्त स्थान पर रहने वाले हरिजनों को वर्षा में काफी समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता।

(3) जी नहीं।

फलदार वृक्षों की पौध की खरीद

84. **श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :** क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने फल देने वाले वृक्षों की पौध की खरीद की है ? यदि हां, तो कितनी पौध क्रय की है ?

(2) सड़कों के किनारे फलदार वृक्ष लगाने के सम्बन्ध में क्या आधार तय किये गये हैं ?

(श्री भगवानदास शास्त्री)

(3) क्या सरकार अजमेर-पुष्कर मार्ग, अजमेर-श्रीनगर गांव, अजमेर से किशनगढ़, अजमेर से ब्यावर मार्ग पर फलदार वृक्षों के पौधे लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार वन विभाग द्वारा 2343 ग्राफडेट बेर की पौध खरीदी गयी।

(2) सड़कों के किनारे वृक्षारोपण में लगायी जाने वाली पंक्तियों में से प्रथम पंक्ति में प्रत्येक 10 मीटर पर छायादार, फलदार एवम् फूलदार वृक्ष लगाने के निर्देश हैं।

(3) इन सड़कों के किनारे की भूमि की उपयुक्तता एवं सिंचाई की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये फलदार पौधे लगाने का विचार है।

गांधीनगर जयपुर स्थित आवास गृहों में एकरूपता

85. **श्री रघुवीरसिंह कौशल (बांरा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांधी नगर जयपुर से अलग-अलग श्रेणियों के आवास गृह एकरूपता से तैयार किये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ कर्मचारियों के क्वार्टर्स में निर्माण विभाग द्वारा अतिरिक्त निर्माण कर दिये जाने से भवनों की एकरूपता व सुन्दरता नष्ट हो गई है ?

(3) क्या राज्य सरकार सभी भवनों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से समान निर्माण कार्य सभी आवासों में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गांधीनगर जयपुर में अलग-अलग श्रेणियों के आवास गृह समय-समय पर प्राप्ति स्वीकृतियों के अन्तर्गत उस समय के स्वीकृत प्लान/टाईप डिजाइन के अनुसार ही निर्माण कराये गये थे, जिनमें कुछ भिन्नता है।

(2) जी नहीं। स्वीकृत प्लान के अलावा जिन क्वार्टरों में अतिरिक्त निर्माण जार्य करवाये गये हैं उन कार्यों एवं क्वार्टरों की नाम सुधा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार ही करवाये गये हैं, जिससे भवन की सुन्दरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(3) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना

86 **श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) :** क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

कको योजना है ? यदि हां, तो क्या पश्चिमी राजस्थान में प्रस्तावित व्यवस्था करना सरकार सस्ता व व्यवहारिक मानती है ?

(2) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत तहसील जैतारण, जिला पाली में ग्राम पंचायत केमीन्डडा सड़क से जोड़ने का निर्णय पाली जिला 20-सूत्री सलाहकार कमेटी में लिया गया था ? यदि हां, तो क्या केमीन्डडा पंचायत को सड़क से जोड़ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। स्थान-स्थान पर लागत भिन्न होती है। यही व्यवस्था पश्चिमी राजस्थान में भी है।

(2) पाली जिला 20 संकल्प सलाहकार समिति द्वारा निर्णय लिया गया। अकाल राहत 1981-82 कार्यक्रम के तहत उक्त सड़क 6 कि०मी० में से 4.50 कि०मी० बन चुकी है शेष 1.50 कि०मी० वित्तीय साधन प्राप्त होने पर ही पूरी की जा सकेगी।

बनास नदी पर निर्मित पुल

87. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बनास नदी पर 1936 में निर्मित पुल पर विभिन्न अवसरों पर क्रेक आने, पुल के डेमेज होने एवं वर्तमान परिवहन भार के लिए सक्षम नहीं होने की वजह से क्या दूसरे पुल निर्माण हेतु सर्वे किया गया है ?

(2) यदि हां, तो नये पुल का निर्माण कब शुरु किया जायेगा ? उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी एवं कितने समय में कार्य पूरा होगा ? कृपया प्रस्तावित पुल निर्माण का ब्ल्यूप्रिन्ट सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नये पुल हेतु सर्वे किया जा चुका है।

(2) नये पुल का निर्माण कार्य वर्ष 1984-85 की वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया है तथा भारत सरकार से तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर इसका निर्माण सम्भव है। इस पुल के निर्माण में प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार 230.00 लाख रुपये व्यय होंगे। पुल का डिजाईन भारत सरकार के परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया है।

जिला नागौर में सड़क निर्माण का मास्टर प्लान

88. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नागौर जिले की सड़क निर्माण का मास्टर प्लान बनाया गया है ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(श्री महाराम चौधरी)

(2) मास्टर प्लान में से कौन-कौन सी सड़क इस साल के लिये स्वीकृत की गई हैं और मार्च 1985 तक कौन-कौन सी सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। मास्टर प्लान की प्रतिलिपि सम्बन्धित जिलाधीशों को जन-प्रतिनिधियों के अवलोकनार्थ भेजी गई हैं। नागौर जिले की नागौर जिलाधीश के कार्यालय में उपलब्ध है।

(2) 1984-85 में स्वीकृत कार्यों की सूची सलग्न है। इन सभी सड़कों पर कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

बिनोरी से बन्ध मोरा सागर सड़क

89. श्री कुन्जीलाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में बिनोरी से बन्ध मोरा सागर सड़क का कार्य कब से कब तक हुआ और उस पर कितना-कितना खर्चा वर्षवार आया ?

(2) कितना कार्य शेष है और उसे कब तक पूरा किया जावेगा ?

उत्तर

(1) गंगापुर लालसोट सड़क से (बिनोरी) मोरासागर तक सड़क निर्माण पुलियाओं सहित पर वर्ष 1971 से कार्य चल रहा है। कार्य पर किये गये वर्षवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

(अ) वर्ष 1971 में स्वीकृत राशि 9 00 लाख रु. के अन्तर्गत।

वर्ष	व्यय
1971–72	1197·00
1972–73	165408·00
1973–74	27297·00
1974–75	135069·00
1975–76	100414·00
1976–77	111047·00
1977–78	289334·00
1978–79	82617·00
	912383·00

(ब) वर्ष 1979 में स्वीकृत राशि 10.00 लाख रु. एवं वर्ष 1981 में संशोधित राशि 12.00 लाख के अन्तर्गत।

1979–80	55918·00
1980–81	206505·00
1981–82	134477·00
1982–83	53909·00
1983–84	190743·00
1984–85	17242·00
कुल व्यय	658294·00

(श्री कुन्जीलाल बामनवास)

(2) उक्त सड़क पर 6.4 किमी. में सड़क कार्य बाकी है किमी. 0/0 से 2/0 में मिट्टी का कार्य तथा 2/0 से 6.40 किमी. में कंकरीट की कुटाई की हुई है इसे डामर की सड़क बनाने में 12.00 लाख रु. की स्वीकृत वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर देनी सम्भव हो सकेगी। 6.40 किमी. से 16.53 किमी. में डामर कार्य पूर्ण है 16.53 से 18.76 में 5 पुलियाओं में से 4 पूर्ण है तथा डामर का कार्य चल रहा है जो जून, 1985 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

जिला पाली में सड़कों, रपटों व पुलों का निर्माण

90. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की रानी, देसूरी व मारवाड़ जंक्शन पंचायत समितियों में वर्ष 1980 से 1984 तक विभिन्न प्रकार की कितनी सड़कों, रपटों व पुलों का निर्माण हुआ? कृपया ग्राम की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस अवधि में इन पंचायत समितियों में कितनी सड़क, रपटों व पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई थी? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 सूचना (प्रपत्र 'क') सदन के पलट पर रख दी गई है।

(2) सूचना (प्रपत्र 'ख') सदन के पलट पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जिला भीलवाड़ा में निर्माण व मेन्टीनेन्स कार्य

91. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सन् 1983-84 व 1984-85 में सितम्बर, 1984 तक कितनी लागत के कौन-कौन से निर्माण कार्य व मेन्टीनेन्स के कार्य कहां-कहां कराये गये?

(2) उक्त कार्यों पर किन-किन तिथियों में कितना-कितना धन कहां-कहां खर्च किया गया? कृपया विवरण सदन के पलट पर रखें।

उत्तर

(1) एवं (2) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (प्रपत्र 'अ')

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जिला जयपुर में सड़क निर्माण

92. श्री रामकंवार बैरवा (फागी): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जून 1980 से अब तक कहां-कहां कितनी नई सड़कों का निर्माण किया गया है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(श्री रामकंवार बैरवा)

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर जिले में सड़कों का निर्माण अन्य जिलों की तुलना में कम हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जून, 1980 से अब तक की गई नई सड़कों के निर्माण की सूची प्रपत्र 'क' सलग्न है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

पंचायत समिति केशवरायपाटन में लघु उद्योग योजनायें

93. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, केशवराय पाटन में विगत 5 वर्ष में सरकार की नीति के अनुसार पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिए लघु उद्योग लगाने हेतु कितनी योजनायें प्रस्तावित व स्वीकृत कर उद्योग लगाये गये ? कृपया प्रस्तावित व स्वीकृत योजनाओं की सूची सदन के पटल पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पंचायत समिति, केशवरायपाटन में विगत 5 वर्षों में पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिए लघु उद्योग लगाने हेतु 69 उद्योग प्रस्तावित किए गये थे तथा 83 उद्योग स्वीकृत कर लगाये गये हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

आदिवासी व रेगिस्तानी क्षेत्रों को स्कूल खोलने में प्राथमिकता

94. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए आबादी की क्या कोई निश्चित संख्या निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या रेगिस्तानी क्षेत्र व आदिवासी क्षेत्रों में जहां स्कूल की काफी कमी है वहां दूरी के हिसाब से प्राथमिक स्कूल खोलना सरकार उचित नहीं समझती है ?

(3) क्या क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर स्कूल खोले जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) बांसवाड़ा जिले के आदिवासी पिछड़े इलाके में जहां कम आबादी वाले दूरस्थ इलाकों में स्थित छोटे गांव हैं, यहां शिक्षा के प्रसार के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है ? क्या ऐसे गांवों में स्कूल खोले गये हैं अथवा खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री बहादुरसिंह)

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 1984-85 में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु सामान्य क्षेत्र में वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 250 की आबादी वाले शाला रहित गांवों व बस्तियों में तथा जनजाति क्षेत्र व रेगिस्तानी क्षेत्र में 200 की जनसंख्या वाले शाला रहित गांवों व बस्तियों में स्कूल खोलने की नीति तय की गई है।

(2) रेगिस्तानी क्षेत्र व आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलते समय उपरोक्त आबादी के साथ-साथ शाला रहित गांवों की दूरी का भी ध्यान रखा जाता है।

(3) प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये पंचायत समितियों व जिला परिषदों से प्रस्ताव मंगाये जाते हैं तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाता है।

(4) बासवाड़ा जिले में वर्ष 1983-84 में 59 प्राथमिक विद्यालय खोले गये थे। इस वर्ष भी दस प्रतिशत विद्यालय आदिवासी क्षेत्र में खोलने का निर्णय लिया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

96. **श्री जीतमल जैन (अलवर) :** क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति थानागाजी (अलवर) में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ही व्यक्ति श्री प्रतापनारायण पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी प्रतापगढ़ के तीनों पुत्र सर्वश्री कान्तीचन्द, हेमचन्द एवं भिषनचन्द की अनुदेशक पद पर नियुक्ति की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि तीनों अनुदेशकों के द्वारा शिक्षा का कार्य प्रारम्भ न करने की शिकायतें वहां के नागरिकों द्वारा विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री कान्तीचन्द, जो अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं, निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं एवं इनकी श्रवण शक्ति भी बड़ी कमजोर है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिलाधीश, अलवर द्वारा जांच करवाई जा रही है। श्री कान्तीचन्द अनुदेशक का मानदेय भत्ता रोक दिया गया है।

(3) श्री कान्तीचन्द अनुदेशक निर्धारित योग्यता रखते हैं। इनकी श्रवण शक्ति के सम्बन्ध में बिना डाक्टरी जांच के जानकारी नहीं दी जा सकती है क्योंकि इस पद के लिए डाक्टरी सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है।

विकास अधिकारी के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति

97. **श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी):** क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरीश शर्मा)

(1) क्या राज्य सरकार ने 118 पंचायत समितियों के विकास अधिकारी पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है ?

(2) यदि हां, तो किन-किन पंचायत समितियों में ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

नई कोटड़ी एडपोस्ट का स्थानान्तरण

98. श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या एड पोस्ट नई कोटड़ी (बाड़मेर) से अन्य जिले में स्थानान्तरित कर दी गई है और इससे सिवाना क्षेत्र की जनता को असुविधा हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार वहां की जनता के हित में उक्त निर्णय को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में नई कोटडी ऐडपोस्ट कार्यशील है अतएव असुविधा का प्रश्न नहीं उठता।

(2) नई कोटड़ी एडपोस्ट की सियाट जिला पाली के स्थानान्तरण के आदेशों पर रोक लगा दी गई है।

अम्बिका व मुरली ऑयल मिल के विरोद्ध शिकायत की जांच

99. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या अम्बिका ऑयल मिल व मुरली ग्रायल मिल्स के विरुद्ध खाद्य तेलों में गाय की चर्बी मिलाने की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो इनके मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

अम्बिका ग्रायल मिल व मुरली ग्रायल मिल के विरुद्ध खाद्य तेल में गाय की चर्बी मिलाने की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य

100. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बतानेकी कृपा करें :—

(1) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों में राजस्थान में परिवार कल्याण

(श्री नाथूसिंह)

के लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण के क्षेत्र में वर्षवार लक्ष्य व उपलब्धियों का ब्यौरा कृपया सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1981-82 में नसबन्दी के क्षेत्र में एवं 1983-84 में परम्परागत गर्भनिरोधक उपकरणों में शतप्रतिशत से अधिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। किन्तु अन्य वर्षों में लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति नहीं की जा सकी है। जिसका कारण भारत सरकार द्वारा लक्ष्यों में प्रतिवर्ष अत्यधिक बढ़ोतरी कर दिया जाना है।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पी. एच. सी. कानोड़ के भवन का निर्माण

101 श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पी. एच. सी., कानोड़, जिला उदयपुर की इमारत का निर्माण जन सहयोग से किया गया ? यदि हां, तो कब व इसकी प्रत्येक मद पर कितनी-कितनी लागत आई ? कृपया प्रत्येक मदवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) इसके दानदाता कौन-कौन व्यक्ति एवं संस्थायें थीं तथा प्रत्येक ने कितना-कितना रुपया इस निर्माण कार्य में दिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस निर्माण कार्य के लिये कोई कार्यकारिणी थी ? यदि हां तो इसमें कौन-कौन व्यक्ति किस-किस पद पर थे ? क्या यह कार्यकारिणी रजिस्टर्ड थी ?

(4) क्या इस निर्माण की गई इमारत के खर्च का कोई अंकेक्षण हुआ था ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया गया ?

(5) क्या यह भी सही है कि इसमें काफी अनियमिततायें व गबन घोटाले हुए ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी व व्यक्ति लिप्त थे व इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। यह कार्य मुख्यतया 1979–80 में हुआ। इस पर कुल 1,63049·30 राशि का व्यय हुआ। जन सहयोग से निर्मित भवनों का मदवार ब्यौरा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं होता है।

(2) सूची संलग्न है।

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

(3) जीं हां, सूची संलग्न हैं। कार्यकारिणी रजिस्टर्ड नहीं थी।

(4) जीं हां। समिति ने ने ही अंकेक्षण कराया था। राजकीय अंकेक्षण आवश्यक नहीं है।

(5) जी नहीं। किसी प्रकार की कोई अनियमिततायें नहीं पाई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

जिला जयपुर में गोबर गैस के कनेक्शन्स

102. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत वर्ष और इस साल जयपुर जिले में गोबर गैस के कुल कितने कनेक्शन्स आबंटित किये गये हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) अब तक इस कार्य में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

(1) गोबर गैस के कनेक्शन केवल सामुदायिक बायोगैस परियोजना में ही आबंटित किये जाते हैं। जयपुर जिले में केवल गांव लालपुरा सामुदायिक गोबर गैस संयन्त्र परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन का कार्य पूर्ण होने पर गैस कनेक्शन दिये जायेंगे।

(2) पाईप लाइन का कार्य प्रगति पर है।

जिला झालवाड़ में विभिन्न अपराधों के दर्ज मामले

103. श्री बालचन्द आर्य (इग) :

श्री अनंगकुमार जैन (झालावाड़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में वर्तमान पुलिस अधीक्षक के पद स्थान से अब तक जिले के थानों में कितने केस विभिन्न प्रकृति के अपराधों के दर्ज हुए? कृपया अपराध प्रकृतिवार, थानेवार अपराध संख्या, का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) विभिन्न दर्ज अपराध प्रकरणों में कौन-कौन अपराधी पकड़े गये तथा केस किस स्तर तक चल रहे हैं? कितने मामलों में चालान पेश कर दिया गया?

(3) यदि वर्तमान पदाधिकारी के काल में अपराध संख्या में वृद्ध हुई हैं अथवा अपराधी अपेक्षाकृत कम पकड़े जा सके हैं तो तत्संदर्भ में सरकार का क्या विचार है?

उत्तर

(1) वांछित सूची "क" संलग्न है।

(2) वांछित सूची "ख" व "ग" सलंग्न है।

(श्री अनंगकुमार जैन)

(3) कुल अपराध संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

कोटा नगर की 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नति

104. श्री दाऊदयाल जोशी (बीगोद) : क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर में ग्रोथ रेट को जोड़ कर वर्तमान में कितनी जनसंख्या है ?

(2) क्या ग्रोथ रेट को आधार मानने से कोटा नगर "बी" श्रेणी के नगरों की श्रेणी में आ जाता है ? यदि हां, तो सरकार कोटा नगर को कब तक "बी" श्रेणी का नगर घोषित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा नगर में वृद्धि दर (ग्रोथ रेट) को जोड़ कर, वर्तमान में, 4,27,000 की जनसंख्या है।

(2) नगरों का श्रेणीकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

टौंक स्थित मयूर बीड़ी उद्योग

105. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम की टौंक स्थित मयूर बीडी फैक्ट्री में घर पर सामग्री ले जाकर बीड़ी निर्माण करने वाले होम वर्कर्स को एक हजार बीड़ी बनाने के लिये कितना बीड़ी पत्ता, जर्दा, डोरा आदि दिया जाता रहा है और उसमें कब-कब परिवर्तन किया गया ?

(2) इस तरह के होम वर्कर द्वारा एक हजार बीड़ी बनाने का क्या पारिश्रमिक चुकाया जाता है, उसमें से कितनी बीड़ियां छांट में निकाली जा सकती हैं और छांट में निकाली गई बीड़ियों का कितना पारिश्रमिक दिया जाता है और पिछले पांच सालों में इसमें कब कब परिवर्तन किया गया ?

उत्तर

(1) इस इकाई को अगस्त 80 में ही निगम द्वारा बन्द कर दिया गया था, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में तस्करी के मामले

106. श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर एवं जैसलमेर सीमावर्ती जिलों में पिछले एक वर्ष में कितनी-कितनी राशि का तस्करी का क्या-क्या माल किस-किस व्यक्ति से बरामद किया गया एवं जासूसी के अन्तर्गत कौन-कौन व्यक्ति पकड़े गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(श्री महावीरप्रसाद)

(2) क्या यह सही है कि तस्करी एवं जासूसी रोकने के सन्दर्भ में पुलिस सीमा बल पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो तस्करी एवं जासूसी रोकने हेतु क्या प्रभावकारी कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) सीमावर्ती जिले बाड़मेर एवं जैसलमेर में (1–10–83 से सितम्बर, 84 तक) पकड़े गये तस्करी के माल एवं अभियुक्तगण की सूचना की तालिका संलग्न है। जासूसी के सम्बन्ध में छः व्यक्ति पकड़े गए हैं :

(2) बाड़मेर व जैसलमेर की बोर्डर सीमा 678 किलोमीटर है। अन्तर्राष्ट्रीय भारत-पाक सीमा की सुरक्षा का कार्य केन्द्र सरकार का है। वर्तमान परिस्थितियों में राजस्थान पुलिस बल पर्याप्त है। सूची जो संलग्न है उससे स्पष्ट है कि पुलिस बल सक्रिय है जबकि यह कार्य विशेषतता केन्द्रीय कस्टम विभाग का है और पुलिस बल पहले ही अन्य कर्त्तव्यों के पालन में व्यस्त है।

(3) जैसा कि ऊपर है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

सड़क दुर्घटनाएं

109. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में वर्ष जनवरी, 1984 से अगस्त, 1984 तक कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई और उनमें कितनी मृत्यु हुई ? कृपया जिलेवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुर्घटनाओं में राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर कितनी-कितनी दुर्घटनायें हुई ?

उत्तर

(1 व 2) सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

ग्राम गिरवास (अलवर) में देह का व्यापार

110. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर से खैरथल हरसोली सड़क पर स्थित ग्राम गिरवास में देह व्यापार खुले रूप में चलता है ?

(2) यदि हां तो सरकार द्वारा इसको रोकने के क्या प्रयास किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पुलिस असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखती है।

इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा में बसों की खरीद

111. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): क्या विश्वविद्यालय शिक्षामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा में दो बसों के क्रय हेतु कितनी राशि कब स्वीकृत की गयी ? क्या बसों का क्रय कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत राशि से कार क्रय की गई है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

(3) क्या यह सही है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा को लेबोरेट्री के लिए तथा अन्य काम के लिए क्रय की गई मशीनें, साज सामान इत्यादि में भी भारी अनियमितायें हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई ? जांच के क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो जांच क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) कोटा इंजीनियरिंग कालिज के लिये दो बसों का क्रय नहीं किया जाना था। केवल एक बस क्रय किये जाने के किये वर्ष 1983-84 में 2·5 लाख रुपयों की राशि स्वीकार की गई थी जिससे एक बस का क्रय किया जा चुका है :

(2) जी नहीं।

(3) इंजिनियरिंग कॉलेज कोटा की लेबोरेट्री के लिये तथा अन्य काम के लिये क्रय की गई मशीनों के साज सामान इत्यादि में कोई अनियमिततायें नहीं हुई है। अतः जांच किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गरीब और आदिवासी लोगों को चिकित्सा सुविधा

112. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने गरीब और और आदिवासी लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत कोई व्यवस्था की है ?

(2) क्या पिछड़े व दूरस्थ इलाकों के लिये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चल चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना की गई है ?

(3) बांसवाड़ा जिले में भी क्या इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां तो सी. एम. एच. ओ. ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कब-कब की ? कितने टूयूर डॉक्टरों ने किन-किन गांवों के लिये तथा कितने लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(श्री बहादुरसिंह)

(3) जी हां। प्रत्येक माह चल चिकित्सा गांवों में जाकर वहां की जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है तथा एक दिन में 3 गांवों का भ्रमण किया जाता है। औसतन प्रत्येक माह में 10 से 20 दिन तक डॉक्टर भ्रमण को जाते हैं। प्रत्येक माह में औसतन 900 रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

खसरे से मृत्यु

113. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 2 वर्षों में कहां-कहां खसरे का रोग फैला तथा कहां-कहां कितने व्यक्तियों की मौत हुई ?

(2) क्या इस अवधि में नीम हकीमों द्वारा आंखों के ऑपरेशन में अन्धे होने की घटनायें भी प्रकाश में आई ? यदि हां, तो कहां-कहां ? कृपया प्रभावित व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

1) राज्य के निम्नलिखित जिलों में पिछले दो वर्षों में फैले खसरे के रोग से हुई व्यक्तियों की मृत्यु का ब्यौरा इस प्रकार है :—

जिला	मृत्यु 1983	मृत्यु 1984
अजमेर	2–	–
बांसवाड़ा	–	4
बाड़मेर	–	33
भीलवाड़ा	–	44
बीकानेर	4	–
बून्दी	1	–
चित्तौड़गढ़	–	12
जयपुर	8	8
कोटा	1	5
नागौर	–	8
पाली	–	11
सवाईमाधोपुर	–	10

(2) जी नहीं। वर्ष 1983-84 एवं सितम्बर, 84 तक नीम हकीमों द्वारा आंखों के आपरेशन में अन्धे होने की घटना विभाग की जानकारी में नहीं आई।

सरपंच, ग्राम पंचायत सोजत रोड द्वारा कृषि योग्य भूमि का अवैध बेचान

114. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह ताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सोजत रोड़ जिला पाली की कृषि योग्य भूमि को सरपंच व उप सरपंच द्वारा अवैध रूप से बेचा जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में पाली जिला प्रशासन व राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सोजत रोड़ द्वारा वर्ष 1970 से 1975 तक व्यापारियों से पंचायत कर वसूल नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि-हां, तो उक्त काल की कितनी राशि पंचायत कर की कितने व्यक्तियों पर बकाया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सरपंच एवं उप सरपंच ग्राम पंचायत सोजत रोड़ के विरूद्ध आबादी व कृषि भूमि के विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच करवाई जा रही है।

(2) ग्राम पंचायत सोजत रोड़ की वर्ष 1970 से 1975 तक 25 व्यापारियों में 31150 रुपये की कर राशि बकाया है जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। वसुली की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

चित्तौड़ा से पीपला (फागी) सड़क

115. श्री रामकंवार (बैरवा फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि फागी तहसील में चित्तौड़ा से पीपला तक डामर रोड़ बना दी गयी है ? यदि हां, तो इस सड़क के बीच में करीब 1 किलोमीटर सड़क अधूरी छोड़ने के क्या कारण हैं ?

(2) अब उपरोक्त अधूरी सड़क कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) एवं (2) जी हां, पर्याप्त वित्तीय स्वीकृति एवं भूमि अधिग्रहण न होने के कारण लगभग एक कि.मी. सड़क निर्माण का कार्य शेष है। इन बाधाओं के दूर हो जाने पर सकड़ पूर्ण कर दी जावेगी।

राजमार्ग

116. श्री बालचन्द्र आर्य (डग) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में कुल कितने राज मार्ग कहां से कहां तक हैं ? क्या इन राज्य मार्गो की रोड़ कंडीशन संतोषजनक है ? यदि खराब है, तो हालत सुधारने की दिशा में क्या प्रयास किया जा रहे हैं ?

(2) राज मार्ग नं. 19 कहां से कहां तक कब घोषित किया गया ?

(3) उक्त मार्ग की वर्तमान ने क्या स्थिति है और राज्य सरकार ने इसके विकास हेतु सन् 1980 से 1984 तक क्या-क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 31 राज्य मार्ग हैं सूची (प्रपत्र "क") सदन के पटल पर रख दी

(श्री हीरालाल आर्य)

गई हैं इन राज्य मार्गों की हालत मुख्यतया संतोषजनक है तथा आवश्यकतानुसार इनकी सालाना एवं विशेष मरम्मत करवाई जाती हैं।

(2) राज्य मार्ग नं. 19 इन्द्रगढ़ इटावा मांगरोल, बारां, खानपुर, झालावाड़, भवानीमंडी, डग तथा मध्यप्रदेश सीमा तक घोषित हैं।

(3) सन् 1980 से 1984 तक इस सड़क पर साधारण एवं विशेष मरम्मत का कार्य किया जाता रहा है। इस साल 10 कि.मी. सड़क के डामरीकरण करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

नगर परिषद् बीकानेर के सफाई कर्मचारी

117. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या स्वायत शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद्, बीकानेर में कुल कितने स्थाई सफाई कर्मचारी कार्यरत है ? कृपया कर्मचारियों की सूची मय नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति वर्तमान में कार्यरत वार्ड नम्बर, सफाई निरीक्षक क्षेत्र व सेवा में नियुक्ति की तिथि सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

नगर परिषद, बीकानेर में कुल 996 (नौ सौ छियानवें) स्थाई सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं परिषद् से प्राप्त कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

नगर परिषद्, उदयपुर में विद्युत निरीक्षक

118. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या स्वायत शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत् निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु क्या योग्यतायें अपेक्षित हैं ?

(2) नगर परिषद् उदयपुर में विद्युत् निरीक्षक के कितने पद सृजित हैं ? उन पर कौन-कौन व्यक्ति कार्यरत हैं ? कृपया सूची मय उनकी योग्यता के सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रशासक ने 28 मार्च, 1984 को उदयपुर नियोजन कार्यालय से उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की सूची मांगी थी ? यदि हां, तो उसमें से किस योग्यताधारी व्यक्ति का चयन किया गया ? डिप्लोमाधारी व्यक्ति का चयन नहीं करने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) विद्युत निरीक्षक की नियुक्ति हेतु मैट्रिक्युलेट व उसके समकक्ष योग्यता, साथ में आई. टी. आई. या पोलीटेकनिक या अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(2) नगर परिषद, उदयपुर में दो लाइट इन्स्पेक्टर के पद सृजित हैं। इन पर श्री यदुनन्दन गौड़ व श्री मंसूर अली बोहरा कार्यरत हैं। नाम की सूची मय योग्यता सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) नगर परिषद् ने नियोजन विभाग से दिनांक 14-3-84 को जो सूची मांगी उसमें प्रथम अनुसूचित जाति के अभ्यार्थी की एवं अनुसूचित जाति का अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर सामान्य अभ्यार्थियों की सूची मांगी गई थी। नियोजन कार्यालय ने 10 अभ्यार्थियों की सूची भेजी जिसमें केवल एक अनुसूचित जाति का था एवं साक्षात्कार में केवल दो ही अभ्यार्थी उपस्थित हुए उसमें अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं आया एवं तीसरा परिषद् में कार्यरत कर्मचारी श्री मंसूरअली भी उपस्थित हुआ। श्री मंसूरअली की शैक्षणिक योग्यता में छूट दिये जाने के उपरांत, अस्थाई रूप से सेवा चयन आयोग से चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक की अवधि के लिए नियुक्ति दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

नगर परिषद्, जयपुर में कार्यरत कर्मचारी वृन्द

119. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद्, जयपुर में कितने कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कितने समय से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत हैं ? परिषद् इनको नियमित वेतन श्रृंखला कब तक देने का विचार रखती है ? कृपया दैनिक वेतन कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जिन कनिष्ठ लिपिकों (दैनिक वेतन पर) को 240 दिन पूरे हो गये हैं व पिछले चार वर्षों से इस तरह से चल रहे हैं, क्या इनको परिषद् नियमित वेतनमान देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर परिषद् जयपुर में 12 कनिष्ठ लिपिक व 121 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं। नगर परिषद् से प्राप्त सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन कनिष्ठ लिपिकों ने 240 दिन पूरे कर लिये हैं, उनके मामलों में स्वत: हो नियुक्ति नियमित नहीं की जा सकती। नियमित पदों के उपलब्ध होने पर, नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर ही, इनको नियमित वेतनमान देने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

अजमेर नगर के तोपदड़ा मोहल्ले में स्थित चूना भट्टे

120. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर के तोपदड़ा मोहल्ले में स्थित चूने के भट्टों से उत्पन्न होने वाली नागरिक कठिनाइयों के कारण वहां से हटा दिये जाने का निर्णय हो जाने के बावजूद भट्टे नहीं हटाये गये हैं? यदि हां, तो इन भट्टों को हटाने का आदेश कब दिया गया था और तब से अब तक इन्हें हटाने के बारे में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भट्टा मालिकों को वैकल्पिक भू-खण्ड भी आवंटित कर दिये गये हैं लेकिन वे अभी तक वहा पर स्थानान्तरित नहीं हुये हैं?

(2) अब वह भट्टे कब तक हटा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। इन चूने व ईंटों के भट्टों के मालिकों को दिनांक 9-2-79 को नोटिस दिया गया था एवं समय-समय पर जिला प्रशासन को भी नगर परिषद् ने सहयोग के लिए पत्र भेजे। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) नगर परिषद द्वारा भट्टों को हटाने के लिए कार्यवाही जारी है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि के तहत घोषित अकालग्रस्त जिले

121. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान में किन-किन जिलों को अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि की वजह से अकालग्रस्त घोषित किया गया है तथा अब तक उनमें क्या-क्या राहत कार्य शुरू किये गए?

(2) क्या सीकर जिले को अकालग्रस्त घोषित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति के कितने-कितने ग्रामों को? कृपया समितिवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) सीकर जिले में अकालग्रस्त घोषित ग्रामों में अब तक क्या-क्या राहत पहुंचाई गई?

उत्तर

(1) इस वर्ष अभी तक किसी जिले को अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि के कारण अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है तथा कोई राहत कार्य शुरू नहीं किये गये हैं।

(2) सीकर जिले के किसी ग्राम को अभी तक अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(3) अभाव स्थिति की घोषणा न होने के कारण अभी तक राहत व्यवस्था चालू नहीं की गई है।

नगर परिषद् में खाद्य अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी

122. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खाद्य अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये नियमों के तहत नगर परिषद् में कौन व्यक्ति सक्षम होता है ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर परिषद् में यह अधिकार सम्बन्धित समक्ष अधिकारी के पास न होकर अन्य अधिकारी के पास है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? इस सम्बन्ध में स्थानीय, निकाय जयपुर द्वारा जारी आदेश की प्रति कृपया सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 के अन्तर्गत बने उप-नियम नगर-पालिका परिषद्, उदयपुर (होटल, रेस्टोरेन्ट, मिठाई, पान, खाद्यान्न एवं अन्य पदार्थ बिक्री की दुकानों के नियंत्रण व नियमन विषयक) उपनियम 1971 के उपनियम 4 के तहत जब तक परिषद् द्वारा अन्यथा नियुक्त न की जावें, आयुक्त अनुज्ञा अधिकारी होगा।

(2) जी नहीं। नगर परिषद, उदयपुर प्रशासक के आदेशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी, नगर परिषद, उदयपुर को अनुज्ञा प्राधिकारी बनाया गया है जो उपनियम, 1971 के नियम 4 के तहत एक वैध आदेश है। आयुक्त नगर परिषद द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या स्वास्थ्य अधिकारी को प्रशासक द्वारा अनुज्ञा-प्राधिकारी बनाया जा सकता है तथा क्या इसकी पुष्टि निदेशालय से प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसके अभाव में स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा पत्र अवैध हैं। सहायक निदेशक द्वारा पत्र संख्या 817 दिनांक 11-5-84 द्वारा सूचित किया गया कि परिषद द्वारा अन्य व्यक्ति को अनुज्ञा प्राधिकारी राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही बनाया जा सकता है। इस पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। किन्तु उल्लेखनीय है कि आयुक्त के अलावा अन्य अधिकारी को उपरोक्त उपविधियों के अनुसरण में, परिषद द्वारा अनुज्ञा प्राधिकारी बनाया जा सकता है। और इसमें राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी उक्त पत्र विभाग में निम्न स्तर से ही बगैर सक्षम स्तर पर आदेश लिये, प्रेषित कर दिया गया था, जिसको संशोधित कर उचित आदेश विभाग द्वारा अब भेजे जा रहे हैं।

(पत्र की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से, ग्राम पंचायत काल्याखेड़ा का मुख्यालय बदले जाने से जनता में आक्रोश।

2. श्री बालचन्द आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से, झालावाड़ जिले में कानून की व्यवस्था बिगड़ने से जनता में आक्रोश।

3. सर्वश्री रघुवीरसिंह कौशल, गुलाबचन्द कटारिया और भंवरलाल शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से, श्री छीतरलाल को गलत आरोप लगा कर गिरफ्तार करना।

4. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से, पीपलदा क्षेत्र के सूकनी नामक स्थान पर साईफन में सीपेज से उपजाऊ भूमि का खराब होना।

5. श्री बंशीलाल पटवा सदस्य, विधान सभा की ओर से, नगर परिषद, भीलवाड़ा में कई बस्तियों में बिजली व सफाई का न होना।

6. श्री फतेहसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से, वन खण्ड, कुशलगढ़ रेंज में इमारती लकड़ी की अवैध कटाई व चौकी घाटा से उसकी निकासी।

7. श्री बहादुरसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से, बांसवाड़ा जिले में अतिवृष्टि व अनावृष्टि से फसल को नुकसान।

8. श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से, सवाई माधोपुर जिले में दुब्बी बनास नदी के पुल निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ देने से आवागमन में बाधायें।

9. श्री देवीसिंह भाटी व श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से, एक व्यक्ति द्वारा कस्बा भीनासर में 40 बीघा गोचर भूमि में अवैध अतिक्रमण से जनता में असंतोष।

10. श्री त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से, राजस्थान के अधिकतर इलाकों में भयंकर अकाल से बेकारी।

11. श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से, श्री भंवरराम मेघवाल निवासी गगराना का गायब किया जाना।

12. श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से, परशुराम मार्ग की नुक्कड़ पर स्थित कुएं में गिरकर एक व्यक्ति की मृत्यु के कारण पानी खराब होने पर उसकी सफाई नहीं किया जाना।

(श्री अध्यक्ष)

इन स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

13. श्री मेघराज तावड़, सदस्य विधान सभा की ओर से, अलवर की शिवाजी पार्क कालोनी में मकानों में घटिया मैटीरियल उपयोग किये जाने से हल्की वर्षा से मकान गिर जाना।

इस आशय का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था जिसका उत्तर आ गया है और उसका अध्ययन किया जा रहा है।

14. श्री महाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से, सरपंच, श्री बालाजी तहसील नागौर द्वारा फर्जी खनन कार्य करना।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। अतः मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

1. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से, इटावा कस्बे में ट्यूब वैल के खराब होने से पानी की सप्लाई न होना।

सरकार ने सूचना दी है कि अन्य कुओं से प्रतिदिन 17000 लीटर पानी दिया जा रहा है। गैर जिम्मेदार लोगों ने ट्यूब वैल में मिट्टी व पत्थर डाल दिये थे। जिसकी सफाई के प्रयास किये जा रहे हैं।

2. श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से, जयपुर में पंचायती राज सम्मेलन एवं रजत जयंती समारोह।

सरकार ने सूचना दी है कि यह समारोह राजनैतिक नहीं था सभी कार्यवाही नियमानुसार की गई है और व्यय करीब 25-30 लाख रुपया होने की सम्भावना है।

3. श्री यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पेशपेल घास के कारण पक्षियों का नहीं उतरना।

सरकार ने जानकारी दी है कि उक्त घास की अन्य पक्षियों को आवश्यकता है और डाईविंग डुग्स के लिए स्वच्छ पानी का उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त तीनों प्रस्तावों पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय मैंने और माननीय पचेरवाल ने स्थगन प्रस्ताव दिया है उसको आपने सरकार से जानकारी के लिए भेजा है। मीनासर वाला....

श्री अध्यक्ष : जानकारी ले रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि असेम्बली का प्रोग्राम है उसके हिसाब से 17 तारीख को....

श्री अध्यक्ष : आप चिन्ता नहीं करें, जिनको आवश्यक समझूंगा उनकी सूचना मंगा ली जाएगी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सूचना मंगाने के बजाय आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दीजिए और हमको बोलने का अवसर दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए। इस सम्बन्ध में विचार करूंगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री देवीसिंह भाटी : लगातार तीन महीनों से वहां पर आन्दोलन चल रहा है....

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अकाल से सम्बन्धित जो हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अकाल के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आए हैं। कुछ के जवाब आ गए हैं, कुछ के जवाब आने हैं। इन सब पर विचार करने के बाद में चूंकि यह महत्त्वपूर्ण मसला है इसलिए इस पर विचार किया जाएगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य बोलें तो मुझे सुनाई देगा। बैठ जावें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने पूर्व में भी इसके बारे में आश्वासन दिया था कि मैं इस पर विचार करूंगा। अकाल की जो स्थिति है....

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया हूं। अकाल के सम्बन्ध में मैंने अभी व्यवस्था दे दी है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह एक बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि इस पर विचार करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री महाराम चौधरी : तारीख तो निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष : तारीख इस तरह से निश्चित नहीं होगी। अवसर दिया जाएगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, एक-एक कर बोलें।

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) :........ खून-खच्चर हो जाएगा। गांवों में बसें नहीं जाती हैं और यहां यातायात मंत्री नदारद हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जावें, माननीय सदस्य मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मैंने दिन में ऐसा कभी नहीं देखा कि विधान सभा के सामने कोई लालटेन लेकर आये हों। बुनकर लोग लालटेन लेकर आये हैं। सरकार सो रही है, अन्धकार हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : यहां लालटेन की दुकानें बहुत हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनकी वाजिब मांगों के लिए सरकार कोई बात करने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। निरस्त किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, निरस्त करने की बात नहीं है. गरीबों की बात है वह आपके माध्यम से सरकार को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में समय न लें, माननीय सदस्या। श्री कमलेन्द्रसिंह।

श्री कमलेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, बुनकर पंचायत का एक प्रोसेशन आया हुआ है वह आपसे मिलना चाहता है इसलिए आप....

श्री अध्यक्ष : हमसे यहां पर तो माननीय सदस्य ही आसन के माध्यम से मिल सकते हैं। अन्य अगर कोई....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार उनकी बात सुनती नहीं है। करघे बन्द पड़े हुए हैं। उनको पैसा देती नहीं है। 28 हजार करघे बन्द पड़े हुए हैं; कैसे काम चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि बुनकरों का जो जुलूस यहां पर आया है उनका कहना यह है कि राज्य सरकार को हम कोई ज्ञापन नहीं देना चाहते हैं, न सरकार से बात करना चाहते हैं, राज्य सरकार नाम की कोई चीज राजस्थान में नहीं मानते हैं, न सरकार नाम की कोई चीज राजस्थान में है ।

श्री अध्यक्ष : तो मैं मेरी तरफ से आपको अधिकृत करता हूं । आप वह ले आयें मेरे पास कोई भी माननीय सदस्य ले आवें ।

श्री गोपाल पचेरवाल : उन्होंने जो ज्ञापन दिया है वह मैं पेश कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप लाकर मुझे दे दें ।

श्री गोपाल पचेरवाल : वह आपको दे रहा हूं । इस सम्बन्ध में आप हमारा निवेदन सुन लें । उनकी समस्या हम आपके सामने पेश कर देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले....

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में दो मिनट में निवेदन कर देता हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने मेरे प्रस्ताव को निरस्त किया है । स्थगन प्रस्ताव मेरा था, मेरे प्रस्ताव पर बात हुई और ज्ञापन आप इनसे ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धैर्य रखें । सभी को दो-दो मिनट का समूह जिनके प्रस्ताव मैंने अस्वीकृत किये हैं उनको दूंगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो इसी बुनकर वाली बात पर बात कर रही थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दोनों एक साथ नहीं बोलें, माननीय सदस्य । श्री पचेरवाल ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत के नेतृत्व में एक जुलूस आपके सामने आया है । बुनकर पंचायत ने यह माना है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप सरकार से कहें कि हमारी मूल समस्या यह है । राजस्थान मे शिड्यूल्ड कास्ट के बुनकर हैं, जो बुनने का काम करते हैं उसमें सारे अनुसूचित जाति के लोग हैं । हाथ करघा परियोजना मण्डल में जितना भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार के कारण अनुसूचित जाति के लोगों को सही समय पर सूत नहीं मिलता है । इससे जो कपड़ा वे बुनते हैं उसके सही दाम नहीं मिलते । माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि निगम के द्वारा जो कपड़ा बेचने की एजेंसी कायम कर रही है, अलग-अलग रूप में

(श्री गोपाल पचेरवाल)

एजेंट कायम कर रहे हैं उन एजेंट्स के माध्यम से कपड़ा बिकवाते हैं और उनको अवैधानिक रूप से बीस पर्सेंट कमीशन देते हैं। हमारा यह निवेदन है, बुनकर पंचायत की यह मांग है कि यह जो बीच में एजेंट की प्रक्रिया है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। निगम जिले में अपनी इकाईयां खोले और उसके माध्यम से कपड़ा बेचने का काम करें।

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से इस प्रश्न को उठायें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : उनकी जो भावना है वह निवेदन करना चाहता हूं आपके सामने, अध्यक्ष महोदय। सरकार उनकी सुनती नहीं है इसलिए वह आपके सामने आकर अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार और माननीय सदस्यों की बातें सुनने का आदी हूं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी भावना ही आपके सामने पहुंचाना चाहता हूं। वह सारे अनुसूचित जाति के लोग हैं। निगम में कितना करप्शन है, निगम में जो कपड़ा....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें सात लाख के सूत का घोटाला था उसकी जांच करने को कहा, वह जांच नहीं की। 2800 करघे बन्द हैं। उनके ऋण वसूली के नाम पर उनकी जो छोटी-मोटी झोंपड़ियां हैं उन तक को नीलाम करने की बात कर रहे हैं। इसलिए दिक्कतें आ रही है। इसलिए मैंने आपके सामने यह स्थगन प्रस्ताव रखा था। प्रोसेसिंग प्लाण्ट लगाने वाली बात थी, जो 181 में लगने वाला था 48 हजार का, वह अभी तक नहीं लगा है। सरकार के जाने के दिन आ गए, काम नहीं हुआ। इसलिए बुनकर लोग, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, दुखी होकर लालटेन लेकर आये हैं कि सरकार कहीं दिख जाय। सरकार उन्हें कहीं दिखी नहीं इसलिए आपको यह ज्ञापन प्रस्तुत किया है। आप सरकार को बाध्य करें कि इस पर काम करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने....

श्री अध्यक्ष : काहे पर ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के शिक्षक एक-एक कदम आगे बढ़ते-बढ़ते आज गिरफ्तारी देने आ रहे हैं। इस पर मैंने 11 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : मैंने राज्य सरकार से जानकारी चाही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लेकिन वह सरकार चार दिन में जवाब नहीं दे सकी। जो बात उन्होंने मानी है, टेबल पर बैठ कर स्वीकार की है उसको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को लेकर अगर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आन्दोलन करें और गिरफ्तारियां दें शिक्षक, यह तो कोई शोभाजनक बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार से जानकारी शीघ्र मंगाऊंगा।

श्री महाराम चौधरी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आखिर इस छोटी सी बात की क्या जानकारी चाहिए। मैं आपको जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो बातें इन्होंने टेबल पर बैठ कर स्वीकार की हैं उसकी पालना नहीं करने के खिलाफ पिछले डेढ़ महीने से आन्दोलन कर रहे हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर आये हैं, राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन दिया है, शिक्षक दिवस का उन्होंने बहिष्कार किया। इतनी घटनायें होने के बाद और आज गिरफ्तारी देने के लिए वे जुलूस बना कर यहां आये हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। राजस्थान का शिक्षक और कुछ नहीं मांग रहा है, जो स्वीकार किया है उसको आप मानो, उसकी पालना करो, इस बात को कहने के लिए वह आ रहा है और इसके लिए सरकार जवाब नहीं दे पा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी, सरपंच श्री बालाजी के बारे में।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : हां सरपंच बालाजी द्वारा अनधिकृत खनन कार्य करने के बारे में ही।

मेरा यह निवेदन करना है कि यह सरपंच वहां अपना परसनल दबाव डाल कर अनुसूचित जाति के आदमियों के नाम से पट्टे लेकर के खनन कार्य करता है। उनका नाम लेकर बेनामी खनन कार्य करता है। इसके साथ में पिछड़ी जाति के लोगों से पर्सनली, व्यक्तिगत उसका द्वेष भी है। उसने गरीब को छप्पर योजना के अन्तर्गत 66,000 रुपये जो एक-एक आदमी को साढ़े सात सौ रुपये देने थे, में से एक पैसा भी उपयोग में नहीं लिया और उसका खुद गबन कर गया है। इसकी सरकार ने जांच की। जांच करने के बाद में दोषी पाया लेकिन सरकार ने सस्पेंड नहीं किया। इसके साथ-साथ में वह शिड्यूल्ड कास्ट के, अनुसूचित जाति के आदमियों के नाम से पट्टे ले करके, उनके नाम से खानों का कार्य ले करके स्वयं खोदता है और उन पर नाजायज दबाव डालता है। इसलिए मैं इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को आप सरकार के पास में कार्यवाही करने के लिए भेजें, यही उचित रहेगा। जिससे वह × × × गरीब आदमी जिसके नाम से खानें हैं, वह उनसे पत्थर निकालें और अपना गुजारा करें। यही मैं निवेदन करना चहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य। इटावा कस्बे में ट्यूब वैल के सम्बन्ध में।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 11 तारीख को....

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्नकाल नहीं होगा। यदि आपने 11 तारीख को कोई प्रस्ताव दिया है....

श्री हंसराज शर्मा : आप मेरा एक निवेदन सुन लें। वहां स्थिति गम्भीर है....

(व्यवधान)

मैंने 11 तारीख को प्रस्ताव दिया उसकी सरकार से जानकारी नहीं आई। वहां झगड़ा होने की स्थिति है। मुआवजा दिया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे चैंबर में मिल लें, मैं आपकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करूंगा। श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इटावा कोटा जिले का सबसे बड़ा करीब दस हजार की आबादी का कस्बा है....

श्री अध्यक्ष : सबसे बड़ा दस हजार की आबादी का ?

श्री हीरालाल आर्य : नहीं, सबसे बड़ा नहीं। इसलिए मैंने करेक्शन कर लिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं कहने वाला था कि करीब दस हजार की आबादी है। वह मैंने करेक्ट कर लिया है।

वहां पर नल योजना पिछले चार पांच साल से चल रही है। यह योजना ठीक तरह से काम करे इसके लिये वहां पर ट्यूब वैल खुदाये गये थे। इस ट्यूब वैल में कोई वस्तु ऐसी फंस गई है जिसकी वजह से वहां पर ट्यूब वैल काम नहीं कर रहा है। ट्यूब वैल काम नहीं करने की वजह से....

श्री अध्यक्ष : वहां कितनी गहराई पर पानी उपलब्ध है।

श्री हीरालाल आर्य : गहराई से सम्बन्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कुओं की कमी है। पानी आखिर पूरे शहर में कुओं से सप्लाई नहीं किया जा सकता है। जो ट्यूब वैल खराब हो गये हैं उनके खराब होने की वजह से गांव में पानी की सप्लाई पर्याप्त नहीं होती क्योंकि उसी कुएं से पानी की सप्लाई की जा रही है जिसमें पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी की वजह से 10-15-20 मिनट ही चल पाता है। उससे पानी पूरे शहर में सप्लाई नहीं होता। सवेरे के वक्त ही पानी आता है शाम के वक्त बिल्कुल पानी नहीं आता। क्योंकि ट्यूब वैल खराब है इसलिये टंकी द्वारा सप्लाई नहीं की जा रही है, डायरेक्ट सप्लाई की जा रही है इसलिए ऊंचे स्थानों पर पानी नहीं पहुंचता है। माननीय महोदय, यह ट्यूब वैल पिछले 2-3 साल से खराब है। बराबर वहां की जनता निवेदन करती आ रही है, हर बार सरकार से जवाब मिलता है कि इसको ठीक करवाया जा रहा है। सरकार से अभी भी जो उत्तर आया वह यही है कि इसकी सफाई की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी ही इटावा से आया हूं वहां किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ठीक करने की नहीं कर रहे हैं। इसलिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो यह गलत जवाब दिया है इसके लिए सरकार पश्चाताप करे और सदन को इस तरह से गुमराह न करे।

(श्री हीरालाल आर्य)

साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बात कही है कि 70 हजार गैलन पानी की सप्लाई की जा रही है....

एक माननीय सदस्य : लीटर, गैलन नहीं।

श्री हीरालाल आर्य : लीटर। यह बात भी तथ्यों से बिल्कुल परे है इतना पानी वहीं पर जा नहीं रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पानी की कमी है, पानी की वहां पर भयंकर दिक्कत है। वह पंचायत समिति हैड क्वार्टर है, वहां कई बड़े-बड़े दफ्तर हैं। वह विकसित टाउन है, कस्बा है जिसमें पानी की कमी होना सरकार के लिए शर्म की बात है पानी का श्राप तो शत्रु को भी नहीं दिया जाता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मुख्य मन्त्रीजी से कि उस ट्यूब वैल को शीघ्र ठीक करवायें ताकि गांव वालों को पर्याप्त पानी मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, होना तो यह चाहिए था कि सरकार अपनी तरफ से जो 7 अक्टूबर को पंचायती राज सम्मेलन किया गया उसके बारे में विधान सभा में एक वक्तव्य देती कि इस सम्मेलन से और माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री, भारत सरकार के जयपुर में आने से राजस्थान में पंचायती राज की गतिविधियों को क्या गति मिली, क्या उनको विशेष अधिकार मिले और क्या उनकी अच्छाई के लिए सोचा गया। सरकार को अपनी तरफ से वक्तव्य देना चाहिए था, लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उसको भुठला दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में सम्मेलन हुआ और उसके बारे में इस विधान सभा में प्रश्न पूछे गये। अनेक सिफारिशें की गयी हैं उन सिफारिशों में से एक भी सिफारिश लागू नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, न केवल सिफारिश लागू नहीं की गई बल्कि पंचायती राज को धीरे-धीरे खोखला किया जा रहा है। जो पंचायतें हैं उनके पास कोई काम नहीं हैं। पंचायतें पंगु हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, पहले भीलवाड़ा में सम्मेलन हुआ फिर बीकानेर में कर दिया। मैंने स्पष्ट आरोप लगाए थे कि यह राजनैतिक उद्देश्यों के कारण कराये गये। मैं यह फिर दोहराना चाहता हूं, अगर राजनैतिक उद्देश्य नहीं थे तो बीकानेर में श्री राजीव गांधी को खुश करने के लिये, जयपुर में श्रीमती गांधी को खुश करने के लिए क्यों बुलाया? इसकी उपलब्धि क्या है? पंचायती राज की जो हालत है वह राजस्थान में छिपी हुई नहीं है। 14 करोड़ इस पर खर्च किये गये हैं वह खर्चा करने का कोई परिणाम सामने आना चाहिए था। राजस्थान में अकाल की स्थिति, राजस्थान में पीने का पानी नहीं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस विधान सभा में इस पर चर्चा नहीं की गई। एक तरफ तो लोग प्यासे मर रहे हैं, पंचायतें पंगु हो गई हैं. राजस्थान में भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है और दूसरी तरफ 14 करोड़ रुपये खर्च करके केवल आपने शिवचरणजी माथुर के राजनैतिक महत्व को श्रीमती इन्दिरा गांधी के दिमाग में जमाने के

(श्री कैलाश मेघवाल)

लिए यह एक तमाशा किया । इसकी मैं भर्त्सना करता हूं । मैं चाहता हूं कि आप पुनर्विचार करें व्यवस्था पर और सरकार से कहें कि वक्तव्य दे । एक वक्तव्य के आधार पर विधान सभा में दोनों पक्षों में बहस होने के बाद यह बात सामने आ सकेगी कि इस सम्मेलन की कोई उपयोगिता थी या नहीं अन्यथा सरकार भागी है, सरकार ने राजनैतिक उद्देश्य से यह कराया है आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आप तो वहां पधारे होंगे, अध्यक्ष महोदय, एक पण्डाल में पंचायती राज सम्मेलन हुआ और उसी पण्डाल से लोग उठ कर राजनैतिक कार्यकर्ता सम्मेलन में चले गये । क्या दूरी थी ? भोजनशाला एक, पण्डाल एक उस पर जो खर्चा किया गया वह सारा खर्चा, रहने की व्यवस्था, पचायत राज में आने वालों का सारा खर्चा सरकारी कोष से किया गया । राजनीति के लिये, कांग्रेस के प्रचार-प्रसार के लिए राजस्थान के खजाने से यह पैसा खर्च किया गया है । मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और सरकार से कहता हूं कि उसको इस विधान सभा को विश्वास में लेकर एक वक्तव्य देना चाहिए था, राजस्थान की जनता को इसकी उपलब्धियां बताने के लिए एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह ।

श्री देवीसिंह भाटी : इस पंचायती राज सम्मेलन पर करोड़ों रुपये का खर्चा किया गया, इसका लाभ किसी को नहीं हुआ ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर । अंकित न हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह । कृपया बैठ जायं । आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

आर्डर । इस पर चर्चा नहीं होगी । सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र/अधिसूचनाएं ।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : मुझे कुछ अर्ज करने का हुक्म हो जाय मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण के बारे में मैं देखूंगा कितने उत्तर आ गये हैं और इस विषय के महत्व को समझते हुए मैं सदन में चर्चा करवाऊंगा ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

अधिसूचनाएं, श्री हीरालाल देवपुरा, राजस्व मंत्री ।

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि
अधिसूचनाएं

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (ग्रुप-4) विभाग की अधिसूचना सं. एफ-5 (8) रेव/ग्रुप-4/84/34 दिनांक 24-7-84 सदन की मेज पर रखता हूं ।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : परिवहन राज्य मंत्री।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गृह (ग्रुप-7) विभाग की अधिसूचना सं. पं. 17 गृह-7/78 दिनांक 14-9-84 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे, वित्त मंत्रीजी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) वित्त लेखे वर्ष 1982-83,

(2) विनियोग लेखे वर्ष 1982-83,

(3) वर्ष 1982-83 के लिए भारत के नियन्त्रक परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) एवं,

(4) वर्ष 1982-83 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री विष्णुप्रकाश बजारी सदस्य, विधान सभा को दिनांक 11-10-84 से 18-10-84 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री विष्णुप्रकाश बजारी, सदस्य, विधान सभा ने पिताजी की अस्वस्थता के कारण 11-10-84 से 18-10-84 तक विधान सभा की की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। सभापति, जन लेखा समिति।

समिति का प्रतिवेदन

जन-लेखा समिति का 15वां, 16वां, 17वां 18वां एवं 19वां प्रतिवेदन

श्री माधवसिंह दीवान (सभापति, जन-लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं, जन लेखा समिति 1984-85 निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

(1) विनियोग व वित्त लेखे 1976-77 एवं वर्ष 76-77 के लिये नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल गृह) (पुलिस विभाग की आटोमोबाइल वर्कशाप) विभाग से सम्बन्धित मामले पर जन लेखा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 1976-77 के लिये नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (प्रतिवेदन) (सिविल) के पैरा 4.1 में उल्लिखित लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन।

(श्री माधवसिंह दीवान)

(3) जनलेखा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (चतुर्थ विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालन हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जनलेखा समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन।

(4) जनलेखा समिति 1970-71 के तेरहवें प्रतिवेदन (चतुर्थ विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जनलेखा समिति का अठारहवां प्रतिवेदन।

(5) जनलेखा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन (चतुर्थ विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जनलेखा समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय कार्य, वित्त मंत्री जी।

मांगों का उपस्थापन
अनुपूरक अनुदान की मांगों (1984–85) का उपस्थापन

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1984–85 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रथम संकलन, उपस्थापित करता हूं।

अतिरेक मांगों (1977–78) का उपस्थापन

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1977-78 के लिए अतिरेक मांगों को उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री हीरालाल देवपुरा।

विधायी कार्य : पुरःस्थापित विधेयक
राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश 1984, (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1984) एवं राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1984) को प्रख्यापित करने के कारणों के विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी, श्री हीरालाल देवपुरा राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे ।

राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक, 1984—प्रभारी मंत्री पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करेंगे ।

राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधि मान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक, 1984

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्यमंत्री, स्वायत्त-शासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण तथा संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1984) को प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करेंगे ।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्यमंत्री, सहकारिता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 984 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या-7 सन् 1984) को प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

आज और कल हमको 5 विधेयक पारित करने हैं। आज सम्पूर्ण रूप से दो विधेयक पारित कर दें और एक को आधा कर लिया जाये। अब चार घण्टे का समय बचा है इसलिए मैं प्रत्येक विधेयक के लिए डेढ़-डेढ़ घंटे का समय निर्धारित करता हूँ।

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एवं राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 के सम्बन्ध में परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे समय का ध्यान रखें। वैसे मैं माननीय सदस्यों को समय की सीमा में बांधना नहीं चाहता। 10/12 मिनट होने के पश्चात् माननीय सदस्य स्वयं ही सीमा रखें और इस समय तक ही अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : मैं समय नहीं लूंगा। श्री कटारियाजी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

परिनियत संकल्प
राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा क्रमश: दिनांक 4 मई, 1984 एवं 19 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या–5, सन् 1984) एवं राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1984 (अध्यादेश संख्या–6, सन् 1984) को अस्वीकार करता है। इसके पीछे मेरा केवल........

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से तो आपका वही आशय है कि आर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, लगातार पिछले चार साल से हम यह 15-क, 15-क, 15-क में संशोधन करते जा रहे हैं। मानों यह इस टिनेन्सी एक्ट में 15-क क क क्या बीमारी आ गई। हर बार कोई सेशन ऐसा खाली नहीं जाता कि हम इसके बारे में कोई न कोई अमेन्डमेंट लाकर इसमें सुधार नहीं करते। यह हमारी एफीशिएंसी को जताता है कि हम एक ही बार में इतने सक्षम नहीं हैं कि जो राहत वहां के किसान को देना चाहते हैं वह एक साथ ही दे दें।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात तो यह सही है, 15 क क क बहुत बार आता है और अभी तक हम कोई

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हर बार हम इसी 15 क, 15 और क फिर तीसरा क, अबके और आयेगा तो फिर चौथा क, फिर उसमें और कोई अमेण्डमेंट, फिर और कोई अमेण्डमेंट तो यह हमारी इस एफीशियंसी को जरूर जताता है। आखिर जब हम पिछले सेशन में इस बात को लाये थे, और हमने यह राहत पहुँचाने की कोशिश की वहां के किसान को। जब उसके काम्प्लीकेशन पहुँचे कि एक साथ सब किश्तें जमा कराना किसान के लिए दुविधापूर्ण है इसलिए हमने उसको लाभ पहुँचाने के लिए 16 किश्तों में हर छमाही किश्त में हमने उसको राहत पहुँचायी यह तो स्वागत योग्य है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो दोनों चीजें हम कर रहे हैं वह दोनों ही स्वागत योग्य हैं। पहले एक साल का समय दिया था, अब अगर किसी व्यक्ति ने ट्रान्सफर कर दिया और हम एक-एक करके ला रहे हैं। कलेक्टर को सूचना नहीं दी तो चार साल तक की हमने अवधि कर दी, ठीक है, उसको उससे हम राहत पहुँचायेंगे लेकिन बार-बार इस काम्प्लीकेशन से, क्या राजस्थान का वह सामान्य किसान इस कानून के पेचीदा दफाओं को आसानी से समझ पायेगा ? हर बार उसके सामने एक नयी समस्या, फिर नयी समस्या, फिर नहीं समस्या, और फिर उसमें कोई लेकूना रह गया और फिर लोग आपके सामने लायें तो फिर अगले सेशन में आप 15-क क क को 15-क क क क बनाओगे, 15-क क क क क बनाओगे तो यह राजस्थान के इस लेजिस्लेचर के ऊपर एक धब्बा अंकित करता है कि हम इतने सक्षम नहीं हैं क्या कि हम एक ही बार में इन टोटा इसको तय करके इसके बारे में अपना कोई निर्णय करके उसमें कोई अमेण्डमेंट करके उसका एक अच्छा रूप बना दें। इसी बात के लिए मेरा आपसे आग्रह है। मैं इसको अस्वीकार करने के लिए इसीलिए कहता हूँ कि आज भी अगर इसमें कोई कमी-खामी रह गयी हो, आपके मन में फिर कहीं लगता है तो आप उस पर फिर विचार कर लीजिए। इतनी जल्दी नहीं है कि इसको आज अगर हम पास नहीं करेंगे तो कोई अनर्थ हो जायेगा लेकिन यह नहीं हो कि 6 महीने के बाद फिर नये फार्म में ला करके, फिर हम एक नया संशोधन ला करके यहाँ लोगों के सामने एक भूत खड़ा कर दें कि यह 15-क क क है क्या, 15-क क क है क्या और इससे क्या होने वाला है। इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि इसको अस्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : डा० उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा क्रमश: दिनांक 4 मई, 1984 एवं 19 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1984) एवं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या–6 सन् 1984) को अस्वीकार करता है।

टुकड़ों में संशोधन लाये जा रहे हैं। जैसा कि भाई गुलाबजी कटारिया ने कहा, बात तो वही है कि संशोधन टुकड़ों में सरकार लाती है। सम्पूर्ण रूप से बैठकर निश्चय करके कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। जैसे अभी भी एक दो अमेन्डमेंट किये हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। करना है तो सम्पूर्ण रूप से निश्चय करके इसको देख लें, ला डिपार्टमेन्ट से डिसकस कर लें कि इनमें कुल मिलाकर हमको और क्या-क्या देना है। आपकी जो सरकार की नीति बनी हुई है, उसके आधार पर आप कोई सुविधा देने जा रहे हैं? टुकड़ों-टुकड़ों में जो अपन जाते हैं कि पांच साल में एक, पांच साल बाद दो, पांच साल बाद तीन, मैं समझती हूँ, यह प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। अगर कोई नियम, कानून बनाने हैं तो सम्पूर्णता पर आइये, उसके टुकड़ों-टुकड़ों पर मत आइये। यह अभी जो तीन–'क' धारा 15 लगाये गये हैं—क क क, फिर आप अगली बार लायेंगे क क क+क क क। मेरे खयाल में पता नहीं क्या है। अभी आप क क क पर पड़े हुए हैं, क्ष, त्र, ज्ञ पर तो पता नहीं कब पहुँचेंगे। अपने अक्षरों की कोई कमी नहीं है, वर्णमाला के, लेकिन अभी तक तो 'क' ही चल रहा है, लगता है इनको क्ष, त्र, ज्ञ तक ले जायेंगे इसलिए अभी क क क तक ही पड़े हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ तो इस सरकार को सिखाइये, इनकी कोई पाठशाला हो वहां पढ़ाइये। जब इनको भेजा गया था हरिशचन्द्र माथुर संस्थान में, इनमें से कोई मेम्बर पहुँचा नहीं। जब विधि का अध्ययन करने की बात आती है तो यह देख लीजिए पूरी बैन्च गायब रहती है, हमारे तो अधिवेशन में गये कुछ लोग अभी लौटे नहीं हैं; फिर भी हम लोग बैठे हैं, लेकिन इनकी कोई रुचि नहीं है, जनता को राहत पहुँचाने की। मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह से संशोधन लाते हैं, इस पर हमें आपत्ति है इसलिए यह सदन इन अध्यादेशों को अस्वीकार करता है। पूरा पढ़ देती हूँ, यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा क्रमश: दिनांक 4 मई, 1984, एवं 19 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1984) एवं राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन), यानी इसी में एक और दो संशोधन हैं, ये भी एक साथ ले लिए गये, कमाल है, अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1984) को अस्वीकार करता है। जरा यह पढ़ लीजिए आपकी सूची है, 1904 लगता है, 84 नहीं लगता।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

(श्री देवीसिंह भाटी)

यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा क्रमश: दिनांक 4 मई, 1984 एवं 19 जुलाई, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान अभिवृति (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या–5, सन् 1984) एवं राजस्थान अभिवृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या-6, सन् 1984) को अस्वीकार करता है।"

अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि किसान की जो समस्या है, किसान की जो बात है उसको समझने वाला आज कोई नहीं है। चाहे आप मुख्य मन्त्रीजी को ले लीजिए, वह जाति के कायस्थ हैं, उन्हें काश्तकार से कोई मतलब ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपको तो कम से कम है उसमें।

श्री देवीसिंह भाटी : बिल्कुल मैं तो काश्तकार हूँ। अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी भी जाति से बनिए हैं, उन्हें भी काश्तकार से कोई लेना देना नहीं है। इनसे ही सम्बन्धित कोलोनाइजेशन विभाग के मंत्री हैं चन्दनमल बैद, वह भी जाति के बनिये हैं। अब किसान की बात कौन कहे, कोई किसान की पैरवी करने वाला नहीं है। अब आपको अध्यक्ष पद दे दिया, अब आप केबिनेट की मीटिंग में जा नहीं सकते। तो हमारी किसान की जो बात है उसकी वह न तो कोई पैरवी करने वाला है, न कोई सुनने वाला है। आप स्वयं परिचित हैं कि यह समस्या कितने वर्षों से चल रही है। परन्तु क्योंकि जो नीति बनी है, उसके कारण इनके तो हाथ में कुछ है नहीं, जैसे, ब्यूरोक्रेट्स जिस प्रकार से जो भी नोटिंग बनाते हैं, जो भी सुझाव उनके सामने रख देते हैं। यह वैसा का वैसा ही मान लेते हैं जिसकी वजह से इनको बार-बार आर्डिनेन्स जारी करना पड़ता है। जब ये आर्डिनेन्स जारी करते हैं तब तो उसके बारे में सोचते नहीं हैं, किसानों के प्रतिनिधियों से बात करते नहीं हैं जब वहां आर्डिनेन्स के लागू होने की प्रक्रिया में चालू होती है तब किसानों का विरोध होता है तो फिर ये सोचते हैं, भई, यह तो गलत हो गया, इस पर पुनर्विचार करो, नहीं तो वापिस लेना पड़ेगा। अब इस प्रक्रिया में इन्होंने हजारों टन कागज खराब कर दिये। आप देख लीजिए, वर्षों से कितने आर्डिनेन्स निकले हैं, इस बारे में ऑफिसरों के कितने कार्य दिवस, अधिकारियों के कर्मचारियों के कितने कार्य दिवस खराब हुए हैं। इसके अन्दर बरबादी ही हुई है। जो सैकड़ों वर्षों से बसे हुए काश्तकार हैं उनको एक दिन भी मुफ्त में खातेदारी नहीं दी है। यह इन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया और हमने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम खातेदारी लेंगे तो मुफ्त में ही लेंगे। हम एक धेला भी आपको नहीं देंगे, किसी भी हालत में आपको एक धेला नहीं देंगे। एक धेला भी नहीं मिलेगा। काश्तकार किसी भी हालत में अकेला नहीं है। आप यह सोच रहे हैं कि काश्तकार अनपढ़ है, भोला है, वह समझता नहीं है और हम जो आर्डिनेन्स लागू करेंगे, जो भी बिल लायेंगे, कानून बनायेंगे वह उसको स्वीकार कर लेगा। आप स्वयं जानते हैं, उस गरीब इलाके के अन्दर किसी के पास पैसा तो है नहीं। अब धक्के से ले लिया जाये कि हम एक मुरब्बा के पीछे आपसे 25 हजार रुपये लेकर ही छोड़ेंगे। किस बात के लेंगे? हम सैकड़ों वर्षों से वहां बैठे हैं, खारा पानी

(श्री देवीसिंह भाटी)

हमने पिया है, उन टीबों में हम रहे हैं, अकाल हमने भुगते हैं। अब जब मौका मिला है कि पीढ़ियों से जो बसे हुए काश्तकार है, उनकी आज जो एक लोकतंत्र में बनी हुई सरकार है, वह तो कम से कम सुनवाई करेगी और मुफ्त में खातेदारी अधिकार देगी। तब इस बारे में कतई नहीं सोचा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे मूल समस्या यह है जो ब्यूरोक्रेट्स जो आई ए. एस. हैं जो सारी पॉलिसी बनाते हैं, जो सुझाव देते हैं वह शहरी क्षेत्र से आते हैं और शहरी क्षेत्र से आने वाला कभी भी गांव के प्रति नहीं सोचता है, न गांव की समस्या के बारे में जानता है। जैसा आपको अध्यक्ष महोदय, ज्ञान होगा कि शुरू-शुरू में आई.ए.एस बनता था उसको बी.डी.ओ. की ट्रेनिंग के लिए तीन साल के लिए भेजा जाता था। तीन साल बी. डी. ओ. रहता था जिससे गांव के नजदीक रहता था, गांव की जो भी समस्याएं होती थीं उससे परिचित रहता था और गांव वालों के नजदीक रह कर उनकी बात समझता था। अब तो सीधे ही इनको फील्ड में थोड़ा दो-दो महीने लगा दिया और फार्मेलिटी पूरी हो गयी। जब तक इन आई ए एस को किसानों के नजदीक नहीं भेजेंगे, शुरू में तो जो इनका दिमाग, जो शहरी है, ब्रेन वाश करना है वह वहां जाकर होगा। जब तक इनको आप उस हिसाब से बी. डी. ओ. की पोस्टिंग नहीं देंगे तब तक काश्तकार के बारे में न तो पॉलिसी बनायी जायेगी, न काश्तकार का भला होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपके सामने बीसों ऐसे अमेन्डमेंट आये हैं उनसे एक भी काश्तकार को फायदा नहीं मिला है कम से कम जैसलमेर की जो भूतपूर्व रियासत है उसके अन्दर न तो एक भी काश्तकार ने इनको एक भी पैसा दिया है, न ही भविष्य में देंगे यह मैं आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर कहता हूं। पर ये इस बात को क्यों नहीं सोचते? अध्यक्ष महोदय, पूर्व में कई बार मुख्य मंत्रीजी ने केबिनेट के साथ भी, अलग से भी, आपके साथ भी दौरे किये हैं वहां काश्तकार ने अपने ज्ञापन दिये हैं, अपनी समस्या के बारे में आपको अवगत कराया है वहां आश्वासन भी दिये गये परन्तु वे आश्वासन कभी पूरे नहीं हुए। मदासर के अन्दर मुख्य मंत्रीजी और आप स्वयं भी मोजूद थे, अन्य मंत्री भी थे वहां काश्तकारों को बिल्कुल निश्चिन्त किया कि आप शान्त रहिये, हम आपकी समस्या के बारे बिल्कुल गम्भीरता से सोच रहे हैं और निश्चित तौर से आपको खातेदारी मिलेगी परन्तु वह खातेदारी नहीं मिली इन्होंने तो बांध कर रख दिया कि, जब तक आप पैसा नहीं देंगे हम आपको एक बीघा भी बगैर पैसे के खातेदारी नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, कितना पैसा लेंगे उनसे? आज आप देखिये, उद्योगपति कितने हैं राजस्थान के अन्दर? आर एस.ई. बी., पी. एच. ई. डी., उद्योग विभाग, आर एफ.सी. के अरबों रुपये उनमें बकाया हैं और उनसे एक धेला भी नहीं ले पाये। क्योंकि उनका इन पर प्रभाव है, असर है। इनको चुनाव में चन्दा भी लेना है इसलिये उनके खिलाफ यह कार्यवाही नहीं करते हैं। न उनसे कोई ब्याज ले पाये हैं, न ही उनके खिलाफ कुर्की कर पाये हैं परन्तु काश्तकार भोला है, अनपढ़ है, संगठित नहीं है इसलिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब जो गलती काश्तकार की बताते हैं, आज तक यह

(श्री देवीसिंह भाटी) (1.00 म. प.)

हाउस में नहीं बता पाये कि काश्तकार की क्या गलती रही है जिससे उसको खातेदारी से वंचित रखा जा रहा है। आप स्वयं परिचित जब हैं, भूतपूर्व रियासत जैसलमेर के अन्दर राजस्व का कोई रिकार्ड नही था, काश्तकार का कोई दोष नहीं है, काश्तकार वहां काश्त करता था और सैकड़ों वर्षों से काश्त करता आ रहा है। जब आपकी यह गवर्नमेंट बन गई उसके बाद आपको पता लग गया कि काश्तकार की कोई गलती नहीं है तो इसमें तो कम से कम सुधार करो काश्तकार का भला करो। आज जो शहरों के अन्दर वर्षों से कब्जे किए बैठे हैं या लेटेस्ट 81 में कब्जे करके किया है उनको तो रेग्युलराइज करने के लिए तैयार हैं। उनसे यह कीमत लेने की स्थिति में नहीं है, परन्तु उस काश्तकार के पीछे आप पड़ गये हो कि हम तो हर हालत में तुम्हारे से प्रति मुरब्बा 25 हजार रुपये लेकर ही छोड़ेंगे। अब आपने बगैर सोचे-समझे यह निकाल दिया कि आप एक एप्लीकेशन देवोगे। शुरू में जब यह बिल आया था उसमें तो 50 पैसे प्रति एप्लीकेशन टिकट लगाकर देनी थी। अब आपको किसी ब्युरोक्रेट्स ने सलाह दे दी कि साहब 500/- रुपये कर दो। 500 रुपये प्रति एप्लीकेशन कर दो। 13 हजार एप्लीकेशन हैं इतने हजार रुपये हो जायेंगे। अब 500 रुपये किस बात के आप ले रहे हैं? कम से कम आपको उससे पहले सोचना तो चाहिए कि 500 रुपये प्रति एप्लीकेशन वह काश्तकार कहां से देगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम उनको खातेदारी हक देंगे।

खातेदारी कब देंगे? जब आपके क्षेत्र में नहरें बन जायेंगी, जब आपके क्षेत्र में पानी लगना चालू हो जायेगा उसके दो साल बाद से हम किश्तें लेंगे, 16 किश्तों में जब पूरी रकम मिल जायेगी तब जाकर हम आपको खातेदारी अधिकार देंगे। उसके पूर्व में इन्होंने वसूली चालू कर दी। खातेदारी का तो कोई अता पता नहीं है। पहले प्रति एप्लीकेशन 500 रुपये जमा कराओ। काश्तकार को इतना भोला इन्होंने समझ लिया कि जितना लूटना चाहो उतना काश्तकार को लूटो। गांव वालों को लूटो। इसी में लगे हुए हैं। इसकी वजह से जो गलती हुयी वापस इस गलती को सुधारना पड़ा। इसके बारे में यह फिर सोच रहे हैं, कि यह जो 16 किश्तों में 25 हजार रु० प्रति मुरब्बा लेना चाह रहे हैं। आपको इतने वर्ष हो गये प्रयास करते हुए, किसी ने एक पैसा नही दिया और न कोई देगा। किस बात का दें? यह अभी भी सोचे हुए हैं कि हमें तो हर हालत में 25 हजार रुपया प्रति मुरब्बा लेना ही है और ले कर छोड़ेंगे। अब जब इनके सामने यह रिजल्ट आ गया, कि यह जो बिल लाये हैं इसके अन्दर जो पैसा मिलना चाहिए था आज तक पैसा क्यों नहीं मिल रहा इसके बारे में यह नहीं सोच रहे हैं। इनको यह पता होना चाहिए कि काश्तकार के पास पैसा नहीं है और उसका अधिकार है इसलिए वह पैसा नहीं दे रहा आपके पास कोई अगर एक रुपया भी जमा हुआ हो तो मुझे बता दो। भूतपूर्व रियासत जैसलमेर के किसी काश्तकार ने एक भी पैसा दिया है आपको?

(श्री देवीसिंह भाटी)

कोई नहीं देगा आपको चाहे कितना ही जोर लगा लो। वह जमीनें हमारी रहेंगी। इतना ही है. अगर आप आज यह निश्चय कर लो, क्योंकि इन काश्तकारों की कोई गलती नहीं थी, हमें इनको खातेदारी देनी है, मुफ्त में। खातेदारी देनी है, निश्चित तौर पर आपको इसका फल मिलेगा, आप की इसके अन्दर शोभा बढ़ेगी। प्रशंसा होगी और आप चुनाव में भी इसका लाभ लोगे। हम तो यह कहते हैं कि कम से कम काश्तकार की सुनो तो सही। यह कतई सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। अब इन्होंने यह 500 रुपया तो कर दिया। यह इन्होंने बांधकर छोड़ दिया कि जब आप 16 किश्त देओगे तब जाकर हम खातेदारी के ऊपर विचार करेंगे। जब कब? जब पानी आपके खेत में लग जायेगा उसके दो साल के बाद में। अब पानी की भी निश्चिन्तता नहीं है, हुकुम। अध्यक्ष महोदय, जो नहर बन रही उसकी फर्स्ट स्टेज को आप देख लीजिये। जहां इनका सिस्टम बिल्कुल कम्पलीट हो चुका है। आज जैसे पूगल ब्रांच है उसके अन्दर कुल 10 प्रतिशत इरिगेशन हो रहा है। जहां सिस्टम इनका बिल्कुल कम्पीलट हो चुका है। तो वह दिन तो हमें आने वाला दिखायी नहीं दे रहा कि कब खेत में जा कर पानी लग जायगा और किसान को खातेदारी मिल जायेगी। न तो मुख्य मंत्री जी सोच रहे हैं न हमारे राजस्व मंत्री सोच रहे हैं न यह अधिकारी सोच रहे हैं। आखिर आप कौनसी भाषा से सुनना चाहते हैं। हम अगर प्रेम से कहते हैं तो यह सुनाई करते नहीं। बार बार मुख्य मंत्री ने वहां दौरा किया है, अन्य मंत्रिगण आये हैं सबको हमने बड़े प्रेम से कहा, उन्होंने बड़ा मीठा आश्वासन दे दिया। आखिर यह पूरी नहीं करते इस प्रकार से जो भी यह बात करके आते हैं, जैसा भी आश्वासन देते हैं उसको अगर पूरा नहीं करते हैं तो काश्तकार क्या करेगा? उसको लाठी हाथ में उठानी पड़ेगी। × × × राजस्व मंत्री जी, आप इन किसानों के बारे में सोचिये। यह इस प्रकार के जो आर्डिनेंस लाते हैं इससे काश्तकार का कोई भला होने वाला नहीं है। आखिर आपको कौन सा ऐसा नुकसान हुआ जा रहा है। अभी जैसा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये बताया था कि पंचायत राज सम्मेलन बीकानेर और जयपुर में हुए, इस प्रकार से आपके करोड़ों रुपये व्यर्थ जा रहे हैं जिनका कोई भी उपयोग नहीं है अगर आप उन काश्तकारों को आज खातेदारी दे दोगे तो ऐसा कौन सा घाटा लगने जा रहा है? अगर आप उनको खातेदारी देंगे तो वह निश्चित तौर से खेत पर अपना मालिकाना हक समझेगा उस खेत को सुधारेगा उस के लिए वह प्रयास करेगा कि जल्दी से जल्दी उसमें पानी लगे वरना आज तो उसे यह लग रहा है कि जैसे ही पानी लगेगा खेत में, वैसे उसके बाद में उसको किश्त देनी पड़ेगी वरना यह तो खारिज करने वाले कार्यवाही शुरू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार समय पर इसके लिये सोच ले कि उस क्षेत्र के किसानों को हमें खातेदारी मुफ्त में देनी है तो निश्चित

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री देवीसिंह भाटी)

तौर पर इसके लिये जो भी आपको उस क्षेत्र की ओर से देना है, मैं आपको पूर्व में इन-एडवान्स बधाई दे दूं। अगर आप इस प्रकार की घोषणा करें तो। परन्तु मैं जानता हूं कि अगर आप करेंगे तो या तो बिल्कुल चुनाव के नजदीक में आकर करेंगे जिस प्रकार इमर्जेन्सी के बाद जोशी जी की सरकार जा रही थी तो जाते जाते उन्होंने मुफ्त में खातेदारी अधिकार देने के आर्डिनेंस जारी कर दिये। खैर, वह निरस्त हो गये। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह पक्का सोच रखा है कि हमें खातेदारी देनी नहीं है। खातेदारी आप देंगे नहीं तब तक हम बोलना बन्द नहीं करेंगे। और अब बोलेंगे ही नहीं अब आप दौरा करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी आपके सामने। अब आपको सिर पर हेल्मेट पहन कर आना पड़ेगा तभी आप बच पायेंगे, काश्तकार बड़ा भोला, सीधा है, अब तक तो वह आपको हाथ जोड़ जोड़ कर, मालिक कह कह कर निवेदन करता रहा है, अब आप पैरों में पड़ेंगे कि हमें बचाओ, मार रहे हैं। पुलिस भी नहीं बचा पायेगी आपको क्योंकि वह सीमा क्षेत्र है यह भी ध्यान रख लेना। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनके जो भी नीति निर्धारण करने वाले हैं, चाहे मुख्य मंत्री को निर्णय लेना है वह यह निर्णय ले लें कि हमें इनको मुफ्त में खातेदारी देनी है। अगर आपने खातेदारी के बारे में शीघ्र ही नहीं सोचा तो इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। आपने एक तलवार लटका दी—

A tenant who fails to pay the reserve price in accordance with; shall not be entitled to the grant of khatedari rights.

क्यों ? आप यह जानते हैं कि उस क्षेत्र का किसान आपको पैसे नहीं दे पायेगा, वह गरीब है, फिर आप क्यों बार-बार तलवार लटकाते हो कि हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल के समान ही है, अभी क्या अधिकार दे रखे हैं आपने। आप कभी तो यह कहते हैं कि आप एक एप्लीकेशन दीजिये। उसने जैसे भी एक किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति से लिखवाकर, जो भी अपने खसरा नम्बर और मुरब्बा नम्बर हैं वह देकर एप्लीकेशन दे दी। अब आपने एक प्रोफार्मा बना दिया। प्रोफार्मा तो वह काश्तकार भर नहीं सकता। अब उसको फिर वकील के पास जाना पड़ेगा। वकील के पास जायगा तो उसको निश्चित तौर पर 100–200 रुपये देने पड़ेंगे। यह जो आप उसको इतना कानूनी प्रक्रिया में बांधना चाहते हैं तो इससे काश्तकार का कोई भला होने वाला नहीं है। सारा आपके पास रिकार्ड है। उसकी मात्र एक एप्लीकेशन होनी चाहिए वह उसने दे दी। आपने उसमें लिख दिया कि खातेदारी मिलने के लिए ही यह एप्लीकेशन दी जा रही है यह भी उसके अन्दर भरें। यह दुबारा प्रोफार्मा बनाया हुआ है उसके अन्दर वह सारे कालम कम्प्लीट करें। वहां का काश्तकार क्या पढ़ा हुआ है ? वह खुद तो भर नहीं सकता। उसके लिए उसको वकील करना पड़ेगा। वकील का खर्चा उस काश्तकार को भुगतना होगा। तो आप उसको ऐसा लूटना चाहते हो × × × कि उसके शरीर में खून की एक बूंद नहीं बची रह

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री देवीसिंह भाटी)

जाय। आप यह सोच रहे हो। मैं कहता हूं कि खातेदारी हम लेंगे××× और खातेदारी मुफ्त में हम लेंगे। यह इस प्रकार के जो आप आर्डिनेंस ला रहे हैं, बगैर सोचे समझे, किसान का अहित करने वाले हैं। समय निकालना चाहते हैं। इस प्रकार के बार-बार अध्यादेश जारी करो और समय निकालो। जबहम उन अधिकारियों से मिलते हैं कि भाई जब ये बिल आ गया है असेम्बली में, तो आप यह खातेदारी वाली प्रक्रिया चालू क्यों नहीं करते हैं। पूर्व में तो आपने रखा कि हम ग्राम सभा का आयोजन करेंगे, वह वर्षो तक ग्राम सभा ही आयोजित नहीं हुयी। आप उस किसान को खातेदारी नहीं देना चाहते हो। ऐसा एक लालीपाप दे दिया मुंह के अन्दर कि बस चूसते रहो। मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि असेम्बली में तो, जैसी व्यवस्थाएं रही हैं पूर्व में, बड़ी शांति से हमें रहना पड़ता है वरना थोड़ा ज्यादा हमारे उग्र होने से फटाफट वह प्रस्ताव कोई आ जायेगा और सदन से निष्कासित कर दोगे। इस प्रजातंत्र में कहीं तो हम अपने तरीके से बात कहें, कम से कम हमें यहां थोड़ा बहुत मौका दीजिये, जो पूर्व में व्यवस्था रही हैं उसमें थोड़ा और रिलेक्सेशन कीजिये। हमें उन बेंचेज तक तो पहुंचने दीजिये उसके बाद हम निपट लेंगे जैसे भी हमें खातेदारी मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह आशा करता हूं कि आप उस काश्तार की पैरवी करेंगे कि हमें मुफ्त में खातेदारी दिलवायेंगे इस प्रकार के जो आर्डिनेंस आप बार-बार किसान को परेशान करने के लिए जारी करते हैं, इससे किसान को बहुत परेशान होना पड़ता है। बीकानेर तहसील, गंगानगर जिले के बेचारे कई लोगों ने 500–500 रुपये जमा करा दिये....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : जिसने जमा करवा दिये वह तो फंस गया। राजकोष में जो एक पैसा भी आ गया वह निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अब कैसे उसे 500 रुपये वापस मिलेंगे। बार-बार चक्कर काटो, यह प्रक्रिया पूरी करो, यह कमी रह गयी। यह खामी रह गयी है। यह कालम पूरा करो। वह 500 रुपये जो उसने जमा कराये हैं वह निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। आपने तो सिर्फ दो पेज का आर्डिनेन्स निकाल दिया और उस काश्तकार को फंसा दिया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : समाप्त किस को करूं। वह तो उधर बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कई बार आपके सामने आयेगा अभी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कई बार तो आ चुका है पर आखिर इसका कब जाकर हमें फल मिलने वाला है ? यह सरकार उस बारे में सोच भी रही है तब भी हम मानें। परन्तु यह तो हमें बार-बार बांधे ही जा रही है।

श्री अध्यक्ष : उनका उत्तर सुन लीजिये उसके बाद यह प्रस्ताव आ रहा है कि इसको

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। उसके बाद और प्रक्रियाएं होंगी आप उस वक्त बोल लें। मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अध्यादेश संख्या 4/1984, अध्यादेश संख्या 5/1984 को परिनियत संकल्प द्वारा अस्वीकार करने के लिये निवेदन किया और इस संबंध में अपने आर्गूमेंट्स यहां प्रस्तुत किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबंध में केवल इतना ही निवेदन है कि जो अध्यादेश निकाले गये हैं वह कोई नीति का निर्णय करने वाले अध्यादेश नहीं हैं। जो इस सदन ने एक्ट बनाया है उस एक्ट के अन्दर कुछ काश्तकारों को जो निर्धारित समय के अन्दर लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाया। उस क्षेत्र के काश्तकारों का यह रिप्रेजेंटेशन आया है कि हमें कुछ और मौका दिया जाय। इस दृष्टि से समय बढ़ाने के लिये यह अध्यादेश हमने जारी किया है। सेक्शन 15एएए में और सेक्शन 42ए में भी समय बढ़ाने के लिए है। जो अलग-अलग समय निर्धारित था उस समय वे दरख्वास्तें दे नहीं सके, उसका उनको लाभ नहीं मिल सका, उनको और लाभ देना चाहते हैं। इसलिये राज्य सरकार ने सोचा कि किसानों को उसका लाभ मिले, इस दृष्टि से समय बढ़ाने के लिये मैं अध्यादेश लाया हूं।

दूसरी बात, जो माननीय सदस्य कहते हैं, इस अध्यादेश में हमने की है वह भी किसानों के लाभ की दृष्टि से है। हमने जो 15एएए के अन्दर फिक्स्ड अमाउन्ट 25 बीघा जमीन, एक मुरब्बा के अलावा जमीन रखने के लिये रखा था। वह अमाउंट पहले एक साथ लेने की बात थी, उस अमाउंट के अन्दर जब ये सवाल आया कि वे एक साथ पे नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में उनको लाभ देने की दृष्टि से उसकी 16 इन्सटालमेंट की हैं। 16 इन्सटालमेंट भी हर छमाही इन्सटालमेंट के हिसाब से पहली जनवरी और पहली जुलाई को जमा हों। यह सहूलियत उनको देने के लिये है कि वह 8 साल में इस अमाउंट को जमा करायें। वह 16 इन्सटॉलमेंट भी तब शुरू होंगे जब कि उस क्षेत्र में नहर का पानी आ जाय और पानी आने के बाद फसल देना शुरू करें तो दो साल और निकलें उसके बाद वह इन्सटॉलमेंट शुरू करके एक रियायत दी है किसानों को। उस दृष्टि से यह अध्यादेश लाये गये थे। यह उन किसानों की मांग के आधार पर वहां से डेपूटेशन आये, रिप्रेजेंटेशन आये उसके आधार पर ये अध्यादेश जारी किये गये हैं। उनके हित के अन्दर जारी किये गये हैं, अहित के अन्दर जारी नहीं किये गये हैं या कोई काम्प्लीकेशन और पैदा करने के लिये नहीं किये गये हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बार-बार इस। ककक के लिये इस सदन में आर्डिनेंस आता है। तो यह 15ककक या 15एएए जो भी इस एक्ट के अन्दर सेक्शन आया है वह केवल उन लोगों के लिये खातेदारी राइट्स देने के लिये है जिनको खातेदारी राइट्स अब तक नहीं मिले हैं। कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत उनको खातेदारी राइट्स देने के लिये लाया गया। उन्हें खातेदारी राइट्स देने के लिये समय-समय पर हमने वहीं इसमें संशोधन करने की कोशिश की है जो किसानों के

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हित के अन्दर हो। ओ. डी. सी. (odc.) के आधार पर और कहीं कोई संशोधन नहीं किया गया है जिससे 15कक के अन्दर और कोई काम्पलीकेशन या ऐसी कोई और चीज आ जाय जिससे और काम्पलीकेटेड बन जाय और किसानों के लिये अलाभकारी हो जाय। ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं की है। उस दृष्टि से यह लाया गया है।

जहां तक 500 रुपये के लिये कहा गया है, 500 रुपये दरख्वास्त के साथ देने की बात थी। तो पहले जब शुरू किया था इसमें फर्स्ट इन्सटॉलमेंट 500 रुपये एप्लीकेशन के साथ देने की बात थी। लेकिन जब यह अनुभव हुआ कि दरअसल उसको 500 रुपया पहले एप्लीकेशन के साथ देना वाजिब नहीं है तो जिस दिन फर्स्ट इन्सटॉलमेंट शुरू हो, उसकी एप्लीकेशन एक तरह से एडमिट हो जाय इस बात के लिये कि एप्लीकेशन कंसीडर करने के लिये ठीक है तब उनसे 500 रुपये देने की बात की ताकि तब तक उसको 500 रुपये देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिये, कोई एप्लीकेशन धारा में आ नहीं सकती, खारिज हो जाय तो 500 रुपये किस बात के लिये जायें। यह एक सहूलियत दी है। तो उसमें कहीं पर भी यह नहीं किया गया कि उन पर कोई बर्डन डाल दिया, मार डाल दिया।

माननीय सदस्य का यह कहना है कि उनको खातेदारी राइट्स तो उनके राइट्स के हिसाब से पहले ही दे दिये जायं, बिल्कुल मुफ्त में दे दिये जाने चाहिये। इस बारे में जब 15एएए हाउस में इन्ट्रोड्यूस किया गया था, जब राइट्स देने की बात थी तब सदन में काफी बहस हुई थी और उसके बाद सदन ने सोच-विचार कर इसको पास करके एक्ट बनाया है। जिसके अन्दर यह बात तय की गयी है कि एक मुरब्बा उनको मुफ्त में दे दिया जाय और उसके अतिरिक्त आगे सीलिंग की लिमिट तक एक मुरब्बा, जो भी हो, उस खातेदार को अपने फिक्स्ड अमाउंट, जो उस इलाके की राशि निश्चित की हुई है, के आधार पर देकर पैसा करके दी जाय। उस इन्सटॉलमेंट के आधार पर जो अभी नया बिल मैं इन्ट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और सदन स्वीकार करने जा रहा है आज की तारीख में, उसके आधार पर ये किश्त ले करके उसको जमा करने जायेंगे। इसलिये कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, जो आप कहते हैं मुफ्त में दे दीजिये। एक मुरब्बा मुफ्त में दी। चूंकि इसका पैसा इसलिए लिया जा रहा है कि यह जमीन वैसी की वैसी नहीं रहने वाली है जैसी अपनी जमीन शुरू से आप लेकर चल रहे हैं। जो कुछ भी जमीन आपको मिलने वाली है उस जमीन के ऊपर करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके राजस्थान सरकार पानी ला रही है, भारत सरकार की मदद से। जो राजस्थान कैनाल का पानी जायगा उससे उस जमीन की कीमत स्वतः कई गुणा बढ़ जायगी। ये आप भूल जायं कि आपको जमीन उसी हालत में मिलने वाली है जिस हालत में इतनी पीढ़ियों तक वे जमीन आपके पास रही हैं। उस जमीन के ऊपर बहुत सारा लाभ आपको मिलने वाला है, उस लाभ के कारण आज ये पैसा लगाने की जरूरत पड़ी है। इसमें पैसा लगाने की जरूरत का सवाल पैदा नहीं होता इसलिये बिल्कुल ठीक है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

वहां के काश्तकार जैसा आप कहते हैं, आप प्रवोक करना चाहते हैं, प्रवोक होने वाले काश्तकार नहीं हैं। मैं कहता हूं, मैं आऊंगा आपके क्षेत्र में....

श्री देवीसिंह भाटी : एक पैसा नहीं मिला है अभी तक, न मिलने वाला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। वह अलग बात है। माननीय सदस्य विषय से हट रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने आपकी बात को बहुत धीरज से सुना है। आप कितना ही प्रवोक करें, उस क्षेत्र के काश्तकार सहनशील हैं, अच्छे काश्तकार हैं राजस्थान के। वे आपकी भाषा से प्रवोक होने वाले नहीं हैं। उसी काश्तकार के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और जिस तरह से उन्होंने स्वीकार किया है इस बात को उस आधार पर इसको अमेंड करके यहां पर पेश किया है। इसलिये कोई खतरा नहीं है। आप ये प्रवोक करने की भाषा बोल कर क्षेत्र के अन्दर वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, यह आपके लिये भी शोभाजनक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, राजस्थान के लिये भी अच्छी बात नहीं है, सदन के लिये भी अच्छी बात नहीं है। माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें प्रवोक करने की भाषा का प्रयोग न करें वह आपके, हमारे, सबके हित में होगा, सबके लिये लाभकारी होगा। न कोई राजस्थान में ००० बनने वाला है, न कोई दूसरा बनने वाला है। देवीसिंहजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य, आप कितना भी कहें राजस्थान में वह स्थिति आने वाली नहीं है। आती है तो राजस्थान सरकार सक्षम है उस स्थिति का मुकाबला करने के लिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जो यह कहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, शान्ति से बात सुनें। अंकित न हो।

श्री त्रिलोकसिंह : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि अब तक एक भी पैसा इस एक्ट के बाद या इस आर्डिनेंस लाने के बाद राज्य सरकार को नहीं मिला। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपको करेक्ट कर दूं बीच में, भूतपूर्व जैसलमेर....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। बाधा न डालें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह भी नम्बर आयगा। जैसलमेर वालों के हिसाब से ही किया है। 28,48,929 रुपया इस वक्त राजस्थान सरकार को मिल चुका है और 19,242 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। उसमें से चार-साढ़े चार हजार एप्लीकेशन डिस्पोज

---

००० शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

माफ हो चुकी हैं, 14,735 एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग हैं। तो यह कहना कि इस अध्यादेश के निकलने के बाद या प्रोविजन लागू करने के बाद या इस अध्यादेश के निकाल देने के बाद राज्य सरकार को कुछ नहीं मिला, राज्य को कुछ नहीं मिलने वाला, व्यर्थ की बात है इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो परिनियत संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसे अस्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रत्युत्तर में कुछ कहना चाहेंगे।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : मुझे बोलने का मौका दिया जाय। मुझे बोलना है

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपसे सम्बन्धित नहीं है। आपका कोई प्रस्ताव नहीं है। समय समाप्त हो चुका है। प्रत्युत्तर देना चाहें तो।

श्री त्रिलोकसिंह : मुझे बोलने दीजिये....

श्री अध्यक्ष : बहस का समय समाप्त हो चुका है। प्रत्युत्तर देना चाहें तो नियमों को देखें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा ही....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया विधेयकों को पारित करने की जो प्रक्रिया है उन नियमों को देखें। इसमें और अवसर आगे भी मिलेंगे। मैं अवसर दे दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही करेक्ट कर देना चाहता हूं, मैंने यह निवेदन किया था कि भूतपूर्व रियासत जैसलमेर से आपको एक पैसा भी नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, यह ...

श्री अध्यक्ष : ये विचारणीय विषय नहीं है। माननीय सदस्य, विषय से हटकर बात कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : इन्होंने जो फरमाया कि 500 रुपये हमने जो लिये हैं, जैसा आपके माध्यम से इन्होंने कहा, 500 रुपये लिये तो किसान के हित में लिये हैं। इसमें कैसा हित है, थोड़ा मुझे भी किसानों का हित बताइये।

श्री अध्यक्ष : आपने....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात के बाद में यह सदन को गुमराह करना चाहते हैं कि हमने तो यह काश्तकार के हित में किया है कि 500 रुपया प्रति एप्लीकेशन ले रहे हैं। × × × किस बात पर ले रहे हो? बिल्कुल आपने यह कहा है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कितनों से ले लिये और कितनों को छूट दे रहे हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया?

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायं।

अंकित न हो।

कृपया बैठ जायं।

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्रीमती उजला अरोड़ा एवं श्री देवीसिंह भाटी ने जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : चौथी-पांचवीं बार कह रहे हैं, हां पक्ष जीता, ध्वनि-मापक यन्त्र लगवा लीजिए। इनके स्वर हैं ही नहीं। मनोबल से स्वर निकलता है इनका मनोबल ही नहीं है इसलिए इनके स्वर ही नहीं निकलता। हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : ना पक्ष जीता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां पक्ष जीता, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अभी बहुत अवसर आयेंगे, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह परिनियत संकल्प का अवसर है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्या। ना पक्ष जीता।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे माननीय श्री गोपाल पचेरवाल, श्री देवीसिंह भाटी व श्री भंवरलाल शर्मा कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किये कि धारा 15 (क क क) को कई बार सदन के सामने विचारार्थ लाया गया है और कई बार इसमें संशोधन किये हैं, अब भी संशोधन कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि आपके बस की बात नहीं कानून बनाना। आपने बहुत विचार करने के बाद भी सदन को ऐसा व्यवस्थित कानून नहीं दिया जिसमें अमैण्डमैण्ट की आवश्यकता नहीं पड़े। अब भी जो अमैण्डमैण्ड आप लाये हैं, मैं निवेदन करूंगा आगे आपको इसमें और अमैण्डमैण्ट करने पड़ेंगे। जब आप से कानून नहीं बन सकता, आप कानून नहीं बना सकते

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ठीक से, डिफेक्टिव कानून लाते हैं जिसमें बार-बार अमैण्डमैण्ट लाना पड़ता है, सदन का समय खराब करते हैं. माननीय सदस्यों का भी समय जाता है तो आप इसको जनता में भेज दीजिए। जनता अपनी बुद्धि से, विवेक से आपको एक ऐसा कानून बनाकर दे देगी जिसमें फिर शायद संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यह अच्छा भी होगा। आपने इस कानून में इस संशोधन का आर्ग्यूमेण्ट यह दिया है कि आपको विभिन्न लोगों से रिप्रजेंण्टेशन मिले हैं, लोग आपके पास आये हैं, उन्होंने कुछ बातें सुझायी हैं उन सुझावों को स्वीकार करने के बाद आपको यह लगा कि इसमें संशोधन करना आवश्यक है तो आपको खुद तो लगा नहीं कुछ, खुद की समझ में आया नहीं। जब लोग आप से मिले, काश्तकार, जो प्रभावित होंगे, मिले, बुद्धजीवी मिले और उन्होंने कहा, श्रीमन्, इस कानून में यह संशोधन करिये तब आपको समझ में आया कि यह संशोधन करना चाहिए। ऐसी स्थिति आगे नहीं बने इसलिए मेरा यह निवेदन है. इससे पूर्व कि फिर आप यहां लोगों की हंसी का पात्र बनें, जैसे अभी माननीय सदस्यों ने आपकी की, हालांकि आपकी जो योग्यता है उसमें कोई कमी नहीं है लेकिन पता नहीं क्या है ? या तो आपको समय नहीं मिलता या आप अधिकारियों पर ही सारा छोड़ देते हैं, मेरा सुझाव है, विनम्र निवेदन है आप से कि जिन लोगों के सुझाव पर यह संशोधन आप लाये हैं उनको पूरा मौका दे दीजिए कि आप इस पर विचार करें कि क्या-क्या परिवर्तन करने आवश्यक होंगे। इससे काश्तकारों को भी लाभ होगा, विधान सभा में भविष्य में संशोधन नहीं लाना पड़ेगा। इसमें यदि आप आम जनता की बुद्धि का उपयोग करेंगे, इससे सम्बन्वित लोगों के विचार ले लेंगे तो इससे आपका अहित नहीं होगा, मैं समझता हूं, हित ही होगा इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, जिन लोगों के सुझाव, प्रस्ताव पर आप यह संशोधन लाये हैं. उनको फिर से मौका दीजिए, उनसे विचार-विमर्श कीजिए, जो सम्बन्धित लोग हैं उनको बुला लीजिए, बुला कर एक ऐसा त्रुटि-रहित बिल यहां लाइये, मैं समझता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। यह आपके लिए भी ठीक रहेगा, आप जिन लोगों के लिए यह कानून बना रहे हैं उनका भी हित होगा। यही मेरा आपसे निवेदन है।

इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को तीन दिन के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। समय भी ज्यादा नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष : उस स्थिति तक तो नम्बर ही नहीं पहुंचेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब अगर आप यह समझते हैं कि वहां यह बात नहीं पहुंचेगी तो उदारतापूर्वक इसमें समय बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी निवेदन किया मैंने, यह बिल जो मैंने प्रस्तुत किया है इसमें कोई नीतिमूलक

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बात नहीं है। इसमें केवल एक प्रोसिजरल बात है। हमने समय दिया था कि इस समयावधि तक यह काम पूरा हो जाय। चूंकि किसानों का वह काम उस समयावधि तक पूरा नहीं हो सका जो कि राज्य सरकार की ओर से करने का नहीं था बल्कि सामने वाली पार्टी, हमारे किसान भाइयों, जिनको खातेदारी राइट्स लेने थे, की ओर से करने का था। इसके लिए उनको और समय मिल जाय और अपने हक भी प्राप्त हो जायं, इस दृष्टि से यह अमैण्डमैण्ट लाया गया है। यह कोई नीतिमूलक अमैण्डमैण्ट नहीं है जिसमें काबलियत, योग्यता की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, कानून के अधूरेपन की बात कर रहे हैं। कानून अधूरा नहीं है, कानून तो पुख्ता है, पूरा है, कानून में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। केवल वह कानून पूरा हो जाय, सब लोगों को उसका फायदा मिल जाय, उस परिधि से बाहर कोई नहीं रह जाय इस दृष्टि से इसका समय बढ़ाया है ताकि जो लोग रह गये हैं वह भी परिधि में जाकर लाभ ले लें। वह समय बढ़ाने वाली बात है। इसलिए इसमें जनमत जानने जैसी चीज है ही नहीं। जनमत जानकर खातेदारी राइट्स देने, नहीं देने जैसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है। कानून को पूरा इम्प्लीमैण्ट करने की बात है। आप कहते हैं, पूरा इम्प्लीमैण्ट नहीं कर पाये। इम्प्लीमैण्ट तो हमने किया है लेकिन जिन लोगों को स्वतः आना था लाभ लेने के लिए वह नहीं आये। उनके लिए समय दे रहे हैं कि वह आ जायं और पूरा लाभ ले लें। मैं नहीं समझता कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने की आवश्यकता है, इसलिए जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको अस्वीकार करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव जो श्री भंवरलाल शर्मा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार। खण्ड–2।

श्री भंवरलाल शर्मा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज-2 में यह संशोधन दिया है:— 'In sub-clause 2 for the expresion. '515 days' sought to be substituted, the expression "two years" shall be substituted. आप जो संशोधन लाये हैं उसमें आपने समय दिया है 515 दिन। मैं समझता हूं, यह कानून आप बना रहे हैं काश्तकारों के लिए। आप यहां

(श्री भंवरलाल शर्मा :)

बैठे पढ़े लिखे लोगों से पूछेंगे, कितने दिन होते हैं, 515 दिन का क्या मतलब, 515 दिन कब पूरे होंगे, कितने महीने लगेंगे तो वह भी ठीक जवाब नहीं दे पायेंगे। महीनों में, दिनों में, पखवाड़ों में कैसे होगा ? जिस काश्तकार को आप यह कहेंगे, आपकी मियाद 515 दिन के लिए है तो उसको याद ही नहीं रहेगा कि 515 दिन क्या होता है। फिर 515 दिन आपने उसके लिए किया है जब कि पढ़े लिखे लोगों के लिए मुश्किल होगा। आप कैसा हास्यास्पद अमेंन्डमेन्ट लाते हैं। आप इसको महीनों में लिख सकते थे। सालों में लिख सकते थे। पहले आपने एक साल किया था अब एक साल हटा दिया और 515 दिन किया। यह कौन सी गिनती होती है ? अगर कोई 8वीं 10वीं क्लास का विद्यार्थी यह पूछे कि साहब, कितनी देर में आओगे, आप कहें कि 170 मिनट में। तो वह कहेगा कि क्या गणना नहीं आती घण्टों की, मिनटों की ? कितने पैसे लगे ? साहब 565 पैसे में यह चीज आयेगी। वह कहेगा, रुपए पैसे में नहीं कर सकते हैं क्या ? 100 पैसे जहां खतम होते हैं वहां रुपया शुरू हो जाता है। मंत्री महोदय, इसका उत्तर आपको देना होगा। मुझे समझाइये, 515 दिन किस तरह से, किस हिसाब से ? क्या यह ज्योतिषी ने बताया है, शुभ अंक है ? क्या है यह 515 ?

(म. प. 1–30)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

क्या करेंगे ? यह भी कोई आपको ज्योतिषी का बताया मंत्र हो तो तब तो मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं है वरना तो इसको 515 दिन आपको नहीं रखना चाहिए मेरा तो सुझाव यह है कि इसको 515 की बजाय आप 2 साल कर दीजिए। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप खुद यह मानकर इस कानून को लाये हैं कि जो समय हमने दिया था उस निर्धारित समय में जिन लोगों के लिए यह कानून बनाया है उसका वह काश्तकार लाभ नहीं उठा सके। इसलिए आपको यह मियाद बढ़ानी पड़ी है। तो मेरा सुझाव यह है कि 17 महीने कोई तुक नहीं है, किसी बात को 515 दिन और 17 महीने से मतलब नहीं है। काश्तकार को आप यदि यह कहेंगे कि भई, अब यह तेरी मियाद 2 साल हो गई है तो वह समझ जायेगा कि 2 साल कब होंगे, वह गिनती लगा लेगा। इतनी गिनती तो वह कर सकेगा। दो साल तो समझ में आता है। मेरा निवेदन है कि दुबारा आपको यह संशोधन मियाद बढ़ाने के लिए न लाना पड़े इसलिए पहले इतना समय दे दीजिए कि आपको भी दिक्कत नहीं हो और उसको भी सहूलियत मिल जाये। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो आपने 515 दिन किये हैं इसकी बजाय आप इसको 2 साल कर दीजिये। एक तो मेरा सुझाव यह है।

दूसरा मेरा संशोधन प्रस्ताव है, "In Sub-clause (d) the word sixteen" shall be substituted by the word "twenty". आपने किश्त का लगाया है कि वह 16 किश्त देगा। एक साल में दो किश्तें देगा। 16 भी मैं समझता हूँ कि पर्याप्त नहीं है। गरीब काश्तकार है और यह राउन्ड फीगर भी नहीं है इसलिए इसको आप 20 किश्तें कर दीजिए। काश्तकार बिस्वा समझता है, 20 बिस्वा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

समझ में आ जायेगा उसको। 20 का अंक भी समझ में आ जायेगा कि भाई, उसको 20 किश्तें देनी हैं। वह देना भी उसके लिए सुगम होगा। यदि आपके मन में इनके प्रति यही भावना है कि इन काश्तकारों को रिलीफ मिले, जो कानून आप बना रहे हैं उस कानून का वह लाभ उठा सके तब तो उसको 16 की बजाय 20 किश्तें करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसकी इजी इन्स्टालमेन्ट्स हो जायेगी और वह आपका पैसा भी जमा करा सकेगा। यदि आपने फिर इसमें खींच-तान की तो काश्तकार फिर आपके पास आयेगा और चुनाव के दिनों में जरूर आयेगा। वह नहीं आयेगा तो आप पधारोगे। जब आप जायेंगे, भाटी साहब तो चले गये, तब वह तो शायद नहीं होगा लेकिन वह यह मांग जरूर करेगा और यह कहेगा कि यदि आप यह कर दो तो वोट लो। उस वक्त आप कहोगे कि तुमको जो कुछ भी मांगना हो सो मांगो हम तो इस वक्त तुम्हारे ही दास हैं। उस समय यह स्थिति आपकी बने इससे पहले ही आप यह कर दीजिये कि उसको इसके लिए पूरा समय मिल जाये और दरख्वास्त देने के लिए भी समय मिल जाये।

आपने एक बात और की है। मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ कि आप यह संशोधन लाये हैं टिनेन्सी एक्ट में, पहले तो 50 पैसे की फीस पर वह एप्लीकेशन्स दे सकता था, अब

"In sub-section (3), for the expression "bearing a court fee of fifty paisa being made", the expression "being made, in such form and in such manner as may be prescribed shall be substituted",

तो आपने यह प्रेसक्राइब्ड कर दिया है या नहीं कर दिया है, यह आप बता देंगे तब मैं अपना उत्तर दूंगा। आपने कोई प्रेसक्राइब्ड कर दिया है क्या? अब यह कोई आपने प्रेसक्राइब्ड नहीं किया। अभी तक प्रेसक्राइब्ड ही नहीं किया है आपने। पहले तो आप इसको प्रेसक्राइब्ड करेंगे, प्रेसक्राइब्ड करने में समय निकल जायेगा। जो सामान्य नियम आपने बनाया था, एक तरीका था कि 50 पैसे के स्टाम्प पर वह दरख्वास्त दे देगा उसको तो आपने हटा दिया। अब एक प्रक्रिया तय करेंगे कि एक फार्म होगा या कोई तरीका होगा जिसके अनुसार वह एप्लीकेशन दे सकेगा। वह अभी आपके मस्तिष्क में ही नहीं है। It is not pregnant in your mind also. वह जो नहीं है और आप उसको लायेंगे

श्री हीरालाल देवपुरा : It is already. No question of pregnancy, it is delivered.

श्री भंवरलाल शर्मा : तो उस स्थिति में उस काश्तकार को और लम्बी प्रक्रिया में जाना होगा, जो समय उसको चाहिये उससे अधिक लगेगा। तो जो पहले वाला आपका प्रावधान है कि 50 पैसे की दरख्वास्त देकर पीछा छूट जाये उसको इतना लेंदी क्यों बनाते हैं? और

-(भंवरलाल शर्मा)

तरीका आप क्यों अपना रहे हैं? कोई कठिनाई आपके सामने आई? पहले जो तरीका था जिसके अनुसार वह अपनी एप्लीकेशन दे सकता था उस एप्लीकेशन देने में उसको कोई दिक्कत खड़ी हुई या आपको कोई दिक्कत आई ताकि आप इस प्रक्रिया को जटिल बनाना चाहते हैं? या कोई और आप तरीका बनायेंगे जिस तरीके के आधार पर फार्म के आधार पर वह आपको अप्लाई करेगा। एक सीधा सा तरीका था कि भाई 50 पैसे देगा और वह एप्लीकेशन दे सकेगा। उसको आप क्यों बदलना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम काश्तकार को राहत देना चाहते हैं, प्रक्रिया को सरल करना चाहते हैं परन्तु उसके विपरीत आप यह आचरण कर रहे हैं।

तो मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है है कि अगर जिद का सवाल नहीं हो, प्रतिष्ठा का सवाल नहीं हो, यदि ज्योतिषी की कोई भविष्यवाणी शुभ काम के लिये नहीं हो रही है तो आप 515 दिन की बजाय इसको 2 साल कर दीजिये और किश्त को 16 की बजाय 20 कर दीजिए ताकि 20 किश्तों के बाद वह अपना पीछा छुड़ा सकें। 50 पैसे में जो आपने उसकी एप्लीकेशन देने का एक तरीका रखा था उस को कृपा करके मत बदलिये क्योंकि काश्तकार को यह अभ्यास हो गया आपने कहा कि लाखों लोगों ने दरख्वास्त दी; लाखों रुपया इकट्ठा हो गया कई लोगों ने दरख्वास्तें दी होंगी जो यह प्रक्रिया उन किसानों के समझ में आ गई, काश्तकार असल में करता यह है कि जो उसकी जानकारी होती है, जो उसको मालूम होता है वह अपने मित्रों को कई लोगों को बताता रहता है। उसने गांव में जा कर कहा कि भई, 50 पैसे जमा कराओ तुम्हारी दरख्वास्त लग जायेगी। अब तक उसने यह समझाया। इसके कारण जो काश्तकार वर्ग है वह यह समझ गया कि 50 पैसे की एप्लीकेशन लगेगी और मेरा काम हो जायेगा। अब आप उसको बदल देंगे तो फिर नये सिरे से काश्तकार को वह सारी बात समझनी होगी और उस प्रक्रिया में से उसको निकलना होगा जो जटिल उसके लिये होगा। आपको क्या कठिनाई होगी, केवल इस प्रक्रिया को बदलने से क्या सहूलियत मिलने वाली है? हां यह ठीक है कि भाई किसान आसानी से दरख्वास्त नहीं दे सके, आपके कोई सरपंच जो आपकी जाति-बिरादरी के हैं उनके ही चुंगल में वह फंसा रहे, उनके ही पास जाकर दरख्वास्त लिखवानी पड़े यह अगर आप करना चाहते हो पालीटिकल रीजन्स से तो आप जरूर अड़िये, जिद करिये क्योंकि आपकी पार्टी का सवाल है। आप उसको इन्हीं तरीकों से सीधा रखना चाहते हैं। जिसकी संभावना अब बिल्कुल नहीं रही है। खैर, वह आपका अलग विषय हो सकता है, आप करिये। पर मेरा यह निवेदन है कि इस प्रक्रिया को सीधी रखिये। 515 दिन के बजाय इसको महीनों में, सालों में बांधिये और 16 किश्तों के बजाय 20 किश्तें कर दें यह मेरा संशोधन है यही मेरा निवेदन है।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं इसलिये कि 515 दिन को अगर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आपने मूल एक्ट तारीख से गिन लिया होता तो 31 दिसम्बर, सन् 1984 आता है ।

(व्यवधान)

मैडम सुनिये ना, ऐसी जल्दी क्या है । 31 दिसम्बर, सन् 1984 आता है व केलकूलेट किया हुआ है । उस डेट का काफी प्रचार-प्रसार कर दिया गया है । इसलिए यह जो आपने कहा कि अभी आपके दिमाग में नहीं है । यह तो आर्डिनेन्स के द्वारा लागू हो चुका है और उसके अन्तर्गत यह एप्लीकेशंस आ रही थीं । वहां के काश्तकारों सब को मालूम है कि जो मियाद 515 दिन की इसमें दी है वह 31 दिसम्बर, 1984 है । यह मियाद पूरी पर्याप्त है जिस तारीख को वह आर्डिनेन्स निकला उस तारीख से जिस तारीख को आर्डिनेन्स निकला है उस तारीख से यह मियाद पर्याप्त है । एप्लीकेशन्स उस हिसाब से काफी आ रही हैं । उसके अन्दर काफी गति आई है, तेजी आई है । इसलिये मैं समझता हूं कि 31 दिसम्बर तक एक सीमा तो इसकी रखनी पड़ेगी । आपने 2 साल कहा । तो 515 की जगह यह 730 हो जायेंगा । 215 दिन ही और बढ़ेंगे, कोई ज्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो बढ़ा दीजिये ।

श्री हीरालाल देवपुरा : 215 दिन बढ़ेंगे उससे आखिर एक दिन तो निश्चित करना पड़ेगा, कोई एक सीमा तो इसको लगानी पड़ेगी । उस सीमा तक भी नहीं होता है तो आगे मानना पड़ता है कि उस वक्त क्या सरकम्स्टांसेज होंगे और क्या सरकम्स्टांसेज नहीं होंगे, यह मैं आज नहीं कह सकता । लेकिन यह जो 515 दिन की मियाद दी गई है वह 31 दिसम्बर, 1984 तक की दी गई है । निश्चित तारीख उसकी है । इस तारीख के हिसाब से इसकी सारी पब्लिसिटी की गई है और उस हिसाब से आज कार्यवाही चल रही है । इसलिए इसमें और अधिक मियाद बढ़ाने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता । मैं समझता हूं कि इस अवधि तक यह दरख्वास्तें वगैरह सब की पूर्ति हो जायेगी ।

दूसरा संशोधन आपका यह है कि 16 इन्स्टालमेन्टस् की बजाय 20 इन्स्टालमेन्टस् कर दिये जायं । 16 इन्स्टालमेन्टस् और 20 इन्स्टालमेन्टस् में से कोई आज फर्क नहीं पड़ता । 16 इन्स्टालमेन्टस् के हिसाब से हमने इसको जारी कर दिया इसलिए इसमें कोई तरमीम करने की जरूरत भी नहीं है । 16 इन्स्टालमेन्टस् भी हमने शुरु की हैं तत्काल एप्लीकेशन देने की तारीख से नहीं बल्कि जब पानी वहां आ जायेगा, जो इर्रिगेटेड एरिया है, जो नहरी इलाका है जहां नहर जायेगी वहां के लिये है जब पानी वहां आ जायेगा, पानी आने के बाद दो साल का समय उसको और दिया है उसके बाद हमारी इन्स्टालमेन्टस् शुरु होंगी । वह तो काफी लम्बी इन्स्टालमेन्टस् हैं इसलिये उसमें भी कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है कि जिनकी बजह से 16 के बजाय 20 उसको करने की आवश्यकता हो । मैं उसको 20 करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता ।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

वैसे आपने संशोधन तो दिया नहीं लेकिन चर्चा के अन्दर यह विषय उठाया कि 50 पैसे का जो एप्लीकेशन के ऊपर स्टाम्प टिकिट लगाने की बात की थी वह हमने इसमें से हटा दिया वह इसलिये किया कि वह डुप्लीकेसी थी। इसका जो शिड्यूल बना हुआ है उसके अन्दर 50 पैसे दिये हुये हैं। जो प्रेसक्राइब्ड इसका जो आप बात कर रहे है, हमने उसके रूल्स, फार्म वगैरह सब प्रेसक्राइब्ड कर दिये। इसलिये कि यह आर्डिनेन्स लागू हो गया था और उस आर्डिनेन्स के तहत कार्यवाही चल रही थी। उसी आर्डिनेन्स का यह बिल आया है। उसमें कोई संशोधन नहीं किया कि आर्डिनेन्स के बाद बिल के अन्दर कोई नयी चीज ला दी हो जो अब प्रक्रिया हमको प्रारम्भ करनी हो। यह सारी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है और लागू है। इसलिये किसी प्रकार की कोई तरमीम करने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री भंवरलाल शर्मा ने खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 और 4 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 और 4 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 और 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किया जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मन्त्री जी।

विधेयक का पारण

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, आप स्वयं किसानों की परिस्थिति से, किसानों के संकट से भलीभांति परिचित हैं। माननीय मन्त्री महोदय किसी जाति विशेष के हों, कोई भी व्यवसाय इनका

(श्री चन्द्रवीरसिंह)

हो लेकिन राजस्थान की जो परिस्थिति है उससे मन्त्री महोदय भी भलीभांति परिचित हैं। भूतपूर्व जैसलमेर रियासत के किसान जिस भूमि पर आज बसे हुए हैं वह कोई एन्क्रोच करके नहीं बसे हुए हैं। सभापति महोदय, वह किसान उस भूमि पर पांच सौ साल, सात सौ साल से काबिज हैं। उनका दुर्भाग्य है कि भूतपूर्व रियासत में कोई रेवेन्यू रिकार्ड नहीं था, रेवेन्यू रिकार्ड नहीं होने के कारण आज वह किसान विषम स्थिति में फंसे हुए हैं। केवल मात्र यही कारण है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, क्या किसान का यह दोष है ? कतई नहीं। माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया कि बिल पास हुआ उस समय 15एएए के बारे में सदन में बहुत बहस हुई और बहुत बहस करने के बाद हमने इस बिल को पारित किया। सभापति महोदय, जब पहले यह बिल पारित किया था तब इसमें रिजर्व प्राइस की बात नहीं थी। कहीं यह बात नहीं की गई कि जैसलमेर रियासत के भूतपूर्व किसानों से या किसी भी किसान से रिजर्व प्राइस ली जायगी। सभापति महोदय, मैं तो आपसे यह कहना चाहूंगा कि जैसलमेर के काश्तकारों से रिजर्व प्राइस लेने के बजाय इस जमीन की उनको कीमत देनी चाहिये जिसको उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से सुरक्षित रखा। सभापति महोदय, कमजोर भूमि है। कुछ उपजता नहीं है, हर साल तकरीबन अकाल पड़ता रहता है और अकाल से पीड़ित किसान है। जो आपने 16 किश्तों की बात कही है वह देने में वह कतई सक्षम नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कम से कम जैसलमेर भूतपूर्व रियासत का जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी से काबिज काश्तकार है उससे एक पैसा भी नहीं लिया जाय, कोई रिजर्व प्राइस चार्ज नहीं की जाय। आपके पास इतनी भूमि है, और लोगों को भी भूमि आबंटित करेंगे, और लोगों को आबंटन करेंगे उनसे आप जो चाहे उतना पैसा लीजिये, दुकान खोल लीजिये, वहां पर जमीन की दुकान खोलकर बैठ जाइये उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है लेकिन जैसलमेर भूतपूर्व रियासत का किसान इस रिजर्व प्राइस को देने में कतई सक्षम नहीं है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसा देवीसिंहजी भाटी ने फरमाया, जैसलमेर रियासत का किसान बहुत गरीब किसान है, प्रदेश के सबसे गरीब किसानों में उसका नम्बर आता है और आपने जो रिजर्व प्राइस रखी है वह देने में वह कतई सक्षम नहीं है। वहां का किसान आपको एक पैसा नहीं देगा, सभापति महोदय। आप उस किसान को भड़का कर वहां पर आन्दोलन करवाना चाहते हैं आप चाहते हैं वहां का किसान उत्तेजित हो, आप चाहते हैं कि वह किसान आन्दोलन करे, आप चाहते हैं कि किसानों पर लाठियां बरसाई जायं, आप चाहते हैं कि किसानों पर गोलियां चलें। इसलिए आप इस तरह रोज ही 15एएए बनाते जाते हैं और वहां के किसान को कोई राहत नहीं मिलती है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के किसानों को खातेदारी हक दिये जायं और लम्बे विवाद में नहीं फंसाया जाय, न ही उनसे रिजर्व प्राइस ली जाय।

श्री आत्माराम चौधरी (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, यह जो राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट, 54 का आर्डिनेन्स 4 और 5, दोनों की एक ही बात है। जहां तक राजस्थान आर्डिनेन्स 4 की बात है इसकी धारा 13 के अन्दर यह प्रावधान है कि बगैर इजाजत के कोई जमीन बेच नहीं सकता।

श्री हीरालाल देवपुरा : आर्डिनेन्स है वह कोलोनाइजेशन एक्ट का है। टिनेन्सी एक्ट की बात चल रही है।

श्री आत्माराम चौधरी : कोलोनाइजेशन एक्ट, 54 की बात चल रही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कोलोनाइजेशन एक्ट की नहीं, यह तो टिनेन्सी एक्ट की बात चल रही है।

श्री आत्माराम : अच्छा टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 की बात है।

इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि यह धारा 15एएए में अमेण्डमेन्ट की बात इसलिए चली, सिद्धान्ततः यह बात मानी गई कि वही मौलिक अधिकार, जो दूसरे किसानों को मिले हैं, राजस्थान के कोलोनाइजेशन एरिया के किसानों को भी मिलने चाहिये। उन्होंने क्या जुल्म किया है ? जिनके बाप दादाओं की जमीन पुश्तों से चली आ रही थी उन जमीनों के मालिक उन जमीनों पर काश्त कर रहे थे। जब बंजर तोड़ा, तोड़-तोड़ किया उस वक्त से वह किसान उस पर काश्त कर रहा था उस किसान को धारा 15एएए के मुताबिक खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया। उसमें संशोधन करके खातेदारी अधिकार दिये गये। अब खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में जहां कोई बात आई तो उसमें यह संशोधन दिया है कि अगर होल्डिंग एक आदमी के पास है, एक खेत के अन्दर अगर चार खातेदार हैं, चार हकदार हैं, एक मकान के अन्दर चार लड़के हैं, चार हकदार हैं तो चारों के फण्डामेन्टल राइट्स होंगे। यह बात पुश्तैनी मानी चली आ रही है हिन्दू ला के मुताबिक कि सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो यहां यह तय किया है कि खातेदार हैं उनको एक मुरब्बा मुफ्त मिलेगा और सीलिंग सीमा से अधिक जो दूसरी जमीन है उसका पैसा लगेगा। तो गवर्नमेन्ट ने या अधिकारियों ने इसकी परिभाषा, जो पुश्तैनी चली आ रही है, जो हमेशा से चली आ रही है, को बदली है। उन्होंने यह अमेण्डमेन्ट रखा कि एक होल्डिंग में जितने खातेदार हैं उनको एक माना जाय। अब इसमें किसानों का क्या कसूर है, काश्तकारों का क्या कसूर है अगर वह खेत के अन्दर अलग-अलग नाम रखें, चारों के नाम अलग-अलग हों। तो यह आज तक मेरे ख्याल से नहीं आया। आज तक का यह हिसाब है जितने हिस्सेदार हैं वह सब हिस्सेदार जमीन के मालिक माने जायेंगे, चाहे उसमें म्यूटेशन हो या नहीं उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। इस संशोधन के जरिये राज्य सरकार की क्या मन्शा है यह समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से कैसे आप ट्रान्सफर करायेंगे पुरानी परम्परा को, हिन्दू लॉ को कैसे बदल देंगे और क्यों उसको एक इकाई मानेंगे ? चार खातेदार हैं चारों को एक मानेंगे तो यह कहां का न्याय है, क्या व्यवस्था है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये खातेदार वह हैं

(श्री आत्माराम)

जिनको 55 से पूर्व खातेदारी राइट्स मिल जाने चाहिये थे, 55 से पहले या राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होते ही उनको खातेदारी हक, जमीन का हक मिल जाना चाहिये था परन्तु यह उनकी बदकिस्मती थी, वह बहम में रहे कि जमीन की कीमत बढ़ेगी और राज्य सरकार ने 15एएए से उनको खातेदारी अधिकार से वंचित कर दिया। वह कोई भूमिहीन नहीं हैं, जमीन मांगने वाले नहीं हैं। दुनिया में अगर किसी प्रजातन्त्र के अन्दर कहीं भी कुछ राइट्स हैं, किसान के जिस राइट पर सारी आजादी की लड़ाई लड़ी गई वह यह है कि जमीन किसकी, जोतें उसकी। इस राइट पर सारा मसला था। उन्हीं की वह जमीन है। उन को तीस साल तक तो आपने वंचित रखा उनके राइट से और तीस साल के बाद राइट देने का सवाल आया तो अब आप अपनी परिभाषा बदल कर बैठ गये, यह कहां का न्याय है, यह कहां की इन्सानियत है, यह कहां की भलाई की बात आप सोच रहे हैं? अब जैसे एक खाते में चार आदमी हैं उसको एक माना है। हमारे यहां का उदाहरण देकर बताना चाहता हूं, एक सत्तर साल का आदमी है उसके बाप के नाम खाता है और उसके चार भाई हैं। उनके नाम से खाता चला आ रहा है उसको अब आप तरमीम करते हैं तो उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी और न ही उस समय उसके समझने की बात थी। खाता अगर एक रहे तो क्या फर्क पड़ता है लेकिन आप जो करने जा रहे हैं उससे तो फर्क पड़ जायेगा क्योंकि जो पहले एक खाता था उस खातेदार के लड़के के पोते के लड़के हो गये हैं। उसकी जो चार यूनिट थे उनको एक मान लिया जाये तो वह एक स्माल यूनिट हो जायेगी। इसमें फर्क कैसे पड़ेगा? यह कानून जो बनाया गया है, यह तो प्रिंसिपली और फण्डामेन्टली ही गलत है। जैसे आज एक मकान है उस एक मकान के आप चाहे कानून बना कर दो कर सकते हैं या सारे को एक यूनिट मान सकते हैं, तो अब आप जो करने जा रहे हैं वह बात इस तरह से चलने वाली नहीं है। यह ठीक है आपने कहा कि यह कोई नयी एप्लीकेशन लेने वाली बात नहीं है, यह तो पुराने केसेज जो तीस साल पुराने हैं, जो पहले तय हो जाने चाहिये पर राज्य सरकार की गड़बड़ी की वजह से उनको हक नहीं मिला और हक नहीं मिलने के कारण वह लोग रह गये, उनकी सुनवाई हो रही है। उसमें 500 रुपये रखा है। वह इसलिये रखा गया जो पहली किश्त है वह देने के बाद उसकी सुनवाई होगी तो यह कोई बात गलत नहीं है। परन्तु पहले की किश्तें सबकी भरी हुई हैं। आदमी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने किश्त भरी नहीं होगी क्योंकि तीन साल के बाद वह जमीन तोड़ देते हैं। इसलिये किश्तें कुछ कुछ तो भरी हुई हैं। इसमें खामी यह है कि अगर चार आना, रुपया, दो रुपया पांच सौ में कम रह गया तो कोई सुनवाई नहीं करते। इस तरह का लेकूना नहीं रहते तो अच्छी बात है। यह कोई नयी बात नहीं है। आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह 30 साल पुराने केसेज हैं उनकी सुनवाई हो रही है, यह दुबारा सुनवाई की जरूरत ही नहीं है। मैं समझता हूं कि सबसे खतरनाक और सबसे गलत अगर कहीं कोई अधिकार दिये गये हैं तो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत दिये गये हैं। इस राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

(श्री आत्माराम)

की जो जो धारायें प्रेक्टीकली लागू हुई हैं उन्होंने पचड़े पैदा किये हैं। वह कानून लागू नहीं हो सका और आज भी वही पोजीशन है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में सिर्फ एक ही बात प्रोग्रेसिव थी कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सन् 55 में पास होते ही सभी जगह पर लागू हो गया, न तो किसी को एप्लीकेशंस देनी पड़ी, न ही कुछ करना पड़ा। तो यह मुझे दुबारा एप्लीकेशंस देने के लिये मियाद बढ़ाओ, तो यह समझ में आने वाली बात नहीं है। तो यह चालू कर देना चाहिये, लागू रखना चाहिये, इसमें मियाद और बगैर मियाद की कोई बात समझ में आने वाली नहीं है।

तीसरा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत जो खातेदार है उनके पास एक मुरब्बा फ्री और बाकी जितनी जमीन उनके कब्जे में है, सीलिंग सीमा तक रहेगी। होल्डिंग्स, साझे खाते की जिस तरह से इन्होंने परिभाषा बदल दी उसी तरह से सीलिंग सीमा की परिभाषा बदल रहे हैं। फेमिली मैम्बर्स की उम्र तो रख रहे हैं 73 की और पानी की इन्टेनसिटी जो पैदा की है वह आज की लागू कर रहे हैं। जिस तरह से पहले के जागीरदार अपने लिहाज से, अपने हिसाब से कायदे-कानून बना लेते थे उसी तरह से खिचड़ी करके अब यह गवर्नमेंट कर रही है। उस वक्त तो जागीरदार के पास में पुष्पम्, पत्रम् होता था तो पूरे आ जाते थे। अब इसका क्या कारण है कि आप तीस साल बाद तो उनको खातेदारी राइट दे रहे हो। खातेदारी राइट देने के बाद होल्डिंग की सीलिंग की और दूसरी अपनी परिभाषाएं अलग से कायम कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि राज्य सरकार को जब तक जो पावर फुल है तब तक देवे नहीं और सभी जमीन के पैसे ले ले। नहीं ले सकती तो यह राइट्स हैं, यह देने पड़ेंगे। आज तक कोई दबा नहीं सका आप अपने हिसाब से इनको सही ट्रेनिंग दो जिससे कि इस तरह की गड़बड़ी न हो। यह जो आर्डिनेन्स की बात है, मेरे खयाल से यह पहले पारित हो गया था, आज फिर आ गया है। यह जो कोलोनाइजेशन एक्ट है उसके हिसाब से पहले खातेदारी राइट्स मिल चुके थे। सन् 54 के कोलोनाइजेशन एक्ट के मुताबिक जमीन का बेचान बगैर परमिशन के धारा 13 में वैध नहीं थे। अब 15ए में अमैण्डमैन्ट करके सभी खातेदारों को बगैर परमिशन बेचना बन्द कर दिया है। मेरे ख्याल से यह सिर्फ बेंचने की इजाजत है और कुछ है ही नहीं। वह भी आप नहीं दे रहे हो उसकी परमिशन की बात कह रहे हो जिसकी वजह से आपको तरमीम करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से आज तक बहुत कम डिसपोजल हुआ है। आज तक बहुत कम परमिशन मिली है, अब यह परमिशन कैसे मिल जायगी यह इसमें कोई स्पष्ट नहीं किया इसलिये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। जब पहले परमिशन लेकर बेचने की बात थी तब एक भी ट्रान्जेक्शन परमिशन लेकर नहीं हुआ तो अब कैसे हो जायेगा? अब कौनसे आपने सुझाव रख दिये, कौनसी आपने तरमीम कर दिया। इस तरह की कोई बात नहीं बतायी। वह क्लियर हो जाय तो अच्छी बात है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री त्रिलोकसिंह।

(व्यवधान)

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। श्री त्रिलोकसिंह।

श्री त्रिलोकसिंह : सभापति महोदय, यह एक ऐसा मसला है जो किसान से ताल्लुक रखता है। किसान भी वह किसान जो पाकिस्तान की सीमा पर उससे ताल्लुक रखता है। उस किसान का एक लम्बा इतिहास है जब हिन्दुस्तान में कबीला था, जब कोई तरह का राजा नहीं था, जमींदार नहीं था, जनका राज्य था, ऐसा लोकतन्त्र था जो गांवों का था, किसान का राज था। आज का नहीं, पांच हजार वर्ष का लम्बा इतिहास है। जिस जमीन के लिये किसान न केवल मुगलों से लड़ा न केवल गुलामों से बल्कि हूणों से लड़ा, शकों से लड़ा और हर हमलावर से लड़ कर उसने उस जमीन को अपने पास बरकरार रखा। हजारों तरह की परेशानियां थीं, जंगल था और जंगल भी ऐसा जो भयंकर सांपों से भरा हुआ था। आज भी अमूमन वहां किसान की क्या हालत होती है हम जानते हैं। हमारे इलाके में भी सैकड़ों मौत सांप खाने से हो जाती हैं उस जमीन को बरकरार रखा। अब सरकार कहती है कि हम तुम्हारे लिये पानी ले आये इसलिये तुम्हें खातेदारी राइट्स नहीं देंगे। अब जब पानी आ गया है आपके राज में तब किसान की खातेदारी खतम कर दी जायेगी। तो आपका राज तो खतम नहीं हुआ, भाई पानी आया तो राज तो दूसरा आना चाहिये था। हमें समझ में नहीं आती यह बात कि जिस जमीन से किसान का हजारों साल से ताल्लुक है, जिस जमीन पर किसान के बुजर्गों ने खून बहाया और हर हमलावर का मुकाबला किया उस जमीन की खातेदारी से उसको महरुम किया जायेगा। अगर किसी कारखाने में नयी टेक्नीक आ जाय, तो क्या नयी टेक्नीक आ जाने से उस मालिक का कारखाना नहीं रहेगा? हर कारखाना यह गवर्नमेंट छीन सकती है क्या? नहीं, कभी नहीं छीन सकती। हालात में तब्दीली होने से मकानों की कीमत बढ़ गयी शहरों की जमीन की कीमत बढ़ गयी, दुकानों का किराया बढ़ गया। यही नहीं, आप लोगों का क्या हो गया, देखो। आप लोगों की तनख्वाह बढ़ गयी भत्ता बढ़ गया तो जुल्म क्या हो गया? किसान की जमीन में पानी आयेगा तो किसान ज्यादा पैदा करेगा। वह अकेला नहीं खायेगा, आप लोगों को भी खिलायेगा। × × × वह रोटी देता है. गिजा देता है। किसान का बेटा रोटी ठंडी खाता है, और उसे पानी से निगलता है या छाछ से निगलता है। × × × लोगों को वह मक्खन देता है।

(2·00 म. प.)

फिर यह दावा तो अंग्रेज का भी था। वह कहते थे कि हम हिन्दुस्तान में तार लाये हैं, टेलीफोन लाये हैं, गाड़ी लाये हैं और रेलगाड़ी ले आये इसलिए यह इलाका हमारा है। उनके दावे को ही नहीं माना तो आप लोगों का दावा बेबुनियाद है। 36 साल के अरसे से एक लम्बे समय से यह सरकार जो दावा करती है कि हम राजस्थान को खुशहाल बनायेंगे, हकीकत यह है कि गडरा रोड़ से लेकर भरतपुर तक भयंकर अकाल है। कहीं पानी आ गया एक पर्सेन्ट जमीन

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोकसिंह)

में, आधा पर्सेन्ट जमीन में, उसके लिए आप कहते हैं किसान को कि हम खातेदारी के हुकूक नहीं देंगे। मुझे ज्यादा ताज्जुब हुआ, जिनके वोटों के बलबूते पर आप इस हुकूमत पर बैठे हो उनको कहते हो कि हम फौज से और पुलिस से मुकाबला करेंगे, कुचल देंगे। आप किसानों के घर जला देंगे, आप किसानों के बच्चों को मार देंगे फिर कहां रहेंगे, हुकूमत कहां रहेगी? ××× नाम मिटा देंगे ऐसी हुकूमत का। हमने एक हुकूमत नहीं देखी है, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी-बड़ी हुकूमतें देखी हैं। मुगलों का जोर देखा, हमने मेवातों का जोर देखा, हूण और शकों का जोर देखा। वह हमें नहीं मिटा सके, उस धरती से बेदखल नहीं कर सके तो आप लोगों की कोई××× नहीं। यह कांग्रेस की सरकार××× है, किसानों की दुश्मन है। जिसको आप मिटाना चाहते हैं उसकी तादाद 100 में 90 है। उसको तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वोट की जरूरत पड़ती है और अगर वह नहीं देगा तो आप रात को भाग जाओगे।

एक माननीय सदस्य : बिल पर तो आओ।

श्री त्रिलोकसिंह : वहीं तो आ रहा हूं। समझते नहीं तो क्या कहूं××× दो महीने का मामला है, दो महीने के बाद आपका पता नहीं चलेगा, जातों के पैर दीखेंगे। यह बिल लाकर आप किसानों का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। किसान का कदीमी हक है, उसको आप कोई भीख नहीं दे रहे हो, दान में नहीं दे रहे हो। यह तो हक है उसका। जमीन वह नहीं छोड़ेगा। जिद्द इस बात की है। 20 हजार रुपया आपको रिश्वत देगा तब तो वह वेलिड है और अगर नहीं देगा तो इनवेलिड है। देखिये तमाशा। इस तरह का जुल्म, इस तरह का भ्रष्टाचार आज तक दुनियां में किसी सरकार में नहीं देखा और आप यह रिश्वतखोरी करके किसान को लूटना चाहते हैं। यही भला करते हैं किसान का? आपने क्या किया? आज कितना बड़ा इलाका है राजस्थान का और किसान की क्या हालत है? न बिजली है गांव में, न गांव में सड़क है और न गांव में दवाखाना है। कुछ भी नहीं है। किसान का बेटा अव्वल तो यहां आ ही नहीं सकता बीमार होने के बाद और आ जाये तो यह ××× जो बैठे हैं आपकी शह से, वह पेट में छुरी डालकर कहते हैं ला रुपया। वह रुपया दे नहीं सकता और उसका बेटा जिन्दा रह नहीं सकता। यह हालत है आज किसानों की। आपके शहरों में कैसी लचकदार सड़कें हैं। टेलीविजन भी लगा रखा है। ××× कोई भी मिनिस्टर के यहां जाते हैं तो कहते हैं वह गुसलखाने में हैं। ××× बोलते हैं कि वह पूजा में बैठे हैं। क्या पूजा में माफी मांगते हो उन गुनाहों के लिए? आपको पता है, यह किसानों के हाथ में है और वह कभी आपको माफ नहीं करेगा। जार को नहीं किया, हिटलर को नहीं किया और न आपको माफ करेगा। आपके गुनाह आपको भुगतने पड़ेंगे। इस××× हुकूमत ने काफी जुल्म कर लिये। आप अलविदा होने वाले

××× अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री त्रिलोकसिंह)

हैं। किसान इस जुल्म को कभी बरदाश्त नहीं करेगा। यह कानून जो तरमीम किया है वह फोरन वापस लो। खातेदारी हुकूक जो जमीन पर काबिज है उसको दो। यह कोई आपकी मेहरबानी का सवाल नहीं है।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : सभापति महोदय, आपने मुझे अनुमति दी थी पहले और फिर आपने उनको इजाजत दे दी।

श्री सभापति : आपके दल की तरफ से काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मैं तो शुरूआत ही कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपके दल का तो संकल्प था इसमें।

श्री महावीरप्रसाद जैन : वह तो बोलना पड़ेगा साहब, यह कानून पास होने जा रहा है और इसमें इतनी अनियमिततायें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं....

श्री सभापति : इसके लिए आपको संशोधन देना चाहिए था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तृतीय वाचन है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

अन्तिम चरण में इतने माननीय सदस्यों को एकोमोडेट करना आसन के लिए सम्भव नहीं होगा। यदि आपको बोलना था तो आपको संशोधन देना चाहिए था। आपके पास अपार्चूनिटी थी वह आपने खो दी। मैंने पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने बोलने की ख्वाहिश जहिर की थी उनको बोलने की अनुमति दे दी। I am Sorry

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री महावीरप्रसाद जैन : सभापति महोदय, सदन की भावनाओं के खिलाफ होगा यह। मैं समझता हूं....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, हमारी तरफ से एक को तो बोलने दीजिए।

श्री सभापति : आपकी तरफ से बहुत बोल चुके हैं, बोलिये संक्षेप में।

श्री महावीरप्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि धारा 15एए की उपधारा (घ) में लिखा हुआ है :

(घ) इस प्रकार संशोधित उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें जोड़ी जायेंगी, अर्थातः—

"(4) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा बनाये जायें, उप-धारा (3) के अधीन संदेय आरक्षित कीमत अभिधारी द्वारा सोलह समान किश्तों में संदत्त की जा सकेगी जिसकी प्रथम किश्त उक्त उपधारा के अधीन के आवेदन पत्र के साथ संदत्त की जायेगी और शेष किश्तें, उसके पश्चात् प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष की

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

पहली जनवरी और पहली जुलाई को तब तक संदेय होगी जब तक कि आरक्षित कीमत की सम्पूर्ण रकम संदत्त नहीं कर दी जाती है।"

परन्तु फिर आगे इसमें यह लिखा है—

"....वहां 500 रुपये की पहली किश्त उक्त उप-धारा के अधीन आवेदन पत्र के...."

श्री सभापति : यह तो हैं, माननीय सदस्य। आप क्या बोलना चाहते है बोलिये ना। इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं। यह तो इसमें है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : इसमें है उसके बाद ही तो बोलूंगा कि इसमें क्या विरोधाभास है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप अन्तिम चरण में पालिसी सम्बन्धी कोई जनरल बात हो तो कहें। आप इसको लेकर बैठ गए। यह तो इसमें हैं। आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद जैन : इसमें विरोधाभास है। मैं यह कहना चाहता हूं, एक तरफ तो हमने यह कहा है कि प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र के साथ उसको 500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। यह प्रेक्टिस में वहां लाया जा रहा है। वहां हरेक प्रार्थना पत्र के साथ पहले 500 रुपये जमा किये जा रहे हैं। उनको नोटिस दिये गये हैं। दूसरी तरफ सदन में बता रहे हैं और यह भुलावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि 500 रुपये बाद में लिये जायेंगे। प्रार्थना पत्र पहले स्वीकार किया जायेगा उसके बाद 500 रुपये लिये जायेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन किसानों के साथ यह धोखा है। पहले ही प्रेक्टिकल में यह किया जा रहा है और ऊपर से यह लिखा गया है कि 500 रुपया उनको पहले एप्लीकेशंस के साथ देने पड़ेंगे, दूसरी ओर हम यह कह रहे हैं कि आवेदन पत्र के स्वीकार होने के 20 दिन के बाद 500 रुपये उसको देने पड़ेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि यह किस प्रकार का कानून और किस प्रकार का नियम है उन किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। पाकिस्तान की सीमा वहां है। पाकिस्तान के लोग वहां आकर उस जमीन को हड़पना चाहते हैं; उनके आवेदन पत्र स्वीकार किये जा रहे हैं। तीन-तीन साल के बच्चों को खातेदार मानकर उनको अटेस्टेड किया जा जा रहा हैं वहां के राजनेताओं के द्वारा वहां के सरपंच और प्रमुख के द्वारा और वहां के प्रधान के द्वारा। दुबारा आर्डिनेंस जारी किया गया है। उसमें उनके खिलाफ कोई नियम बनाने की बात होती लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार का आर्डिनेंस, बिल नहीं लाकर इस प्रकार का छलेवा भरा हुआ और लोगों को भ्रमित करने वाला बिल आज हम पास करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान के लोग सक्रिय हैं, यहां की जमीन को हड़पना चाहते हैं। और तो और जैसलमेर के एस. डी. ओ. ने 101 एप्लीकेशंस, जो फर्जी एप्लीकेशंस थीं, के खिलाफ एक एफ. आई. आर. दर्ज करवाई उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उस

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

एस. डी. ओ. का ट्रांसफर कर दिया गया। वहां के राजनेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से पाकिस्तान के लोग वहां की जमीन को हड़पना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। जब उनकी फोटो को अटेस्टेड नहीं किया, उनके फार्मों को अटेस्टेड नहीं किया तो एक पटवारी का मर्डर कर दिया गया। उस पटवारी का मर्डर करने वालों को आज तक नहीं पकड़ा गया। वहां के अधिकारी भयभीत हैं, वे मजबूर है इसके लिए कि पाकिस्तानियों के फार्मों को अटेस्टेड किया जाये। इसमें वहां के राजनेताओं और अधिकारियों का हाथ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को जल्दी में पास न करें। इस बिल को वापस लिया जाये। इसमें विरोधाभास है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि एप्लीकेशन मंजूर होने के 20 दिन बाद 500 रुपये लिये जायेंगे दूसरी तरफ हम यह कह रहे हैं कि एप्लीकेशन के साथ 500 रुपये जमा कराये जायेंगे। प्रेक्टिस में भी यही हो रहा है कि वहां काश्तकारों से 500 रुपये एप्लीकेशन के साथ लिये जा रहे है। इस कारण एप्लीकेशन्स समय पर नहीं आ रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुर्नविचार किया जाये और इस बिल को पास न किया जाय।

सभापति महोदय, जो आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) :सभापति महोदय, अभी टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा फरमाया था, उपधारा 4 के आगे लिखा है"—

"परन्तु जहां उस भूमि के लिए जिसमें खातेदारी अधिकार उप-धारा (3) के अधीन मंजूर किये गये है....

सिंचाई के वक्त 500 रुपये की राशि ली जावेगी जब कि हकीकत यह है इस माह जुलाई में जब मन्जूरी का फैसला हो रहा है तब एप्लीकेशन के साथ 500 रुपये लिये जा रहे है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि यह फैक्ट है। सभापति महोदय, एक तरफ आप कहते हैं कि जब सब हो जायेगा उसके बाद 500 रुपये लिये जायेंगे दूसरी तरफ आप 500 रुपये पहले ले रहे है। किसानों से जबरदस्ती 500 रुपये वसूल किये जा रहे हैं।

श्री सभापति : श्री कामरेड।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है इसके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से दो-तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं। आप इस तरह का बिल ला कर के कोलोनाजेशन क्षेत्र और गंगानगर जिले के और पश्चिमी राजस्थान के किसानों के साथ सरासर अन्याय कर रहे हैं। सभापति महोदय, आपको मालूम है, शोभाराम कमेटी गठित हुई थी उस शोभाराम कमेटी के सुझावों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा यह बिल लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। आज वहां पर मालपानी, बांगड जैसे लोगों के पास हजारों बीघा जमीन है। उनको अधिकार देने के लिये, उनको पनपाने के

(श्री मेघराज तांवड)

लिये, बाहर से लोगों को ला करके बसाने के लिये यह बिल लाया गया है। आज वही स्थिति राजस्थान में पैदा हो सकती है। जिसके लिये झगड़े हो रहे हैं। आसाम की सी स्थिति राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं इस तरह का बिल ला करके। इसलिए मैं चाहता हूं, मन्त्री महोदय स्पष्ट करें कि क्या आप ऐसे लोगों को जमीन देना चाहते हैं, पैसे वालों को देना चाहते हैं या गरीब और मजदूर, जो खेती हर मजदूर है जिनके पास भूमि नहीं है, जमीन देने के लिये यह प्रावधान किया गया है।

धन्यवाद।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

सभापति महोदय, राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता किसान है। खेती पर आज उसी का अधिकार होना चाहिये जो स्वयं हाथ से खेती करें। इस के बाद जो दूसरा बिल हम ला रहे हैं ग्राम दान का उसकी मूल भावना यह है कि जो हाथ से खेती करता है केवल उसी के पास खेत रहना चाहिये। इस बिल के अन्तर्गत हम उल्टा कर रहे हैं। जो किसान वर्षों से अपने हाथों से खेती करते आ रहे हैं, वर्षों से खेती करने वाले किसानों को उनके अधिकार से हम बिल के माध्यम से वंचित कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान खेती कर रहे हैं, खातेदारी अधिकार उनको वर्षों पहले दिया जाना चाहिये था लेकिन किसानों में इतनी समझ नहीं है, भूतपूर्व महाराजाओं के वक्त कोई ठीक तरह की व्यवस्था नहीं थी इसलिए उस अज्ञानता का फायदा उठा कर यह सरकार यह बिल ला रही है ताकि किसानों के पास लिमिटेड जमीन रहे। खातेदारी जिन किसानों के नाम से है, खाते में लिमिटेड लोगों का नाम हो सकता है लेकिन खेती करने वाले बहुत सारे किसान हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो वर्षों से खेती कर रहे हैं उन किसानों को खातेदारी अधिकार दिया जाना चाहिये।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि जो गरीब लोग खेती पर निर्भर हैं, वर्षों से जिन्होंने खेत को पाला पोसा है, बराबर किया है, समतल किया है, रखवाली की है उनसे वह छीन कर, उन गरीबों का अहित करके पैसे वाले लोगों को जमीन दे रहे हैं। वह केवल पैसे के बल बूते पर जमीन खरीदना चाहते हैं यह किसानों पर बहुत बड़ा जुल्म होगा। यह सरकार पता नहीं क्यों किसानों के पीछे पड़ी हुई है। जिस प्रकार हमारे कोटा क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र घोषित नहीं होने के बावजूद सिंचित क्षेत्र मानकर कोटा के किसानों के साथ सीलिंग के मामले निपटाने में जुल्म कर रही है ठीक उसी प्रकार से पश्चिमी राजस्थान के किसानों के साथ यह सरकार जुल्म कर रही है। इसलिए किसानों के साथ जुल्म नहीं करें। यदि किसानों के साथ जुल्म किया तो किसान एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। किसान आन्दोलन करने के लिए उद्वलित हो आन्दोलित हों इससे पहले सरकार जो किसान वर्षों से खेती करते आ रहे हैं उनके नाम पर अधिकार देने की व्यवस्था करे, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, मेरा अर्ज करना यह है, आज किसान को अमीर तो कह ही नहीं सकते

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, खरी बात अर्ज करूंगा, हुकुम, गलत बात अर्ज नहीं करूंगा।

मेरा अर्ज करना यह है कि इस टिनेन्सी एक्ट में जब सीलिंग का प्रावधान लाये उस वक्त 3600 रुपये इनकम टैक्स की आमद निर्धारित की थी उससे आगे जमीन ले लें। इसलिए किसान को अमीर कहने का कोई हक नहीं है। एक दफा नहीं, दो दफा छानबीन कर ली कि किसान गरीब है इसलिए उसको अमीर किसी दृष्टि से कह नहीं सकते। इस बात को सेन्टर ने भी माना है। बीस सूत्री कार्यक्रम में खेती पर निर्भर जो किसान हैं उन किसानों को और कृषि को रखा। अब उस किसान और कृषि के बारे में यह सरकार तरह-तरह के कानून लाती है। कभी किसी तरह का कानून लाती है कभी किसी तरह का लाती है। परसों सेल्स टैक्स का कानून लाये उसमें करोड़पतियों और उद्योगपतियों को छूट दे दी। किसानों के लिए जो कानून लाते हैं उसमें उसका गला घोटने के अलावा कुछ नहीं लाते हैं। परसों भी मैंने अर्ज किया, एक आदमी चोरी करता है सैल्सटैक्स की उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, न उसको देख सकता हैं, न कुछ कर सकता है। जो पहले वाला प्रोविजन था उसको हटा दिया और यह कर दिया कि एक रुपया सैंकड़ा ब्याज की दर से रखने की छूट है। लेकिन किसान को क्या है? उसको तरह-तरह से मारा जा रहा है, तरह-तरह के कानून लाये जा रहे हैं। टिनेन्सी एक्ट में जितने भी संशोधन किए गये हैं। वे किसानों के हित में न होकर उल्टे उसके विरोध में हो गये हैं। इस सारे एक्ट को संशोधन करके खराब कर दिया है। मेरे खयाल से अच्छे से अच्छे कानून विज्ञ एक्ट को पूरा नहीं समझ सकते हैं। इतना तो इसको पेचीदा बना दिया गया। एक संशोधन पर दूसरा संशोधन और दूसरे पर तीसरा संशोधन। मेरे खयाल से 50 संशोधन इस टिनेन्सी एक्ट में आ गये। यह इनके अफसरों को मालुम नहीं है कि क्या क्या संशोधन आये और क्या क्या संशोधन हुए हैं, परसों कौनसा संशोधन आया, आज कौन सा संशोधन आया। तो मेरा अर्ज करने का मतलब है.........

एक माननीय सदस्य : भलाई के लिए और अच्छाई के लिए संशोधन लाते हैं तो क्या बुरा है।

श्री भूपाल सिंह : मैं आपसे अर्ज करूं कि यह गला घोटने के लिए है। जमीन उसकी जो जोते। प्रजा मण्डल से लेकर आज कांग्रेस में भी यही नारा रहा है कि धरती किसकी जो जोते उसकी। आज जो जोत रहा है उसकी जमीन नहीं है। धरती उनकी है जो पैसा दे। इनका नारा कहा गया कि जो धरती जोते धरती उसकी। कारखाना चलाये एक सेठ, उसको ये मना नहीं कर सकते हैं। उसको समय-समय पर

(श्री भूपालसिंह)

छूट देते हैं। हजारों प्रकार की उसको छूट देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सरकारी पैसे से वह आराम से कमा कर खा सकता है, उसको एक पैसा गृह से लगाने की आवश्यकता नहीं है...लेकिन किसान का खुद का पैसा, फिर भी उसको कोई राहत नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं कि समय-समय पर जितने भी आप संशोधन लाते हैं उनके बारे में गांवों में तहसीलदार, पटवारी सरपंच और वहां के रहने वाले कुछ जानते नहीं हैं और सब बंटवारा कर आते हैं। सब लूट कर ले आते हैं इसलिए किसान तो गरीब का गरीब ही रह गया। एक मारवाड़ी कहावत है कि खोटो खावे और खरो कमावे। रात-दिन 24 घंटे तो कमाता है और बुरा खाता है। यह 30 हजार रुपया 10 हजार रुपया आज ले, कल ले, परसों लें, बिजली आई नहर आ ई, सब सेठ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। नदी का, नहर का सब का फायदा उठा रहे हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है। जितना पानी खर्च करो, उतना पैसा दो जितनी बिजली खर्च करो उतना पैसा दो किसान का खेत चाहे गल जाय, जल जाय, गिर जाय लेकिन आज भी कम्पेनसेशन किसी को नहीं दिया जाता है। वह उसको कम्पेनसेट होता नहीं। लाखों, करोड़ों, अरबों का नुकसान हो गया लेकिन एक पैसा उसको नहीं दिया। इनकम टैक्स के कानून में यह है कि सेठजी का नुकसान हो गया तो पांच वर्ष में उस नुकसान को भरा जाय। मेरे कहने का मतलब है किसान विरोधी सरकार है, भले आदमियों को चक्कर देती है और × × × किसान पर तो केवल छुरी चलाती है। उसके लिये आज दिन तक एक भी भलाई का काम किया हो तो मुझे बता दें, जागीरदारों के पास जमीन है, जमींदारों के पास जमीन है उनको बिना पैसे खातेदारी अधिकार दिलाये....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसीलिये तो आपको किसान वोट नहीं देता है।

श्री भूपाल सिंह : वोट तो चाहे आप लो, चाहे इधर वाले लो, चाहे इधर की सरकार हो, चाहे उधर की सरकार हो, किसान के हित में सरकार ने जो एक फार्मूला बनाया कि गरीब किसान की मदद करनी है उसको आप लागू नहीं कर सके हैं। आज भी आप उस गरीब को कुछ नहीं देते हैं और जो कुछ देते हैं उसमें से आधा पैसा खा जाते हैं। मेरा मूल मतलब है यह टिनेन्सी एक्ट किसान का विरोधी है चाहे आज संशोधन लाये हों और चाहे 10 वर्ष बाद लायें, आपकी इच्छा है।

20 सूत्री कार्यक्रम जो है उसके बारे में बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण तो दे देते हो लेकिन प्रेक्टिकल में कुछ नहीं करते हैं। 33 वर्ष में आप किसान को अमीर नहीं बना सके। एक ही बात में नहीं है, पढ़ाई में वह अमीर नहीं है लिखाई में नहीं है। पांचवीं क्लास तक पढ़ाते जाओ, पढ़ाते जावो, उसको कह दें कि साक्षर होगा

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भूपालसिंह)

लेकिन आगे जावो तो कुछ नहीं। आगे तो मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब के बच्चे सेन्ट पाल और सेन्ट जेवियर में जायेंगे। सारे आई० ए० एस० और आर० ए० एस० के बच्चे वहां पढ़ेंगे। किसी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे को ऊंचा चढ़ाया नहीं गरीब को ऊंचा उठाया नहीं। आज भी गरीब तो वहीं का वहीं है, किसान वहीं का वहीं है।

(व्यवधान)

मैं झूठी अर्ज कर रहा हूं क्या? मेरे अर्ज करने का अभिप्राय यह है कि गरीब किसान बैंक से लोन लेने जावे तो वहां भी उस को लूटा जाता है। जिस दरवाजे पर जाय उस दरवाजे पर लूटा जाता है। इसलिए टिनेन्सी एक्ट की जो तरह तरह की धारायें हैं उनमें संशोधन करने के बजाय किसानों के प्रतिनिधियों को बैठाये और जो योग्य हैं, जो किसानों का भला सोच सकते हैं, उनको आगे लायें। मेरा निवेदन है कि आपकी तरफ के और इधर की तरफ के ।। सदस्यों की एक कमेटी बना दें जो इस मामले में सही कानून बनाये उसका सही मूल्यांकन कर सके। किसान का पसीना एड़ी से चोटी तक जाता है। उसके छोरा-छोरी खेत पर रोते हैं, छोटे-छोटे बच्चे खेत जोतते हैं, जानवर उड़ाते हैं और नमक-मिर्च से सूखी रोटी खाते हैं। ये आपके आई० ए० एस० और आर०ए० एस० अधिकारी हवा में बैठते हैं, पंखों में बैठते हैं इनको क्या मालूम कि उनका दुख दर्द क्या है। मैं कहता हूं राजा जो थे वे बढ़िया थे ...

(व्यवधान)

उस वक्त सेटलमेंट हुआ करता था, जमीन का लगान भी माफ किया जाता था। आज तो हालत यह है कि जमीन अलाट करते हैं इस साल और लगान लेते हैं पहले से तो मेरे कहने का मतलब यह है, कि गरीब इतना घबरा गया है कि वह आपके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता है। आप उसको सम्भाल नहीं सके। जहां जहां सन्तों के पांव पड़ते हैं वहां वहां ऐसा हो जाता है। पढ़ाई में कुछ नहीं, लिखाई में कुछ नहीं। दो-दो सौ लड़के स्कूल में हैं और एक मास्टर है। खाली घोषणायें कर दीं स्कूल खुले नहीं हैं। स्कूलों में मास्टर नहीं है।

एक माननीय सदस्य : स्कूल तो बहुत खुले हैं।

(व्यवधान

श्री भूपालसिंह × × × प्रभावशाली एम० एल० ए० ने खुला लिये होंगे....

भीलवाड़ा में तो सवाल ही नहीं है।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान के लिये जो एक्ट बना रहे हैं इसमें किसान को मालिक नहीं मान रहे हैं। पैसा तो आप उससे वैसे वसूल कर लेंगे। जब उसको लोन दिलाते हैं तो खातेदारी अधिकार क्यों नहीं देते हैं? आप कानून बनाते हैं कि नहर आयेगी और डवलपमेंट आपका होगा इसलिए डवलपमेंट का चार्ज

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भूपालसिंह)

वसूल होगा। तो उस डवलपमेंट का जार्ज वसूल करे लेकिन टिनेन्सी एक्ट में नया खाता लाते हैं तो 20 हजार, 40 हजार क्यों वसूल करते हो? एक बिल परसों आपने पास कर दिया, हमने विरोध भी किया लेकिन आपने बहुमत से पास कर दिया। आज भी यह बिल पास होगा लेकिन हमारा कर्त्तव्य है कि उस की समस्या अवश्य कहें। मुकदमे बाजी इस टिनेन्सी एक्ट से इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई हद नहीं। इन्होंने टिनेन्सी एक्ट की पालना आज तक नहीं की है। इस टिनेन्सी एक्ट में लिखा है कि जो नियम विरुद्ध जमीन खरीद लेगा वह जब्त कर ली जायेगी। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, आप बता दें एक बिस्वा जमीन भी इन्होंने आज दिन तक टिनेन्सी एक्ट में जब्त की हो तो। हिम्मत नहीं है। कानून बना सकते हैं लेकिन पालना नहीं करवा सकते हैं। चाहे खादी का कानून हो, चाहे सेल्स टैक्स का कानून हो चाहे और कोई कानून हो, चाहे खातेदारी कानून हो, चाहे टिनेन्सी एक्ट हो, कानून की पालना कराने में तो सरकार असमर्थ है। केवल वोट लेने के लिये मजबूर है। कानून खुद तोड़ रहे हैं। मेरा तो यह सुझाव है कि इस टिनेन्सी एक्ट को समाप्त करके इस लाबी में बैठने वाले 11 किसानों की एक कमेटी बना कर ऐसा टिनेन्सी एक्ट बनाया जावे जिससे किसानों का भला हो सके। अन्यथा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।

इतना ही अर्ज करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं थोड़ा जानकारी में ले आऊं कि इन्होंने धारा 4 के सैकिण्ड पैरेग्राफ में लिखा है "परन्तु जहां उस भूमि के लिए खातेदारी अधिकार उक्त धारा 3 के अधीन मन्जूर किये गये हैं।" यह कहां मंजूर किये गये हैं? जब खातेदारी मन्जूर हो गई तो रोना ही काहे का है? यह आपने कैसे दिया जरा इसको स्पष्ट करें। खातेदारी अधिकार जिसको मिल गये वह तो इस प्रोसीजर के तहत कहीं आता ही नहीं। फिर काहे को उससे इंस्टालमेंट लेने की बात कह रहे हैं, कहां एप्लीकेशन देने की बात कह रहे हैं, काहे को अप्लाई करेगा? इसके लिए फिर आपको कोई न कोई अमेण्डमेंट लाना पड़ेगा। जरा एक तो यह स्पष्ट कर देना, मन्त्री महोदय, धारा 4 के सैकेण्ड पैराग्राफ में जो आपने दिया है। एक तो इसका मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया, एक मुरब्बा हम फ्री देने जा रहे हैं। फ्री किसको दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, 1955 में, संवत् 2012 में जिसका खाते में नाम दर्ज हुआ था इसको यूनिट मान कर मुरब्बा देने जा रहे हैं। 1955 से हिसाब लगा लीजिए फेमिली प्लानिंग तो अब चलने लगा है, 55 से लेकर आज तक उनके परिवार में 100-100 सदस्य हो गये हैं। सन् 1955 वाले को यूनिट मानेंगे तो एक मुरब्बे में अगर वह हिस्से भी करें तो एक-एक बिस्वा पल्ले नहीं पड़ेगा। वह अपना झोंपड़ा भी उसमें नहीं बना पायेंगे। यह कौन सा अहसान आप कर रहे हैं? बार-बार गिनाते हैं कि हमने काश्तकार के हित के लिए एक मुरब्बा फ्री कर दिया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

एक मुरब्बा फ्री करते हो तो इस टिनेन्सी एक्ट के साथ-साथ सीलिंग एक्ट को भी देखिए। सीलिंग एक्ट में भी यह प्रावधान है कि जो 18 वर्ष की हो गया है, जो बालिग है, उसको भी उसके बराबर यूनिट मान कर एक मुरब्बा मिलना चाहिए। परन्तु आप वह देना चाहते नहीं। इसलिये कि वह किसान है उसको किसी प्रकार का लाभ देना नहीं चाहते। यह कोई उस पर आप रहम नहीं कर रहे हैं। यह उसका अधिकार है, उस अधिकार से आप भी उसको वंचित कर रहे हैं। बार-बार आप दुहाई देते हैं कि हम एक मुरब्बा फ्री देने जा रहे हैं किन्तु एक मुरब्बा किसी को भी फ्री नहीं मिल रहा है। किसी भी एक परिवार को नहीं मिल रहा है। परिवार 1955 वाले आप मान रहे हैं, आज उसके परिवार में 50 सदस्य हो गये हैं, 100 सदस्य हो गये हैं। उसको भी एक मुरब्बा मिलेगा। अगर 10 सदस्य हैं तो भी एक मुरब्बा और 200 सदस्य हैं तब भी एक मुरब्बा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जिस वक्त सैटलमेंट हुआ था उस वक्त लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी. जो भी सैटलमेंट वाले आये उनको सरसरी तौर पर किसी मुखिया ने जागीरदार ने जो जबानी बता दिया वही उसके नाम लिख दिया। वह अगर उसमें वंचित रह गया तो उसमें भी उसने भुगता। आप स्वयं जानते हैं कि संयुक्त परिवार रहते थे। परिवार में जो बड़ा भाई होता था या जो भी बड़ा होता था उसके नाम खाता लिखा जाता था। 55 में मुखिया अगर 70 साल का था तो उससे हिसाब लगा लीजिए आज कितने मेम्बर बन गये। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। जो नीति बनाना चाहते हैं या जो निर्णय इन्होंने लिया है या जो चर्चा करते हैं कि हम काश्तकार का फायदा करना चाहते हैं और गांव के बारे में बड़ा सोचते हैं, कैसा सोचा है आपने ? उस एक फेमिली के मैम्बर्स को एक-एक बिस्वा जमीन भी नहीं मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही जैसा सीलिंग एक्ट में प्रावधान है उसके अनुसार भी इन्होंने छूट नहीं दी है। इन्होंने वही यूनिट मान ली। सीलिंग एक्ट में भी यह प्रावधान दिया हुआ है। जो 18 वर्ष का बालिग है उसे आप वंचित क्यों कर रहे हैं ? क्या उस पर सीलिंग एक्ट लागू नहीं होता ? सीलिंग एक्ट के तहत आपने हमारी जमीन जरूर दो बार छीन ली है कि साहब, हमने इसको कमाण्ड घोषित कर दिया है अब उसमें 80 बीघा रहेगी या 400 बीघा रहेगी, वहां तो सीलिंग एक्ट छीनने में लागू कर रखा है लेकिन जो उसको सीलिंग एक्ट का फायदा मिलना चाहिए वह नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही आपने आशाएं बड़ी बंधा दी कि काश्तकार एक मुश्त जमा करवा दे तो हम उसे 25 प्रतिशत की छूट दे देंगे। × × × इतना पैसा होता तो वह टीबों पर नहीं पड़ा रहता, वह भी कल कारखाने लगा लेता। आप काहे की उम्मीद लगाये बैठे हैं ? क्या यह बेकार की लाइनें लिखते हैं कि जो एकमुश्त जमा करवा दे उसको 25 प्रतिशत कर रिलेक्शेशन दे देंगे। कुल मिला कर मेरा आपको यही निवेदन

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

करना है कि अगर आपको खातेदारी देनी है और किसान का हित देखना है, तो आप तो उस पर कम से कम सोचिये क्योंकि वह खुद की गलती से नहीं किसी अन्य व्यवस्था के कारण भुगत रहा है। आज वर्षों से उसके बारे में चर्चा चल रही है। धारा 15 जो टिनेन्सी एक्ट में बनी, उस काश्तकार को अधिकार देने के लिये बनी, उस पर 15–ए लगाकर आपने उसे खातेदारी देने से रोक दिया। उसके बाद फिर 15-एए किया, फिर 15एएए कर दिया। वर्षों से प्रक्रिया चल रही है किन्तु काश्तकार को एक बीघा की खातेदारी नहीं मिली है। अगर उसे वास्तव में फायदा देना चाहते हैं तो उससे राज्य सरकार को कोई घाटा नहीं होगा। आप जो यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि 400 करोड़ का घाटा हो जायेगा, मैं यह कहता हूं कि कैनाल आयेगी तो इरिगेशन होगी—

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : इरिगेशन से उपज बढ़ेगी तो टैक्स राज्य सरकार को ही मिलेगा। तो आप क्यों पीछे पड़ रहे हैं कि हम तो इस जमीन की कीमत लेंगे? आप कहते हैं कि इस क्षेत्र में कैनाल लाये हैं जिस पर अरबों का खर्चा हो गया है। आप कुछ लेना ही चाहते हो कि किसान के हम बाल छीनें या अगर जेब फटी हुई है वह भी छीन लें तो ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि बेटरमेंट लेवी लगादो जैसा कि पूर्व में राजस्थान कैनाल एरिया में हुआ है। अगर डेवलमेंट के नाम पर लेना चाहते हैं तो बैटरमेंट लेवी ले लो। परन्तु आप उससे खातेदारी के नाम पर यह पैसा किस बात का ले रहे हो, यह समझाइये? क्या आपने दूसरों को खातेदारी नहीं दी टिनेन्सी एक्ट के तहत?

श्री अध्यक्ष : यह बात पूर्व में कह चुके हैं। माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो खून जल रहा है। आखिर में हम कोई गलत काम करके या कब्जा करके या राज्य सरकार की कोई जमीन दाब कर खातेदारी अधिकार नहीं मांग रहे हैं। हमारा सैकड़ों वर्ष से कब्जा है, काश्त है। हम सीधे सादा यह कहते हैं कि जो भी जमीन हम वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं, जिस पर हमारा अधिकार है उसकी हमें खातेदारी मिलनी चाहिए। यह जिस प्रकार आप बांध कर रखना चाहते हैं कि पानी लगने के दो साल बाद में कीमत वसूल की जायेगी 16 किश्तों में। यह किश्तें कब भरी जायेंगी? यह तलवार आपने ऐसी लटका कर छोड़ दी है कि वह किसान कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए, मेरा अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन है कि अगर आप किसान का हित चाहते हैं तो इसमें कुछ संशोधन करके उसे मुफ्त में खातेदारी सीलिंग एक्ट के तहत देने के लिए निर्णय लीजिए, इसी में आपका हित है और किसान का हित है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, जो बात मंत्री महोदय ने समझाने की कोशिश की है वह हमारे घट में नहीं उतरती।

श्री अध्यक्ष : यह तो अपनी अपनी समझ है, इसका तो क्या करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, किसी के नहीं उतर रही है इसलिए मंत्री महोदय को दुबारा आगाह कर रहे हैं कि किसान की जो जमीन है उसको पुनः लेकर यह एहसान कर रहे हैं क्योंकि एक मुरब्बा यों ही छोड़ देंगे और फिर आपसे एप्लीकेशन लेंगे । 1955 में जो कानून बना उसमें यह था कि किसानों को अधिकार दिये जायेंगे । उसके बजाय सारी जमीन उससे छीन रहे हैं जबकि उसके बेटों, पोतों, पड़पोतों की शाखाएं फैल गई हैं । उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाह रहे और ऊपर से कह रहे हैं कि किसान का भला करने जा रहे हैं । आपको किसी ने गलत समझाया है, आप इसको दुबारा समझिए आप कह रहे हैं कि जब गाय लूंगा, भैंसे लूंगा, दूध की नदियां बहेंगी फिर शादी करूंगा । ऐसी बात करेंगे कि जब नहर आयेगी तब हम लेंगे । 16 किश्तों में लेंगे । 500 और इतने दिन में लेंगे । आप इसे ठीक से समझे नहीं, मंत्री महोदय । आप इसको समझिए फिर किसान के हित में बिल लाइए । बात ठीक है कि दुकानदारी कर लें, व्यापार कर लें लेकिन धरती तोड़ कर मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है किसी की बपौती छीन लेना जो उसके पुरखों ने जमा करी है, मैं समझती हूं अच्छी बात नहीं है । एक जगह तो हमला करके छीन लें और एक जगह इस तरह का कानून बना कर छीन लें तो लोग आपको धिक्कारेंगे वक्त आने पर । मेरा आपसे कहना है कि किसान के हित में काम करना है । आपको यह कहा गया कि इस प्रकार का बिल लाइए । इस सरकार में आप बन्धे हुए बैठे हैं लेकिन आपका दिल भी कह रहा है कि गलत कानून पास कराने के लिए आपको दिया गया है । मंत्री पद कोई बड़ी चीज नहीं है फिर आपको मिल जायगा । किसान ही आपको देंगे । आप किसान के हित में यह मंत्री पद का लोभ छोड़ कर—

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें । यह बातें पूर्व में आ चुकी हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने सरल हृदय से सोचा होगा कि आपको गलत कानून लाने के लिए कहा जा रहा है । मेरा आपसे आग्रह है कि बहुमत के आधार पर इस तरह पब्लिक का गला न घोंटें ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और उन विचारों के दौरान इस बिल से सम्बन्धित बातें बताई और दूसरी बातों के सम्बन्ध में भी अपने विचार उन्होंने रखे । मैं इस बिल तक ही अपने आपको सीमित रखते हुए निवेदन करना चाहूंगा । जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उन्हीं बातों को दोहराया है जो कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले कहीं थीं । इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया, आपका कहना तो यह भी था कि किसानों से यह कीमत नहीं ली जानी चाहिये । मैंने उस समय भी निवेदन किया था और पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो कीमत ली जा रही है उसके रीजन्स है । खातेदारी राइट्स यहां पर किन किसानों को दिये जा

(श्री हीरालाल देवपुरा)

रहे हैं वह स्पेसिफिक प्रावधान कर के दिये जा रहे हैं। पहले यह खातेदारी राइट्स नहीं थे। उन किसानों को तत्कालीन बीकानेर रियासत और जैसलमेर रियासत में बहुत ही सीमित अधिकार दे रखे थे। वह न तो खातेदार थे, न किसी और तरह से उनके पास जमीन का कब्जा था, रेजीडेन्स का राइट उनको था। विरासत में यह जमीन जा सकती सकती थी लेकिन उनको उस जमीन को ट्रान्सफर करने का, उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का किसी तरह का कोई अधिकार उनको नहीं था, न किसी प्रकार का रिकार्ड वहां था। इस प्रकार के जो किसान जमीन पर काबिज थे उनको खातेदारी राइट्स देने का सरकार ने सोचा और उसके लिये कानूनी प्रावधान किया। इसके पहले वाली सरकार ने भी उन लोगों का खातेदारी का राइट्स देना चाहा था लेकिन उनको इसमें छोड़ दिया। जनता पार्टी सरकार थी तब इन लोगों को छोड़ दिया गया। जो लोग छोड़ गये थे, चूंकि जमीन पर उनका कब्जा था यह सरकार चाहती थी उन लोगों को भी खातेदारी राइट्स मिले, उनके लिये यह प्रावधान किया गया है। जो बिल्कुल किसी प्रकार के राइट उनके नहीं थे, अब खातेदारी राइट्स मिलने से उनको दूसरे किसानों के समान बराबर के राइट्स मिलेंगे। जमीन के न केवल खातेदार होंगे बल्कि उनको जमीन को खुर्द-बुर्द करने का, बेचने का सब तरह का राइट्स मिलेगा। इस बात को किसी ने सोचा, नहीं समझा नहीं, नजरअंदाज किया। चूंकि उनकी जमीन थी इसलिये उनको खातेदारी राइट्स दे दिये जायें यह बात दोहरायी जा रही है। मैंने कहा इस जमीन के खातेदारी राइट्स मिलने के साथ-साथ, जिस जमीन पर अब तक किसी प्रकार की काश्त नहीं थी, जमीन के मालिक थे, जमीन उनके पास थी लेकिन जमीन किस काम की थी, देखने की थी या कभी कोई घास होती तो पशुपालन के लिये वह जमीन थी जिस पर कभी अनाज पैदा नहीं हुआ था, जमीन की हालत किस प्रकार की थी वह आप लोगों से छिपी हुई नहीं है, उस जमीन पर जब पानी आयेगा, वहां पर किसान काश्त करेगा, जब उसकी खुशहाली होगी, उसकी आमदनी होगी तो जमीन की एक तरह से कीमत बढ़ेगी। उस कीमत को देखते हुए जो फिक्स्ड रेट उस इलाके के लिये तय की गयी है, वह दर, वह कीमत एक मुरब्बा फी देने के बाद किसानों से लेने की बात की है इसके अन्दर कहीं अनौचित्यपूर्ण बात नहीं है, औचित्यपूर्ण है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इसको स्वीकार करना चाहिये। इसको स्वीकार कर चुके हैं। अमेन्डेड बिल जो मैं लाया हूं, जो वह बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत है, इस बिल के अन्दर इस बात की कोई चर्चा इसलिये नहीं है कि यह तो बील पास हो चुका है, एक्ट बन चुका। मैं तो उसमें रियायत दे रहा हूं। रियायत इस बात की है कि एक मुश्त पैसा नहीं लेकर हम 16 किश्तों में लेंगे। और यह किश्तें भी कब से शुरू होंगी? दो पानी आने के बाद, दो साल के बाद वह किश्तें शुरू होंगी। इस बिल के अन्दर शुरू में यह प्रावधान था कि 500/- रुपये दरख्वास्त के साथ देने पढ़ेंगे। उसमें मैंने छूट दी है। 500/- रुपये उसको तभी देने पड़ेंगे जब उसकी दरख्वास्त स्वीकार कर ली जायेगी। माननीय सदस्यों ने एतराज किया कि अब तक 500.00 रुपये

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लिये जा रहे हैं, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। चूंकि यह अमेन्डमेन्ट अब आया है, आर्डिनेन्स में भी यह बात नहीं थी, यह बिल जब एक्ट बन जायेगा तब यह बात लागू होगी। लेकिन इस दरमियान माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि एक हिदायत के अनुसार सरकार ने कलक्टर को कहा है कि 500.00 रुपया अगर कोई नहीं दे तो उसके साथ ज्यादती नहीं की जाय, जब दरख्वास्त मंजूर हो जाय तब उससे 500/- रुपये ले लिये जायं चूंकि सरकार की मंशा यह है, और सरकार इस प्रकार का बिल सदन के अन्दर लेकर जा रही है। इसलिये वह जो आप कहते हैं, हो सकता है कहीं 500/– रुपये उससे पहले लिये गये होंगे।

श्री चन्द्रवीरसिंह : यह हो रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : हो रहा है क्योंकि मैंने कहा, यह कानून था, 500/– रुपये दरख्वास्त के साथ देने थे। कोई अधिकारी उसको ओवरलुक नहीं कर सकता। उन्होंने दरख्वास्त के साथ 500/– रुपये लिये हैं, जिसने नहीं दिये होंगे उससे मांगे भी होंगे कि 500 रुपये जमा कराओ। लेकिन रिसेन्टली कुछ अर्से पूर्व जब यह आर्डिनेन्स निकाल दिया और बिल लाने की तैयारी हो गयी, उस बीच में हमने यह हिदायत भी दी है कि अब 500.00 रुपया लेने की आवश्यकता नहीं है, दरख्वास्त मन्जूर हो तब लें। कहीं-कहीं इसकी पालना भी हुई है। मैं कतई यह नहीं कह सकता कि नहीं लिये गये। लिये गये हैं लेकिन अब जब यह बिल एक्ट बन जायेगा तो 500.00 रुपये उनसे दरख्वास्त के साथ नहीं लिये जायेंगे। यह बिल्कुल स्पेसिफिक इस एक्ट में लिखा हुआ है। इसमें यह बात नहीं है। 500.00 रुपये दरख्वास्त के साथ लिये जायें तो यह चीजें जो इसमें की गई हैं वह सब सहूलियत के लिये की गयी है।

दूसरी एक बात यहां पर हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उठायी थी को-टिनेन्ट्स के बारे में। इस बिल में यह प्रावधान किया है कि को-टिनेन्ट्स जो एक खाते के टिनेन्ट्स हैं, एक मुरब्बा फ्री देने के बाद दूसरे जो को-टिनेन्ट्स हैं उनको फिक्स्ड प्राइस पर एक मुरब्बा देने की बात इस एक्ट में की गयी है। खातेदार एक है, खाता एक है। एक खाते पर एक मुरब्बा फ्री देने की बात की है। माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि सन् 1955 के बाद जो टिनेन्ट्स हैं, काफी लंबा अर्सा हो गया, खाते बदल गये हैं। खाते जो रद्दोबदल हो गये हैं, उनको तो हम सेपरेट खाते मानेंगे' उसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि उनको सेपरेट खाता नहीं माना जाय।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर स्टेट के जिन काश्तकारों की बात आज यहां पर कही जा रही है, कोई रिकार्ड किसी प्रकार का उस स्टेट में काश्तकारों का नहीं था। एक्ट जो बन चुका है उसमें प्रावधान किया हुआ है कि जहां पर इस प्रकार रिकार्ड नहीं है, खातेदारी राइट्स काश्तकारों को नहीं दिये जा सकते। किस प्रकार के टिनेन्ट्स है यह मालूम नहीं किया जा सकता वहां पर ग्राम सभा बुला कर, वरबल शहादत, जुबानी शहादत लेकर मौके पर स्थिति देखकर कि किसान वहां पर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

काबिज है, जो काबिज हों, उसको भी हमने किसान माना है, और उसको उसी तरह ट्रीट किया जायेगा जो रिकार्ड के अनुसार किसान साबित होता है....

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : यह ग्राम सभा कब होगी ? इसकी क्रियान्विति कब होगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एक्ट में प्रावधान किया हुआ है तो माननीय सदस्यों को मानना चाहिये कि उसकी पालना होगी। कहीं पर भी इस एक्ट में कोई ऐसी बात नहीं की गई है जो किसानों के विरोध में या किसानों के लिये अलाभकारी हो। जो कुछ भी आज बिल लाया हूं। अब तक जो कानून बना है उस कानून के अन्दर जो कमियां महसूस की हैं, जिस की वजह से किसान को परेशानी होती थी, उस परेशानी को दूर करने के लिए और जो किसान इस परिधि में नहीं आता, जो व्यक्ति अलग रह रहे थे, उनको इस परिधि में लाने की दृष्टि से कि समय की दृष्टि से वह परिधि में आ जायें और वे भी इस लाभ से वंचित न रह जायें, उनको लाभ देने के लिये यह बिल लाया गया है। तो यह बिल्कुल साफ और स्पष्ट कानून है, कहीं पर भी इसमें और कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को पारित कर एक्ट का रूप दिया जाये.।

श्री आत्मा राम (हनुमानगढ़) : एक खाते में चार हिस्सेदार है उनको चार मानेंगे या एक मानेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने आपको निवेदन किया था कि यदि घर में चार हिस्सेदार हैं, तो चारों का हक होगा। केवल एक मुरब्बा जो फ्री दिया जायेगा वह एक ही फ्री दिया जायेगा बाकी चारों खातेदारों को एक-एक मुरब्बा फिक्स्ड रेट पर दिया जायेगा।

श्री आत्मारामः : चारों को फ्री दिया जाना चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : कीमत देकर करवाना है वो वह फिर अलाट करवा लेगा। फिर उसका पुराना अधिकार क्या रहा ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : आपने कहा कि प्रार्थना पत्र के साथ 500 रुपये नहीं लिये जायेंगे। आपने एक आदेश प्रसारित किया है कि जिसने 500 रुपये नहीं दिये हैं उससे ब्याज भी लिया जायेगा। 500 रुपये तो छोड़ दीजिये। क्या आप उस आदेश को वापस ले रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अब इस कानून के बनते ही इसकी मंशा साफ हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर हैं। चर्चा समाप्त हुई। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : आर्डिनेन्स के बाद भी दरख्वास्त के साथ 500 रुपये लिये जा रहे हैं।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। चर्चा समाप्त हुई। मतदान किया जा रहा है।....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : पाकिस्तानी नागरिक कब्जा कर रहे हैं।....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाये ?—

(ध्वनि मतदान)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अभी मैंने अपना मत व्यक्त नहीं किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): ना पक्ष जीता....

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाये ?

(ध्वनि मतदान)

हां पक्ष जीता।

श्री हीरालाल देवपुरा : A yes have it.

श्री महावीर प्रसाद जैन : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : मैं दुबारा पूछ लेता हूं। जो माननीय सदस्य जिधर अपना मत रखते हैं वे खड़े हो जायेंगे और उसकी गिनती कर लेंगे।

श्री महावीरप्रसाद जैन : We claim division.

श्री हीरा लाल देवपुरा : किसान को सहूलियतें दी जा रही हैं उस पर डिविजन मांगा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाये ?

(व्यवधान)

विभाजन चाहते हैं क्या ?

(मत विभाजन घन्टी)

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इतनी × × × आयी तब पास हुआ है यह।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुख्य मंत्रीजी, मंत्रीगण, सदस्यगण कोई भी विधान सभा को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। विधान सभा चल रही है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1984 पर निम्नांकित सदस्य....

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं इस बिल में कुछ अमेण्डमेंट प्रस्तुत करने हैं सरकार की ओर से, जो अभी मैं तैयार कर के दे दूंगा। इसलिए मैं समय चाहूंगा इसके लिए। दूसरा बिल ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : पांचों बिल विचारार्थ लिये जाने थे दिनांक 15 और 16 को इसलिए इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने सुबह ये आदेश दिया था कि आज केवल तीन बिल लिये जायेंगे। ढाई बिल लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह सोच करके कि पांच विधेयक हमको पारित करने हैं तो पहले दिन लगभग 2½ विधेयक, यानी 2 पूरे पारित कर दें और एक पर आधा विचार कर लें, ऐसी व्यवस्था थी। तो इसमें मैं समझता हूं कि यदि वह सरकारी पक्ष की ओर से संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने····

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संशोधन लायें, जैसे मैंने····

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्या जो जयपुर विहार से आयी हैं, उन्होंने स्वयं मुझसे यह कहा था कि कल रख दो इस ग्रामदान बिल को।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने आपसे आग्रह किया था; कल लेने का, आप माने नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सदस्या ने कहा था कि मेरी पार्टी भी चाहती है, वह भी चाहती है कि कल रखा जाय इस ग्रामदान बिल को।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या बात कर रहे हैं? आपने कहा क्या देवपुराजी से मेरी बात। अब बात पर बात ला रहे हैं। मैंने तो, अध्यक्ष महोदय, आपसे कहा था कल लाने के लिए। हम तो सभी चाहते हैं कल के लिए लेकिन आपने ××× रखा है। अपनी कमजोरी को आप इस तरह जोड़ रहे हैं। कमाल कर दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो बात पर ही बात बनती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बात सुबह ही कह देते तो इतनी हिन्दी तो नहीं होती आपकी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने ऐसा किया।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

परिनियत संकल्प
राजस्थान नगरपालिका
(विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन)
विधेयक, 1984

श्री अध्यक्ष : (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक। इसमें परिनियत संकल्प है, माननीय सदस्य श्री कैलाश मेघवाल, श्री गुलाबचन्द कटारिया, डॉ उजला अरोड़ा, श्री नाथूसिंह, श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ : यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान नगर पालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण तथा संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश, संख्या–10, सन् 1984) को अस्वीकार करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय यह जो अध्यादेश राज्य सरकार ने जारी किया है मैं चाहता हूँ कि इस अध्यादेश को यह सदन अस्वीकार करे। यह इसलिए चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, कि विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन के लिए आपने अध्यादेश जारी किया। अब यह सही है कि हाईकोर्ट में एक मसला गया और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के मनोनीत एक बोर्ड को खारिज कर दिया उसने उस अधिकार को नहीं माना। मैं इसलिए यहां पर खड़ा हुआ हूँ कि राज्य सरकार का यह जो एक अपवाद-स्वरूप मनोनयन करने का अधिकार है उस अधिकार को राज्य सरकार सामान्य करती जा रही है। आखिर विद्या विहार में क्या कारण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, हिल एरियाज की जो ऑरिजनल सेक्शन-ए में एक व्यवस्था है कि जो हिल एरियाज है, उन हिल एरियाज में तो नोटिफाइड एरियाज घोषित किया जा सकता है वहां पर मनोनीत बोर्ड को कायम किया जा सकता है लेकिन विद्या विहार एक ऐसा स्थान है जहां पर कि सब लोग पढ़े लिखे रहते हैं, जहां पर चुनाव करवाने में किसी प्रकार की कोई बाधा आपको नहीं आ सकती, ऐसे स्थान के लिए, ऐसे स्थल के लिए आप जो यह अधिकार चाहते हैं मनोनयन करने का, इसमें संशोधन कर रहे हैं। विधिमान्यकरण करने का जहां तक सवाल था वहां तक तो ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा तरीका हो सकता था लेकिन हमेशा के लिए आप हिल एरियाज के बजाय यह भी संशोधन कर रहे हैं, "एजूकेशनल सेन्टर"

(3.00 म. प.)

(श्री हरिसिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ कि जनतांत्रिक व्यवस्था जहां पर ठीक चल सके, ऐसे जहां पर मतदाता हों, जहां पर ऐसा स्थल हो वहां पर अध्यादेश के द्वारा यह अधिकार लेना कि हमारा मनोनीत बोर्ड काम करेगा, यह जनतांत्रिक भावना के खिलाफ है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मुझे अफसोस है कि आज राजस्थान की नगर परिषदों में, राजस्थान के अनेक नगरों में स्वायत्त शासन के अधिकारों पर डाका डालने के बाद आज 12–12 साल के बाद चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। सारे नगरों में जो नगर परिषदें हैं या जो नगरपालिकाएँ हैं, माननीय सभापति महोदय, अजमेर जिले में तो किसी भी नगरपालिका के चुनाव नहीं हुए हैं। 12-12 साल से यह सरकार नगर परिषदों के अधिकार पर डाका डालकर के, नागरिक का जो अपना स्वायत्त शासन का अधिकार है उस अधिकार पर डाका डालकर चुनाव करवाना नहीं चाहती है। आज किस × × × आखिर आपने यह साहस किया कि आप सदन में मनोनयन के अधिकार को मान्यता दिलाने के लिए आये हैं। मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जयपुर की हालत देखिए, यहां पर चुनाव नहीं हुए हैं। और जब चुनाव नहीं हुए हैं तो नगर परिषद में कोई सुनने वाला नहीं है। नगर परिषद में कोई शिकायत की जाती है तो कोई उस पर ध्यान देने वाला नहीं। जयपुर के सारे विधायकों की आप राय ले लीजिए, उनकी एक ही राय आयेगी कि जयपुर में चुनाव होने चाहिए।

आप अजमेर को ले लें। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, स्वायत्त शासन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहां जहां भी आपने मनोनीत व्यक्ति रख रखे हैं या प्रशासक रख रखें हैं, आप ब्यावर की हालत ले लीजिये, किशनगढ़ की हालत ले लीजिये, अजमेर की हालत ले लीजिये, जयपुर, कोटा और अजमेर ले लें, जितने नगर हैं, सारी जगह जहां जहां सरकार ने प्रशासक लगा रखे हैं 12–12 साल से वहां पर नागरिकों को प्राथमिक नागरिक सुविधाओं का भयंकर अभाव है। मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि राजस्थान में अगर स्वायत्त शासन की सेवाओं में भ्रष्टाचार बढ़ा है, गैर जिम्मेदारी बढ़ी है, काम नहीं करने की और काम चोरी की भावना बढ़ी है, माननीय सभापति महोदय, तो वर्तमान स्वायत्त शासन मंत्री जी के कार्यकाल में बढ़ी है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं यहां तक कह सकता हूँ, मैं अजमेर से आता हूँ, अजमेर का कोई अधिकारी माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है जो आय के स्रोतों में भ्रष्टाचार न करता हो और जो व्यय के माध्यमों में भ्रष्टाचार नहीं करता हो। सारा अजमेर नगर सड़ रहा है। प्राथमिक नागरिक सुविधा देने की सुनवाई करने वाला कोई नहीं। सर्वत्र गन्दगी है। सफाई कर्मचारी गैर जिम्मेदार हैं। सारे नगर में अंधकार रहता है। रोशनी के खम्भे जो हैं, वे सब खराब पड़े हैं। एक एक दो दो ट्यूब लाईटें कहीं लगी हुयी हैं। माननीय सभापति महोदय, जो बाग-बगीचे हैं उनकी हालत खराब है। कोई सुनने वाला नहीं है, नारकीय जीवन है। सवेरे-सवेरे यदि आप को अजमेर नगर में घूमना पड़े, यहां अजमेर नगर के 6 विधायक हैं, पाल बीचला के रहने वाले माननीय कंवरिया जी भी यहां बैठे हैं, शास्त्रीनगर की रहने वाली माननीय

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

श्रीमती भगवती देवी यहां बैठी हुई हैं दूसरे क्षेत्रों के निवास करने वाले विधायक भी बैठे हुए हैं माननीय सभापति महोदय, सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक का जो अजमेर का वातावरण आपको देखने को मिलेगा वह बिलकुल नारकीय वातावरण है। क्या होता है, माननीय सभापति महोदय नगर परिषद के पास फण्ड नहीं है. दिवालिया हो गयी है। सवेरे सवेरे सफाई कर्मचारी मल-मूत्र उठाकर नालियों में ऊंडेल देता है। और जब वह नालियों में ऊंडल देता है, ऊंडेलने के बाद जब वह वहां बहता है तो सारे मौहल्ले में नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। लोग-बाग इस तरह वहां जीवन जी रहे हैं। जब इसकी शिकायत करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं। मुझे अफसोस है, माननीय स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जी, आप सुनिये, पिछले 4 साल में आपको अजमेर नगर में आपके द्वारा नियुक्त किये गये आयुक्त, आपके द्वारा नियुक्त किये गये प्रशासकों के खिलाफ लाखों रुपये के भ्रष्टाचार करने की न केवल एक सेक्शन से बल्कि जनता के प्रत्येक वर्ग ने शिकायतें की हैं, लेकिन राजस्थान में स्वायत्त शासी संस्थाओं की सेवा में जो भ्रष्टाचार करने के विशेषज्ञ हैं, जो भ्रष्टाचार करने की महारथ हासिल किये हुए हैं ऐसे लोगों को माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने अजमेर नगर को लूटने के लिए लगाया। अजमेर नगर को लूटने के बाद उन लोगों ने वहां भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया और अजमेर के नागरिक जीवन को नरक में धकेल दिया। यह एक जगह की बात नहीं है, माननीय सभापति महोदय, सारे राजस्थान की बात है। अच्छा होता राजस्थान की सरकार अध्यादेश लाती चुनाव कराने हेतु। चुनाव कराने में क्या बाधा आ रही है मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, इस देश में लोक सभा के चुनाव हो रहे हैं, विधान सभा के चुनाव हो रहे है, राजस्थान में कुछ नगर पालिकों के चुनाव भी हुए हैं, सरकारी समितियों के चुनाव भी हुए हैं। नगर परिषद और नगर पालिका के जो चुनाव नहीं हुए हैं, एक नगर परिषद को छोड़कर, जोधपुर की नगर परिषद का चुनाव कराया है वह भी सरकार ने स्वेच्छा से नहीं कराया है। जोधपुर नगर परिषद् के चुनाव कराने का राजस्थान की हाईकोर्ट ने निदश दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक सिद्धान्त राजस्थान की हाईकोर्ट ने तय किया कि नगर परिषदों के चुनाव कराकर स्वायत्त शासन के अधिकार नागरिक को दिये जाने चाहिए, राजस्थान की सरकार ने उच्च न्यायालय के इस निर्देश को राजस्थान की सब नगर परिषदों पर लागू क्यों नहीं किया ? यह मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जोधपुर नगर परिषद् के अलावा सब बड़े नगर ले लीजिये, चाहे उदयपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे अलवर हो, चाहे जैसलमेर हो, जहां-जहां भी नगर परिषद् हैं, मेरा स्पष्ट आरोप है, माननीय सभापति महोदय, उन नगर परिषद् के चुनाव नहीं कराने में कांग्रेस के निहित स्वार्थ हैं। आज कितनी लुटाई हो रही है ? इन नगर परिषद् में स्वायत्त शासन विभाग के जो अधिकारी लगे हुए हैं उनके द्वारा की जा रही लुटाई में ऊपर

(श्री कैलाश मेघवाल)

तक हिस्सा है। मुझे अफसोस है। अफसोस इसलिए है कि कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, आपके पास तो बहुत शिकायतें पड़ी हुई हैं, आपने कुछ शिकायतों का तो न्यारा-न्यारा किया है। लेकिन जहां प्रमाणिक भ्रष्टाचार थे, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नगर परिषद् अजमेर के प्रशासक मिस्टर मेहरू के खिलाफ आपके पास शिकायतें नहीं हैं? मैं पूछना चाहता हूं, नगर परिषद् अजमर के प्रशासक, बर्मा लगे थे क्या उनके खिलाफ आपके पास शिकायत नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में भ्रष्टाचार के विशेषज्ञ को आपने आयुक्त लगाया हुआ है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की ओर से न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। बीकानेर में 80 हजार रुपये की गड़बड़ करने का भी मुकदमा चल रहा है। उन्होंने माननीय सभापति महोदय, अजमेर नगर में नहीं-नहीं करते हुए 25 लाख रुपये की रिश्वत खा करके अजमेर नगर में करोड़ों रुपयों की जो नागरिक सम्पत्ति है उसको खुर्द बुर्द किया। ये शिकायतें भी माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी के पास पड़ी हुई है आज वहां पर बी. डी. जोशी, आयुक्त लगा रखे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह वही बी. डी जोशी हैं जिनका अजमेर में भ्रष्टाचार करने के कारण स्थानान्तरण किया गया था। यह वही बी डी जोशी हैं जिन्होंने अलवर में भ्रष्टाचार किया उसकी पत्रावली आपके यहां पर पड़ी हुई है। यह वही बी. डी. जोशी हैं जिन्होंने जाते ही भ्रष्टाचार करना चालू कर दिया। उनके खिलाफ शिकायत होना चालू हो गयी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आखिर स्वायत्त शासन के अधिकारी आपको क्यों इतने प्यारे लगते हैं कि वे भ्रष्टाचार करते जायें नागरिकों की सुविधाओं पर डाका डालते जायें, नागरिकों को नरक में रहने के लिए मजबूर करें, नागरिकों को अंधकार में रहने के लिए मजबूर करें और आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लें। माननीय सभापति महोदय, बहुत लम्बे समय से विधायक हैं, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, अगर आप में आत्मा है, एक बात ईमानदारी से कह दीजिए, राजस्थान में जहां-जहां आपकी कांग्रेस (आई) सरकार के प्रशासक लगे हुए हैं नगरपालिका या नगर परिषद में, एक भी जगह क्या ठीक ढंग से काम हो रहा है? जहां पर चुनी हुई नगरपालिका या नगर परिषद् है वहां भी हस्तक्षेप करके ऐसे × × × अफसर को लगा रहे हैं जो वहां पर ठीक ढंग से काम नहीं करने दे रहे हैं। क्या यही स्वायत्त शासन की कल्पना थी? इस नगर परिषद् एक्ट में, माननीय सभापति महोदय, एक अधिकार है–प्रशासक कब लगेगा? आपातकाल, बहुत ही स्पेशियली एक्सेप्शनल केसेज में प्रशासक लगाया जायेगा, अपवाद स्वरूप। आज 12-12 साल से 15-15 साल से इन्होंने प्रशासक लगा रखे हैं। यह कौन सी भावना है? फिर आज एक अध्यादेश के द्वारा उसी मनोनयन के अधिकार, प्रशासक लगाने के

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

अपने अधिकार उन अधिकारों की विधि-मान्यता कराने के लिए इस विधान सभा में बिल प्रस्तुत किया गया है। माननीय सभापति महोदय, किसी भी सही चिन्तन करने वाले की यह मशा नहीं होगी। अब यह ठीक है कि आपका बहुमत है घंटी बजेगी, अभी तो नहीं हैं लेकिन घंटी बजेगी तो फिर इन बैंचों पर बहुमत हो जायेगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि उस बहुमत के आधार पर राजस्थान की जनता के नागरिक अधिकारों पर जो कुठाराघात कर रहे हैं, राजस्थान की जनता के नागरिक अधिकारों पर जो डाका डाला जा रहा है, राजस्थान के विभिन्न नगरों में रहने वाली जो जनता है, जो नागरिक हैं उनको जिस तरह का दयनीय और असहज जीवन बिताने को बाध्य किया जा रहा है। उसको आप तुरन्त रोकिये। ××× आपने यह मनोनयन के अधिकार लिये हैं, आप तो बड़े शर्मदार हैं, मैं ××× प्रद्युम्नसिंह जी से उम्मेद नहीं कर सकता कि यह बातें आपकी समझ में आयें। धौलपुर की हवेली साफ सुथरी रह जाती होगी, सिविल लाइन्स का बंगला साफ सुथरा रह जाता होगा। हालत देखनी है आपको तो अजमेर के कुछ क्षेत्र मेरे साथ चलकर देखिए। एक बार ही आप आ जाइये। अगर आप में साहस है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नगरा क्षेत्र देखिए। गूजर बस्ती, जिसका आज आपने जवाब दिया, देखिए। जादूगर का क्षेत्र देखिए। शास्त्री नगर देखिये। किसी मोहल्ले में चले जाइये, चाहे पुराणा मोहल्ला हो, चाहे स्लम एरिया हो, चाहे आधुनिक बस्ती हो, कहीं पर अगर आपको सफाई दिख जाये, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके साथ रहूंगा जिस समय जो आप कहेंगे वह सजा भुगतने को तैयार हूं। कीजिए तो सही हिम्मत। राजस्थान के नागरिक जीवन को देखें। कोई सुनने वाला नहीं। मैंने कई शिकायतें कीं, परिणाम कुछ नहीं निकला। इनके पत्र मेरे पास आते हैं कि जाँच करा रहे हैं। जाँच का परिणाम क्या निकला? नदारद। वह परिणाम क्यों नहीं निकलता है? जाँच की पत्रावलियां कहां तक जाती हैं? मेरे अजमेर नगर परिषद की माननीय सभापति महोदय, मुझे जानकारी है ऊपर के पहले अधिकारी से लेकर बाद के 2 अधिकारी में से एक भी ऐसा नहीं है जिसने कि भ्रष्टाचार नहीं किया हो, एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने अनियमितताएँ नहीं की हों, एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने अजमेर नगर की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करके अवैध आय नहीं की हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसने कि वहां पर नाजायज कब्जे नहीं किये हों। मैं यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, कोई सुनवाई नहीं होती। आज 47 वार्ड हैं। 47 सदस्य नगर परिषद के चुने जायें। तो वे सदस्य अपनी बात कहकर, नगर परिषद में बैठ करके नगर की सफाई की अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकते हैं। हमको खुशी होती

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

अगर स्वायत्त शासन मंत्रीजी चुनाव कराने का कोई कानून ले कर आते, उस चुनाव कराने में अगर कोई बाधा आ रही है तो उसे हटाने की कोई बात ले करके आते। एक उदाहरण देता हूँ, माननीय सभापति महोदय। हमारे यहां नियुक्तियां होती हैं चार सौ आदमी दैनिक मजदूरी पर लगते हैं। होता क्या है, मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि उन चार सौ आदमियों में से कुछ तो लगते ही नहीं है नकली नाम होते हैं। कुछ आदमी कांग्रेस (आई) के नेता, जिन्हें संरक्षण देते हैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी, जो प्रद्युम्न सिंहजी के काम में अधिकारियों के खिलाफ सिफारिश कर सकते हैं, के घर चले जाते हैं और कुछ अधिकारियों के घर पर लग जाते हैं, कुछ जिलाधिकारी के घर पर लग जाते हैं। यहां तक ही नहीं; माननीय सभापति महोदय, क्या कहूं आपको, प्रद्युम्नसिंह जी, आप पता लगा लेना मैंने एक सवाल भी दिया है भिश्ती की पोस्ट के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भिश्ती का काम तकनीकी काम है और यह तकनीकी काम भिश्ती ही कर सकता है? भिश्ती की पोस्ट पर 45 आदमी नियुक्त किये गये लेकिन एक भिश्ती नहीं है। उनमें से भिश्ती का काम करने को कोई तैयार नहीं है। आज सारे नगर में सड़ांध फैली हुई है, नरकवाड़ा फैला हुआ है, गन्दगी फैली हुई है। वहां नागरिक जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहा है और यहां पर स्वायत्त शासन मंत्रीजी, उसका कोई जवाब नहीं देकर कहते हैं, हमारी सरकार के मनोनयन के अधिकार को मान्यता दो। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ, इस अधिकार को मान्यता देने से पहले सरकार एक बात स्पष्ट करें, माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी, नगर परिषदों के चुनाव आप कब करा रहे हैं? नंबर-एक। नगर परिषदों की जितनी शिकायतें हैं, दुर्भाग्य है कि आपने उसमें बढ़ोत्तरी कराई है। मैं कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को जितना प्रोत्साहित आपने किया है, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को जितना संरक्षण आपने दिया है मुझे याद नहीं आता कि पिछले पांच साल में किसी ने दिया हो, यह मेरा आप पर आरोप है। इसलिए मैं चाहता हूं आप एक घोषणा और करें कि जिन अधिकारियों के खिलाफ प्रामाणिकता से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जो जांच पत्रावलियां आपके दफ्तर में दबी हुई हैं, चाहे वह सचिवालय में किसी टेबल पर दबी हुई हों, चाहे वह निदेशालय में किसी टेबल पर दबी हुई हों, चाहे वह स्थानीय निकाय के किसी कमरे में बन्द हों, उनको निकलवाकर नागरिक जीवन को साफ करने के लिए पहले भ्रष्ट अधिकारियों को आप कब तक दण्डित कर देंगे? ये अपवाद स्वरूप मनोनयन का अधिकार क्यों लेना चाहते हैं शिक्षा क्षेत्र में ...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, कोई नेशनल तो है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : एक शैक्षणिक क्षेत्र ही है जहां जनतांत्रिक व्यवस्था सबसे अच्छी चल सकती है, माननीय सभापति महोदय, यह बात मेरी समझ में आती है। सबसे बढ़िया जनतांत्रिक व्यवस्था के लिये सबसे ज्यादा जागरूक शिक्षित नागरिक ही है। नागरिक जीवन के प्रति समर्पित, नागरिक जीवन के कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक और जनमत में अच्छा शिक्षित मतदाता जो होता है उस पर निर्भर करती है जनतन्त्र की व्यवस्था, जनतान्त्रिक व्यवस्था। ये जिस स्थान के लिये मनोनयन का अधिकार लेना चाहते हैं और जहां-जहां भी शिक्षण संस्थाएं होंगी, वहां-वहां पर मनोनीत अध्यक्ष अपना बोर्ड बनायेंगे। ये हमेशा के लिये जो एक अधिकार लेना चाहते हैं इसके पीछे इनकी मन्शा क्या है यह मैं पूछना चाहता हूं, जहां सबसे बढ़िया जनतान्त्रिक व्यवस्था चल सकती है आप मनोनयन करना चाहते हैं केवल इसलिये कि जागरूक मतदाता स्वायत्त शासन मंत्रीजी जैसे काम करते हैं उन कामों को समर्थन नहीं देगा, इनके भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठायेगा। उनको हटा देगा और ××× उसमे दखलंदाजी देगा। इसलिये यह चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से अपने लोग मनोनीत करें जिनसे हम चौथ वसूल कर सकें चाहे नागरिक जीवन की क्या ही स्थिति हो।

इसलिये मैं चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि इस तरह के अध्यादेश को मान्यता न देते हुए यह सदन खारिज करे और आज मजबूर करे राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री को कि वे राजस्थान की नगर परिषदों और बाकी रही नगरपालिकाओं के चुनाव की घोषणा जल्दी से जल्दी करें। साथ ही राजस्थान के सभी नगरों में फैली हुई गन्दगी को हटावें और वहां के नारकीय जीवन को नरक से छुटकारा दिलाने की यहां स्पष्ट घोषणा करें।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं, "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण तथा संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 10, सन् 1984) को अस्वीकार करता है।"

सभापति महोदय, एक तरह से इस कानून बनाने वाली संस्था का दुर्भाग्य है कि इसको इस प्रकार की मुसीबत में फंसे हुए कानून की ××× करने का काम सौंपा जा रहा है। हमें यह समझ में नहीं आता कि किस पागल कुत्ते ने काटा कि जो हमारे अधिकार में नहीं था उस बोर्ड का गठन आपने क्यों किया ? पिछली बार आपने विधान सभा में एक बिल के द्वारा यह अधिकार प्राप्त किया था कि हम नोटिफाइड एरिया घोषित करके कुछ स्थानों पर नगरपालिका में अपने ××× लोगों को बैठायेंगे और वहां की व्यवस्था वह करेंगे। हमने उस समय संदेह प्रकट किया था कि यह केवल बहाना है आबू पर्वत का, आप

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इस हथियार का प्रयोग करेंगे जहां-जहां आप चाहेंगे। अगर आपकी मन्शा ठीक होती और किसी तरक्की के लिये करते तो शायद इतना दुःख नहीं होता लेकिन आपको तो पता नहीं किस कीड़े ने काट रखा है कि कानून की × × × करते चले जाओ और फिर उस × × × से बचने के लिये नया × × × कानून लाते चले जाओ। मुझे लगता है, शायद यह उसी की परिणति है जब हाई कोर्ट से × × × लौट आये। केवल आपने मुह की नहीं खाई, इस राजस्थान विधान सभा के कानून बनाने वाले सारे 200 एम. एल. ए. ने यह मात खाई। हमारी चुनी हुई सरकार, चुने हुए नुमाइन्दों को हमने सबसे पहला काम ही यह सौंपा है कि वह कानून का निर्माण करे, कानून बनाये। दुर्भाग्य यह है कि कानून बनाने वाली यह संस्था कानून की धज्जियां उड़ाती चली जा रही है। आज दुर्भाग्य है हमारा, लेजिस्लेशन पास करना जो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति आज ये बैंचेज खाली पड़ी रहती हैं। यह हमारे मुल्क के लोकतन्त्र का मखौल है। यह वास्तव में है क्या? यह विधान सभा क्या चीज है? विधान सभा कानून बनाने वाली संस्था है। जब कानून बन रहा हो तब राजस्थान का चुना हुआ नुमाइन्दा चाय की चुस्कियां ले करके इस राजस्थान को चलाना चाहे तो यह देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इसका मखौल उड़ाते चले जा रहे हैं। आपको क्या जरूरत पड़ी जो आपको यह अमेण्डमेन्ट लाना पड़ा? आपने पिलानी में विद्या विहार नगरपालिका का गठन क्यों किया अगर आपके अधिकार में नहीं था? अब आपने उसको कानूनी जामा पहनाने के लिये आपने फिर कहा, ऐसा बना लो, और इसमें से निकल जायेंगे, गली बना लेंगे, निकल जायेंगे। आपके पास बहुमत है, आप चाहो वैसे लोगों का हाथ खड़ा करके चलाओ कोई चिन्ता की बात नहीं लेकिन आने वाली पीढ़ी आपको गालियां देंगी, आपके ऊपर एक कलंक का धब्बा रहेगा कि यह कानून बनाने वाली संस्था नहीं, यह केवल कानून बना कर देने वालों को पढ़ने वालों की, क, ख जानने वाले लोगों की संस्था बनकर रह गयी। कानून बनाने वाले लोग दूसरे हैं हम तो केवल उसको रीडिंग करते हैं, हम तो केवल उसको पढ़ते हैं और हाथ खड़े करके दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हम कानून बनाने वाली संस्था हैं। हम कानून बनाने वाली संस्था नहीं, ब्यूरोक्रेसी के × × × बनकर रह गये हैं, दुर्भाग्य यह है। आज हमारा दुर्भाग्य इस स्थिति तक पहुंच गया है कि इस ब्यूरोक्रेसी ने इस हिन्दुस्तान को तबाह करने की सोच ली है। यह × × × और आप चलने चले जा रहे हैं, एक के बाद एक कानून की × × × करते चले जा रहे हैं। अपने हाथ से कैसे यह पावर घट जाय, चाहे वह आर, ए. एस. अधिकारी लगा दिया, कहीं कौन-सा अधिकारी लगा दिया, कहीं प्रशासक नियुक्त हो गये × × × लोकतंत्र के नुमाइन्दे बनने वाले, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, रोज लोकतंत्र पर भाषण देने वाले लोगों से आज पूछता हूं कि आपको चुनकर आने के बाद सवा चार साल हो गये, सवा चार साल में

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्या जंग खा गया कि आप 84 नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं करा सके। कौन सा जंग खा गया, कौन सा डर है? यही डर है न कि शहर में लोग आपके चेहरे को पहचानते हैं और × × × इस भय के कारण से जाने में डर लगता है। क्यों यह डर है? कोई चिन्ता नहीं, ठोकर मार देंगे तो खायेंगे। कभी आपको मारेंगे, कभी हमको मारेंगे लेकिन लोकतंत्र-लोकतंत्र है, जरूरी नहीं कि हम जीत जायें। आपके मन में सन्देह क्यों है? आखिर लोकतंत्र की अपनी गरिमा है, अपनी प्रतिष्ठा है। आपका मन कूदता केवल इस कारण से है कि एक × × × को भेजकर उस × × × से पैसा कैसे वसूल किया जाय, दुकानदारी कैसे चलाई जाय। एक प्रशासक को जैसे गुलाम बना कर, × × × बैठा कर, आपने इन नगरपालिकाओं की हत्या की है। मैं उस नगर से आता हूं जो पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के ही नहीं, हिन्दुस्तान के ही नहीं विश्व के नक्शे पर उभरा हुआ है। आप कभी जाकर गली कूचों को देखिये, आपने कभी अपने विभाग के लोगों को कहा कि उन अखबारों की कटिंग लाकर ढेर लगाओ जिनमें वहां के फोटोग्राफरों ने जनता ने फोटो खींच रखी हैं? उन ढेरों, अखबारों को ले जाकर आपके सामने रखा है? है कोई प्रशासक जो वह गन्दगी दूर कर सका? उनको इस की फुरसत नहीं है, उनको तो केवल अपनी चौथ वसूल करने की फुरसत है कि किस नाके पर कौन सा × × × लगे और वह चौथ वसूल करके हमको देता रहे। कई बार तो ऐसा लगता है कि इस देश का ऐसा दुर्भाग्य हो गया है कि हर आदमी इस देश को अपनी जागीर, दौलत समझ कर लूटता चला जा रहा है। इन लोगों को कमिश्नर, प्रशासक को बैठा कर चाबी अपने हाथ में लेनी है और सारी चाबियां अपने हाथ में लेकर चाहे जैसे उत्सव मनाओ, फंक्शन मनाओ, चाहे जैसी बड़ी-बड़ी पार्टियां करो, मौज दो। लोगों को पेशाब करने के लिए पेशाब-घर नहीं है लेकिन मौज के लिए 10 हजार रुपए आपके पास हैं। आपको किसी न किसी बड़े नेता को खुश करना है उसको माला पहनाने के लिए 2 हजार रुपए आपके पास हैं, उसकी फोटो खींचने के लिए पैसा आपके पास है लेकिन सड़कों की सफाई के लिए इस लोकतांत्रिक देश में नगरपालिका के पास कोई व्यवस्था नहीं है। आज मुझे इसका बड़ा अफसोस है। उदयपुर नगरपालिका में आज नहीं, आज से बीस साल पहले सुखाड़िया जी ने वहां की झीलों में शहर के कुछ भाग का पानी, गटर का पानी गिरता था उन झीलों को गंदगी से बचाने के लिए सीवरेज लाइन बनाई। मैं पूछना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, आप जवाब देना मुझे कि उदयपुर की उन सीवरेज लाइनों जो आज से 20 साल पहले सुखाड़िया जी ने तैयार करायी थी से उन झीलों को प्रदूषण से बचाने के लिए एक बून्द पानी अगर कहीं बाहर निकलता हो। बता दीजिए, एक बून्द कह रहा हूं। आपकी सारी सीवरेज लाइन कभी की समाप्त हो गयीं, आपके कुएं, इंजिन सब बेकार हो गये हैं। गटर का सारा पानी, लोगों की टट्टियां, पेशाब उन झीलों में जा रहा है जिनका पानी हम पी रहे हैं। हम जानते हैं यह।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आये दिन शिकायत करते हैं लेकिन किसको कहें ? अगर कोई नुमाइन्दा होता उस वार्ड का तो उसको रोज नहीं केवल धर जाते वक्त लोग कहते कि भाई साहब, आप हमारे वार्ड के मेम्बर हो, हमको यह तक्लीफ है। 10 तकलीफ कहते तो निश्चित रूप से दो तो हल करता। आज किसी को जाकर कहो, कोई सुनने को तैयार नहीं है, एन्ट्रेन्स देने को तैयार नहीं है। इस से बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, उदयपुर नगर पालिका के प्रशासक ने राष्ट्रीय झण्डे को दिन भर उल्टा लटकाये रखा। उसके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराई तो पुलिस से मिलकर आपने और आपके डिपार्टमेन्ट के लोगों ने केस उठा लिया और एफ. आर. दे दी। राष्ट्रीय झण्डे का अपमान प्रशासक करें लोग शिकायतें करें, कोर्ट तक जाकर मुकदमा दर्ज कराने का प्रयत्न करें तो उनको डरा धमका कर, मिल मिलाकर हाथा-जोड़ी करके उस मामले को रफा-दफा कर दिया जाय। आखिर यह क्या है ? कौनसी नगर-पालिका चला रहे हो ? अमैण्डमेंट लाते लोगों के हित के लिए, लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए तब तो समझ में आता कि आपकी मंशा ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मंशा ठीक नहीं है। हम सब लोगों को लकवा मार गया है, हमारे मन में एक ऐसा चोर बैठ गया है कि धन और दौलत के आधार पर एम. एल. ए. बनना चाहते हैं लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले 5-10 सालों में इस दौलत को ठोकर मार कर नाली में गिरा दिया जायेगा, आखिर उसका कोई न कोई अन्त आयेगा। हमारे मन में, समझ में नहीं बैठता कि नगरपालिका से काम कराने के लिए क्या करें। हमने नगरपालिका की क्या दुर्गति बना कर रख दी है।

मैं आपको कहता हूं, उदयपुर नगर-पालिका ने नावें खरीदी हैं। आप पता करना, वह नावें आलरेडी तीन साल पानी में चल चुकी हैं। आपके प्रशासक ने खरीदी हैं या नहीं ? लाखों रुपए बरबाद करने के लिए, अपने भाई-भतीजों को खुश करने के लिए पुरानी नावों को हजारों रुपए में खरीद कर उनका पेमेण्ट कर दिया।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

यही नहीं, सीवरेज मशीन खरीदी। आप पता करिये, मिलिये, जो सीवरेज मशीन एक लाख 45 हजार में खरीदी वह डुप्लीकेट थी। जिस कम्पनी के नाम से खरीदी वह कम्पनी नहीं है। प्रोसिडिंग मंगा कर देखिये आप, उस पर एक नहीं हजार नोट लगे हुए हैं कि यह सब गलत है, फ्रॉड है। 25 हजार का कमीशन खाकर उस मशीन को मंगाया गया है। जब हल्ला हुआ जांच हुई उसके बाद 45 हजार कम देकर उसका पेमेन्ट किया गया है या नहीं ? यह कौनसी नगरपालिका है ? आपको इसको देखने की फुरसत नहीं है आपको तो यह है कि विद्या विहार, पिलानी चूंकि बहुत बड़ा एजुकेशन का सेन्टर है इसलिए वहां नामिनेटेड बोर्ड बनाओ। तो कल उदयपुर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसको बनाओगे, परसों जोधपुर को बनाओगे और परले रोज जयपुर को बनाओगे साफ मंशा से कह दो, आपकी इच्छा है क्या; आप

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चाहते क्या हो ? यही एक आर्डिनेंस निकाल दो कि नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं होंगे, सारे नॉमिनेटेड होंगे। यह सारी आई. ए. एस. लॉबी, जिसने हिन्दुस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है, आज नहीं तो कल आपको सोचना होगा, इन सारे लोगों ने अपने स्वार्थों के कारण कानून की धज्जियां उड़ा कर रख दीं। कॉमन आदमी जाकर इनसे बात नहीं कर सकता, बिना स्लिप पहुंचाये इन से चर्चा नहीं कर सकता, लोग अपनी सुख-सुविधा के लिए इनके दरवाजे खटखटा नहीं सकते। क्या यही नगरपालिकायें हैं, क्या यही प्रशासक हैं कि वहां वह × × × आदमी बैठा रहे ?

मैं आपको कहता हूं, उदयपुर नगरपालिका के नक्शों की फाइल मंगा लीजिए, मालूम पड़ जायेगा, वह तीन साल से रो रही हैं या नहीं ? ऐसी फाइलें भी मिलेंगी जो केवल दो महीने में पास हो जाती हैं। आखिर उस दो महीने में पास होने वाली फाइल के पीछे कौनसा गोंद लगा हुआ है। उस गरीब व्यक्ति के लिये कौनसी तकलीफ है जिसका पचास बार जाने के बाद पैसे लेने के बाद भी नक्शा पास नहीं होता है। जनता की सुविधा के लिए यह बनायी थी या जनता को बरबाद करने के लिए बनायी थी ? हो सकता है, हम सबको यह अभिमान आ गया हो कि हम बहुत बड़े नेता बन गये हैं। यह अभिमान हमको खा जायेगा। हमको नहीं खायेगा तो हमारे देश को तो निश्चित रूप से खा जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन कानूनों की धज्जियां मत उड़ाइये। कानून को बनाने से पहले यह देखें कि कानून का पालन ठीक प्रकार से हो गया या नहीं।

आज हरिजनों की भर्ती की जाती है। केवल कागजों पर नाम लिखा जाता है जिनका पैसा उठा कर × × × ऑफिसर हजम कर जाते हैं। इसमें यह सब लोग शरीक हैं। कहां काम किया है, किस गैंग ने कहां काम किया है ?

एक डॉक्टर वहां बैठा रखा है जिसका पिछले 7–8 साल में 10 बार ट्रान्सफर हुआ लेकिन राजनीतिक प्रभाव से फिर जाकर बैठ गया। यह वही डॉक्टर है जिसको प्रशासक खन्ना, जो एक मात्र अच्छा ऑफिसर आया था, ने कलेक्टर से कह कर कलेक्टरी में ड्यूटी लगवा दी थी। यह कह कर कि मेरे यहां जरूरत नहीं है तुम्हारी सफाई की। फिर पालिटिकल प्रेशर से उसको वहां लगा दिया जो आज काम नहीं कर रहा है बल्कि मटरगश्ती कर रहा है, सैर सपाटे कर रहा है। आज की तारीख में, चलिये, उदयपुर की गलियां दिखाता हूं जो सड़ रही हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपने देखा होगा, टट्टी बह कर सड़कों पर आती है, लोग उससे बचकर जाते हैं। शहरों की ऐसी दुर्दशा कर रखी है। उस पर तो आपको फुरसत नहीं है, आपके अधिकारियों को

× × × शब्द/अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फुरसत नहीं है क्योंकि उसमें तो पैसा मिलता नहीं है, पैसा तो इस चीज से मिलेगा। हर चीज में पैसा, धन-दौलत कहां से प्राप्त हो। करो, खूब करो, कर लो, जितनी इच्छा हो, कर लो लेकिन भगवान के लिए रहम करो। अपनी मनोवृति को बदलो और इस तरह के × × × कानून लाकर इस तरह के अपराध मत करो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यही कह कर मैं चाहता हूं, सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के × × × कानून मत पेश करो जिससे लोग हम पर हंसें, हमारी बेइज्जती करें कि एक बार कानून बनाते हो, उसको हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, फिर दूसरी बार नया लाते हो। इस प्रकार का व्यवहार मत करो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस अध्यादेश को अस्वीकार करें।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री कैलाश मेघवाल : एक मिनट स्लिप ऑफ मेमोरी से मैंने गलत नाम ले लिया था। वह जो रामशरण शर्मा है, अलवर में उनके खिलाफ मेरे ही सवाल पर जांच हुई, उनकी पत्रावली भी है। अजमेर में उन्होंने भ्रष्टाचार किया। उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। फ्रेक्चर हो गया था उनके तीन महीने का प्लास्टर बंधा था, पर उन्होने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, सब फाइलें घर मंगाते थे। वह प्रकरण भी आपको मालूम है तो स्लिप ऑफ मैमोरी से मैंने दूसरा नाम लिया था। उसके बजाय यह है, फिर उनका स्थानान्तरण किया, अजमेर से ब्यावर। आज उनको फिर वहीं लाकर बैठा दिया। यह जानते हुए कि पहले भी उन्होंने ऐसे भ्रष्टाचार किये हैं कि जिनकी शिकायतें हैं। आज वह फिर भ्रष्टाचार जम कर कर रहा है जिसकी शिकायतें दर्जनों पड़ी हुई हैं इनके पास। वह स्लिप ऑफ मैमोरी हो गई थी, मैं क्षमा चाहता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान नगर पालिका (विद्या विहार नगर पालिका के गठन का विधिमान्यकरण तथा संशोधन) अध्यादेश 1984 (अध्यादेश संख्या 10, सन् 1984) को अस्वीकार करता है। सभापति महोदय यह जो यहां पर संशोधन लाया जा रहा है कि बोर्ड बनाया जाय, मैं एक बात पूछना चाहती हूं हमारे देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती गांधी का प्रथम सूत्र क्या है? चुनाव कराना, हम चुनाव करायेंगे ढिंढोरा पीटा दुनिया भर में कि राजस्थान सबसे आगे ...

श्री सी. पी. जोशी : सूत्र नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो क्या है?

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अधिक उपजाओ।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सी. पी. जोशी)

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का अपमान नहीं होगा

(व्यधावन)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ...

एक माननीय सदस्य : पहला संकल्प है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर। डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चलिये, मैं उसको संकल्प मान लेती हूं। उस संकल्प को किस तरह से मिटाया जा रहा है, उसको माना नहीं जा रहा है, पूरा नहीं किया जा रहा है। देश की प्रधान मंत्री से लेकर राजस्थान के मुख्य मंत्री तक के संकल्प पर हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्रीजी हैं वह स्याही पोत रहे हैं। उनको जरूरत ही नहीं है और दम भरते हैं आगे जाकर कि हम राजस्थान में सबसे पहले हैं जिन्होंने चुनाव करा दिये, सब जगह के चुनाव करा दिये। सहकारी संस्थाओं के चुनाव करा दिये, हमने स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव करा दिये। मैं पूछना चाहती हूं, मंत्री महोदय, आप किस हिम्मत से यह काम करने चले हैं ? शर्म आनी चाहिए आपको। एक ओर ढिंढोरा पीटा जाता है। दूसरी ओर उस बात को झुठला करके विधान सभा के माध्यम से किस नाक से आगे आप बात करेंगे। मैं कहना चाहती हूं आपके जो अधिकारी बैठे हैं कहीं कुछ ढोल पीटते हैं, कहीं कुछ बात मानने के लिये बाध्य करते हैं। जिन्होंने आपको यह संशोधन बना कर दिया है, मैं समझती कि यह बिलकुल गलत तरीका है। सन् 1973 से इस राजधानी में चुनाव नहीं हुये....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप ही चुनाव करा लेते।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उसकी वोटर लिस्ट बनाने में समय लगा। 21 साल से 18 साल की उम्र की थी वोटर की

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जवाब देती हूं आपको।....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री पशुपालन) : उसके बाद क्या दिक्कत थी आपको ?

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बांरा) : हमने तो ढाई साल राज किया इतने साल तो आपने किया ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम यहां आते हैं तो जनता का विश्वास प्राप्त करके आते है। ऐसी बात नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, एक राजनैतिक प्रश्न है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दें, मंत्री महोदय पूरी बात सुन लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने ढाई साल राज किया, 18 साल का तो बहाना था। आपने चुनाव क्यों नहीं कराये आप करा लेते। हमने तो 148 नगर पालिकाओं के चुनाव कराये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जवाब दे रही हूं न।

श्री कैलाश मेघवाल : कुछ अच्छे संशोधन किये थे, वोट देने की उम्र 21 से 18 की थी 18 वर्ष के आधार पर नयी निर्वाचन नामावलियां बननी थी। उसके बाद राजस्थान का दुर्भाग्य था कि आपके जैसे × × ×लोग आ गये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सब बहानेबाजी थी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, मैं आपको जवाब देती हूं सारी बात का मैं अपनी कोई बात पर पर्दा नहीं डालती हूं, न आपकी बात पर डालना चाहती हूं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो कहीं पर्दा नहीं रखती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगी। मैं मेरी बात कह लूं। आप इसको इस तरह से उडाइये मत....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो आसन को सम्बोधित कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या कह रहे हैं आप ?

श्री सभापति : आप आसन को सम्बोधित कीजिये, उनसे सीधे बात मत कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप उन्हें कह दीजिये कि वह मुझे सम्बोधित करके न बोलें।

श्री सभापति : आप प्रारंभ कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो बार मतदाता सूची बनाई गई जयपुर की और वार्डों का परिसीमन किया गया। 50 वार्डस बनाये गये लेकिन चुनाव नहीं कराये गये। इस तरह करके जयपुर, जो राजधानी है, एक आयुक्त को 4 साल तक रखा गया। इतना ही नहीं आजकल तो 6 कमिश्नर बैठा दिये गये हैं। कोई काम जयपुर में नहीं हो रहा है। 4800 सफाई कर्मचारी हैं, 11 सौ कर्मचारी टेम्प्रेरी हैं लेकिन जयपुर की सफाई का हाल देखिये, किस तरह की मिट्टी पलीत की गई है। जब त्यौहार आते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार आते हैं तब मंत्री से लेकर कमिश्नर तक को हमें कहना पड़ता है कि मौहल्ले का कूड़ा उठवावें। मैं कहना चाहूंगी कि जिस ट्रीटमेंट

× × ×अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

प्लान्ट पर 2 करोड़ रुपये खर्च किये गये और महापुरुष, स्वर्गीय श्री संजय गांधी ने जिसका उद्घाटन किया उसकी जो मट्टी पलीत इन्होंने की है, मैं बताना चाहूंगी, 4 नाले तो जोड़े गये ट्रीटमेंट प्लान्ट से और 4 नाले सीधे जल महल में गिर रहे हैं। यहां पर दो-दो मंत्री बैठे हैं जिन्होंने कहा था कि हम नाव तेरा देंगे, बिना बदबू का पानी होगा। वह यहां पर बैठे हैं उनको शर्म आनी चाहिये। 30-30 लाख रुपये खर्च करके वहां की मिट्टी घर पर मंगवा रहे हैं, अफसोस की बात है, एक योजना पूरी नहीं की जाती।'

श्री श्रीराम गोटेवाला : कहां मंगवा रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पानी जहां जाना था, वहां आ रहा है। मैं नहीं कह सकती, मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोल रही हूं, जिधर पानी जाना था उधर जा रहा है, मुझे बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

मैं किसी का नाम लेकर बात नहीं कर रही।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नाम ले लें तो अच्छा है, नाम तो अच्छा है, नाम में कोई बुराई नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा . आपने खूब डुबोया नाम को।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, बड़ा बोर्ड लगाया गया, मुख्य मंत्री जी से उद्घाटन कराया गया जल महल योजना का वह जल महल योजना जल में डूब गई। उस पर प्रभावशाली आदमी नाजायज कब्जे कर रहे हैं और सरकारी नुमाइन्दे वह कब्जा करवा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि यह आपकी म्यूनिसिपैलिटी का हाल है। आप इसीलिये चुनाव नहीं करवाना चाहते कि जयपुर में आप इस तरह से गलत काम कर सकें। काम करने वाले को, किसने बुलवाया ? जो 6 जगह पिट कर आये हैं, हरिशंकर शर्मा, ऐसे-ऐसे तो कमिश्नर हैं, जिसका नाम यह ले रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती। वह अजमेर से बुलवाये गये और म्यूनिसिपैलिटी में लगाये गये जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है। ऐसे-ऐसे व्यक्ति यहां लाकर बैठा दिये गये। ढिंढोरा पीटा गया कि 4 जोन में हमने काम बांट दिया है, काम सुचारू रूप से हो रहा है।

सभापति महोदय, कहीं सफाई नहीं है, गटर की नालियां टूटी हुई हैं, गटर भरे हुए हैं, 300 गज की दूरी तक मार करने वाली, गटर लाइन साफ करने वाली मशीन, मैं पूछना चाहती हूं, मत्री महोदय, वह कहीं काम कर रही है ? जब आप आये आपने देखा है या नहीं देखा है ? हम बराबर कह रहे हैं कि उससे काम लीजिये। मेरे इलाके रामचन्द्रजी की चौकड़ी, गंगापोल में गटर लाइनें भरी हुई हैं। मैंने प्रशासक को दिखाया, स्वास्थ्य अधिकारी को दिखाया लेकिन सफाई नहीं हो रही है। जो प्रभावशाली लोगों की कान्स्टीट्यूएंसी है, खजाने वालों के रास्ते में, भिण्डों के रास्ते में गटर लाइन भरी हुई हैं, कूड़े के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ढ़ेर पड़े हैं, जैसे मूर्ति मोहल्ले में मूर्ति कूड़े की बनने वाली होः। शर्म आनी चाहिये। दुनियां भर के विदेशी और मूर्ति के खरीददार वहां आते हैं। आपके कर्मचारी काम नहीं करते। दो दो प्रभावशाली मन्त्री यहां पर बैठे हैं। जिनका निकट से सम्बन्ध रहा है, यह बहुत अफसोस की बात है।

श्री सी. पी. जोशी : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : आप बिराजिये। पहले उनका पाइन्ट ऑफ आर्डर सुन लें। आप विराजिये।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, जो कार्य सूची हमको मिली है उसमें लिखा हुआ है, राजस्थान नगर पालिका (विद्या विहार नगर पालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक, 1984। इस बिल पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं, यहां पर ऐसा लग रहा है कि लोकल सेल्फ विभाग की मांग पर डिबेट हो रही हो। माननीय सभापति महोदय, इस बारे में इस सदन में हम भी बैठे हुये हैं, हम भी कुछ पार्टीसिपेट करना चाहते हैं। लोकल सेल्फ की डिबेट पर माननीय सदस्या बोल रहीं हैं तब तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन यदि बिल पर डिबेट हो रही है तो टू दी पाइन्ट बहस हो, उसमें पार्टीसिपेशन होना चाहिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : यह कहां पाइन्ट ऑफ आर्डर है? माननीय सदस्या को बहम है, नोटिफाइड एरिया जयपुर और उदयपुर में आप भी ध्यान रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जन प्रतिनिधित्व नहीं लाने वाली सरकार यह समझ ले कि जहां जन-प्रतिनिधित्व नहीं होता है वहां पर किस तरह की हरकतें होती हैं। यहां पर एग्रो इण्डस्ट्रीज से यह समझौता हो गया कि दो साल तो कूड़ा डालेंगे और दो साल के बाद में....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

सभापति महोदय, राजधानी का मामला है, आप भी यहां रह रहे हैं।....

श्री सभापति : राजधानी का मामला नहीं है, विद्या विहार नगर पालिका का मामला है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपको विद्या विहार की ही बता रही हूं कि किस तरह के काम हो रहे हैं। एग्रो इण्डस्ट्रीज से समझौता 2 साल का यह किया गया था कि हम पैसा नहीं लेंगे और दो साल बाद टनों के हिसाब से कूड़ा तुलवा कर पैसा लेंगे लेकिन आज 4 साल हो गए, एग्रो इण्डस्ट्रीज से एक पैसा कूड़े का नहीं लिया गया। नगर पालिका इस तरह से डूब रही है। एग्रो इण्डस्ट्रीज से खाद का पैसा लेना था। वाहन अपना, कूड़ा अपना और खाद बना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कर बेच रहा है। म्यूनिसिपिल्टी को एक पैसा नहीं आ रहा है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये। माननीय सदस्या, कृपया समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट और निवेदन करना चाहती हूं।

श्री सभापति : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिस प्रकार से राजस्थान की राजधानी की हालत खराब है, मैं समझती हूं कि वन विहार नगर पालिका का बोर्ड बन जाने के बाद वहां की हालत भी खराब हो जायेगी। बिरला जी वहां जाकर झाड़ू नहीं लगायेंगे। मेरे इलाके में तो राज्यपाल भी झाड़ू लगा गये। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने म्यूनिसिपॉलिटी के चुनाव नहीं करायें आपकी नौकरशाही पर अच्छा-खासा थप्पड़ है एक तरह का कि राज्यपाल ने झाड़ू लगाई। इसलिए, मन्त्री महोदय, इस तरह के बोर्ड मत बनाओ। आपको भय है कि आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी के आदमी चुनाव जीत कर नहीं आयेंगे इसलिए आप चुनाव नहीं कराते। मैं चाहती हूं कि आयें न आयें जन प्रतिनिधि को लायें। आपने कहा कि हमने चुनाव क्यों नहीं कराये ? हमने 18 साल के मतदाता को, जवान को, वोट देने का अधिकार दिया था लेकिन आपको भय है कि जवान आदमी हमको वोट नहीं देगा....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको उम्मीद थी कि 18 साल का मतदाता आपको वोट नहीं देगा। हम तो चले गये, हमारी सरकार दिल्ली में गिरी, अच्छी खासी चलती सरकारों को आपकी ××× ने भंग किया। आपको शर्म आनी चाहिये। चुनाव क्यों नहीं कराये गये ?

(व्यवधान)

हमारे दिल में जो है हम तुम्हें अभी क्यों बतायें। हम तो चले गये, फिर आयेंगे तब तुम्हें बता देंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह (अनुपस्थित) श्री भंवरलाल शर्मा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, आप अपने सदस्य को नहीं बोलने दे रही हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, विद्या विहार नगरपालिका के सम्बन्ध में कौन था वो....

एक माननीय सदस्य : भूतपूर्व मन्त्री नानालालजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : नानालालजी आप थे ? बहुत गलत बात है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान नगर पालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण तथा संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या-10, सन् 1984) को अस्वीकार करता है।"

माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन आप ला रहे हैं उसमें मूलभूत बात यह है कि आप प्रजातन्त्र के विरोधी हैं और आप जनता को फेस करने से डरते हैं। ये दो बातें इस संशोधन से प्रकट होती है। अभी जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, नगरपालिकाओं के चुनाव आप क्यों नहीं कराते ? सिवाय इसके कि आपको हारने की उम्मीद हैं, और कोई कारण आप बता नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि लोक सभा के चुनाव में हार जायेंगे तो श्रीमती इन्दिरा गांधी चुनाव खिसका देती हैं। नगरपालिकाओं के चुनावों में आप हार जायेंगे तो वहां चुनाव आप नहीं कराते। जनता के सामने जाने में जो आपके मन में भय व्याप्त है उससे बचने का एक तरीका यह निकाल रहे हैं कि चुनाव हो नहीं, आप मन में आये जिसको नामिनेट कर दें और नगर पालिकायें आपके इशारों पर चलती रहे और कुछ आपके भ्रष्ट....

श्री श्रीराम गोटेवाला : कौनसे चुनाव खिसका दिये श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ? कहां चुनाव खिसका दिये ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको अभी पता ही नहीं है, श्रीमान्।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक साल हो गया....

श्रीमती उजला अरोड़ा : 24 घण्टे में बरामदे खाली करवा रहे थे। आप खाली हो गये।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला: आपने जो इलेक्टेड म्यूनिसिपल बोर्ड थे उनको भंग कर दिया। हमने तो 140 नगरपालिकाओं के चुनाव कराये, डरता कौन हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, आज यहां यह तमाम उपदेश दे रहे हैं, इलेक्टेड म्यूनिसिपल बोर्ड इन्होंने भंग किये थे, अपने राज के अन्दर तब लोकतन्त्र कहां गया था ? आज इन्दिरा गांधी का नाम ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल :..........तरीके से मोब इलेक्शन थे....

(व्यवधान)

लोगों के विचारों को कुण्ठित करके दिमाग खराब किये....

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारी पंचायत समितियां, 82 पर्सेन्ट हमारे कब्जे में थी....

श्री कैलाश मेघवाल : एक नहीं

एक माननीय सदस्य : यह पंचायतें तो सत्ता के साथ रहती हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं जो यह कह रहा था कि हमारे सामने बैठने वाले लोग प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं, उसका सबूत यहीं मिल गया आपको। मैं आपकी आज्ञा से अपनी एक बात रख रहा हूं, आपको बर्दाश्त नहीं है। न आपकी कुर्सी जा रही है, न आपका भत्ता कट रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा अभी तो। क्या मैं बोल भी नहीं सकता? दो दो बड़े मन्त्री जी हैं जिनको पूरा अनुभव है, एक को तो कम से कम नहीं है, वह तो अनुभवी नहीं हैं आप तो हो, आप भी उनके साथ साथ खड़े हो रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैंने इनको सारे अनुभव कराये हैं, असेम्बली से बाहर भी मेरा और इनका मुकाबला हुआ था।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो फिर खड़े होंगे।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : उच्च कोटि का मानते थे इनको। मथुरादासजी माथुर के नीचे काम किया है इन्होंने। ऑन दी स्पाट हाउस में घोषणा कर देते और कह देते...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : बता दो क्या किया एक दो बात हमें भी मालूम पड़ जाय। खुद में तो बुद्धि नहीं है। चुप क्यों बैठ गये? बात करते हो। बताओ क्या दिखाया....

एक माननीय सदस्य : ....मकड़ी है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, माननीय श्रीरामजी 420 वोटों से जीते हैं × × × फोर ट्वन्टी से जीतकर आये हैं। हम भी उनको जीता हुआ मानते हैं—

श्री सभापति : विद्या विहार नगरपालिका के सम्बन्ध में बता रहे हैं क्या आप?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं उसी पर बोल रहा हूं। ये बीच-बीच में बोलें तो विषय कई खड़े हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि हार गये और जीत गये। श्रीमानजी 420 से तो अब जीते हैं और अगली बार आप जानते हैं क्या होने वाला है। जीतना-हारना अलग बात है। आप जीते हैं तो हम सम्मान कर रहे हैं।

तो मेरा जो मुख्य विषय है उस पर मैं

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आ जाता हूं । माननीय सभापति महोदय, इस के पीछे जो मूल भावना है वह यही है कि इनको प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं होना, नगरपालिकाओं के अधिकार जितने कम किये जा सके उतना कम किये जाय इस बात का प्रतीक यह अमेण्डमेन्ट है । नाम तो लिया है आपने विद्या विहार नगर पालिका का और अमेण्डमेन्ट यह कर रहे हैं, इसमें एक शब्द जोड़ रहे हैं "एजूकेशनल सेन्टर" यानि ऐसे स्थान जो शिक्षा के केन्द्र होंगे वहां चुनाव नहीं होंगे । आप ज़रा समझिये इस बात को ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : नामिनेटेड बोर्ड के चुनाव नहीं होंगे यह कहीं नहीं लिखा यह कहां है कि चुनाव नहीं होंगे । यह नामिनेटेड बोर्ड....

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : एजूकेशन सेन्टर में अजमेर भी आ जायगा, उदयपुर भी आ जायगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बीच-बीच में बोलते हो और आप यह समझते हो कि वहां बैठे हुए अधिकारी आपसे प्रभावित हो रहे हैं, यह बहुत गलतफहमी है आपकी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, हाउस को मिसलीड करें तो मेरा फ़र्ज बन जाता है कि मैं इनको इंगित कर दूं कि ऐसा आप न करें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको रिप्लाई देने का अधिकार है, आप नोट कर लीजिये ।

श्री सभापति : आप मुख्य विषय पर आ जाइये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आने नहीं देते, क्या आ जाऊं ।

श्री सभापति : आप प्रारम्भ करिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब इसमें लगाया है, एजूकेशनल सेन्टर" । इस पूरे म्यूनिसिपल एक्ट में एजूकेशनल सेन्टर कहीं डिफाइन नहीं है । "एजुकेशनल सेन्टर' आप किस-किसको मानेंगे ? आज आपको लग रहा है, कि विद्या विहार, पिलानी एजूकेशनल सेन्टर है, कल आप कहेंगे कालाडेरा में स्कूल और कालेज है, उसको भी हम एजूकेशनल सेन्टर मानेंगे । फिर वनस्थली को कह देंगे । यानि आप किसी स्थान, जिस से आप सब प्रसन्न हो जाय कि यहां इलेक्टेड बोडी नहीं होनी चाहिये, के लिये यह अधिकार लेना चाहते हैं हाउस से कि उस को शिक्षा का केन्द्र मानकर नामिनेटेड बोर्ड बना सकें । आपने कहीं सीमा नहीं बांधी है कि शिक्षा का केन्द्र किसको आप मानेंगे । यह न एक्ट में है; न आप जो अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं उसमें डिफाइन किया है । आपने जो लिखा है उसमें केवल एजूकेशनल सेन्टर लिखा है । माननीय सभापति महोदय, इस समय जो कानून है सेक्शन 10–यह सेक्शन भी ठीक मिला है, नम्बर दस का ही मिला है यानि दस नम्बर में आप अमेण्डमेन्ट ला रहे हैं । यह नम्बर भी ठीक मिला है आपको । उसमें अमेण्डमेन्ट क्या ला रहे हैं ? अभी तक जो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

व्यवस्था है वह यह है, माननीय सभापति महोदय, "Notwithstanding anything contained in Section 9, in a municipality not being a city in which is a hill station or to which, owing to the smallness thereof or the backward state or indifference of its inhabitants or for other similar exceptional reason, the State Government may by notification in the official Gazette, apply the provisions of this Section."

तो अब तक तो धारा किन-किन पर लागू हो सकती थी ? ऐसे जो स्थान हैं, जो शहर नहीं है या कोई छोटी जगह हो सकती है, not a city and As a hill station पहाड़ी इलाका है, लोग दो-दो, चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर दूर रहते हैं, एक स्थान पर आना कठिन होगा, मिलना मुश्किल है, अपनी समस्याओं के लिए सतत् प्रयत्न नहीं कर सकते ऐसे हिल स्टेशन पर नगरपालिका बनना संभव नहीं है, आप चाहेंगे तो भी सम्भव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आप वहां म्यूनिसिपल बोर्ड का गठन कर सकते हैं। हिल स्टेशन के बाद अगर कोई स्मालेस्ट, बहुत छोटी जगह है। बैकवर्ड स्टेट हो, राजस्थान में तो कोई बैकवर्ड स्टेट नहीं है जहां नगरपालिका नहीं बन सकती हो, इतना भी लोगों में ज्ञान नहीं आया हो कि वोट देकर नगरपालिका बना दें। उसके लिए इस कानून में प्रोविजन कर दिया कि ऐसा स्थान अगर कोई हो कि जहां इतने बैकवर्ड लोग हों जिनको वोट देकर नगरपालिका बनाना नहीं आता है तो वहां सरकार नामिनेटेड बोर्ड बना सकती है। राजस्थान में तो ऐसा कोई स्थान दिखाई नहीं देता है।

चौथी शर्त जो इसमें है वह यह है, or indifference, inhabitants; वह वोट देने के लिए इनडिफरेन्ट हो, यह तय कर लें कि हम तो वोट नहीं देंगे। कई बार लोग तय कर लेते हैं। हम सरकार की नीतियों से नाराज हैं, सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आदि आदि कई बातों का लेकर या तो वह जिससे लोग जान-बूझकर वोट देना नहीं चाहते या वोट के मामलों में इनडिफरेन्ट हो जाते हैं। आप चुनाव करायें, दो हजार वोटर हों और वहां पांच आदमी भी वोट डालने नहीं आये। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार क्या करे ? ऐसी कन्टीन्जेंसी को मीट आउट करने के लिए सरकार चुनी हुई बाडी न बनाये और वहां अपने नुमाइन्दे को एपाइन्ट कर दे। यह व्यवस्था कानून में अभी तक है। इसमें अब यह अमेण्डमेण्ट क्या ला रहे है ? जो इलाका बैकवर्ड होगा वहां चुनाव नहीं होंगे, जहां हिल स्टेशन है, बहुत छोटी जगह है वहां चुनाव नहीं होंगे, जहां लोगों की मत देने की इच्छा नहीं है वहां चुनाव नहीं होंगे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब चुनाव कहां नहीं होंगे ? जो शिक्षा के केन्द्र हैं, जहां लोग पढ़े लिखे हैं या अध्यापक हैं। या पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभिभावक हैं, वहां हम चुनाव नहीं करायेंगे। क्यों नहीं करायेंगे ? क्योंकि जैसे जैसे देश के अन्दर शिक्षा का विस्तार हुआ है, जैसे जैसे लोगों

(श्री भंवरलाल शर्मा)

को शिक्षा मिली है और ज्ञान में वृद्धि हुई है तैसे तैसे कांग्रेस का सफाया होना शुरू हो गया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसका मतलब शिक्षा का प्रसार हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : शिक्षा का प्रसार हुआ ही है. हम शिक्षा मन्त्री रहे थे, विस्तार क्यों नहीं होता ? अब रुका है। यह तो, श्रीमान्, अब रुका है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सारा विस्तार तो आपका ही किया हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मान रहे हैं तो आपको धन्यवाद।

मेरा निवेदन है यह है कि जहां लोग वोट नहीं दे सकते हों, कोई और डिफीकल्टी हो, वहां के लिए तो यह समझ में आ सकता है, लेकिन जहां शिक्षा का केन्द्र है वहां भी आप चुनाव नहीं करायेंगे। यह अधिकार आप लेना चाहते हैं। किसकी आड़ में लेना चाहते हैं ? विद्या विहार की आड़ में। विद्या विहार में और तो कोई काम दिखा नहीं आपको। वहां आपने बोर्ड क्यों बनाया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन) : माननीय सभापति महोदय, इसी एक्ट में प्रावधान है कि जहां पचास हजार से ऊपर आबादी होगी वहां म्यूनिसिपल कौंसिल होगी। Kindly do not try to mislead.

आप इतने विद्वान हैं, विधिवत्ता है, बड़े वकील हैं, क्या कह रहे हैं आप ? कह क्या रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर, यही बात, जो मैं कह रहा हूं, आपकी समझ में आ जाये तो मामला ठीक हो जायेगा। अब तो वह बड़े मन्त्री जी आ गये हैं। वह समझने ही नहीं देंगे आपको। अब तो और मुश्किल हो गया आपके लिए फिर आप यह बिल ला क्यों रहे हैं ? शायद उन्होंने कान में कहा हो और आप बोल गये। जरा समझिये तो सही मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं सैक्शन 10 के बारे में कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पुराने लोकल सेल्फ मिनिस्टर हैं; आपको पता है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह अभी भी लोकल सैल्फ मिनिस्टर हैं आपके लिए तो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह तो है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, दफा दस में यह संशोधन ला रहे हैं आप और पचास हजार की बात कर रहे हैं। अगर यह है तो आप यह संशोधन क्यों ला रहे हैं ? अगर आपका काम चल रहा है, जिस सैक्शन का आप हवाला दे रहे हैं तो यह अमेण्डमेंट क्यों ला रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें गलती थी उसको दुरुस्त करने के लिए कोई चारा नहीं था इसलिए लाना पड़ा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप गलती के लिए क्षमा मांगिये, हाउस से प्रार्थना करिये, क्षमा करें लेकिन उस गलती की आड़ में आप ऐसा अधिकार लेना चाहते हैं जिसको बरदाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। वह अधिकार आपको कैसे दे देंगे। डिफाइन किया है। कहीं "एजूकेशनल सैन्टर" को। इस एक्ट में कहीं है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा है, श्रीमन् यह बोल लें सभी जवाब देंगे।

श्री सभापति : यही मुनासिब रहेगा कि आपकी बात पूरी हो ले।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पूरे एक्ट जो पहले था और अब है, में एजूकेशनल सैन्टर जो बताया है उसको डिफाइन किया हो तो वह मुझे जरा आप बता दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हाँ, आवश्यकता नहीं है। क्यों ? यदि आप उसको डिफाइन करेंगे तो हो सकता है, यह हाउस उसको मंजूरी दे या न दे। यदि आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो आपके पास अनफैटर्ड पावर यह रह जाएगी कि किसी भी नगरपालिका के स्थान पर आप अगर नामीनेटेड बोर्ड बनाना चाहें तो उसके लिए कह देंगे कि एजूकेशनल सेन्टर है। एजूकेशनल, अब ऐजूकेशनल सेन्टर का जहां तक संबंध है सेन्टर कैसे है ? पहले यहां पांच विद्यार्थी पढ़ते थे, अब सौ विद्यार्थी हो गये हैं, कितना बड़ा विकास हुआ है, इसलिए यह एजूकेशनल सेन्टर है। तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको आपने डिफाइन नहीं किया है। अनफैटर्ड पावर आप लेना चाहते हैं आप जब जवाब दें तब यह बतायें कि एजूकेशनल सेन्टर को आप डिफाइन करना क्यों नहीं चाहते ? यह तो समझ में आये कि आप लोगों के अधिकारों को छीनेंगे उसके पीछे रीजन क्या है। एजूकेशनल सेन्टर तो आप किसी को भी बता देंगे। इसमें आप वर्ड "एजूकेशनल सेन्टर" जोड़ना चाहते हैं। इस एक्ट में और पुराने एक्ट में एजूकेशनल सेन्टर को कहीं डिफाइन नहीं किया है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो अनफैटर्ड पावर लेना चाहते है कि किसी भी स्थान पर चुनी हुई नगरपालिका के स्थान पर नामिनेटेड बोर्ड बना दें, उसको मैं समझता हूं स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, एक बात का मैं उत्तर देना चाहूंगा, जो विरोध पक्ष में आने वाले हैं और अभी सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनसे भी यदि यह पूछा जाय तो यह कहेंगे कि भाई, नगरपालिका के चुनाव क्यों नहीं कराते हो। इसका भी रटा रटाया जवाब है। पहले श्रीरामजी मन्त्री थे तब भी वह यही जवाब देते थे और अब माननीय प्रद्युम्नसिंह जी आ गये तो वह भी यही जवाब देते हैं कि आपने चुनाव नगरपालिकाओं के क्यों नहीं कराये ? अजी हमने नहीं कराये तो क्या इसलिए अब आप करायेंगे नहीं। हमने ढाई साल में नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराये तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आप करायेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने तो कसम खा ली है, आप तो हमारी शरण में हो, हमारा अनुगम करेंगे। जैसा हम करते आये हैं वैसा ही करेंगे। ठीक है, ढाई साल के बजाय पांच साल बाद ...—

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यही है कि चुनाव क्यों नहीं कराये, यह कहना गलत है। जब जनता पार्टी शासन में आयी तो उसने जनता को एक आश्वासन दिया था, विश्वास दिलाया था कि जो 18 साल का जवान है, जो सारे काम करने के लिए कानून के हिसाब से बालिग है सक्षम है वह सरकार बनाने के लिए, नगरपालिका चुनने के लिए भी सक्षम होना चाहिए। जो यह कानून था कि 21 साल के पहले कोई भी व्यक्ति नगरपालिका के चुनाव में वोट नहीं दे सकता, जनता सरकार ने सबसे पहले काम यह किया कि नहीं यह बात गलत है। 18 साल के व्यक्ति को हमने मतदाता बनाया। 18 साल का व्यक्ति जब मतदाता बना, उसके हिसाब से वोटर लिस्ट बनी, नगरपालिकाओं के क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ। उसमें इतना समय लगा, जो लगना स्वाभाविक था। वह भी हमने कोई आर्डिनेन्स के जरिए नहीं किया। विधान सभा में बाकायदा बिल लेकर आये, उस पर विधान सभा की स्वीकृति ली। उसके बाद यह अमेण्डमेंट हमने किया। वह समय चुनाव कराने के लिए पर्याप्त नहीं था इसलिए चुनाव नहीं करा सके। आपने सबसे पहले काम यह किया × × × के नाते, 18 साल के बालिग को जो हमने मतदान अधिकार दिया था उस कानून को खत्म किया। 18 साल के बजाय 21 साल की उम्र के व्यक्ति द्वारा वोट देने का कानून आप लाये क्योंकि आप जानते थे कि यह जवान आपके बस में नहीं हैं, यह जवान आज आपके साथ में नहीं हैं। आज आप इसी लिए डरते हैं कि यह जवान आपको वोट देने वाले नहीं है। यह नयी पीढ़ी आपको बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वह आपके कारनामों से परिचित है। आप जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं, जिस प्रकार का आपका आचरण है, उससे वह अत्यन्त असन्तुष्ट है। जैसा आपको इमर्जेन्सी के बाद चमत्कार दिखाया था, दिखाने को तैयार हैं, इसलिए आप उससे डरते हैं। उसको वोट देने का अधिकार आपने छीना, हमारी जनता पार्टी की सरकार ने वह अधिकार दिया। सबसे पहला काम आपने यही किया, उस अधिकार को छीना।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यही निवेदन करूंगा कि जो संशोधन प्रस्ताव यह लाये हैं उसको अस्वीकार किया जाये।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : मैंने भी दे रखा है। मेरा भी है इसमें।

श्री सभापति : आपका नहीं है। प्रभारी मंत्री।

श्री प्रद्युम्न सिंह : (राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन) सभापति महोदय, जो परिनियत संकल्प माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है, उस संबंध में जो चर्चा यहां हुई उस चर्चा के बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है। प्रारम्भ में आर्डिनेन्स और उसके बाद जो बिल लाये, विद्या विहार, नगरपालिका के गठन के विधिमान्यकरण के बारे में संशोधन विधेयक लाये श्रीमन्, यहां पर ऐसा महसूस हुआ अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जयपुर देहात से आनी वाली माननीय सदस्या ने जो चर्चा की उसमें, जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, लोकल सेल्फ के बारे में रेगूलर डिबेट हो रही हो।

(व्यवधान)

जैसे स्पेसिफिकेशन यहां उठाये गये उसका कोई नोटिस होता, जैसे डिबेट में कटमोशन आते हैं तो हमें उन सब का उत्तर तैयार करने का समय रहता है, वह अपनी बात यहां कहते हैं और उनको भी हमारा उत्तर मिलता है। लेकिन इसका कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया। कटमोशन तो आने का प्रश्न ही नहीं था। यहां पर एक आम बात, स्वीपिंग चार्जेज प्रजातंत्र के बारे में, अजमेर में भ्रष्टाचार के बारे में, उदयपुर की गन्दगी के बारे में लगा डाले। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कानूनी मुद्दे उठाये।

(4.00 म.प.)

अब में उनका संक्षेप में उत्तर देना चाहूंगा।

जहाँ तक अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अजमेर नगर परिषद में शहर की गन्दगी और भ्रष्टाचार के बारे में कुछ मुद्दे यहां पर उठाये, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में भी आपकी शिकायत पर इन्क्वायरी हुई। उसके अन्दर हमारी निगाह में जो भी यह कार्य लाये उनके ऊपर एक्शन लिया। यह इनकी खुद की जानकारी में है।

श्री कैलाश मेघवाल : कार्यवाही क्या हुई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह: मैं, श्रीमन्, आपसे वही कह रहा हूं। मैंने जो गलत काम होने जा रहा था, उसको रोका। इन्होंने पत्र दिया कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी कान्सटीट्यूट की वहाँ पर। यह खुद स्वीकार कर रहे हैं। गर्दन हिला रहे है। जोश में तो कह गए। मैंने इनके हर पत्र के ऊपर कार्यवाही की है। मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं, यहाँ पर इन्होंने आयुक्त का नाम लिया, उसके खिलाफ भी कागज तैयार हैं और थोड़े दिनों के अन्दर ही 16 सी. सी. ए के अन्तर्गत उसके खिलाफ भी कार्यवाही करने जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे कहने का अभिप्राय यह है. किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई चार्जेज बनते हैं और इन्क्वायरी के बाद अगर हम सन्तुष्ट होते हैं तो हमारा उस अधिकारी को प्रोटेक्ट करने का कोई इरादा नहीं होता है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अब किस मोहल्ले में क्या गन्दगी

(श्री प्रद्युम्नसिंह) -

है, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। काफी प्रश्न पूछते हैं यहां पर वहां उन्होंने कोई स्पेसिफिक सवाल पूछा होता तो उसकी हमको जानकारी मिलती। जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य अक्सर मुझे पत्र लिखा करते हैं, उन पर मैंने यहां पर कार्यवाही की और यह सोचकर मैंने कभी उनके काम को नहीं रोका कि वह विरोध पक्ष से आते हैं। क्योंकि यह नागरिक सुविधाओं का प्रश्न है, यहां पर जो भी सुझाव आये मैंने उनके ऊपर कार्यवाही की है।

अब यहां पर एक चर्चा हुई कि हम लोग चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। श्रीमन् मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा कि 1977 में आते ही सबसे पहला काम जो इन्होंने किया वह यह किया कि हमारी जो चुनी हुई नगरपालिकायें थी उनको भंग कर दिया और आड़ यह ली कि साहब, यह तो इमरजेंसी में चुनाव हुए थे। हम जहां चुनाव हारे थे वहां इमरजेन्सी नहीं थी। जहां हमारे लोग नगर-पालिकाओं के चुनाव में हारे थे वहां अगर हमने बल का कोई प्रयोग किया होता या कानून अपने हाथ में लेकर मनमानी की होती तो हमारे लोग हारते कैसे? हम कई म्यूनिसिपैलिटीज में हारे। खुद इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। दूसरी बात कैसे साबित होती है? इन्होंने ओट यह ली कि हम 21 वर्ष से घटाकर उम्र 18 वर्ष करना चाहते थे इसलिए हम उनकी सूची तैयार करा रहे थे। इनको खुद भरोसा नहीं था। यह लोकतंत्र की हिमायत लेते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, इनके तबेले हर जूं इतनी जबरदस्त चल रही थी कि इनको भरोसा ही नहीं था कि हमारा क्या होगा। चुनाव नहीं कराये इन्होंने ढाई साल में। 146 नगरपालिकाओं के चुनाव हमने कराये। कुछ नगरपालिकायें रह गयी जहां पर कुछ कानूनी दिक्कतें आ रही थीं। कहीं हाई कोर्ट से स्टे था, कहीं वार्ड का परिसीमन नहीं हो पाया था। तो हमने चुनाव कराये। मैं आपसे कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मंत्रीजी को शांति से सुनें। आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अब यह सही बात सुनना नहीं चाहते....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर। कृपया मंत्री जी को सुनें। आपकी सब बातें मंत्री जी ने सुनीं, आप उनको सुनिये।

(व्यवधान)

कृपया शांति से सुनें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सत्य हमेशा कड़वा होता है, श्रीमन्। यह सुनना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, चलिये, आपने पंचायत समितियों का क्या किया? आपने जिला परिषदों के चुनावों का क्या किया? और तो और, श्रीमन् हलफिया बयान लेकर सरपंचों को सस्पेण्ड किया। यह इनका लोकतंत्र है। यह इनका लोकतंत्र है....

श्री कैलाश मेघवाल : जो अधिकार जनता सरकार ने दिये थे, वह सारे अधिकार आपने ले लिये। आज पंचायतें खोखली हो चुकी हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर ग्रामीण) : 13 साल की बपौतियां थीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर हम एक बात कहते हैं, सभापति महोदय, कि अब क्यों ज्यादा शोर मचा रहे है। दो महीने रह गये, फैसला होगा जनता के दरबार में, उसके लिए हम तैयार हैं। हम कहां डर रहे हैं आपसे। हम तैयार हैं, आप आ जाइये ना। हमको तो कोई डर नहीं लग रहा है आपसे। जो फैसला होगा जनता के दरबार में होगा, दो महीने बाद। आप भी जोर आजमाइयेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप आज ही तारीख की घोषणा कीजिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैदान छोड़ कर भागने को हैं। यह घबरा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, अब चुनाव की घोषणा करने में मैं तो सक्षम हूं नहीं। मैं घोषणा कर नहीं सकता लेकिन चुनाव के नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, तैयारियां शुरू हो रही हैं। चुनाव होंगे, हम तैयार हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : नगर परिषद के कब करा रहे हैं, श्रीमन् ? वह तो आपके हाथ में हैं आपके जो अधिकार में है उसकी घोषणा कीजिए आप।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया विराजें आप।

(व्यवधान)

कृपया विराजें। आर्डर प्लीज।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : श्रीमन्, जब शतरंज के अन्दर बादशाह और वजीर की चालें चली जा रही हैं तब आप प्यादे की बात कर रहे हैं। जब लोक सभा और राज्य सभा के चुनाव हो रहे हैं तो आप घबरा कर म्यूनिसिपैलिटीज की बातें करने लगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, आज बड़ी लाइटली डिबेट चल रही है। मैं उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप नाराज क्यों होते हैं। आपने अपनी बात कही, अब आप आराम से मेरी बात सुनिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपने बहुत डिस्टर्ब किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपको नहीं किया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : भंवरजी को किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप भंवरजी की कह रहे हैं, पीछे तो आप भंवरजी की बुराई करते हैं। अब कह रहे हैं कि भंवर जी को किया। यह कोई बात हुई आपकी।

सभापति महोदय, यहां पर बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चुनावों की घोषणा कौनसी तारीख को कर रहे हैं। भई, एम०पी० के होंगे, एम०एल०ए० के होंगे उसके बाद नगर परिषदों के भी होंगे। और कराये भी हैं हमने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कांग्रेस से लड़ूंगा। आप चिन्ता मत कीजिए, आप नहीं आने वाले। मुझे तो 20 साल हो गए। आप नहीं आयेंगे दुबारा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने तो जब से राजनीति में प्रवेश किया तब से उसी पार्टी में हूं और जहां से चुनाव लड़ा वहां से ही जीता हूं। आपको चुनौती देता हूं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठिये। अब आप तशरीफ रखिये।

श्री सभापति : आप बिराजें। आपकी बात सुनी है, मंत्री महोदय ने और अब इनको सुन लीजिए आप। आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, लोकतंत्र में हमारी पार्टी का और हमारे दल का पूरा विश्वास है। हम××× नहीं है। लोकतंत्र को जीवित रखा है तो इसी पार्टी ने रखा है। यह पहले भी कहते थे, पहले कहते थे स्नेपपोल। इनके बड़े नेता कहते थे कि स्नेपपोल होने वाले हैं, तैयार हो जाओ। अब क्या कह रहे हैं, स्नेपपोल ? कई बार कहते हैं कि चुनाव ही नहीं होंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय चुनाव होंगे और यदि चुनाव टालने की कोशिश की तो उसका मुकाबला करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वाह, क्या कहने कागज के शेरों।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : इनके अध्यक्ष तो यह कह रहे हैं घबराहट के मारे कि लोक सभा का जल्दी ही कोई अधिवेशन बुला कर अध्यक्षीय प्रणाली अपना लें। इतनी घबराहट हो रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, कागज के शेर कभी लाठी और जंग लगी तलवार लेकर समझते हैं कि बड़े बहादुर हैं। यहां हमारा लोकतंत्र में पूरा विश्वास है। चुनाव करायेंगे।

तो, सभापति महोदय, अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। राजनैतिक चर्चा इन्होंने यहां छेड़ी थी इसलिये मुझे मजबूर होकर

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपंलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युमन सिंह)

राजनैतिक चर्चा का राजनैतिक रूप में जवाब देना पड़ा। यहां नगरपालिका के बारे में एप्रीहेन्सन जाहिर किया, माननीय सदस्य श्री भंवरलालजी साहब ने कि कल को आप अजमेर में नोमीनेटड बोर्ड बना देंगे। सैक्शन (10) में। मैं आपको इसकी ब्रीफ हिस्टरी बता दूं। 1944 में जब जयपुर रियासत थी उस समय विद्या विहार म्यूनिसिपैलिटी का गठन हुआ था। I am going that just 1944, उसके बाद देश आजाद हुआ। श्रीमन् उसके बाद भी यहां पर एक छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी थी। यहां पर बहुत कम संख्या थी। साथ में एज्यूकेशनल ट्रस्ट है उनका यहां पर, जो पिलानी के एफियर्स को रन करता है। यहां पर उन्हीं लोगों की रिहायश ज्यादा है। तो यहां यह सोचा गया था कि म्यूनिसिपैलिटी का गठन कर दिया जाय। यहां पर नोमीनेटेड बोर्ड ही काम कर रहा है। आज दिन तक इनको होश नहीं है, इनके राज में भी नोमीनेटेड बोर्ड था, भाषण तो दे गये लेकिन इनका ध्यान है ही नहीं कि इनके राज में भी नोमीनेटेड बोर्ड था। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और यहां भाषण दे दिया खड़े होकर। आपने क्यों नहीं भंग कर दिया वह बोर्ड ...

(व्यवधान)

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : मूल बात तो आप भूल रहे हो

(व्यवधान)

मोरारजी ने भी भंग किया। मूल बात तो आप भूल गये नगरपालिका तो एक छोटी चीज है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, 1959 का एक्ट आया। 1959 के एक्ट के अनुसार बोर्ड नोमीनेट कर दिया और म्यूनिसिपैलिटी बना दी तो नियम यह था कि पांच हजार से कम की आबादी के ऊपर म्यूनिसिपैलिटी का गठन नहीं होगा। वहां गठन हो गया उस वक्त। आज की स्थिति तो यह है कि 8 हजार से कम की आबादी होगी वहाँ म्यूनिसिपल बोर्ड बन नहीं सकता है। 1959 से लेकर आज तक 25 वर्ष में जो कार्य हुए उनकी 72 में अपील हुई जिसका 82 में फैसला हुआ। तब तक के तमाम कार्यकलाप है, टैक्स रिएलाइजेशन है, सब कुछ है इसका कैसे करेंगे। हमारे विधि विभाग की राय हुई कि आर्डिनेन्स ला करके सैक्शन (10) में एज्यूकेशनल इस्टीट्यूशन जोड़ दिया जाय। कहां कहां नामीनेटेड बोर्ड हो सकते हैं उसके लिए कर दिया। एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन यह सर्वविदित बात है कि जो विद्या विहार पिलानी है वहाँ एज्यूकेशन के अलावा कोई ज्यादा गतिविधियां नहीं है। आप बोले, अजमेर को बदल दोगे, कल उदयपुर को बदल दोगे। कोन्सिल का प्रोविजन है, 50 हजार से ऊपर की आबादी होगी वहाँ कौन्सिल होगी ; नगरपालिका होगी। लेकिन चूंकि आप बाल की खाल निकालने लगे और कहने लगे कि इसको डेफिनेशन नहीं दी गई है इसलिए आप मनमानी करेंगे। कोई मनमानी करने देंगे अधिकारी ? की है कभी मनमानी ? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह बहुत टेक्नीकल मामला है। एक टेक्नीकल एरर उस टेक्नीकल एरर को सुधारने के लिए कानून बनाने जा रहे है उसके लिये कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। इसलिए आपने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि उसे रिजेक्ट किया जाय।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, परिनियत संकल्प पर।

प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(व्यवधान)

मैं फिर से पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (विद्याविहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति: श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए)

श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया इससे पूर्व मन्त्री महोदय ने यह विचार रखे कि एक टेक्निकल भूल के सुधार की दृष्टि से यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। जहां तक स्थानीय निकायों का प्रश्न है, विद्या बिहार नगरपालिका, पिलानी जो गठित की गई थी उसमें भूल रह गई तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है जब म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में अधिकार नहीं था तो क्यों गठित किया गया? गठित करने में आपने भूल कर डाली। न्यायालय ने उसको नहीं माना फिर भी आप इस पर जिद पर अड़े हुए हो कि नहीं हम इसको रेगूलराइज करना चाहते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार नहीं किया फिर भी आप जिद पर अड़े हुए हैं। इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि आपने फार्मेशन कर दिया, नामिनेशन कर दिया। नामीनेट करने के बाद जितनी इर्रेगूलेरिटी उन्होंने की, जितनी अनियमितताएं कीं, उन पर अब मोहर लगाना चाहते हैं। फिर से न्यायालय में नहीं जाय इसलिए सेक्शन (10) में संशोधन करके एज्यूकेशन के नाम पर आप फिर से वहां पर नामीनेट करना चाहते हैं। कहा गया कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। जनता पार्टी के राज में चुनाव नहीं हुए, यह बात भी यहां पर आई लेकिन मैं उस सन्दर्भ में नहीं जाना

(श्री बंशीलाल पटवा)

चाहता हूं। पर इतना अवश्य है कि आजादी के पहले स्थानीय निकायों के बारे में हमने जो कल्पना की थी और गान्धीजी ने स्थानीय निकायों को मजबूत कराने की जो बात कही थी, उसके बाद सन् 1951 में म्यूनिसिपैलिटी एक्ट बना उसमें संशोधन हुए। सन् 1959 में फिर एक एक्ट बना। उसके बाद पता नहीं कितने संशोधन करते गये। आज दूसरे राज्यों में जो म्यूनिसिपल एक्ट है, मद्रास में चले जाइये, यू. पी. में चले जाइये, मध्य भारत में चले जाइये, मेरा निवेदन यह है कि म्यूनिसिपल एक्ट में क्या कमियां हैं, उसकी समीक्षा क्यों नहीं करते हैं। आज हमारे यहां और धाराएं हैं, उन धाराओं के तहत म्यूनिसिपैलिटी में सबार्डिनेट कौनसे रूल्स किस तरह बनने चाहिये, किस तरह नहीं बनने चाहिए, उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। पेरेन्ट डिपार्टमेंट में किस कारण से फाइलें पड़ी हुई हैं, उनको किस तरह जल्दी डिस्पोजल किया जा सकता है, उसके लिये तो कोई संशोधन नहीं लाना चाहते हैं, संशोधन लायेंगे नामीनेशन के लिये। नामीनेट करने के दुष्परिणाम आप देख लीजिये। आजादी मिली तब से आज तक नगरपालिकाओं की जो हालत है, उस पर विचार कर लीजिये, उसकी समीक्षा कर लीजिये। जब-जब चुनाव हुए नगरपालिकाओं के, नगर परिषदों के, तब–तब राजस्व आय बढ़ गई और जब-जब प्रशासक नियुक्त किये तब-तब आय घट गई। इसका मूल कारण क्या है? डेमोक्रेसी में नामीनेटेड और जनतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई नगरपालिका या परिषद् होती है उसमें एक फर्क होता है। वहां एक नौकरशाही बैठता है यू शेप की ड्रेन 9 इन्च की बननी चाहिये और यह कौन्सिलर चाहते हैं कि कम से कम में काम चला सकें, 6 इन्च की बनाने से कम खर्चा आयेगा, हम अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। नामीनेशन वाले जो बैठते हैं वे 9 इन्च न बना कर डेढ़-दो फीट की बनायेंगे। वे योजना इस तरह की बनायेंगे कि अधिक से अधिक करप्ट प्रेक्टिस की जा सके। नामीनेशन के इसलिए हम खिलाफ हैं।

वहां एज्युकेशन सेन्टर है, वहां चुनाव कराने की बात की जानी चाहिये। फिर यदि न्यायालय ने बात नहीं मानी तो अन्य तरह का संशोधन लाते कि महीने भर बाद चुनाव करा देंगे। अब संशोधन के बाद चुनाव कब होंगे, होंगे नहीं होंगे, कोई नहीं कह सकता है। मान लो, जनता पार्टी के राज्य मे चुनाव नहीं कराने की गल्ती की गई थी उसके पीछे भूमिका 18 वर्ष की थी, देश के मतदाता का सवाल था। नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव 73 में हुए, 76 में उनकी अवधि समाप्त हो गई उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी खतम हो गई, 84 गुजर रहा है लेकिन आज तक चुनाव नहीं हुए।

दूसरी बात, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि यह आर्डिनेन्स कब लाये? अगस्त के अन्त में। विधानसभा का सेशन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बुलाया और आर्डिनेन्स लाये आप अगस्त के अन्त में। कौनसा पहाड़ टूट रहा था, आर्डिनेन्स क्यों निकाला गया? आर्डिनेन्स लाने के बजाय सीधे यहां बिल ले आते। विधान सभा तो चलने वाली थी कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं था। वह नामीनेशन

(श्री बंशीलाल पटवा)

उस समय होता, मान लो, नगर पालिका की अवधि समाप्त हो गई चुनाव होंगे दो महीने बाद, इस बीच की अवधि में वैक्यूम है, खाली स्थान है, इस दृष्टि से वैक्यूम को भरने के लिये किसी को नामीनेशन किया जाय या प्रशासक नियुक्त कर दिया जाय या इस तरह का नामीनेशन कर दिया जाय। लेकिन इसके पीछे यह भूमिका नहीं होती, यह लक्ष्य नहीं होता कि लम्बी अवधि तक नामीनेट करके किसी भी परिषद या पालिका को गठित कर दें और फिर दुरुपयोग होता रहे। आपने यह देखा होगा, जो "प्रशासन शहरों की ओर" अभियान चला कोई भी अभियान चलाया जाय, जनहित की दृष्टि से चलाया जाय उसके पीछे कोई इस तरह की बात नहीं है, उसकी तारीफ की जा सकती है लेकिन आज तक जितने भी अभियान आपने शहरों की ओर चलाये वहां अगर नामीनेटेड बोर्ड है तो उसमें कितना दुरुपयोग हुआ है, आप देखो। आज भी पेरेन्ट डिपार्टमेंट में फाइलें पड़ी हुई हैं। दूसरे सिमिलर केसेज हैं जिनको चेंज किया जा सकता है उनको चेंज नहीं किया गया। अनुसूचित जाति के भूखण्डों की फाइलें सिमिलर केसेज डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं लोगों को जलालत की नीति का शिकार होना पड़ रहा है। आज तक फाइलों का निपटारा नहीं हुआ है। आज भी चले जायें, व्यर्थ के खर्चे होते हैं। जहां नामीनेशन होता है वहां व्यर्थ के खर्चे होंगे और लीकेज बढ़ेंगे। चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उनमें जोइंट रेस्पांसिबिलिटी से काम करने की भावना पैदा होगी और जोइंट रेस्पांसिबिलिटी से काम करेंगे तो उसमें गलतियां कम होंगी और नतीजे अच्छे निकलेंगे और बड़े पैमाने पर निकलेंगे। इसलिये हम यह नामीनेट करने की परम्परा के सख्त खिलाफ हैं। इस देश को गांधीजी ने यह दिशा इसलिये नहीं दी कि जनतंत्र का हनन किया जाये। कहा जाता है कि हमने पंचायतों के चुनाव कराये हैं। किसी के खिलाफ नो कांफिडेंस का प्रस्ताव आता है तो राज्य सरकार कुछ अवधि के लिये तारीख लगाकर, तिथि तय करके उसको पंचायत एक्ट में 15क के तहत स्थगित कर सकती है। लेकिन अनिश्चित काल के लिये स्थगित नहीं कर सकते हैं डवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप चले जायें, 15क का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। नो कांफिडेंस मोशन किसी सरपंच या पंच के खिलाफ आता है तो उसको स्थगित कर देते हैं और विरोधी पक्ष का सरपंच होता है तो उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन बरता जाता है। जो वेग में कानून बनेगा निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग होगा। मेरा यह निवेदन है कि कहीं भी एजूकेशनल सेन्टर का डिफाइन नहीं किया है। जिस तरह से 15क का दुरुपयोग किया गया उसी तरह सैक्शन 10 में जो संशोधन किया जा रहा है,

(समय–समाप्ति-सूचक-घंटी)

उसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है। तो मेरा यह निवेदन है कि हमको इस पर फिर से समग्र रूप से विचार करना चाहिये। इस तरह से छोटे छोटे संशोधन बारी बारी से लाते जायें और नौकरशाही

(बंशीलाल पटवा)

की जलालत का शिकार लोग होते रहें इस दृष्टि से हम इस संशोधन का विरोध करते हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक महीने के लिये, दो महीने के लिये, तीन महीने के लिये इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। जल्दबाजी मत कीजिये। यह संशोधन स्वीकार होगा तो कानून बनेगा और वेग में बने हुए कानून का यह जो सरकारी मशीनरी बैठी हुई है, दुरूपयोग करेगी। इसलिये इस पर पूरा विचार होना चाहिये। जहां चुनाव नहीं होते हैं, इस तरह से नामीनेट करके म्युनिसिपैलिटी बनाई जाती है उसका हम घोर विरोध करते हैं। गांधीजी का जो दृष्टिकोण है उसके पीछे यह है कि चुनाव के बाद जोइंट रेस्पांसिबिलिटी से काम करने वाली बात है। उसकी पालना करने की दृष्टि से चुनी हुई नगरपालिकायें होनी चाहिये। जिस प्रकार की गलती की उसको सुधारने के लिये संशोधन ले आयें, इस बारे में निवेदन करूंगा कि एक, दो, तीन महीने के लिये जनमत जानने के लिये इसको आप परिचालित कीजिये अन्यथा यह जो इस तरह का संशोधन है इसके दुष्परिणाम लोगों को भुगतने पड़ेंगे यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, अभी जो संशोधन पर वाद विवाद चल रहा था उसको सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सैक्शन 10 के अन्तर्गत इस राजस्थान के अन्दर पूर्व में भी नगर पालिकायें कार्य कर कर रही थीं। जितने माननीय सदस्य बोले शायद उनको यह बात मालूम नहीं है कि सैक्शन 10 के अन्दर कौन-कौन सी नगरपालिकायें काम कर रही हैं। उनका विरोध इस बात का है कि विद्या विहार नगरपालिका जो काम कर रही थी कानूनी मुद्दे को पूरा करने के लिये सैक्शन 10 में एक वर्ड और एड कर दिया। इसलिए मूलतः सैक्शन 10 की परिभाषा में परिभाषित जितनी म्यूनिसिपैलटीज है उनके फंक्शनिंग के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

और इनका यह एप्रीहेन्सन है कि जो नामीनेटड बोर्ड होगा वह बोर्ड ठीक ढंग से काम नहीं कर पायेगा। यह इस बात का द्योतक है कि यह इस बात को मानते हैं कि राजस्थान विधान सभा में इनकी पार्टी का बहुमत आयेगा नहीं। बहुमत नहीं आयेगा इसलिये इनको नामीनेट करने का अवसर नहीं मिलेगा। मुझे इस बात की तो खुशी है कि मेरे सभी साथी इस बात को मानते हैं कि इनको नामीनेट करने का अवसर नहीं मिलेगा। सैक्शन 10 के अन्तर्गत जितनी भी नगर पालिकायें राजस्थान के अन्दर हैं उनके फंक्शनिंग के बारे में हम देखें तो मेरी मान्यता यह है। माननीय सभापति महोदय, कि इस तरह की और नगर पालिकाओं को भी इसमें इन्वलूड किया जाना चाहिये। आप स्वयं जानते हैं इस बात को कि जैसलमेर, माऊंट आबू और इस तरह की जो म्यूनीसिपैलिटीज सेक्शन 10 में कवर्ड हैं उनके लिये नामीनेटेड बोर्ड हैं, वे नामीनेटेड बोर्ड अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। उन जगहों की हिस्टारिकल इम्पा-

(श्री सी. पी. जोशी)

टेन्स मेनटेन करने के लिये यह आवश्यक है वहां पर नामीनेटेड बोर्ड हो। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को नामीनेटेड बोर्ड से तकलीफ है, एडमिनिस्ट्रेटर से तकलीफ नहीं है। मतलब नामीनेटेड बोर्ड तो होगा परन्तु उसमें जन-प्रतिनिधि नहीं होगा। वह आदमी नगर का नागरिक नहीं होगा। इनको तो यह तकलीफ है कि यह खतम हो जाना चाहिये और म्यूनिसीपैलिटी के यह अधिकार आई.ए.एस. आफिसर को मिल जाने चाहिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप पैसा तो कुछ देते नहीं हैं। नामिनेशन के बाद वह कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कौनसा स्थायी काम वह कर सकते हैं? कौनसा सौंदर्यकरण कर देंगे? आपने कौनसा पैसा दिया? आपके पास है कहां पैसा? × × × गवर्नमेंट है आपकी।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे बड़ी खुशी है, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य सेक्शन 10 में जितनी म्यूनिसीपैलिटीज कवर होती हैं उनकी वे जानकारी नहीं रखते। शायद उनको यह मालूम नहीं है कि जितने सदस्य यहां बोले हैं उनमें से अधिकांश ने अपनी राजनीति म्यूनिसीपैलिटी से प्रारम्भ की और अभी भी अपनी राजनीति का भविष्य म्यूनिसीपैलिटी में देखते हैं। उदयपुर, अजमेर या जयपुर जहां से म्यूनिसीपैलिटी का मेम्बर बनकर इन्होंने राजनीति शुरू की, वे समझते हैं कि हिन्दुस्तान की राजनीति म्यूनीसिपैलिटी में समाप्त होती है। सेक्शन 10 के जो अमेंडमेंट किया गया है, उस सेक्शन 10 के अमेंडमेंट का वेलकम करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं जितकी इलेक्टेड म्यूनिसीपैलिटीज भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ की थीं उनके कार्य-कलापों का मूल्यांकन करेंगे तो स्ट्रीप आफ लैण्ड के नाम पर, चबूतरी के नाम पर, दुकान के नाम पर नगर की जितनी सुन्दरता बिगड़ी है, सेक्शन 10 में कवर करने के बाद शायद नहीं बिगड़ेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि सेक्शन 10 के अन्तर्गत एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के अलावा और जो गांव बचे हुये हैं उनको भी कवर किया जाये। इससे हिस्टारिकल इम्पार्टेन्स मेनटेन रहेगी और उपादेयता मेनटेन रहेगी। आप स्वयं जानते हैं, माननीय सभापति महोदय, पिलानी सारे हिन्दुस्तान के अन्दर एक ऐसा स्थान है जहां पर हायर एज्यूकेशन के लिये लोगबाग आते हैं, हिन्दुस्तान के कोने कोने से लोगबाग आते हैं। उस म्यूनिसीपैलिटी का भार भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को सौंप दिया जाय तो बिड़ला इन्स्टीट्यूट की सारी इम्पार्टेन्स खतम हो जायेगी और कहीं उजलाजी की कच्ची बस्ती बन जायेगी, कहीं भंवरलालजी का पक्का मकान बन जायेगा। कुल मिला करके इम्पार्टेन्स खतम हो जायेगी। यही है कि यही हालात जैसलमेर के अन्दर हो जायेगी इसलिए इस बिल को डिसकस करने के लिये अजमेर, उदयपुर को कम्पेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आर्ग्यूमेंट करने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि पुष्कर, जैसलमेर और माउण्ट आबू म्यूनिसिपैलिटी जो सेक्शन 10 के अन्तर्गत कवर्ड हैं,

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सी.पी. जोशी)

नामीनेटेड बोर्ड होने के बाद वहां हजारों यात्री आते हैं और भी दूसरे आदमी आते हैं। उनको आधारभूत मूल सुविधायें इन नोटिफाइड एरिया कमेटी और सेक्शन 10 के अन्तर्गत कवर की गई म्यूनिसीपैलिटी में मिलती हैं, यही स्थिति है, जो विद्या विहार के अन्दर सेक्शन 10 में लेकूना रह गया था उस लेकूना को हमने पूरा किया। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अलावा भी और जो इम्पार्टेन्ट जगह हैं उनको सेक्शन 10 में कवर करने की आवश्यकता है। जैसे जोबनेर है, जोबनेर एग्रीकल्चर की हायर एजूकेशन का सेंटर है। आज जोबनेर को सेक्शन 10 में कवर करने की आवश्यकता है। इसी तरह से वनस्थली है। वनस्थली की जो इम्पोर्टेन्स है उसको देखते हुए वहां पर महिलाओं की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उसको सेक्शन 10 में कवर करने की आवश्यकता है। इस तरह के जो इम्पार्टेन्ट प्लेसेज हैं, जहां पर हिन्दुस्तान के कौने-कौने से लोगबाग आते हैं, उनमें आधारभूत सुविधायें मुहैया कराने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, उस टोटल पापूलेशन के अन्दर इस इंस्टीट्यूशन के कारण, इस पर्टीकूलर प्लेस के कारण फ्लोटिंग पापूलेशन ज्यादा हैं। फ्लोटिंग पापूलेशन की मूलभूत सुविधाओं का निर्धारण करने का मापदण्ड अजमेर, जयपुर और उदयपुर में रहने वाले निवासियों के मापदण्ड के अनुकूल नहीं हो सकता। इसलिए माननीय मंत्री महोदय ने यह सेक्शन 10 में जो अमैण्डमेंट किया है उस अमैण्डमेंट का मैं वैलकम करते हुए यह और निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर और गुंजाइश है, ऐसी जो इम्पोंटेन्ट जगह है जिनके ऊपर सारे विलेज की इकानामी डिपेंड करती है, उस इकानामी को वायबल करने के लिए, आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सेक्शन 10 में राजस्थान की उन जगहों को कवर करने की आवश्यकता है। इनको जब तक हम कवर नहीं करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, जो उदयपुर म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर बने और फिर वहां से विधान सभा के मेम्बर बन गए, नजरिया वही रहेगा। सेक्शन 10 के अन्दर अमैण्डमेंट के पीछे कारण देखें, पिछले 35 सालों में जितनी म्यूनिसिपैलिटीज सेक्शन 10 के अन्दर काम कर रही हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन करें तो निश्चित तौर पर सेक्शन 10 में कवर होने वाली सभी म्यूनिसिपैलिटीज ने इन इलेक्टेड म्यूनिसिपैलिटीज से ज्यादा अच्छा काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जब यह कहता हूं तो इसके पीछे मंशा यह नहीं है कि यह लोकतंत्र की दुहाई देना चाहते हैं। जिस पार्टी के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, जिस पार्टी की रीति-नीति का निर्धारण लोकतांत्रिक प्रणाली से नहीं होता, वे लोकतंत्र की बात करना चाहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव के बारे में। म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव की बात है, राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी के काम करने वाली बात है, उस पर नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं को देने की जिम्मेदारी है। उसके बारे में प्रयत्नशील भी हैं। इस बात का

(श्री सी.पी. जोशी)

प्रतीक यह है कि हमने म्यूनिस्पेलिटीज के चुनाव कराये। सेक्शन 10 के अन्दर जो हमने यह अमेंडमेंट किया है वह इस बात को इंगित करता है, माननीय सभापति महोदय, कि सन् 44 में जो विद्या विहार नगरपालिका बनी थी उसको हम एजूकेशनल सेंटर के नाम से कवर नहीं कर पाए। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया उसको कम्पेनसेट करने के लिए हम यह अमेण्डमेंट लाये हैं। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट के इस निर्णय से हमको कुछ सबक सीखना चाहिए और सबक इस तरह से सीखना चाहिए कि इस तरह की और जो म्यूनिसिपेलिटीज हैं जिसकी सारी इकानॉमी किसी इन्स्टीट्यूशन पर, किसी रिलिजियस प्लेस पर या रिलिजियस वर्शिप प्लेस पर डिपेण्ड करती हैं उनको भी कवर करना चाहिये। इसका उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, चित्तौड़गढ़ के अन्दर सांवरियाजी का मंदिर है. इस सांवरियाजी की वजह से वहां की सारी इकानामी डिपेंड करती है सांवरियाजी के मंदिर पर। सांवरियाजी के उस रिलिजियस प्लेस को आपको डवलप करना है तो सेक्शन 10 के अन्दर आपको उसको कवर करना पड़ेगा। इसलिए इस संशोधन को हम वाइड नजरिये से देखें कि ऐसी कौन-कौन सी नगरपालिकायें, क्षेत्र हैं जिनको हम इसमें कवर कर सकते हैं। इसको भी आधार मानें। इस आधार की दृष्टि से इस संशोधन को कवर किया है। निश्चित रूप से एक टेक्निकल, एक लीगल लेकूना को पूरा करने का माध्यम है। मैं समझता हूं कि सेक्शन 10 को और ज्यादा एलोबरेट करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से यदि आज इसका मूल्यांकन करें तो इस बिल में जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तावित किया है, मैं समझता हूं कि उसका विरोधी दल के माननीय सदस्यों का एप्रीहेन्सन और उनकी अपनी प्रिजूडिसेज उनके अपने पॉलिटिकल कैरियर के स्टार्ट होने, इन दोनों के बीच में कोई सम्बन्ध नहीं है। इस दृष्टि से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका सपोर्ट करें, समर्थन दें। भविष्य में इस तरह का और जो एण्टीसिपेट कर रहे हैं उनको और इनकोरपोरेट करके सेक्शन 10 को वाइड करने की आवश्यकता है।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एप्रीहेन्सन जाहिर किये हैं यहां पर अपने संशोधन के जरिये, उनके ऊपर मैं पूर्व में ही प्रकाश डाल चुका हूं और मैं जो बात मैंने पूर्व में कही थी उसको दोहराना पसन्द नहीं करूंगा। माननीय सदस्य नाथद्वारा से आने वाले ने मेरी बात से सहमति जाहिर करते हुए जो अपने सुझाव दिये हैं कि आप नाहक में विरोध न करें, वे तो काफी आगे बढ़ गए, मैं उनका बहुत आभारी हूं। उनके सुझावों को अवसर आने पर किस प्रकार से कार्यान्वित किया जा सकता है इस पर सरकार विचार करेगी। अतः मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जनमत जानने हेतु जो अपना संशोधन प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार न किया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक 1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(व्यवधान)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्ड–2 में श्री भंवरलाल शर्मा सशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं बोल लेता हूं। इसमें क्या हैं ? पहले भी पार्टी की तरफ से बोलते थे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप पारित होने की स्टेट पर बोल लीजिए।

श्री भगवानदास शास्त्री : हम संशोधन की लिस्ट लेकर अपनी पार्टी की तरफ से कोई भी बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड (2) स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (2) स्वीकार किया गया।

खण्ड 3,4,5 और 6 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3,4,5 और 6 स्वीकार किये जावें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3,4,5 और 6 स्वीकार किए गए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि में कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किया गया। प्रभारी मंत्रीजी।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जावे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक संशोधन था इसमें।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : इसमें विलम्ब हो गया। बिल पास हो गया है। वह क्लाज भी पास हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी उपस्थिति के बाद भी आप वही फैसला करने वाले थे।

श्री परसराम मदेरणा : हाउस ने मताधिकार कर दिया है, वह रि-ओपन नहीं हो सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह कहता हूं कि आप रि-ओपन मत करिये लेकिन मेरी बात तो सुनने दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो बोलने का अधिकार है आपको। थर्ड स्टेज पर भी आप बोल सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं सभापति महोदय से निवेदन कर रहा हूं और निर्णय भी उनसे ही चाहता हूं। आपको तकलीफ नहीं देना चाहता निर्णय के लिए।

श्री सभापति : आप फरमाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यही निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, कि यह जो चल रहा था उसके बीच में ही दो मिनट के लिए किसी काम से मैं चला गया था। अब वह तो निकल गया लेकिन मेरे विचार मुझे रखने दिये जायं।

श्री सभापति : जिस समय यह अवसर था आप अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते। उस समय आप उपस्थित नहीं थे इसलिए आपका संशोधन प्रस्ताव नहीं आया। अब मैं आपको विचार प्रस्तुत करने का अवसर पारित होने की स्टेज पर दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : पारित करने का प्रस्ताव तो रख दिया गया है। आपको कुछ बोलना हो तो आप बोलिये।

श्री सभापति : हां, बोलिये। पारित की स्टेज पर बोल लें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, इस एक्ट में दो बातें ऐसी हैं जो स्वायत्तता के मूलभूत सिद्धान्त के ऊपर कुठाराघात करती हैं। एक तो मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि एजूकेशन इंस्टीट्यूशन की इसमें कोई परिभाषा नहीं लिखी। उसके उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह बात तो सही है कि हमने एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स, सेंटर्स को परिभाषित नहीं किया है लेकिन यदि हम मनमानी करना चाहेंगे तो कौन करने देगा। यानी मनमानी तो कर सकते हैं, कानूनन कोई

(श्री भंवरलाल शर्मा)

रुकावट नहीं आएगी लेकिन उन्होंने यह कह करके टाल दिया कि साहब, अगर मनमानी करेंगे तो करने कौन देगा। आप तो मनमानी करते रहते हो, रोकता कौन है? जब रामाराव को हटा दिया तब कौनसी कम मनमानी हुई थी।

(व्यवधान)

ठीक है, वह तो हमने वापस बिठाया पर आपने रामाराव को हटा दिया।

तो माननीय सभापति महोदय, मान लीजिए, कोई चोर किसी का माल लेकर भाग जावे और उधर से दस पांच सभ्य नागरिक आ रहे हों उनसे वह कहे कि मेरा सामान ले गया, पकड़ो-पकड़ो। वह उसको पकड़ लाए और पकड़ के लाकर उससे माल ले लें उस चोर से माल वापस दिलवा दे, फिर देने वाला चोर कहे कि साहब, मैंने तो वापस दे दिया तो यह एक्सप्रेशन दिया है आपने। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। खैर, इस विषय को छोड़िये।

एक शब्द इन्होंने लगा दिया–"सिमीलर"। इस "सिमीलर" शब्द को हटा दिया जाय। पहले यह था कि आप कहीं पर नामिनेट करेंगे तो यह बातें रहेंगी। वह बैकवर्ड इलाका हो सकता है, जनसंख्या कम है, लोग इनडिफरेंट है, हिल स्टेशन है इस आधार पर या इसी प्रकार का कोई और कारण होगा तभी बोर्ड को नामीनेट कर सकेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं कर सकेंगे। अब इस कानून में क्या किया? "सिमीलर" को हटा दिया। तो "सिमीलर" के हटाने से किसी भी नगरपालिका को यह नामीनेटेड बोर्ड में परिवर्तित कर सकते हैं। "सिमीलर" तो राइडर था। अब यह जो विद्या विहार नगरपालिका है उसके गठन का विधिमान्यकरण करना चाहते हैं तो सीधे सीधे यह रख दीजिए कि जो पिलानी नगरपालिका है उसका पुनर्गठन करने के लिए कानून की आवश्यकता है, समझ में आ गई बात। आपने "सिमीलर" शब्द क्यों हटा दिया? इस प्रकार की व्यवस्था होने पर आप किसी भी नगरपालिका का बोर्ड नामीनेट कर सकते हैं, इलेक्टेट बोर्ड को खतम कर सकते हैं। यह "सिमीलर" शब्द हटाने के पीछे क्या मन्शा है? "सिमीलर" शब्द हटाने की मन्शा यही है कि प्रजातांत्रिक तरीके से जो बोर्ड बन सकता है वह नहीं बने और किसी भी कारणवश आप किसी भी इलेक्टेड बोर्ड को अपने मनमाने ढग से नामीनेट कर खतम कर दें, नामीनेशन चालू कर दें। तो मेरा आपसे निवेदन यह है, ठीक है, आपने मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठाया क्योंकि आप हमेशा इसी मौके की तलाश में रहते हैं, बड़े चतुर हैं इस मामले में तो, लेकिन मेरी आपसे विनती यह है कि आप अपने उत्तर में बतायें "सिमीलर" शब्द क्यों हटाया है, इसके पीछे क्या मन्शा रही है? आपका जो विद्या विहार का अमेन्डेड बिल है उसको जीवन देना चाहते हैं, उसको जीवित करना चाहते हैं, यह बात समझ में आ सकती है लेकिन "सिमीलर" शब्द को हटाने का क्या प्रयोजन है? क्या इससे यह भावना नहीं निकलती कि आप बिना कारण के किसी भी स्थान सिमीलर रीजन बता कर कह देंगे कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। जैसा अभी नाथद्वारा के माननीय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जोशीजी ने कहा कि सब को ही कर दो । इसका कारण है, वह खुद दुखी है कि उनकी नगरपालिका बोर्ड बन गई है । अपने कहावत है कि पंडितजी के अगर कोई विधवा पैर लगेगी तो वह तो खुद ही उस दिशा में चले जायेंगे । वह तो विधवा की तरह हो गये क्योंकि उनकी नगरपालिका तो भंग हो गई । नाथद्वारा में तो बोर्ड पहले ही बना दिया आपने । इसलिये वह तो राजी हैं कि हमारे साथ जो हुआ वही सबके साथ होना चाहिए । तो वह तो इस भावना से बोल रहे हैं ।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी ।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): मैं थोड़ा इनको संबोधित कर रहा हूं कि शादी के पहले, बिना शादी के कोई विधवा नहीं होती । आपने गलत कह दिया । यही तो मैं कह रहा हूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जैसे एजूकेशनल सेन्टर को डिफाइन नहीं किया और यह "सिमीलर" शब्द हटाया है, यह बिना हटाये भी आपका विधिमान्यकरण हो जाता है । आपकी इस नगरपालिका के लिये जो मन्शा है वह पूरी हो जायेगी इसके बावजूद आपने "सिमीलर" शब्द को हटा कर क्या इस भावना का परिचय नहीं दिया है कि आप कभी भी किसी नगरपालिका को नामीनेटेड बोर्ड में परिवर्तित कर सकते हैं । यह शंका है, इस पर आप....

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी शंका का मैं पूर्ण रूप से समाधान करने की चेष्टा करूंगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : पर मुझे संदेह यह है कि आपके जो आजू-बाजू में बैठे हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : लेकिन आप खुले दिमाग से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शंका का समाधान हो सकेगा अन्यथा भगवान भी नहीं कर सकेगा । अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, हालांकि आपकी अनुमति से इन्होंने जो अमेण्डमेंट प्रस्तुत किया था और....

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम को बोलना है । आपने तो, सभापति महोदय, इनको बोलने के लिए कहा ही नहीं । यह तो माननीय सदस्य का जवाब देने के लिये खड़े हुए थे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप अपने वरिष्ठ सदस्य हैं उनका अपमान कर रहे हैं ।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मैं उन्हीं के आदेश से बोल रहा हूं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इनको बोलने का अधिकार है ।

श्री सभापति : बोलने का अधिकार तो है, मैं ना नहीं कर रहा हूं लेकिन आपकी पार्टी से कितने बोलेंगे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जितने हैं, सब बोलेंगे ।

श्री सभापति : इतना समय नहीं है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई दल का सवाल नहीं है । मैं निवेदन करना चहता हूं कि इस पर जिस प्रकार पूर्व में माननीय सदस्य ने विचार रखे और नगरपालिकाओं की जिस प्रकार से स्वायत्तता को समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रही है वर्तमान सरकार और वर्तमान स्वायत्त शासन मंत्रीजी, उसमें विशेष रूप से उनका इस कारण हाथ है कि कोई भी स्वायत्त शासी संस्था फ्री ली काम नहीं कर सके । इसलिए ज्यादा से ज्यादा अधिकार वह अपने हाथों में लेना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूँ कि इनका अभ्यास बना हुआ है, जहाँ पर विरोध की नगरपालिका हो वहां पर उसको जबरदस्ती नोटिस देना, भंग करने की कोशिश करना, विकास नहीं करने देना । यह इनकी प्रवृत्ति में शामिल है । यदि उदाहरण दिया जाय तो राजस्थान में कई ऐसी नगरपालिकाएं हैं जहां पर स्वायत्त शासन मंत्री ने इलेक्टेड बोर्ड भंग करके इस प्रकार से नामिनेटेड बोर्ड बनाये हैं । इसको नामिनेटेड बोर्ड तो इसके द्वारा बना रहे हैं लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि जो यह अधिकार ले रहे हैं कि किसी भी नगरपालिका को यह इस प्रकार नामीनेटेड बोर्ड बना सकते हैं, यह अधिकार बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए । कानून बनाने वाली यह जो सर्वोच्च सत्ता है राजस्थान विधान सभा, इसका दायित्व है कि वह इस प्रकार का अधिकार, जिसके द्वारा स्वायत्तता छीनी जाय, किसी सरकार को नहीं दें । हमारे संविधान की यह मन्शा नहीं है । जिस तरह की प्रेक्टिस यहां हो रही है उसमें भ्रष्ट और निकम्मे लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है । अजमेर, जयपुर जहां-जहां भी प्रशासक हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार हो, ज्यादा से ज्यादा राजनीतिकरण करके पैसा इनके हाथ में आये, यह इनका अभ्यास बना हुआ है । इसलिए हम नामीनेटेड संस्थाओं को बर्दाश्त करने के योग्य नहीं हैं । यह जो किसी भी बोर्ड को नामीनेट करने का अधिकार ले रहे हैं, यह कतई उचित नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को पारित नहीं किया जाय ।

श्री सभापति : श्री महाराम ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में जो संशोधन ला रहे हैं इसके लाने से नगरपालिकाओं में कोई विशेष सुविधा उपलब्ध होती हो तब तो ठीक है लेकिन विशेष सुविधा उपलब्ध होती नहीं है । ऐसे बहुत से अमेण्डमेंट लाने की आवश्यकता है जिससे आम आदमी को फायदा हो । उसे तो लाने की कोशिश करते नहीं हैं । मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से राजस्थान में राजस्व अभियान चलाया गया जिसमें ग्राम पंचायतों में जितने भी काम थे उनकी पूर्ति कर दी गई और जो म्यूनिसिपल एरिया घोषित था........

(4.49 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष

पदासीन)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य, जो विचारणीय विषय है उससे संबन्धित होनी चाहिए चर्चा। यह विद्या विहार के बारे में है, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : विद्या विहार नगरपालिका का करना है ? मैं तो यह कह रहा हूँ कि इस प्रकार का अमेण्डमेंट लाने के साथ-साथ इनको सोचना चाहिए था कि इस एक्ट में वह कौन से काम हैं जिनकी पूर्ति करने से काश्तकारों को फायदा, सुविधा होती। जैसे राजस्व अभियान के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने लाखों रुपये इसलिए खर्च किये कि म्यूनिसिपल एरिया में जो टाउन आते हैं उनको किस तरह से फायदा मिले, ऐसे भी अमेण्डमेंट लाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य तृतीय वाचन के लिए जो समय निश्चित था वह पूरा हो गया। चर्चा समाप्त होती है। मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं सदैव न्याय करता हूं। आपकी अनुमति से समय निश्चित करते हैं और समय की पालना मुझे करवानी होती है।

आर्डर आर्डर। मंत्री महोदय.......

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : पंचायतों में तो.......

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री त्रिलोकसिंह : × × ×.

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक संशोधन पेश किया था उसका अवसर तो उन्होंने गंवा दिया। सदन की अवमानना की, सदन में हाजिर नहीं हुए उसके बाद भी उनको अवसर दिया गया। उस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने यहां पर दोहराया। उसके बारे में संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष चर्चा करना चाहूँगा। श्रीमन्, वैसे तो न यह रि-ओपन हो सकता है, न इस अमेण्डमेंट के ऊपर नियम के अनुसार चर्चा हो सकती है और न इनकारपोरेट करने की स्थिति है। इसके बावजूद भी उन्होंने यहां पर कहा कि स्वायत्तता के मूलभूत सिद्धान्तों पर कुठाराघात करना चाहते हैं हम। हम स्वायत्तता के मूलभूत सिद्धान्तों पर कुठाराघात करने का हमारा कोई इरादा नहीं है और न हमारी कोई इच्छा है, श्रीमन्। पर कहने को यहां पर कई बात कह गये। उन्होंने जो अमेण्डमेंट

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पेश किया है वह मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूँ जिससे एक मिनट में डिबेट समाप्त हो जायेगी और हमारी जो स्थिति है वह साफ हो जायेगी। उन्होंने लिखा है :

"In Sub-section (1) of section 10 sought to be amended, the expression "and the word 'similar' occurring between the words 'or for other' and 'exceptional reasons' shall be and shall be deemed always to have been deleted" occurring at the end of the clause shall be omitted"

यह कहा है। अब 'सिमिलर' शब्द के ऊपर जोर दे रहे हैं पर यहां उसका अभिप्राय समझ नहीं पाये हैं·······

श्री अध्यक्ष : यह विधि का विषय है, काफी जटिल और कठिन होता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, कम्पोजिशन आफ बोर्ड·······

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूँगा कि आज की कार्यसूची समाप्त हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये। आज की कार्य सूची में तीन बिल हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आधा घंटा के लिये बढ़ाया जाता है।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज हमने यहां पर इसको अमेण्ड किया है। बिना अमेण्ड किये हमारा परपज सर्व नहीं होता। इसका परपज सर्व करने के लिये, हाई कोर्ट ने जो आब्जर्वेशन किये थे उनको ध्यान में रखते हुए गंभीरता से हम यह अमेण्डमेंट लाये हैं। आप जो लाये हैं वैसा कर दें तो हमारा परपज सर्व नहीं होगा। The whole purpose will be defeated. आपने एक बात यहां पर कही, आप विद्या विहार म्यूनिसिपैलिटी के जरिये भ्रष्टाचार फैलायेंगे। क्या क्या नहीं कहा आपने। छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी है। जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह एजूकेशन सेन्टर है। वे अपना काम करते हैं। कोई आमदनी का जरिया नहीं है। वे अपने पैसे से शहर के विकास पर खर्च करते हैं। जैसी आपकी भावना है, हर चीज में आपको भ्रष्टाचार नजर आता है। वहां जाकर आप देखिये। आप जायें, स्वयं जाकर देखें तो आपको सन्तोष हो जायगा कि यह म्यूनिसिपैलिटी वहां पर अच्छा काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस संशोधित विधेयक को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (विद्या विहार नगरपालिका के

(श्री अध्यक्ष)

गठन का विधिमान्यकरण एवं संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 1984 परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना है । प्रारम्भ में आपका यह आदेश था कि आज तीन विधेयक लिये जायेंगे । उसका क्रम यह तय किया गया था—टिनेन्सी बिल, ग्राम दान बिल और नगरपालिका बिल । टिनेन्सी बिल पास हो गया म्यूनिसिपैलिटी का पास हो गया । ग्रामदान का बिल सरकार की किसी मजबूरी से नहीं आ सका ।

श्री अध्यक्ष : आज की कार्य सूची में कल की कार्य सूची भी सम्मिलित है । जिस क्रम में विधेयकों को रखा गया था पारित करने के लिये उसमें वित्तीय के बारे में सरकार कुछ संशोधन लाना चाहती है इसलिये सदन की सहमति से अगला जो विधेयक था उस पर विचार किया गया और उसको पारित किया गया । तीसरे की तैयारी थोड़ी हो जायेगी....

श्री भंवरलाल शर्मा : आज का समय पूरा हो गया । आप कहेंगे ज्यादा काम करने के लिये तो ओवरटाइम करेंगे तो पहले विश्वविद्यालय का बिल ले लें ।

श्री अध्यक्ष : विश्वविद्यालय का बिल तो लम्बा है । यह छोटा है । इस पर एक-दो माननीय सदस्य भाषण दे दें उसके बाद में सदन की कार्यवाही स्थगित कर देंगे इसकी शुरूआत कर दें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात की जानकारी चाहिये । यह जो ग्रामदान विधेयक है उसके सम्बन्ध में आपने एक बजे व्यवस्था दी है तो क्या हम इस पर संशोधन दे सकते हैं ? हम अपना संशोधन देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहती हैं तो कर दें ।

आधे घन्टे के लिये चर्चा कर लें । जो समय बढ़ाया गया है उसका उपयोग कर लें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्यों के अधिकार छिन जायेंगे...।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हमने इसको देखा नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस बिल में कोई खास बात नहीं है....।

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष कोई बात आती है....।

श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभ नगर) : हमारे लिये यह इम्पार्टेन्ट है—।

श्री महाराम चौधरी : यह इम्पार्टेन्ट हमारे लिये है । बहुत ही इम्पार्टेन्ट है । इसमें काफी समय चाहिये । सभी क्षेत्र से यह भावना है । इसको जल्दबाजी में नहीं पास करना चाहिये ।

(5·00 म. प.)

श्री खेतसिंह राठौड़ : डिस्कशन तो शुरु कर दीजिये आज।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं। आज क्यों शुरु करें ?

श्री महाराम चौधरी : सहकारिता को जीवन दर्शन मानते हैं और जीवन दर्शन वाले मामले को आप हड़बड़ाहट में क्यों करना चाहते हैं। आप इसको खूब तसल्ली के साथ में, खूब इस पर ज्ञान अर्जित करके....

श्री परसराम मदेरणा : ग्रामीण अंचल से आने वाले जो लोग हैं ..

श्री भंवरलाल शर्मा : कल तीन बिलों को आप रात तक ले लें। कल जब पास हो जायं तभी एडजोर्न करिये।

श्री परसराम मदेरणा : वे इस बात को निश्चित तौर पर पसंद करेंगे कि प्रिन्सिपल एमाउन्ट से ज्यादा ब्याज नहीं लिये जायें। एक ही मुद्दा है उस पर यह बिल आया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम सब जानते हैं, साहब।

श्री परसराम मदेरणा : एक ही मुद्दा है उस पर यह बिल आया है।

(व्यवधान)

नहीं, नहीं हो। आप को-आपरेटिव आन्दोलन से, को-आपरेटिव मूवमेन्ट से जुड़े हुए हैं इसलिए आप ही शुरु कर दीजिये। ग्रामीण अंचल से आये हैं तो....

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर इतना छोटा है तो कल जल्दी हो जायेगा। अगर इतना छोटा मुद्दा है—

श्री महाराम चौधरी : माँ के बराबर गाली नहीं है और दुगो से ब्याज नहीं। यह तो नयी बात नहीं है, परम्परा से चला आ रहा है। आपको यह बात छोटी दिख रही होगी लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सी ऐसी को—आपरेटिव के मामले के अन्दर जो कमियां हैं उसको हम घसीटना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : साहब, अगर ये जिम्मेदारी लेते हों कि कल इसको पास करवा देंगे तो यह इनसे कहलवा दीजिये। कल यह फिर कह देंगे कि साहब, अब पांच बज गये, एडजोर्न कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात विपक्ष ने मान ली।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मान ली ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तब ठीक है, साहब।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) मुकर नहीं जाते हैं अपनी बात को कह कर।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5·02 बजे मंगलवार, दिनांक 16 अक्टूबर, 1984 के म. पू. 11·00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं० 73 की सूचियां)

सूचना

क्र.सं.	नाम प. समिति	नाम ग्राम पंचायत	निर्मित मकानों की सं. पूर्ण	अपूर्ण	योग	पुरुषों की संख्या जिन्हें मकान आवंटित किये गये पूर्ण	अपूर्ण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	तालेड़ा	नीम का खेड़ा	18	–	18			
		ढाबी	13	–	13			
		खड़ीपुर	18	–	18			
		खटकड़	13	–	13			
		माटून्दा	22	–	22			
		लोइचा	4	–	4			
		नोताड़ा	2	–	2			
			90	–	90			
2.	नैनवां	सीसोला	15	–	15			
		वाछोला	15	–	15			
		आसरदा	15	–	15			
		देई	15	–	15			
			60	–	60			
3.	हिण्डोली	हिण्डोली	15	–	15			
		पेच की बावड़ी	14	1	15			
		मयूर	11	4	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		चेतों	11	4	15			
		भवानीपुरा	46	–	46			
			97	9	106			
4.	केशोराय पाटन	मोहनपुरा	15	–	15			
		गेण्डोली	20	–	20			
		घाट का बराना	13	2	15			
		रड़ी	3	10	13			
		बलकासा	2	12	12			
		रोटेदा	–	12	12			
			53	37	90			
		कुल योग	300	46	346			

(तारांकित प्रश्न संख्या 73 के भाग (2) से संबंधित

सूचना)

वर्ष 1983-84 में गरीब को छप्पर योजना के अन्तर्गत दिये गये अनुदान का विवरण :—

क्र.सं.	व्यक्तियों का नाम	जाति	ग्राम का नाम	ग्राम पं. का नाम	दी गई अनुदान की राशि	अनुदान दिये जाने का दि०	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री बिरधीलाल	माली	बलकासा	बलकासा	1750/-	28.5.84	
2.	श्री प्रभूलाल	गीरी	,,	,,	1750/-	,,	
3.	श्री कल्याण	गूजर	,,	,,	1750/-	,,	
4.	श्री हरनाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,	
5.	श्री मोरपाल	,,	,,	,,	1750/-	,,	
6.	श्री धुला	मीणा	,,	,,	1750/-	,,	
7.	श्री मोहनलाल	कुम्हार	,,	,,	1750/-	,,	
8.	श्री अमरलाल	गूजर	,,	,,	1750/-	,,	
9.	श्री छोटा	,,	,,	,,	1750/-	,,	
10.	श्री भीमा	मेहर	,,	,,	1750/-	,,	
11.	श्रीराम किशन	,,	,,	,,	1750/-	,	
12.	श्री प्रभूलाल	,,	,,	,,	1750/-	,,	
13.	श्री बदरीलाल	गूजर	,	,,	1750/-	,,	
14.	श्री चौथमल	,,	,,	,,	1750/-	,,	
15.	श्री पन्ना	,,	,,	,,	1750/-	,,	
16.	श्री बाबूलाल	रेगर	रोटेदा	रोटेदा	1750/-	5.4.84	
17.	श्री मोती	,,	,,	,,	1750/-	,,	
18.	श्री मोहन	,,	,,	,,	1750/-	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	श्री राजु	रेगर	रोटेदा	रोटेदा	1750/-	5-4-84	
20.	श्री भैरु	,,	,,	,,	1750/-	,,	
21.	श्री ग्रणदीलाल	,,	,,	,,	1750/-	,,	
22.	श्री चतुर्भुज ग्रा०बरधा	,,	,,	,,	1750/-	,,	
23.	श्री मोहन	,,	,,	,,	1750/-	,,	
24.	श्री मोहन	,,	,,	,,	1750/-	,,	
25.	श्री नाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,	
26.	श्री रामस्वरूप	,,	,,	,,	1750/-	,,	
27.	श्री ग्रागदलाल	,,	,,	,,	1750/-	,,	
28.	श्री शंकर	रेगर	मोहनपुरा	मोहनपुरा	1750/-	20.3.84	
29.	श्री रामनिवास	,,	,,	,,	1750/-	,,	
30.	श्री प्रभू	,,	,,	,,	1750/-	,,	
31.	श्री योगरमल	,,	,,	,,	1750/-	,,	
32.	श्री जगदीश	,,	,,	,,	1750/-	,,	
33.	श्री पुष्पा	,,	,,	,,	1750/-	,,	
34.	श्री बजरंगलाल	,,	,,	,,	1750/-	,,	
35.	श्री मुरा	,,	,,	,,	1750/-	,,	
36.	श्री रामचन्द	,,	,,	,,	1750/-	,,	
37.	श्री मोडु	,,	,,	,,	1750/-	,,	
38.	श्री गोपाल	रेगर	मोहनपुरा	मोहनपुरा	1750/-	29.3.84	
39.	श्री गोपी	बैरवा	,,	,,	1750/-	,,	
40.	श्री बाबु	ढोली	,,	,,	1750/-	,,	
41.	श्री ब्रह्मानन्द	,,	,,	,,	1750/-	,,	
42.	श्री बद्री	बैरवा	,,	,,	1750/-	,,	
43.	श्री मोतीलाल	बैरवा	इन्द्रपुरिया	रड़ो	1750/-	16.6.84	
44	श्री रामप्रसाद	,,	,,	,,	1750/-	,,	
45.	श्रीमती लाडबाई	,,	,,	,,	1750/-	,,	

1	2	3	4	6	7	8
46.	श्री नारायण	बेरवा	इन्द्रपुरिया	रेड़ी	1750/-	16-6-84
47.	श्री मोहन	,,	,,	,,	1750/-	,,
48.	श्रीमती केली	,,	,,	,,	1750/-	,,
49.	श्रीमती खानी बाई	,,	,,	,,	1750/-	,,
50.	श्री छीतर	,,	,,	,,	1750/-	,,
51.	श्री विजयलाल	,,	,,	,,	1750/-	,,
52.	श्री लटुर	,,	,,	,,	1750/-	,,
53.	श्री छोटु	,,	,,	,,	1750/-	,,
54.	श्री खाना	,,	,,	,,	1750/-	,,
55.	श्री रामकिशन	,,	,,	,,	1750/-	,,
56.	श्री खानानाथ	कालवेड़िया	गेन्डोली	गेन्डोली	1750/-	26.3.83
57.	श्री बडानाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
58.	श्री धन्नानाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
59.	श्री रामनाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
60.	श्री अमरनाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
61.	श्री रोड़ानाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
62.	श्री किसनानाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
63.	श्री मथरानाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
64.	श्री कालुनाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
65.	श्री भूरानाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
66.	श्री फडुलनाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
67.	श्री रामकवार	,,	,,	,,	1750/-	,,
68.	श्री हुनाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
69.	श्री मठठानाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
70.	श्री हिरानाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
71.	श्री गोपीनाथ	,,	,,	,,	1750/-	,,
72.	श्री मोरवाल	,,	,,	,,	1750/-	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
73.	श्री कालुनाथ	कालवेलिया	गेन्डोली	गेन्डोली	1750/–	26-3-83	
74.	श्री मन्थरनाथ	,,	,,	,,	1750/–	,,	
75.	श्री वुकंडनाथ	,,	,,	,,	1750/–	,,	
76.	श्री झड़ीता	बैरवा	घाट का बराना	घाट का ब.	1750/–	,,	
77.	श्री नेनगीलाल	,,	,,	,,	1750/–	,,	
78.	श्री गमरु ग्रा0	,,	,,	,,	1750/–	,,	
79.	श्री जीवन	,,	,,	,,	1750/–	,,	
80.	श्री भेरुलाल	,,	,,	,,	1750/–	,,	
81.	श्री रतन	,,	,,	,,	1750/–	,,	
82.	श्री राम	,,	,,	,,	1750/–	,,	
83.	श्री देवलाल	,,	,,	,,	1750/–	,,	
84.	श्री जगन्या	हरिजन	,,	,,	1750/–	,,	
85.	श्री लटूर	बैरवा	,,	,,	1750/–	,,	
86.	श्री छीतर	बैरवा	,,	,,	1750/–	,,	
87.	श्री लोडक्या	,,	,,	,,	1750/–	,,	
88.	श्री प्रशादीलाल	बैरवा	घाट का बराना		1750/–	8.6.84	
89.	श्री भवाना	,,	,,	,,	1750/–	,,	
90.	श्री देवीलाल	,,	,,	,,	1750/-	,,	

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची)

(कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर)

गूजर धरती क्षेत्र में राशि जमा कराने वालों की सूची

क्र० सं०	नाम व्यक्ति	जमा राशि	दिनांक
1	2	3	4
1.	नाथसिंह/नानगराम	315/—	14-11-83
2.	मंगलसिंह/रामदयाल	315/—	,,
3.	नाथूसिंह/शोलाराम	315/—	,,
4.	महेन्द्रसिंह/नत्थूसिंह	315/—	,,
5.	देवीराम/भंवरलाल	315/—	,,
6.	गेंदालाल/लालाराम	315/—	,,
7.	प्रेमराज/पांचूराम	315/—	,,
8.	हुकमसिंह/देवीराम	315/—	,,
9.	राजू/चुन्नीलाल	315/—	,,
10.	घनश्याम/तुलसीदास	315/—	,,
11.	केशवकुमार/तुलसीराम	315/—	,,
12.	श्रीमती खेमी/बेनीप्रसाद	315/—	,,
13.	मदनलाल/ग्यारसीलाल	315/—	,,
14.	विजयसिंह/घीसूलाल	315/—	,,
15.	गंगासहाय/नन्दाराम	315/—	,,
16.	सुखलाल/नारायणसिंह	315/—	,,
17.	रामकुंवर/घसीराम	315/—	,,
18.	भगवानसिंह/रामकुमार	315/—	,,
19.	किशनलाल/तुलसीदास	315/—	,,

1	2	3	4
20.	गेनीसिंह/किशनलाल	315/—	14-11-83
21.	देवकरण/ग्यारसीलाल	315/—	,,
22.	नत्थीलाल/भनफल	315/—	,,
23.	अमरसिंह/सेवाराम	315/—	,,
24.	रामपाल/छोटु भगत	315/—	,,
25.	मोहनसिंह/ग्यारसीलाल	315/—	,,
26.	महेन्द्रसिंह/रामपाल	315/—	,,
27.	डालचन्द/रामदेवा	315/—	,,
28.	नानगसिंह/रूपाराम	315/—	,,
29.	रामसिंह/ताराचन्द	315/—	,,
30.	पूरणसिंह/घीसूलाल	315/—	,,
31.	चन्दरसिंह/प्यारेलाल	315/—	,,
32.	गोविन्दसिंह/नानगा	315/—	,,
33.	मूलीबाई/सुकल्या	315/—	,,
34.	गणपतसिंह/मानसिंह	315/—	,,
35.	ग्यारसी/मानसिंह	315/—	,,
36.	छोटेलाल/गोरधन	315/—	,,
37.	श्रीमती सुसा/गोरधन	315/—	,,
38.	श्रीमती भूरी/कालू	315/—	,,
39.	पन्नालाल/छोटू	315/—	,,
40.	इन्द्रजीतसिंह/प्यारेलाल	315/—	,,
41.	मोहनसिंह/प्यारेलाल	315/—	,,
42.	तेनसिंह/हीरा	315/—	,,
43.	हीरालाल/भूरालाल	315/—	,,
44.	नाथूराम	315/—	,,
45.	धनसिंह/नानगचन्द	315/—	,,
46.	रोशनलाल/घसीराम	315/—	,,

1	2	3	4
47.	मोहनसिंह/गंगाराम	315/—	14–11–83
48.	श्रीमती रामली/छोटेलाल	315/—	"
49.	मूलचन्द/कुसलाराम	315/—	"
50.	प्रभाती/चिरंजीलाल	315/—	"
51.	रामलाल/पांचूराम	315/—	"
52.	श्रीमती तीजा/हीरालाल	315/	"
53.	मूलचन्द/छाजूराम	315/—	"
54.	परमानन्द/छोटेलाल	315/—	"
55.	गंगाराम/मुकन्दीराम	315/—	"
56.	हीरालाल/छाजूलाल	315/—	"
57.	सुन्दरसिंह/नोन्दाराम	315/—	"
58.	गुलाबसिंह/कानाराम	315/—	"
59.	श्यामलाल/कानाराम	315/—	"
60.	नन्दा/दीपाराम	315/—	"
61.	नन्दसिंह/दीपाराम	315/—	"
62.	जयनारायण/कानाराम	315/—	"
63.	मांगीलाल/पूरनसिंह	315/—	"
64.	रामसिंह/मुकन्दीलाल	315/—	"
65.	रामस्वरुप/भीखाराम	315/—	"
66.	मोहरसिंह/नत्थीलाल	315/—	"
67.	रमेशकुमार/देवाराम	315/—	"
68.	भागचन्द/नत्थूराम	315/—	"
69.	श्रीमती परनादेवी/नत्थूराम	315/—	"
70.	धनसिंह/नत्थूराम	315/—	,
71.	अर्जुनसिंह/पृथ्वीराज	315/—	"
72.	हरिसिंह/नत्थूराम	315/—	"
73.	जगदीश/सुक्खाराम	315/—	"

1	2	3	4
74.	भोपालसिंह/सुक्का	315/—	14-11-83
75.	श्रवणकुमार/कुन्दनलाल	315/—	"
76.	हरिशंकर/पन्नालाल	315/—	"
77.	हनुवंत/चन्दरसिंह	315/—	"
78.	गणेशसिंह मूलचन्द	315/—	"
79.	मोहनलाल/रेवड़ भगत	315/—	"
80.	भगतसिंह/मोहनलाल	315/—	"
81.	मोहनलाल/पृथ्वीराज	315/—	"
82.	हेमराज/ग्यारसाराम	315/—	"
83.	हेमचन्द/लालचन्द	315/—	"
84.	किशनलाल/मोहनलाल	315/—	"
85.	पन्नालाल/रामदास	315/—	"
86.	किशनलाल/नाथूलाल	315/—	"
87.	लाछावाई/मोहनलाल	315/—	"
88.	रविन्द्रकुमार/हेमराज	315/—	"
89.	ग्यारसीलाल/गोरधनलाल	315/—	"
90.	जगदीशप्रसाद/मूलचन्द	315/—	"
91.	हेमराज/मूलचन्द	315/—	"
92.	ताराचन्द/मूलचन्द	315/—	"
93.	घनश्याम/रामनाथसिंह	315/—	"
94.	मूलचन्द/पेमाराम	315/—	"
95.	नवलसिंह/गोविन्दा	315/—	"
96.	निरंजनसिंह/रामदेवा	315/—	"
97.	किशनलाल/भौरीलाल	315/—	"
98.	नारायणसिंह/रामलाल	315/—	"
99.	मोहनसिंह/मूलचन्द	315/—	"
100.	सुग्गीवाई/मंगलराम	315/—	"

1	2	3	4
101.	श्यामसिंह/रामदेव	315/—	14-11-83
102.	शान्तिलाल/पांचूसिंह	315/—	"
103.	मूलचन्द/शंकरलाल	315/—	"
104.	गणेश/कुशलराम	315/—	"
105.	प्रभातीराम/मूलाराम	315/—	"
106.	भगवानदास/मूलाराम	315/—	"
107.	धनसिंह/जगन्नाथसिंह	315/—	"
108.	गुलाबसिंह/घीसूलाल	315/—	"
109.	भगवानसिंह/घीसूलाल	315/—	"
110.	पन्नालाल भगत/भंवरलाल	315/—	"
111.	रोहितास/पन्नालाल भगत	315/—	"
112.	पांचूसिंह/शंकरसिंह	315/—	18-1-84
113.	किशोरसिंह/पूना	315/—	"
114.	गणेशसिंह/मूलसिंह	315/—	"
115.	किशनसिंह/मूलसिंह	315/—	"
116.	बलवीरसिंह/खेमराम	315/—	"
117.	प्रेमसिंह/बलवीरसिंह	315/—	"
118.	जयसिंह/ग्यारसीराम	315/—	"
119.	चेतसिंह/ननकसिंह	315/—	"
120.	उदयसिंह/छगनलाल	315/—	"
121.	श्रीमती लाडवती/मंगलसिंह मकवाना	315/—	"
122.	देवीसिंह/मुंशीराम	315/—	"
123.	कुन्दनसिंह/ताराचन्द	315/—	"
124.	भंवरसिंह/छगनलाल	315/—	"
125.	छीतरराम/ग्यारसा	315/—	"
126.	बाबूलाल/सालगराम	315/—	"
127.	नाथूसिंह वर्मा/छोटूसिंह	315/—	"

1	2	3	4
128.	जवाहरसिंह/लादूसिंह	315/—	18-1-84
129.	पन्नालाल/खेरा	315/—	"
130.	श्रीमती भूदेवी/चिरंजीलाल	315/—	"
131	किशनसिंह/मांगीलाल	315/—	"
132.	गणेशसिंह/मांगीलाल	315/—	"
133.	लक्ष्मणसिंह/नोरत	315/—	"
134.	मुलचन्द बुद्धराम/देवाराम	315/—	"
135.	देवाराम/श्रीचन्द	315/—	"
136.	श्रीमती गंगा जगन्सिंह/मानसिंह	315/—	"
137.	प्रभातीलाल/ग्यारसीलाल	315/—	"
138.	ग्यारसीलाल/गोविन्दराम	315/—	"
139.	चन्द्रमोहन/तेजपाल	315/—	"
140.	कल्लूसिंह/छाजूराम	315/—	"
141.	अमरसिंह/राधाकिशन	315/—	"
142.	नानगसिंह/अमरसिंह	315/—	"
143.	श्रीमती पांचुदेवी/किशनलाल	315/—	"
144.	जयन्तकुमार/खुशालसिंह	315/—	"
145.	चिरंजीलाल/गोपीलाल	315/—	"
146.	ताराचन्द/गुमानसिंह	315/—	"
147.	चतरसिंह/रामचन्दर	315/—	"
148.	दुलीचन्द/महादेवा	315/—	"
149.	यादराम/भागीरथ	315/—	"
150.	दीपाराम/गंगाराम	315/—	"
151.	गंगासिंह/हेमराज	315/—	"
152.	गोविन्दसिंह/मलखानसिंह	315/—	"
153.	श्रीमती भूरी/गुमानसिंह	315/—	"
154.	हीरा/डालचन्द	315/—	"

1	2	3	4
155.	डालचन्द/चुन्नीलाल	315/—	18-1-84
156.	श्रीमती रामप्यारी/गोताल मिस्त्री	315/—	,,
157.	[illegible]नानग/खेमचन्द	315/—	,,
158.	हुकमचन्द/मिट्टू	315/—	,,
159.	सुखराम/नाथूराम	315/—	,,
160.	हरिराम/सालिगराम	315/—	,,
161.	मोहनसिह/दीपचन्द	315/—	,,
162.	सुखसिह/रामलाल	315/—	,,
163.	हीरालाल/पेमाराम	315/—	,,
164.	गोरधनसिह/घीसूलाल	315/—	,,
165.	नारायणसिह/रामचन्द	315/—	,,
166.	ताराचन्द/उद्धाराम	315/—	,,
167.	नत्थूसिंह/जयसिंह	315/—	,,
168.	श्रीमती हरबाई/जयसिह	315/—	,,
169.	नारायणसिह/सालिगराम	315/—	,,
170.	श्यामलाल/मुन्नालाल	315/—	,,
171.	गणेशीलाल/बुद्धाराम	315/—	,,
172.	रामसहाय/भोलाराम	315/—	,,
173.	पूरनसिंह/छोटूराम	315/—	,,
174.	पूरनसिह राजोरिया/नारायणलाल	315/—	,,
175.	इन्दरसिह/मोहनसिह	315/—	,,
176.	प्रेमसिह/मोतीलाल	315/—	,,

हस्ताक्षर
सचिव
नगर सुधार न्यास, अजमेर

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 81 का विवरण

जोधपुर, पाली तथा बालोतरा में कार्यरत उद्योगों के उच्छिष्ट से उत्पन्न प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु राज्य मण्डल सतत् रूप से कार्यरत है। जोधपुर में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों द्वारा निस्त्रावित औद्योगिक उच्छिष्ट के उपचार हेतु रीको के माध्यम से मैसर्स नेशनल इण्डस्ट्रीयल डॅवलपमेंट कारपोरेशन दिल्ली को एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का दायित्व माह जून—83 मे सौंपा गया था और यह प्रतिवेदन रीको को 3 माह में प्राप्त होने की सम्भावना है। इस प्रतिवेदन की विस्तृत विवेचना के पश्चात् ही एक सामूहिक उच्छिष्ट उपचार संयन्त्र की व्यवस्था हो सकेगी।

जोधपुर में कार्यरत कपड़ा उद्योगों द्वारा निस्त्रावित उच्छिष्ट को उपचारित नहीं करने पर मण्डल ने अपनी 40वीं बैठक जो कि मार्च–83 में सम्पन हुई, में इन उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया था। तत्पश्चात् मण्डल की 41वीं बैठक जो कि माह जून–83 में हुई थी, में इन उद्योगों द्वारा आश्वासन देने पर कानूनी कार्यवाही माह दिसम्बर–83 तक स्थगित कर दी गई थी। परन्तु उद्योगों द्वारा समुचित कार्यवाही न करने पर 12 उद्योगों के खिलाफ, माह मार्च-84 में केस दायर किये जा चुके हैं। माह मार्च–83 में लिये गये निर्णय के पश्चात् उद्योगों द्वारा कास्टिक रिकवरी प्लान्ट लगाने हेतु रिपोर्ट मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की गई, जिनमें नौ निम्नलिखित उद्योगों को आवश्यक संयन्त्र लगाने की शर्तोयुक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र इंगित तिथियों को जारी किये जा चुके हैं। इन नौ कास्टिक रिकवरी प्लांटों से 20 उद्योगों के उच्छिष्ट का कास्टिक रिकवरी करना सम्भव हो जायेगा।

1. मैसर्स जौहरी लाल संचेती, हेवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर, 2.8.83
2. मैसर्स दिग्विजय टैक्सटाइल्स ,,
3. मैसर्स कुशाल टैक्सटाइल्स प्रोसेसिंग मिल्स, मरुधर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर।
4. मैसर्स रूपम टैक्सटाइल्स, मरुधर औद्योगिक क्षेत्र–II, जोधपुर 2.8.83
5. मैसर्स वेस्ट इण्डिया टैक्सटाइल मिल्स, मरुधर औद्योगिक क्षेत्र–II, जोधपुर 2.8.83.
6. मैसर्स मरूधर केमिकल्स, मरुधर औद्योगिक क्षेत्र 2.8.83
7. मैसर्स उम्मेद टैक्सटाइल्स, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर 11.4.84
8. मैसर्स मरुधर टैक्सटाइल्स, पावर हाउस के पीछे, जोधपुर 2.8.83

9. मैसर्स धर्मवीर टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज, मरुधर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर 2.8.83

इन उद्योगों में से तीन उद्योगों ने संयंत्र लगाने का कार्य पूरा कर लिया है तथा शेष उद्योगों द्वारा संयंत्र लगाना शीघ्र ही अपेक्षित है। संयंत्र लगाने में सबसे बड़ा बाधक संयन्त्र की उपलब्धता है क्योंकि केवल एक ही फर्म द्वारा यह संयन्त्र भारतवर्ष में बनाये जाते हैं। जिससे संयन्त्र प्राप्त करने में थोड़ी विलम्बता रहती है।

इसी प्रकार जोधपुर स्थित 35 री-रोलिंग मिल्स में से 25 को उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिये शर्तोयुक्त प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। जिसमें से निम्नलिखित नौ उद्योगों द्वारा संयन्त्र लगा लिये गये हैं:—

1. मैसर्स कन्सल उद्योग, पावर हाउस के पीछे, जोधपुर।

2. मैसर्स रामा इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर।

3. मैसर्स मोहनोत स्टील्स, हैवी औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर।

4. मैसर्स कमलेश इण्डस्ट्रीज, हैवी औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर।

5. मैसर्स सुराना मैटल्स, हैवी औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर।

6. मैसर्स लाइफटाइम प्रोडक्टा, लाईट इण्टस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर।

7. मैसर्स यूनीवर्सल इन्जी०, लाइट इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर।

8. मैसर्स मेटल फेब्रिकेटर्स, पावर हाउस के पीछे, जोधपुर।

9. मैसर्स खिवंसरा स्टील्स, मरुधर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर।

स्टील री-रोलिंग मिल्स के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय मण्डल द्वारा मार्च, 83 में उस समय ध्यान में आई 5 इकाइयों के खिलाफ लिया गया था। इस निर्णय के पश्चात् इन उद्योगों द्वारा अपनी फिजीबिलिटी रिपोर्ट विभाग में प्रस्तुत की जिसको कि उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

शेष उद्योग स्टील शीट्स की मांग अत्यधिक गिर जाने के कारण बन्द हो गये हैं, अथवा बन्द होने की अवस्था में आ गये हैं, जिसके कारण इन उद्योगों के व्यवस्थापकों ने उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की है।

पाली में माण्डिया रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में सामूहिक उच्छिष्ट उपचार एक संयन्त्र दिनांक 22-2-83 से कार्यरत है। परन्तु इस संयन्त्र को चलाने में काफी लागत आ रही है। क्योंकि टैक्सटाइल उद्योगों द्वारा जो कि मर्सराईजिंग या अन्य प्रोसेस काम में लेते हैं उनको कास्टिक रिकवरी प्लान्ट लगाना आवश्यक है एवं प्राथमिक उपचार भी जरूरी है। इसके नहीं होने के कारण इस संयन्त्र के रख-रखाव के खर्चे भी ज्यादा आना स्वाभाविक है। जिसको

कि इन उद्यमियो से प्राप्त करने में रीको को कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं ।

पाली में कास्टिक रिकवरी प्लान्ट लगाने हेतु 5 फिजीबिलिटी रिपोर्टस् मण्डल में प्राप्त हुई हैं । जिनमें से 2 रिपोर्टस् अनुमोदित कर दी गई हैं जबकि अन्य तीनों रिपोर्टस् पर उद्योगों से कुछ तकनीकी जानकारी चाही गई है, जिसके प्राप्त होने पर रिपोर्ट अनुमोदित करने की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

बालोतरा में औद्योगिक उच्छिष्ट के उपचार हेतु एक सामूहिक उपचार संयन्त्र रीको के माध्यम से लगवाया जाना प्रस्तावित है इस विषय में मैसर्स पैरामाण्ट पोल्यूशन कन्ट्रोल प्रा०लि० बड़ौदा को रीको द्वारा जून 83 में अधिकृत किया था जिसका एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार हो चुका है । राज्य मंडल द्वारा इस प्रतिवेदन की विस्तृत विवेचना की जा चुकी है तथा रीको एवं इस संस्था को राज्य मण्डल की टिप्पणी दिनांक 23-5-84 को प्रेषित की जा चुकी है और अग्रिम कार्यवाही शीघ्र ही अपेक्षित है । रीको की सूचनानुसार एक माह में रिपोर्ट प्राप्त होने की सम्भावना है । बालोतरा में कास्टिक रिकवरी प्लान्ट लगाने हेतु एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ कमियों के कारण आवश्यक जानकारी चाही है जिसके प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

जोधपुर :–जोधपुर जिले के बासनी औद्योगिक क्षेत्र एवं नये पावर हाउस के पीछे औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों का पानी संगरिया गांव के आस-पास के क्षेत्र में इकट्ठा हो कर अन्ततः जोजारी नदी में जाता था परन्तु इस गांव की प्रदूषण की समस्या के कारण अब एक नाला बनाकर यह उच्छिष्ट इधर-उधर फैलने के बजाय सीधा जोजारी नदी में जा रहा है जो कि पेरिनियल नदी नहीं है एवं इससे खेती नहीं की जाती है । अतः खेती के नुकसान होने की सम्भावना नहीं है ।

पाली :–पूर्व में भी मण्डल द्वारा भूजल के प्रदूषित होने की सम्भावनाओं पर विस्तृत जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं । बांडी नदी के आस-पास के कुओं, पाली से वाहित उद्योग तथा अन्य उच्छिष्ट के नजदीक भूजल स्रोतों के जल के विश्लेषण पर ज्ञात हुआ है कि इनमें क्लोराइड, सल्फेट, सोडियम, टोटल हार्डनेस, कुल घुलित पदार्थ अधिक हैं जिनका सीधा सम्बन्ध वाहित उद्योग-उच्छिष्ट से स्पष्ट न होकर भूगर्भिय सरचनाओं से तथा औद्योगिक परिस्थितियों से अधिक जुड़ा प्रतीत होता है । विद्यमान सोडियम लवणों तथा कुल घुलित उच्छिष्ट में पदार्थों का मिट्टी की परतों से soil profile. सीधा भूजल में प्रवेश करना सम्भव प्रतीत नहीं होता अतः उद्योग उच्छिष्ट से भू-जल का प्रदूषित होना वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव प्रतीत नहीं होते । साथ ही सीधा सम्बन्ध मृदा की उर्वराशक्ति से जोड़ना सम्भव नहीं है ।

वर्तमान में जोधपुर, पाली तथा बालोतरा में क्रमशः 412,510 एवं 127 औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण किया जा

रहा है। उक्त तीनों क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा सामूहिक उच्छिष्ट उपचार संयन्त्र लगाने हेतु मण्डल द्वारा अथक प्रयास करने पर पाली में एक उच्छिष्ट उपचार संयन्त्र लगाया गया था एवं उस संयन्त्र को सुचारू रूप से चलाने हेतु एवं पाली के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी कार्यवाही करने हेतु एक मिटिंग मार्च, 83 में मुख्यमन्त्री महोदय की अध्यक्षता में बुलाई गई थी, जिसमें कि निर्णय लिया गया था कि इस संयन्त्र में आवश्यक सुधार किये जावें एवं बचे हुए उद्योगों को भी इस संयन्त्र से जोड़ा जावे। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी योजना बनाने हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को अधिकृत किया गया था।

तत्पश्चात् समय-समय पर रीको से निवेदन किया जाता रहा है कि अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी उच्छिष्ट उपचार संयन्त्र लगाने की कार्यवाही शीघ्र करें, जिसके फलस्वरूप जून-83 में रीको ने अपने परामर्शदाता नियुक्त कर जोधपुर में एवं बालोतरा की रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश प्रसारित किये।

इसी प्रकार केन्द्रीय पर्यावरण उप मन्त्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने भी पाली, जोधपुर एवं बालोतरा में प्रदूषण रोकने हेतु रीको पर काफी दबाव डाला एवं उनके जनवरी, 83 में जोधपुर दौरे के समय इन शहरों की प्रदूषण समस्या को निवारण करने हेतु यह तथ्य सामने आया कि सामूहिक उच्छिष्ट उपचार संयन्त्र लगाने के अलावा अन्य कोई विकल्प इस समस्या के समाधान के लिए नहीं हो सकता। तत्पश्चात् श्री मूलचन्द डागा, सदस्य लोकसभा के प्रयासों के फलस्वरूप एक मीटिंग माह जनवरी-84 में देहली में आमन्त्रित की गई थी, जिसमें भी कास्टिक रिकवरी प्लान्ट वगैरा लगाने हेतु कई मुद्दे उठाये गये थे। मण्डल के सर्वेक्षण के अनुसार तकरीबन 51 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र रीको के अधीन है जो कि प्रदूषण की दृष्टि से प्राथमिकता पर नियन्त्रित करने आवश्यक हैं। माह-मार्च, 84 में रीको को इन 51 औद्योगिक क्षेत्रों में से 15 क्षेत्रों की सूची भेजकर यह अपेक्षित किया गया था कि प्रतिवर्ष 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कम-से-कम उच्छिष्ट उपचार संयन्त्र लगाकर प्रदूषण नियन्त्रित करें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। इसी प्रकार राज्य मन्त्री (पर्यावरण) श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर द्वारा अभी हाल ही में जोधपुर दौरे के अन्तर्गत इन औद्योगिक क्षेत्रों में शीघ्र संयन्त्र लगाने हेतु कार्यवाही करने के लिये कहा था।

प्रदूषण नियन्त्रण करने के लिए मण्डल द्वारा जो मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में दायर किये गये हैं, उनकी सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	शहर का नाम	केसों की संख्या	धारा	न्यायालय का नाम	दिनांक केस दर्ज करने की
1	2	3	4	5	6
1.	बालोतरा	6	43–44	सीजेएम. बालोतरा,	9–9–82.
2.	जोधपुर	12	(जल)	,, जोधपुर,	22–3–84.
3.	अ– पाली	1	,,	,, पाली,	9–8–77.
	ब– ,,	18	,,	,, ,,	7–5–79.
	स– ,,	38	,,	,, ,,	24–8–79.

मण्डल द्वारा अपनी 42वीं बैठक जो कि सितम्बर–83 में हुई, में यह निर्णय लिया गया था कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में नई इकाई कोई भी लगाने की इजाजत मण्डल द्वारा नहीं दी जावे एवं पाली क्षेत्र के लिए जिलाधीश द्वारा नए उद्योगों के पंजियन पर भी रोक लगा दी गई है ऐसा उनके द्वारा सूचित किया है।

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत मुक्त भूमि

82. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)–क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत 1 अप्रेल, 1980 से लेकर अब तक किन-किन व्यक्तियों की कितनी-कितनी भूमि मुक्त करने हेतु कब-कब आदेश प्रदान किए हैं और क्यों ? कृपया ऐसे व्यक्तियों की नामवार सूची मय कारणों के सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत 1 अप्रेल, 80 से अब तक जिन जिन व्यक्तियों को भूमि की छूट की गई है, उनकी सूची तालिकानुसार सदन के पटल पर रख दी गई है ।

सूची

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा–20 के अंतर्गत प्रदत्त छूट का विवरण अवधि 1–4–80 से आज तक ।

क्र.स.	भूमि धारक का नाम	राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट का दिनांक	छूट प्रदत्त भूमि का क्षेत्रफल	प्रयोजन जिसके लिये छूट दी ।
1	2	3	4	5
1.	श्री रामचन्द्र पुत्र गुल्ला 1/2 श्री नाथू गंगाराम पुत्र मगनीराम 1/2, जयपुर	27–8–82	6 बीघा	कृषि (पुनर्वास विभाग की योजना हेतु)
2.	श्रीमती मंगली वेवा नाथू मूलचन्द पिता नाथू 1/2 भूरा पुत्र लक्ष्मण 1/2, जयपुर		9 बीघा 8 बिस्वा	कृषि (पुनर्वास विभाग की योजना हेतु)

1	2	3	4	5
3.	श्री शंकरलाल पुत्र दामोदर ब्राह्मण, जयपुर	27-8-82	7 बीघा 10 बिस्वा	कृषि (पुनर्वास बिभाग की योजना हेतु)
4.	श्री के0के0 भार्गव, अजमेर	10-4-80	10868 वर्ग मीटर	कृषि
5.	श्री जे0पी0 सिंघा, जयपुर	30-5-80	1350 वर्ग मीटर	उद्योग
6.	श्री शंकरलाल परिहार, जयपुर	30-12-82	11800 वर्ग मीटर	उद्योग
7.	मैसर्स प्रताप राजस्थान कोपर फोईल्ड एण्ड लिमि-नेटस, जयपुर	10-1-83	97676 वर्ग मीटर	उद्योग
8.	मै0 राजस्थान सिलेंडर्स एण्ड कनटेनर्स लि0, जयपुर	21-11-83	25000 वर्ग मी0	उद्योग
9.	मै0 कृष्णा माईनर्स एण्ड ट्रेडर्स, जयपुर	9-12-83	18561 वर्ग मी0	उद्योग
10.	मै0 कैंटिनर्स प्रा0लि0, जयपुर	8-12-83	25320 वर्ग मी0	उद्योग
11.	मै0 रोहतास इंडस्ट्रीज, जयपुर	25-1-84	1460 वर्ग मी0	उद्योग
12.	जयपुर मैटल एण्ड इंडस्ट्रीज जयपुर (सरकार द्वारा संचालित)	10-10-84	28123 वर्ग मी0	उद्योग (केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर एवं अन्य देनदारी के भुगतान)
13.	मैसर्स सुदर्शन टेक्सटाईल, कोटा	21-4-80	152 बीघा9बिस्वा	उद्योग
14.	यूनेटिड मोटर्स राजस्थान, सवाई जयसिंह हाई-वे, जयपुर	13-5-80	6000 वर्ग मी0	सिनेमा
15.	श्रीमती ज्ञान देवी, जयपुर	27-11-80	297.40 वर्ग मी0	सिनेमा

1	2	3	4	5
16.	मै0 अनुराग निधि ट्रस्ट, जयपुर	30-4-80	919 वर्ग मी0	सिनेमा
17.	श्रीमती पुष्पा शर्मा, जयपुर	9-4-84	2936 वर्ग मी0	सिनेमा
18.	अनिल कुमार शाह, कोटा	24-5-80	20929.18व0 मी0	सिनेमा
19.	श्री रूपनारायण शाह, कोटा	24-4-80	4103.05व0 मी0	सिनेमा
20.	अमर थियेटर्स, कोटा	25-8-84	1526 व0 मी0	सिनेमा
21.	श्री जे0के0अटल, जयपुर	21-2-84	24533 व0 मी0	होटल
22.	श्री वी0एन0काक, जयपुर	11-1-84	13334 व0 मी0	होटल
23.	श्री कंवर बहादुर जयपुर	4-4-80	7 व0 मी0	अनुचित कष्ट
24.	श्री सत्यनारायण सेकसरिया, जयपुर	3-4-80	27 व0 मी0	अनुचित कष्ट
25.	श्री किशनपुरी, जयपुर	26-4-80	346 व0 मी0	अनुचित कष्ट
26.	श्रीमती रानू प्रकाश, जयपुर	24-5-80	451 व0 मी0	,,
27.	श्री राधेश्याम शर्मा, जयपुर	20-5-80	172 व0 मी0	,,
28.	मेजर वी0 वासुदेव, जयपुर	26-5-80	220 व0 मी0	,,
29.	श्रीमती माया कौशिक, जयपुर	20-5-80	245 व0 मी0	,,
30.	श्रीमती गंगोतरी देवी, शर्मा, जयपुर	5-7-80	47 व0 मी0	,,

1	2	3	4	5
31.	श्री घीसीलाल जैन, जयपुर	31-3-81	74 व0 मी0	अनुचित कष्ट
32.	श्री सीताराम वैश्य, जयपुर	30-3-81	451 व0 मी0	,,
33.	श्री श्रीनिवास गुप्ता, जयपुर	12-8-81	225 व0 मी0	,,
34.	श्री जगदीश नारायण वैश्य, जयपुर, श्रीमती तोताबाई, जयपुर	12-8-81	172 व0 मी0	,
35.	श्री महेश चन्द्र शर्मा, जयपुर	25-1-83	172 व0 मी0	,,
36.	डा0 तारा शंकर माथुर, जयपुर	25-1-83	37 व0 मी0	,,
37.	महेश प्रसाद गर्ग जयपुर	26-4-83	352 व0 मी0	,,
38.	श्री इंद्रजीतसिंह, जयपुर	29-4-83	34 व0 मी0	,,
39.	श्रीमती स्वराज पाटनी, जयपुर	25-9-83	78 व0 मी0	,,
40.	श्री रूपनारायण शर्मा जयपुर	21-11-83	88 व0 मी0	,,
41.	श्री धर्मेन्द्र परिहार जयपुर	21-11-83	60.02 व0 मी0	,,
42.	श्रीमती शौकत जहां बेगम, जयपुर	21-11-83	161.33 व0 मी0	,,
43.	श्री दिनेश चन्द शर्मा, जयपुर	,,	253.05 व0 मी0	,,
44.	बनवारी लाल महेश्वरी, जयपुर	21-11-83	172 व0 मी0	,,

1	2	3	4	5
45.	श्री बंशीधर पुरोहित, जयपुर	21-11-83	17 व0 मी0	अनुचित कष्ट
46.	श्री कल्याण सिंह, जयपुर	21-11-83	56 व0 मी0	,,
47.	एस0एस0 भंडारी, कोटा	20-5-80	67 व0 मी0	,,
48.	श्री एम0एन0 राजपाल, अजमेर	5-9-83	30 व0 मी0	,,
49.	श्री प्रेम प्रकाश भार्गव, जोधपुर	31-7-82	140 व0 मी0	,,
50.	श्री चिमन सिंह, जोधपुर	24-8-81	172 व0 मी0	,,
51.	श्री ब्रह्मसिंह, जोधपुर	24-8-81	172.20 व0 मी0	,,
52	श्री मंगलसिंह, जोधपुर	24-8-81	172.20 व0 मी0	,,
53.	श्रीमती प्रणीती कुमारी, जोधपुर	21-11-83	88 व0 मी0	,,
54	श्री बस्तीमल, जोधपुर	21-11-83	214.35 व0 मी0	,,
55.	श्री चन्दी खां, जोधपुर	21-11-83	205.07 व0 मी0	,,

नोट:– अप्रेल 1977 से मार्च 1980 के दौरान 271 मामलों में छूट प्रदान की गई।

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति

84. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष विभाग में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त पद हेतु क्या-क्या अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा व प्रशिक्षण आदि की शर्तें रखी गई थीं ? कृपया विज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त पद हेतु कुल कितने व्यक्तियों का चयन किया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) उक्त पद हेतु कुल कितने व्यक्ति लिये जाने थे तथा कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों के भरे जाने में पक्षपात, भेदभाव तथा अनियमितता बरती जाने की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की कोई नियुक्ति नहीं की गई। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है।

(2) प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। प्रशिक्षण के विज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) 120 अभ्यार्थियों का प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया, जिसमें से लगभग 38 अभ्यार्थियों ने प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति नहीं दी है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) प्रशिक्षण हेतु 120 व्यक्ति लिए जाने थे। 8192 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे।

(5) उक्त प्रशिक्षण के चयन के संबंध में एक अभ्यार्थी श्री रामेश्वरदयाल शर्मा पुत्र श्री मुकमसिंह ने उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका (रिट) दायर की थी, किन्तु यह याचिका दिनांक 28-8-84 को डिसमिस (खारिज) हो चुकी है।

एक अन्य शिकायत एक अभ्यार्थी ने लोकायुक्त कार्यालय में की है जो वहां विचाराधीन है।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विज्ञापन की प्रति

19 मार्च, 1984 से प्रारम्भ होने जा रहे चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण निदेशालय के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर/अजमेर के लिए बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के लिए केवल पुरुष उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र एक रुपये के पोस्टल आर्डर प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हीराबाग, रामसिंह रोड, जयपुर–302004 से जिसके नाम से आवेदन पत्र चाहिए जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। डाक द्वारा प्रार्थना पत्र मंगवाने के लिए पोस्टल आर्डर के साथ प्रार्थी को अपना पूरा पता लिखा 9" × 4" साइज का लिफाफा मय आवश्यक डाक टिकिट के उपरोक्त अधिकारी के नाम भिजवाना होगा।

उक्त प्रशिक्षण अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, टोंक, सवाई-माधोपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू, कोटा, बून्दी, झालावाड़ जिलों के अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण जयपुर केन्द्र पर व अजमेर, नागौर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण अजमेर केन्द्र पर दिया जायेगा। उक्त दोनों केन्द्रों के लिए कुल 120 अभ्यार्थियों का चयन किया जायेगा जिनमें अनुसूचित जाति के 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है।

आवेदन के लिए निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है :—

(1) प्रार्थी सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा जो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) राजस्थान के माध्यमिक विद्यालयों, सैकण्डरी स्कूलों, हायर सैकण्डरी स्कूलों से पास अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थीयों को 125/– रुपये (एक सौ पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जावेगी। होस्टल सुविधा भवन उपलब्ध होने पर देने का प्रस्ताव है।

प्रशिक्षण की अवधि एक साल 6 माह की होगी।

प्रशिक्षण के पश्चात् राज्य के किसी भी क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष तक राज्य सेवा में नियमानुसार काम करने का बन्धक पत्र भरना होगा। छात्रवृति बन्धक पत्र भर कर देने पर ही देय होगा।

प्रार्थी की आयु 31-12-83 को 18 वर्ष से कम एवं 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन पत्र प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालय में पहुंचने की अन्तिम तिथि 25 फरवरी, 1984 होगी। इस तिथि के पश्चात् आने वाले एवं अपूर्ण प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

साक्षात्कार के लिए उपस्थित अभ्यार्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर
(ज्ञान प्रकाश)
निदेशक

अजमेर केन्द्र के चयनित अभ्यार्थियों की सूची

क्र० सं०	नाम अभ्यार्थी एवं पता
1.	श्री लक्ष्मीलाल शर्मा आत्मज श्री अर्जुनलाल शर्मा ग्राम चूभला भीलवाड़ा
2.	,, जगदीश प्रसाद सिलायच आत्मज श्री श्योलाल गांव गुन्दीबास जिला चूरू
3.	,, जीवणराम जाट आत्मज श्री भूराराम ग्राम पोस्ट जावदीनगर नागौर
4.	,, वंशीधर आत्मज श्री नारायणसिंह गांव मेहरों की ढाणी सीकर
5.	,, प्यारसीलाल कुमावत आत्मज श्री नाथु राम रेल्वे स्टेशन कावट सीकर
6.	,, नन्दलाल जाट आत्मज श्री देवकरण जाट गांव जयसिंहपुरा भीलवाड़ा
7.	,, सुशीलकुमार जोशी आत्मज श्री रामनिवास पो० खेरला स० मांधोपुर
8.	,, राधेश्याम पोरवाल आत्मज श्री शान्तीलाल पो० सरवाड़ अजमेर
9.	,, हरफल जाट आत्मज श्री त्रिलोकराम मु० पो० आलपुरा सीकर
10.	,, भंवरलाल शर्मा आत्मज श्री नाथूराम कुमलपुरा जयपुर
11.	,, सूजाराम जाट आत्मज श्री लादूलाल ग्राम देवपुरा टोंक
12.	,, गोपालाल सैनी आत्मज श्री गणेशलाल ग्रा० पो० केन्डी बून्दी
13.	,, कैलाशचन्द स्वामी आत्मज श्री कन्हैयालाल मु० डेरी वाली ढाणी सीकर
14.	,, सत्यनारायण धाकड़ आत्मज श्री दुर्गालाल ग्रा० पो० बगड़ी टोंक
15.	,, नरेश आत्मज श्री कानाराम मु० पो० कुशालपुरा पाली ।
16.	,, रमेश कुमार जैन आत्मज श्री सोहनलाल ग्रा० पो० आंवा टोंक
17.	,, छत्तरसिंह आत्मज श्री रूपसिंह ग्रा० बायतु, बाड़मेर
18.	,, नाथूलाल गूजर आत्मज श्री छोटूराम गूजर ग्रा० केरिया जयपुर
19.	,, सत्यनारायण शर्मा आत्मज श्री बनवारीलाल पुरानी आबादी गंगानगर
20.	,, अमराराम चौधरी आत्मज श्री मानाराम ग्रा० सिनगरी बाड़मेर
21.	,, ओमप्रकाश यादव आत्मज श्री श्रवणलाल मु० पो० मोजमाबाद, जयपुर
22.	,, चन्द्रभान काबरा आत्मज श्री भेरूलाल काबरा ग्रा० कनाई, कोटा
23.	,, श्री रामसिंह शेखावत आत्मज महालसिंह ग्रा० यगोता झुन्झुनू
24.	,, सत्यवीर आत्मज श्री बगरावतसिंह रानी बजार बीकानेर
25.	,, विष्णुप्रसाद खाती आत्मज श्री सुखदेव खाती मु० पो० अजीतगढ़ सीकर
26.	,, पवनकुमार शर्मा आत्मज श्री राधाकृष्ण शर्मा नीम का थाना सीकर

क्र० सं० नाम अभ्यार्थी एवं पता

27. श्री हरकरण दिवाच पुत्र श्री भोलूराम दिवाच मु० पो० बागोट नागौर
28. ,, सुरेश कुमार आत्मज श्री चन्द्रप्रकाश पो० कुशालपुरा पाली
29. ,, हुकमचन्द शर्मा आत्मज श्री बंशीलाल ग्रा० पो० सुलतानपुरा कोटा
30 , मुकेश कुमार जैन आत्मज श्री बजरंगलाल जैन ग्रा० पो० बगड़ी टोंक
31. ,, कालूराम जाट आत्मज श्री बोदूराम जाट ग्रा० ज्ञानपुरा सीकर
32. ,, दुर्गालाल सैनी आत्मज श्री मोहनलाल ग्रा० असरतिया, बून्दी
33. ,, सत्यनारायण नामा आत्मज रामनारायण पुरानी टोंक
34. ,, श्री अमरसिंह चून्डावत आत्मज श्री गोविन्दसिंह ग्रा० ठिकरिया उदयपुर
35. ,, जयप्रकाश जैन आत्मज श्री चन्दनलाल सलुम्बर उदयपुर
36. ,, रघुवीरसिंह गूजर आत्मज श्री राजूलाल ग्रा० पो० महुआ स० माधोपुर
37. , टीकमाराम आत्मज श्री तलछाराम नहरा ग्रा० पो० सेटू बाड़मेर
38. ,, छीतरमल खाती आत्मज श्री बजरंगलाल खाती मु० पो० बघेरा अजमेर
39. ,, गिर्राजप्रसाद वर्मा आत्मज श्री छुटनलाल वर्मा मु० पो० शाहबाद
40. श्री ओमप्रकाश मगाड आत्मज श्री लालचन्द ग्रा० पो० परलीका गंगानगर अनु० जाति
41. ,, बाबूलाल आत्मज श्री रामचन्द्र मु० पो० झाइलानी कलां पाली अनु० जाति
42. ,, तोताराम जाटव आत्मज श्री भूराराम ग्रा० पो० छोरला स० माधोपुर अनु० जाति
43. ,, मनोहरी लाल जाटव आत्मज श्री रामोरीराम गांव बडगांव स० माधोपुर अनु० जाति
44. ,, रामलाल रैगर पुत्र नोलाराल पो० भाग, जयपुर ,,
45. ,, रूपसिंह जाटव आत्मज श्री मनोहरीलाल ग्रा० पो० खण्डेला स० माधोपुर अनु० जाति
46. ,, रामेश्वरप्रसाद आत्मज श्री सुखनन्दनलाल ग्रा० पो० घुरसी स० माधोपुर अनु० जाति
47. ,, प्रह्लाद मीना आत्मज श्री कल्ला राम मीना ग्रा० मीनापारा स० माधोपुर अनु० जनजाति
48. ,, सीताराम मीना पुत्र श्री प्रभुदयाल ग्रा० निराल सीकर ,,
49. ,, भगवानसहाय मीना आत्मज श्री सुवालाल ग्रा० छोरवाड़ी सीकर ,,

क्र० सं०	नाम अभ्यार्थी एवं पता
50.	श्री महावीर प्रसाद मीना आत्मज श्री गाडीराम ग्रा० पो० शाहक बून्दी अनु० जनजाति
51.	श्री रामकुमार मीना अतमज श्री रामदयाल मीना मु०पो० नासरदा टोंक अनु० जनजाति
52.	श्री नारायणलाल मीना आत्मज श्री भागीरथमल ग्रा० करेडी टोंक "
53.	श्री रामस्वरूप सैनी आत्मज श्री गोपीलालसैनी मु० पो० नासिरदा टोंक अनु० जनजाति
54.	श्री कुम्भसिंह राठौड़ आत्मज श्री शैतानसिंह ग्रा० देतकला, जोधपुर
	29 बी श्री रमेशचन्द शर्मा आत्मज श्री रामकिशोर शर्मा
	32 बी श्री रामकृष्ण आत्मज श्री चेतराम सादूलशहर श्री गंगानगर

जयपुर केन्द्र से चयनित प्रशिक्षणार्थियों की सूची

1. श्री बलबीरसिंह राजपूत आत्मज श्री भेरूसिंह मु० पो० खोखर अलवर
2. श्री विष्णु शर्मा आत्मज श्री गिरिराजप्रसाद शर्मा ग्रा० पो० भावता जयपुर
3. श्री हरिशचन्द्र गोयल आत्मज श्री कन्हैयालाल गोयल मु० पो० हिंडोली, अलवर
4. श्री हरिसिंह राव आत्मज श्री प्रेमसिंह राव मु० पो० आसलपुर, जयपुर
5. श्री चन्द्रभान आत्मज श्री मोतीराम नदबई, भरतपुर
6. श्री बनवारीलाल गुप्ता आत्मज श्री रूपनारायण गुप्ता मु० पो० मागोद जयपुर
7. श्री राकेश कुमार आत्मज श्री देवेन्द्रसिंह नदबई भरतपुर
8. श्री हरिप्रसाद शर्मा आत्मज श्री रामदयाल शर्मा ग्रा० पो० बडकोल, अलवर
9. श्री आशाराम आत्मज श्री नारायणराम टोंक फाटक, जयपुर
10. श्री रामचन्द्र गुप्ता आत्मज श्री मगतराम गुप्ता मु० पो० अजबपुरा, अलवर
11. श्री बाबूलाल शर्मा आत्मज श्री छितरमल शर्मा ग्रा० पो० जयसिंहपुर
12. श्री सीताराम जोशी आत्मज श्री देवीसहाय ग्रा० श्योपुरा, जयपुर
13. श्री बासदेव शर्मा आत्मज श्री मोहनलाल शर्मा ग्रा० सितारा, भरतपुर
14. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल आत्मज श्री प्यारेलाल नदबई, भरतपुर
15. श्री महेशचन्द शर्मा आत्मज बाबूलाल शर्मा ग्रा० पो० नगलातुला, भरतपुर
16. श्री महेशचन्द्र शर्मा आत्मज श्री गंगासहाय शर्मा, किशनपोल, जयपुर
17. श्री सूर्यकान्त अग्रवाल आत्मज श्री प्रकाशनारायण सिगनेर, जयपुर

18. श्री वृद्धि चन्द धाट आत्मज श्री देवीसहाय जाट जाहोता, जयपुर ।
19. ,, शिवचरण गुप्ता आत्मज श्री रमेशचन्द्र शर्मा मु. पो. गोपालगढ़, भरतपुर ।
20. ,, ज्ञानप्रकाश शर्मा आत्मज श्री रमेशचन्द शर्मा मु. पो. गोपालगढ़, भरतपुर ।
21. ,, विरेन्द्रकुमार यादव आत्मज श्री भोजराज यादव गांव केकड़ी' अलवर ।
22. ,, देवेन्द्रसिंह मनोहर आत्मज श्री लक्षमणसिंह गांव चिकोटिया, जयपुर ।
23. ,, रामनिवास बंसल आत्मज श्री बुद्धीलाल नदबई, भरतपुर ।
24. ,, मोहनलाल छिला आत्मज श्री गोविन्दनारायण मु. पो. जाहोता जयपुर, ।
25. ,, रूपनारायण जाट आत्मज श्री रामदयाल जाट ग्राम महाजनपुरा, जयपुर ।
26. ,, श्यामलाल शर्मा आत्मज श्री चौथमल शर्मा कालाडेरा, जयपुर ।
27. ,, नरेन्द्रकुमार गुप्ता आत्मज श्री प्रहलादराम गुप्ता जाहोता, जयपुर ।
28. ,, रामदयाल सिनसिनवार आत्मज श्री खुशीराम तहसील नदबई, भरतपुर ।
29. ,, मानसिंह बाथम आत्मज श्री मुन्नीलाल बाथम कुमाम पटपडा, धोलपुर ।
30. ,, रामकिशन जाट आत्मज श्री हरनाथ जाट मु. पो. भोपावास, जयपुर ।
31. , दामोदरसिंह आत्मज श्री कन्हैयालाल नदबई, भरतपुर ।
32. ,, ख्यालीराम जाट आत्मज श्री श्योलाल मु. पो रामपुर चोहाना, अलवर ।
33. ,, दिनेशचन्द्र शर्मा आत्मज श्री जगदीशप्रसाद शर्मा कोटपुतली, जयपुर ।
34. ,, रामस्वरूप शर्मा आत्मज श्री नेनूराम शर्मा ग्रा. पो. डिडवाना, जयपुर ।
35. ,, रमेशचन्द्र बोरिया आत्मज श्री धानसिंह मु.पो. दौलतगढ़, भरतपुर । अनु.जा.
36. ,, श्यामसुन्दर वर्मा आत्मज श्री रामलाल वर्मा ग्रा. पो. थाना, अलवर । ,,
37. ,, हीरालाल बैरवा आत्मज श्री प्रभुदयाल बैरवा गांव रायपुरा, जयपुर । ,,
38. ,, रामकिशन जाटव आत्मज श्री सुमेराराम ग्राम शाहपुरा, अलवर । ,,
39. ,, हरीशचन्द्र रैगर आत्मज श्री छोटूराम रैगर मु. पो. करोली, जयपुर । ,,
40. ,, चोथमल कोली आत्मज श्री महादेवप्रसाद कोली मु. पो. दुघली, जयपुर । ,,
41. ,, नवलकिशोर शर्मा आत्मज श्री नानगराम वर्मा ग्रा. पो. लवाण, जयपुर । ,,
42. ,, सत्यदेव आत्मज श्री मोतीलाल ग्रा. जेतपुर ,अलवर । ,,
43. ,, चेतराम खटीक आत्मज श्री मामराज ग्राम ततारपुर, अलवर । ,,
44. ,, बाबूलाल भाटी आत्मज श्री गोपीराम मु. पो. खोरा ,,
45. ,, ओमप्रकाश डबरिया आत्मज श्री गोपीराम मु. पो. खोराविसल, जयपुर । ,,
46. ,, किशनलाल आत्मज श्री रेवडराम ग्रा. मुनारी झोटवाडा, जयपुर । ,,
47. , रूपसिंह मीना आत्मज श्री भागीयाराम मीना नदबई, भरतपुर । ,,

48. श्री भरोसीलाल मीना आत्मज श्री मदनलाल मीना ग्रा.उल्लू भरतपुर । अनु.जन.जा.
49. ,, टेकचन्द आत्मज सूडाराम इमली का फाटक, जयपुर । ,,
50. ,, सताराम मीना आत्मज श्री मोरीलाल ओकडा डगर जिला, जयपुर । ,,
51. ,, लालाराम मीना आत्मज श्री अर्जुनराम ग्राम मुनपुर, अलवर । ,,
52. ,, गोविन्दराम मीना आत्मज श्री छोटूराम ग्राम पो. नटाण, जयपुर । ,,
53. ,, रामचन्द्र मीना आत्मज श्री रामकरण मीना ग्राम त्रिलोकपुरा । ,,
54. ,, छीतूराम आत्मज शंकरलाल मीना ग्राम भानोता, जयपुर । ,,
55. ,, आसुतोष शर्मा आत्मज श्री चिरंजीलाल शर्मा राजगढ़, अलवर ।
56. ,, रमेशचन्द्र सेनी आत्मज श्री रामप्रसाद सेनी ग्राम व पो. वैर, भुसावर ।
57. ,, जगदीशचन्द्र वर्मा आत्मज श्री रामनाथ वर्मा पो. चोमू जिला, जयपुर ।
58. ,, राधेश्याम शर्मा आत्मज श्री रामजीलाल शर्मा ग्राम अरोन्दा, भरतपुर ।
59. ,, अजीतसिंह आत्मज श्री सोहनलाल ग्राम ललिता गुडिया, भरतपुर ।
60. ,, जगदीशचन्द्र अग्रवाल आत्मज श्री आर.एस. अग्रवाल स्टेशन रोड, जयपुर ।
61. ,, चतुरभुजप्रसाद आत्मज श्री बद्रीप्रसाद मु. बरवाडा, जिला भरतपुर
62. ,, रमेशचन्द्र शर्मा आत्मज श्री किशनलाल ग्राम पो. टोडानगर, अलवर ।
63. ,, बोदूराम यादव आत्मज श्री लादूराम मु. पो. कानपुरा, जयपुर ।

सरपंच, ग्राम पंचायत, समरा (थानागाजी) के विरुद्ध शिकायतें

85. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरपंच, ग्राम पंचायत, समरा तहसील थानागाजी के विरुद्ध राजकीय राशि का गबन करने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कृपया शिकायत पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 31 जुलाई, 1984 को जांच हेतु पंचायत इन्सपेक्टर को नियुक्त किया गया था तथा बाद में तहसीलदार, थानागाजी को जिलाधीश महोदय ने जांच अधिकारी नियुक्त किया? यदि हां, तो जांच में क्या निष्कर्ष निकले हैं?

(3) क्या सरकार का दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायती पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पंचायत प्रसार अधिकारी को दिनांक 10.7.84 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, एवं अन्य शिकायती पत्र प्राप्त होने पर जिलाधीश ने 23.8.84 को तहसीलदार थानागाजी को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच जिलाधीश के यहा विचाराधीन है।

(3) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

शिकायती पत्र की प्रतिलिपि

सेवा में,

श्रीमान् जिला कलेक्टर (पंचायत) अलवर

विषय:–बाबत जमा कराये जाने राशि सरपंच ग्राम पंचायत समरा तहसील थानागाजी को पंचान् से 25750/रु. 55 पैसे के क्रम में:–

श्रीमान् आवेदन पत्र प्राथियान इस प्रकार दर्ज है:—

(1) यह कि हम प्राथियान ग्राम पंचायत समरा तहसील थानागाजी में पंच हैं।

(2) यह कि मुताबिक कैश बुक एवं कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत समरा दि० 30-6-84 के अनुसार वित्तीय स्थिति इस प्रकार है।

(1) श्री सरपंच महोदय के पास 10450/रु. 12 पैसे नकद

(2) पोस्ट आफिस में जमा 300/रु. 43 पैसे जमा।

(3) रामशी पंच के पास नकद दिनांक 15-2-84 के अग्रिम राशि 5000/रु.

(4) गोवर्धन लाल उप सरपंच के पास अग्रिम राशि दि: 15-2-84 को 5000/रु.

(5) रामचन्दर जोगी पंच के पास अग्रिम राशि दिनांक 15-2-84 को 5000/रु.

(6) कुल राशि 25750/रु. 55 पैसा।

(3) यह कि उपरोक्त राशि सरपंच को पंचान् ने अपने पास नाजायज तौर पर रखा-रखी है जबकि इनको ऐसी राशि अपने पास रखने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। और सरपंच साहब को 10450/रु. 12 पैसा नियत समीरुप से पोस्ट आफिस में कराने चाहिये थे जो जमा नहीं कराये है।

(4) यह कि रशमी पंच वो गोवर्धन लाल उप सरपंच वो रामचन्द जोगी पंच ने जो अग्रिम राशि कार्य हेतु ली हुई है उसका कार्य अभी शुरु भी नहीं कराया है और नाजायज तौर पर अग्रिम राशि को अपने काम में ले रहे हैं जबकि कानूनन उनको अपने कार्य में लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

(5) यह कि पंचायत समिति थानागाजी से ग्राम पंचायत समरा को 9000/ शिक्षा कर के मिले [थे] जिस रकम की ग्राम पंचायत समरा के कैश रजिस्टर में कोई दर्ज नहीं है जबकि कानूनन उसी दिन होना चाहिये। और ऐसी दशा में साहब

सरपंच व पंचायान मिलकर उक्त 9000/रु. की रकम को नाजायज तौर पर हेरफेर कर रहे हैं जिनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही किया जाना परम आवश्यक व न्यायसंगत है।

(6) यह कि हम प्राथियान पंच हैं और हमने उपरोक्त बिन्दुओं पर हिसाब मांगा और कैश बुक दिखाने के लिये कहा तो साहब सरपंच को उपरोक्त पंचायत ने हम प्राथियान को न तो कैश बुक दिखाई और ना ही हिसाब बताया है जिससे यह स्पष्ट साबित हो जाता है कि साहब सरपंच वो पंचायन बदनियती पर उतारू हो रहे हैं। और सरकार को नाजायज तौर पर हेरफेर करना चाहते हैं जिनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है।

(7) यह कि हम प्राथियान ने पहले भी श्रीमान् के समक्ष एक आवेदन पत्र दि० 25-2-83 को पेश किया जिस आवेदन पत्र को वास्ते जांच हेतु विकास अधिकारी थानागाजी को भेजा गया परन्तु साहब विकास अधिकारी सरपंच से दिलचस्प था जिसकी वजह से प्राथियान के आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिये मजबूरन पुनः वास्ते कार्यवाही हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

अतः प्रार्थना है कि आवेदन पत्र पर गौर फरमाया जाकर साहब सरपंच वो पंचान के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही अमल में लाई जावे और सरकारी रकम इनसे जमा कराई जावे अन्यथा इनके विरुद्ध जुर्म जेर दफा 409 ता० हि० का मुकदमा दर्ज रजिस्टर कराये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

प्राथियान:

भगवान सहाय पुत्र श्री रामनिवास कोम हरियाणा ब्राह्मण पंच, बाबूलाल पुत्र मुन्नालाल कोम महाजन पंच ग्राम पंचायत समरा तहसील थानागाजी दि: 10-7-84

तारांकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (1) से संबंधित सूचना

आदरणीय श्रीमान् पी०सी० जैन
जिलाधीश जिला विकास अधिकारी महोदय,
अलवर (राजस्थान)

विषय—श्री रामधन मीणा सरपंच ग्राम पंचायत समरा पं०स० थानागाजी (अलवर) द्वारा पंचायत की करीब 31 हजार रुपये की राशि का गबन की जांच के क्रम में।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत 10 जुलाई 1984 के श्री रामधन सरपंच के काले कारनामे व 1700 रु० की पंचायत राशि के गबन कर लेने का शिकायती पत्र प्रति० जिला विकास अधिकारी जी के कार्यालय में प्रस्तुत किया था उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। अतः उसे बरामद कराई व तुरन्त जांच कराने को आदेश फरमायें।

श्री रामधन सरपंच बिना पंचायत के कोरम पूर्ण उसे मनमाने प्रस्ताव पारित कर लेते हैं जिनमें पंचायत क्षेत्र के व्यक्तियों का कोई हित नहीं होता है। राशि का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत लाभ उठाते रहते हैं। करीब 31 कट्टे सीमेन्ट वाला बेच कर दिये गये निर्माण कार्य में नहीं लगाया गया है। यह है कि सरपंच साहब गरीब व्यक्तियों के इन्तकाल आदि तस्दीक करने व छोटी मोटी समस्या के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बिना कोई पैसे लिये काम नहीं करके देता है। इस प्रकार श्री रामधन मीणा को सरपंच पद की गरिमा को गिराते रहते हैं।

अतः जिन शिकायती मार्ग है साथ-साथ नोटिस में तस्दीक शुदा शपथपत्र भी शामिल करके पेश किये हुये हैं उन्हें अपनी राजनेतिक गतिविधियों में दबाकर ग्राम पंचायत को धनराशि का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जिसकी वजह से ग्राम पंचायत समरा का विकास कार्य कतई ठप्प पड़ा हुआ है।

आशा है कि इस ओर व्यक्तिगत ध्यान देकर जनता की ग्राम समस्या को हल कराने व पंचायत कोष को क्षतिग्रस्त होने से बचाने व सरपंच को दन्डित कराने के आदेश जारी कराने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

उप अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक विभाग
नंगली का चौराया, अलवर। ह० भगवान।

जिला टोंक की अपूर्ण सड़कों का निर्माण

86. श्री महावीरप्रसाद (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982–83 में टोंक से बम्बोर सड़क, टोंक से सोनवा एवं पीपलू से रानोली सड़क निर्माण हेतु लगभग 9 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन सड़कों पर कुछ काम करने के बाद काम बंद कर दिया गया ? यदि हां, तो काम बन्द करने के क्या कारण थे एवं इसके लिए कौन दोषी है ? अब यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) अकाल राहत 1982–83 के अन्तर्गत इन सड़कों पर रुपये 8·85 लाख स्वीकृत हुए थे।

(2) अकाल राहत कार्य बन्द होने के कारण बन्द किये गये इसके लिये कोई दोषी नहीं है वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य पूर्ण करवाना सम्भव हो सकेगा।

जिला बाड़मेर में विभागीय कार्य में संलग्न मज़दूरों की बकाया का भुगतान

87. श्री अमीनखां (शिव) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले के विभागीय कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान कितने महीनों का बकाया है ?

(2) क्या यह सही है कि 4–4 माह का भुगतान शेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) डेली वेजेज पर रखे जाने वाले मजदूरों के भुगतान कितने समय में करने के निर्देश हैं ? निर्देशों की अवहेलना किन-किन अधिकारियों ने की है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में मरु विकास कार्यक्रम के तहत किये जा रहे विभागीय कार्यों पर लगे मजदूरों का भुगतान 15 सितम्बर, 1984 तक की अवधि का किया जा चुका है।

(2) जी नहीं।

(3) पाक्षिक मस्टर रोल्स संधारित होते हैं जिनका भुगतान आगामी पखवाड़े में करने के निर्देश हैं।

गन्दी एवं कच्ची बस्ती के वासियों के लिए आवासन योजनायें

88. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विगत 5 वर्ष में प्रदेश के विभिन्न नगरों में गन्दी एवं कच्ची बस्तियों को हटा

(श्री राजबहादुर)

कर वहां काबिज नागरिकों को वास्तविक राहत पहुंचाने हेतु किन-किन शहरों में आवासन की नई योजनायें बनी हैं ? इनमें से कितनी योजनायें पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से क्रियान्वित हुई हैं ?

(2) भरतपुर शहर की गन्दी व कच्ची बस्तियों के सुधार हेतु क्या कोई आवासीय योजना अभी तक बनी है ? यदि नहीं, तो किस कारणवश ?

उत्तर

(1) सामान्यतया नगर विकास न्यासों व नगर परिषदों के माध्यम से कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वहीं बसाया जाता है। यदि वहां स्थानाभाव या उचित स्थान न हो तभी अन्य स्थानों पर आवास व्यवस्था की जाती है। पिछले पांच वर्षों में कच्ची बस्तियों को हटाकर वहां के नागरिकों को राहत पहुंचाने हेतु नई आवासीय योजनाएं बनाएं जाने से सम्बन्धित सूचना राज्य की 196 नगर पालिकाओं एवं 9 नगर, विकास न्यासों से प्राप्त की जा रही है।

(2) भरतपुर शहर की कच्ची बस्तियों में सुधार हेतु कोई नई आवासीय योजना नहीं बनाई गई है। पर्यावरण सुधार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर विकास न्यास द्वारा सात कच्ची बस्तियों के एवं नगर परिषद् द्वारा 6 कच्ची बस्तियों में ही सुधार कार्य किये जा रहे हैं।

चिकित्सा विभाग की आफसेट प्रेस में कार्यरत कार्मिकवृन्द को आरक्षण लाभ

89. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विभाग की आफसेट प्रेस में कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और कब से ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें। क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को विभाग द्वारा पदोन्नतियां दी गयी हैं ? यदि हां, तो किन-किन को और किन नियमों के तहत ?

(2) विभाग में अनुसूचित जाति और जन जाति के कितने कर्मचारी हैं और उनकी नियुक्ति कब से है ? मय नियुक्ति तिथि कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आफसेट प्रेस में अनुसूचित जाति और जन जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोस्टर प्रणाली के आधार पर पदोन्नति देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सत्य है कि प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी को उनके पैतृक विभाग में नहीं भेज कर चिकित्सा विभाग में ही नियमित करने की कार्यवाही विचारार्थ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस संस्थान की आफसेट प्रेस में राजकीय मुद्रणालय के 6 व्यक्तियों को सन् 1973 में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था। पदोन्नति नहीं दी गई। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जिन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा गया था उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विभाग को आफसेट प्रेस में अनुसूचित जाति के श्री बाबूलाल चावला दिनांक 29–9–70 से कम्पोजीटर श्रेणी–2 के पद पर नियुक्त हैं। इनकी पदोन्नति कम्पोजीटर श्रेणी–1 के पद पर सन् 1976 में की गई थी। इनके अतिरिक्त इस प्रेस में अनुसूचित जाति व जनजाति का कर्मचारी नहीं है।

(3) आफसेट प्रेस में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारी श्री बाबूलाल चावला को नियमानुसार पदोन्नति लाभ रोस्टर प्रणाली एव वरिष्ठता के आधार पर दिया गया है।

(4) जी नहीं। किसी भी प्रतिनियुक्ति पर आये हुए व्यक्ति को यहां पर स्थाई रूप से लेने का कोई विचार नहीं है।

सूची

क्र०सं०	प्रतिनियुक्त कर्मचारी का नाम।	पद प्रतिनियुक्ति से पूर्व	वर्तमान पद	प्रतिनियुक्ति पर कब से कब तक
1	2	3	4	5
1.	श्री कल्याणसिंह	बन्धक श्रेणी–1	बाईन्डिग इन्चार्ज	2–7–73 से 25–6–83
2.	श्री खलील अहमद	फिटर	ग्रेनिंग मशीन आपरेटर	2–7–73 से 15–7–77
3.	श्री अहतराम असरफ	मुद्रक श्रेणी–1	ट्रेडिल मशीन आपरेटर	2–7–73 से 11–11–83
4.	श्री गुलाम रसूलखां	प्रूफ रीडर श्रेणी 2	प्रूफ रीडर श्रेणी–1	2–7–73 से 11–11–83
5.	श्री राधाकिशन आर्य	मुद्रक श्रेणी–2	सहायक मशीन आपरेटर	2–7–73 से 14–7–76
6.	श्री सीताराम शर्मा	प्रूफ रीडर श्रेणी–2	कम्पोजिंग रीडिंगइन्चार्ज	2–7–73 से लगातार

न्याय पंचायतों की स्थापना

90. श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्रीजी के 20 संकल्पों में एक संकल्प नई न्याय पंचायतें स्थापित करने का है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

(2) क्या पूर्व में 1973 में भंग की गई न्याय पंचायतों के अनुरूप नई न्याय पंचायतें गठित होंगी ? यदि हां, तो न्याय पंचायतों के गठन एवं कार्य की क्या प्रणाली होगी ?

उत्तर

(1) 20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का संकल्प था, इसके अनुसरण में प्रत्येक पंचायत में न्याय उपसमितियों का गठन किया जा चुका है ।

(2) प्रत्येक पंचायत में न्याय उपसमिति का गठन किया जा चुका है । अलग से न्याय पंचायतों के गठन का अब प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिक प्रशिक्षण के समय नष्ट सड़कों की मरम्मत

91. श्री अमरराम चौधरी (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निम्नलिखित ग्रेवल व डामर सड़क सैनिक प्रशिक्षण के समय नष्ट हो गई थी.—

1. वागुण्डी से सणतरा (ग्रेवल)
2. कवरली से सणतरा वाया कालेवा
3. पचपदरा से पाटोदी
4. बालोतरा से समदडी
5. बालोतरा से कीटनोद वाया आसोतरा
6. थोब से कोसा वाया बागावास
7. कल्याणपुर से मण्डली
8. सणतरा से हीरा की ढाणी वाया गिड़ा
9. पचपदरा साल्ट से परेऊ वाया साजियाली ।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सैनिक प्रशिक्षण के समय इन सड़कों में टूट फूट हो गई थी ।

(2) पचपदरा से पाटोदी, बालोतरा से समदड़ी, बालोतरा से कीटनोद एवं कल्याणपुरा से मंडली सड़कों का रख रखाव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास होने से इन सड़कों की आवश्यक मरम्मत करके, आर्मी हैडक्वार्टर्स के पास इस टूट-फूट की विशेष मरम्मत का क्लेम भेज दिया गया है । आर्मी द्वारा क्लेम की राशि मंजूर होने

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पर इन सड़कों की विशेष मरम्मत करवा दी जायेगी शेष 5 ग्रेवल सड़कों का, जो अकाल राहत के तहत बनी हुई हैं, यह विभाग देख-रेख नहीं करता।

अवधिपार दवाइयों की बिक्री

92. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 13 मार्च, 1980 में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की मेडिकल ब्रांच की दुकान एस. एम. एस. प्रथम से अवधि पार दवा बेची गई? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) मार्च, 1980 से अब तक कितने मामले ऐसे हुए और उन पर क्या कार्यवाही हुई? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संस्था द्वारा सम्बन्धित विक्रेता को चेतावनी दी गई।

(2) मार्च, 1980 से अब तक दो मामले प्रकाश में आये हैं। दोनों मामलों से सम्बन्धित विक्रेता श्री हरकचन्द जैन तथा श्री सुरेशचन्द ओझा को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा चेतावनी दे दी गई एवं उनके द्वारा सहायता के लिए रखे गये सहायकों को हटा दिया गया है।

नगरपालिका छबड़ा में भू-खण्डों का अवैध आवंटन

93. श्री कमलेन्द्रसिंह (बल्लभनगर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिलाधीश, कोटा को नगरपालिका छबड़ा में भू-खण्डों के अवैध आवंटन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है?

(2) इस शिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर उप जिलाधीश से जांच करवाई। उन्होंने नगरपालिका छबड़ा से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त कर मौका देखा तथा व्यथित व्यक्ति की सुनवाई की व जांच रिपोर्ट जिलाधीश कोटा को प्रेषित की है जो विचाराधीन है।

महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में ग्लूकोज सेलाइन की प्रिपरेशन

94. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व वर्षों में महाराव श्री भीमसिंह अस्पताल में ही ग्लूकोज सेलाइन तैयार किया जाता था? यदि हां, तो वह प्रक्रिया कब से व क्यों बंद

(श्री बाऊदयाल जोशी)

कर दी गई ? क्या भविष्य में उक्त प्रक्रिया चालू कर दी जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) उक्त प्रक्रिया द्वारा बनाई गई ग्लूकज सेलाइन की बोतल पर कितना व्यय प्रति बोतल आता था व वर्तमान में भिन्न-भिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित ग्लूकोज सेलाइन की प्रति बोतल कीमत क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रक्रिया से बनने वाला ग्लूकोज सेलाइन पाइरोजन से मुक्त न होने के कारण 1967 के बाद बनाना बंद कर दिया गया था। भविष्य में पुन: यह प्रक्रिया चालू करने का कोई विचार नहीं है।

(2) 1967 में इस प्रक्रिया से एक बोतल पर रुपये 2·50 का खर्चा आता था। वर्तमान में राज्य सरकार की अनुमोदित सूची पर जो बोतलें खरीदी जा रही हैं उनकी कीमत निम्न है:—

(3) ग्लूकोज सेलाइन 5 प्रतिशत 540 एम. एल. रुपये 6·15 + सेल्स टैक्स प्रति बोतल।

जिला परिषद्, भरतपुर में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति

95. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद् भरतपुर में तृतीय वेतन श्रृंखला में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए माह अगस्त, 1984 में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया था ?

2) यदि हां तो कितने पद रिक्त घोषित किये गये और इन पदों के लिये कितने अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए ?

(3) नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों का चयन किये जाने में किन-किन आधारों पर अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की गई है ? कृपया चयनित अभ्यर्थियों की तालिका सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उन अभ्यर्थियों को, जो अधिकतम आयु सीमा के पास आ गये हैं, प्राथमिकता दी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विज्ञापन संख्या 57/80 के लिये 119 तथा 59/83 के लिये 213 कुल 332 पद विज्ञापित किये गये थे। इन पदों के विरुद्ध कितने अभ्यार्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए की सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि मूल अभिलेख चयन आयोग द्वारा लिफाफों में सील बन्द करके रखा हुआ है।

(3) प्रत्याशियों के चयन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्य का

अनुभव तथा खेलकूद, एन. सी. सी., स्काउटिंग एवं अन्य पाठ्येतर प्रवृतियों का ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्याशियों से साक्षात्कार कर उनकी योग्यता को परखा जाता है। चयन में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये निर्धारित आरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है।

जिला भरतपुर के लिए जो साक्षात्कार आयोजित किये गये थे, अभी तक उनके आधार पर चयन सूचियां नहीं बनी हैं।

(4) अधिकतम आयु सीमा के निकट वाले मामलों में मानवीय आधार पर तथा निर्धारित पद्धति के अनुसार सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है। नियमों में वरीयता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

तहसील रतनगढ़ में सड़क निर्माण कार्य

96. श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़)-क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में वर्ष 1984-85 में प्रस्तावित स्वीकृत सड़कों की सूची प्रसारित की गई है? यदि हां, तो कृपया तहसीलवार स्वीकृत सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग द्वारा रतनगढ़ तहसील में गत चार वर्षों में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) रतनगढ़ तहसील में भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के मद में छापर से राजलदेसर, रतनगढ़ से सालासर तथा गोरीसर दाऊसर सड़कें स्वीकृत हुई हैं परन्तु श्रमिक उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई कार्य नहीं हुआ है।

चूरू जिले में वर्ष 1984–85 में स्वीकृत सड़कों की सूची

	लंबाई कि. मी.	वित्तीय स्वीकृति	
1. तहसील सरदारशहर			
1. चूरू सरदारशहर वाया फूलासर सड़क	8.0	12.00	लाख
2. ए/आर टू बरजागसर से साडासर ग्रॉन रावतसर सड़क	60.0	9.00	,,
3. सरदारशहर से नोहर वाया आसपालसर फोगेरा, सोमला, रेलूसर (अप्रेडिग टू बीटी रोड)	10.0	10.00	,,
2. तहसील राजगढ़			
1. घनोटी (छोटी) से गालड़	7.0	10.50	,,
2. चौधरियों का बास से नून (पी0एल0)	5.0	7.50	,,
3. सादुलपुर स्टेशन से चैक पोस्ट	3.0	4.50	,,
4. नागलो से लाखलान	4.5	6.75	,,
5. खूडी से बूंगी (नई)	8.0	12.00	,,
6. घोलिया सेवा भुवन	6.0	9.00	,,
7. सादुलपुर से घिगारली वाया पहारसर, भगेला, हसियावास	7.0	10.50	,,
3. तहसील तारानगर			
1. मनोन से बाय	8.0	12.00	,,
2. रेयाटूडा से सोमसीसर पुनसीसर	11.5	17.20	,,
3. तारानगर से चूरू वाया लचकोई	33.0	49.50	,,
4. तहसील चूरू			
1. चूरू से तारानगर वाया सहजूसर	14.0	21.00	,,
2. जसरासर से नाकरासर	9.0	13.50	,,
3. रामपुरा से रीबीया वाया खण्डवा	8.0	12.00	,,
5. तहसील सुजानगढ़			
1. कातर रोड से लालगढ़ वाया भादासर (अपग्रेडिंग बीटी रोड)	14.0	14.00	,,
6. तहसील डूंगरगढ़			
1. दुलचासर से सांवतसर	9.0	13.50	,,
2. दुलचासर से लाखासर	9.0	13.50	,,
3. डूंगरगढ़ से काल	21.0	31.50	,,

राजस्थान वित्त निगम की सेवा में आरक्षण

97. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)–क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान वित्त निगम ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चयन एवं पदोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित रोस्टर प्रणाली को कबसे ग्रहण किया तथा क्या ग्रहण करने के साथ-साथ अनुसरण भी किया ? यदि नहीं, तो क्यों, और कब से इस प्रणाली की प्रभावी रूप से अनुपालना की गई ?

(2) उक्त निगम में रोस्टर प्रणाली के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कितने पद भरे नहीं जा सके ? क्या उन आरक्षित पदों के बिन्दुओं को रोस्टर प्रणाली की व्यवस्थानुसार अग्रेषित किया गया ? क्या इन रिक्त पदों को कभी सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा भरा गया ? यदि हां, तो क्या इसके लिए प्रशासनिक विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या निगम ने पदोन्नति के लिए भी रोस्टर प्रणाली की अनुपालना की है ? यदि हां, तो कब से तथा कितने व्यक्ति कितने रिक्त पदों के एवज में पदोन्नत किए गए ?

(4) क्या आरक्षित बिन्दुओं को अग्रेषित किया गया ? यदि नहीं, तो क्या इन पदोन्नति के पदों को सामान्य वर्ग द्वारा भरे जाने से पूर्व राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निगम में रोस्टर प्रणाली संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णयानुसार 22.9.76 से लागू की गई तथा तब से ही इस पर अनुसरण किया जा रहा है। यह प्रणाली चयन एवं पदोन्नति दोनों पर ही लागू की गई है।

(2) रोस्टर प्रणाली के आधार पर सभी वर्गों के लिए सीधी भर्ती में अनु. जाति के 30 पद तथा अनु. जनजाति के 56 पद नहीं भरे जा सके हैं। इन पदों को नियमानुसार अग्रेषित किया गया है तथा इनमें से किसी भी रिक्त पद को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरा गया है।

(3) पदोन्नति हेतु भी रोस्टर प्रणाली 22.9.76 से ही लागू की गई है। अनु. जाति के 56 रिक्त पदों के एवज में 12 पदोन्नतियां की गई हैं तथा अनु. जनजाति के 42 रिक्त पदों के एवज में केवल 2 पद पदोन्नति से भरे गये हैं।

(4) जी हां। सभी पदों को नियमानुसार अग्रेषित किया गया है।

ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर डिस्पेन्सरीज

98. श्री राम कंवार बैरवा (फागी)–क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री रामकंवार बैरवा)

(1) प्रदेश के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर डिस्पेन्सरीज हैं और कितने पर नहीं हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर डिस्पेन्सरी खोले जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्रदेश में 469 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर डिस्पेंसरी हैं तथा 6823 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नहीं है। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

सूची

क्र0सं0	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या जिन पर डिस्पेन्सरियां हैं।	ग्राम पंचायत मुख्यालय पर डिस्पेंन्सरी नहीं है।
1	2	3	4
1,	अजमेर	19	237
2.	अलवर	38	408
3.	बांसवाड़ा	16	174
4.	बाड़मेर	13	236
5.	भरतपुर	32	268
6.	भीलवाड़ा	32	308
7.	बीकानेर	12	112
8	बून्दी	11	132
9.	चित्तोड़गढ़	22	285
10.	चुरू	13	188
11.	डूंगरपुर	7	166
12.	धोलपुर	12	136
13.	श्री गंगानगर	7	336

1	2	3	4
14.	जयपुर	32	552
15.	जैसलमेर	4	88
16.	झालावाड़	12	198
17.	जालोर	13	201
18.	झुन्झुनू	18	227
19.	जोधपुर	13	232
20.	कोटा	16	274
21.	नागोर	14	346
22.	पाली	22	271
23.	सवाईमाधोपुर	22	366
24.	सीकर	16	271
25.	सिरोही	6	125
26.	टोंक	14	178
27.	उदयपुर	41	508
	योग	469	6823

गोडू-दत्तौर (बीकानेर) सड़क का निर्माण कार्य

100. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)—क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में वर्ष 1984-85 में गोडू-दत्तौर सड़क निर्माण हेतु निविदा प्रकाशित कर निविदाएं प्राप्त की गईं ? यदि हां, तो कृपया प्रकाशित निविदा एवं ठेकेदारों से प्राप्त निविदाओं की प्रति सहित प्रस्तावित सड़क का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) सड़क निर्माण संबंधी न्यूनतम दर वाले ठेकेदारों को कार्य आदेश देने में अधिक समय लगाने के क्या कारण थे ?

(3) क्या यह सही है कि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग बीकानेर से विभाग को राशि जारी करने के बाद ही निविदा जारी की

(श्री देवसिंह भाटी)

गई ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य आदेश किन कारणों से ठेकेदारों को नहीं दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रकाशित निविदा एवं निविदाओं का तुलनात्मक विवरण (प्रपत्र "क" एवं "ख") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) राज्य कृषि विभाग (सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग) द्वारा उपरोक्त सड़क की स्वीकृति निरस्त करन ही एक मात्र कारण है।

(3) इस कार्य के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर निविदायें प्राप्त की गईं पर सिंचित क्षेत्र विभाग बीकानेर द्वारा कोई राशि जारी नहीं की गई। उपरोक्त विभाग द्वारा स्वीकृति निरस्त करने के कारण आदेश जारी नहीं किये गये।

(विवरण 'ख' विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विवरण

प्रपत्र "क"

कार्यालय अधिक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. वृत द्वितीय, बीकानेर।

क्रमांक :–एफ. 11 (154)/लेखा/डी. ए. 1/5399 दिनांक :–23/2/84

संशोधन-पत्र

इस कार्यालय की निविदा संख्या एफ 11 (154)/लेखा/डीए 1/4758 दिनांक 12/1/84 एवं संशोधन पत्र क्रमांक एफ 11 (154)/लेखा/डीए 1/5329 दिनांक 20/2/84 द्वारा विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों हेतु जो निविदाएं दिनांक 3/3/84 तक बेची जाकर दिनांक 5/3/84 को प्राप्त की जानी थी, अब वे निविदाएं दिनांक 13/3/84 तक बेची जाकर दिनांक 15/3/84 को निम्नहस्ताक्षर कर्ता द्वारा प्राप्त की जावेंगी।

अन्य शर्तें व नियम अपरिवर्तनीय रहेंगे।

(बी. एल. माथुर)
अधिक्षण अभियन्ता
सा० नि० वि० वृत द्वितीय
बीकानेर।

क्रमांक :–एफ 11 (154)/लेखा/डी. ए.1/5399 दिनांक 23/2/84

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रसार हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. राजस्थान, जयपुर। (10) (अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. (पथ) राजस्थान, जयपुर।
3. अधिक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. वृत प्रथम बीकानेर/द्वितीय/तृतीय/यांत्रिक जयपुर/प्रथम/द्वितीय/यांत्रिक जोधपुर/प्रथम/द्वितीय उदयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/श्रीगंगानगर/
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि. रा. न. प. खण्ड प्रथम/द्वितीय/नगर/जिला/रा. उ. मा/सर्वेक्षण एवं अनुसंधान/गुणनियन्त्रण खण्ड बीकानेर/ रा. न. प. सूरतगढ़/अनूपगढ़।

5. सहायक अभियन्ता, सा. नि. वि. रा. न. प. उपखण्ड प्रथम/द्वितीय बीकानेर/ प्रथम/द्वितीय/तृतीय छतरगढ़/पूगल/बेरीवाला/श्रीविजयनगर/जैतसर/चतुर्थ अनूपगढ़/पंचम धड़साना/षष्ठम रावला ।
6. ठेकेदार सभा. बीकानेर/श्रीगंगानगर/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा ।
7. अवैतनिक सचिव निर्माण सभा भारत-25 भगवानदास रोड, जयपुर ।
8. तकनीकी सहायक/सहायक लेखाधिकारी/संगणक/रोकड़िया/सूचनापट्ट वृत कार्यालय बीकानेर ।
9 जिलाधीश बीकानेर/श्रीगंगानगर/चूरू ।
10. डीएए/डीएएस/डीएबी प्रथम/द्वितीय वृत–कार्यालय बीकानेर ।

(बी. एल. माथुर)
अधिक्षण अभियन्ता
सा. नि. वि. वृत द्वितीय.
बीकानेर ।

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER,
PWD, CIRCLE-II, BIKANER.

No. F. 11(154)/Acctt/DAI/5329 Dated:—20.2.84

CORRIGENDUM

The tenders invited vide this Office N.I.T. No. F. 11(154) /Acctt/DAI/4758 dated 12-1-84 for various road works which were to be sold on 20-2-84 and received by 22-2-84, shall now be sold upto 3-3-84 and received on 5-3-84 by the undersinged with the following changes in the works at Serial No. 5 & 6:—

S.No.	Name of work	Approximate cost Rs. in Lacs.	E/Money in Lacs.	Tender Fee	Complition Period
1	2	3	4	5	6
5.(a)	Constt. of road from 2 KHM to Dalitali Zone I Km 0/0 to 6/500	17,50	0.35	50/-	12 Months.

1	2	3	4	5	6
5.(b)	Constt. of road from 2 KHM to Dalitali Zone II KM6/500 to 13/0	17.50	0.35	50/-	12 Months
6.(a)	Constt. of road from 3 BLM to Manaksar. Zone I KM 0/0 to 5/0	13.00	0.26	50/-	12 Months.
6.(b)	—do—Zone II KM 5/0 to 9/0.	13.00	0.26	50/-	12 Months.

All other terms and conditions will remain unchanged.

Sd/-
(B. L. Mathur)
Superintending Engineer,
PWD Circle-II, Bikaner.

No:- F.11(154)/Acctt/DAI/5329 Dated:-20-2-84

Copy forwarded to the following for information and necessary action:—

1. The Chief Engineer, PWD, Rajasthan, Jaipur (10) with extra copies.
2. The Chief Engineer, PWD, (Roads), Rajasthan, Jaipur.
3. The Supdtg. Engineer, PWD, Circle—I, Bikaner/II/III/Mech. Jaipur/I/II/Mech. Jodhpur/I/II, Udaipur/Kota/Ajmer/Bharatpur/Ganganagar.
4. Executive Engineer, PWD, RCP, Dn. I/II/City/Distt/NHW/Survey & Invest./QC Bikaner/RCP, Suratgarh/Anoopgarh.

5. Asstt. Engineer, PWD, RCP Sub-Dn. I/II/Bikaner/I/II/III/Chhattargarh/Pugal/Beriwala/Sri Bijaynagar/I/II/III/Jetsar/IVth-Anoopgarh/V. Gharsana/VI, Rawala.

6. Contractor's Association, Bikaner/Ganganagar/Jaipur/Jodhpur/Udaipur/Kota.

7. Honorary Secretary, Nirman Sabha, Bharat 25-Bhagwandas road, Jaipur.

Sd/-
(B. L. Mathur)
Superintending Engineer,
PWD Circle-II, Bikaner.

कार्यालय अधिक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. वृत द्वितीय, बीकानेर ।

क्रमांक :-एफ. 11 ( )/लेखा/डी. ए. 1/4758 दिनांक 12/1/84

निविदा-सूचना

राज्यपाल राजस्थान सरकार की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए मोहरबंद निविदायें सा. नि. वि./सिंचाई विभाग/सैनिक अभियान्त्रिक विभाग/केन्द्रीय सा. नि. वि. एवं रेलवे विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र.स.	कार्या. का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	निर्माण कार्य सड़क इन्तोर से गोहू जोन प्रथम कि.मी. 10/0 से 22/0	43.00	0.86	50/-	12 माह
2.	—उपरोक्त—जोन द्वितीय कि.मी. 22/0 से 35/0	45.00	0.90	50/-	12 माह

1	2	3	4	5	6
3.	निर्माण कार्य सड़क दन्तोर से गौहू जोन तृतीय कि.मी. 35/0 से 48/0	45.00	0.90	50/-	12 माह
4.	—उपरोक्त—जोन संख्या चार कि.मी 48/0 से 60/0	45.00	0.90	50/-	12 माह
5.	निर्माण कार्य सड़क 2 के. एच.एम. से डालीटाली कि.मी. 0/0 से 13/0	37.00	0.74	50/-	12 माह
6.	निर्माण कार्य सड़क 3 बी. एल.एम. से मानकसर कि.मी. 0/0 से 9/0	28.00	0.56	50/-	12 माह

निविदायें दिनांक 20/2/84 तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में बेची जाकर दिनांक 22/2/84 को 3.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी एवं उसी दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जावेंगी।

निविदायें डाक द्वारा भी भेजी जा सकती हैं जो निर्धारित दिनांक एवं समय तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता को किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। सशर्त निविदाएं रद्द की जा सकती हैं। कार्य के नक्शे व तख्मीने इत्यादि कार्यालय में किसी भी दिन कार्यालय समय में देखी जा सकती है। ठेकेदारों द्वारा दी गई दरें 90 दिन तक मान्य रहेंगी।

अन्य विभागों से संशोधित पंजीकरण नियमों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त ठेकेदारों को निविदायें तभी दी जावेंगी जब वे कार्य की धरोहर राशि बैंकड्राफ्ट के रूप में जमा करवा देंगे।

(बी. एल. माथुर)
अधीक्षण अभियन्ता
सा. नि. वि. वृत द्वितीय
बीकानेर

क्रमांक :–एफ 11 (   )/लेखा/डीए 1/4758 दिनांक :–12/1/84

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रसार हेतु प्रेषित है :–
(अतिरिक्त प्रतियां सहित)

1. मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. (पथ) राजस्थान, जयपुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. (पथ) राजस्थान, जयपुर ।
3. अधिक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. वृत प्रथम बीकानेर/द्वितीय/तृतीय/यांत्रिक जयपुर/प्रथम/द्वितीय/यांत्रिक जोधपुर/प्रथम/द्वितीय उदयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/श्रीगंगानगर ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि. रा. न. म. खण्ड प्रथम/द्वितीय/नगर/जिला/रा. उ. मा/सर्वेक्षण एवं अनुसंधान/गुण नियंत्रण खण्ड बीकानेर/रा. न. प. सूरतगढ़/अनूपगढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता, सा. नि. वि. रा. न. प. उपखण्ड प्रथम/द्वितीय बीकानेर/प्रथम/द्वितीय/तृतीय छतरगढ़/पूगल/बेरीवाला/श्री विजयनगर/प्रथम/द्वितीय/तृतीय जैतसर/चतुर्थ अनूपगढ़/पंचम घड़साना/षष्ठम रावला ।
6. ठेकेदार सभा बीकानेर/श्रीगंगानगर/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा ।
7. अवैतनिक सचिव निर्माण सभा भारत-25 भगवानदास रोड, जयपुर ।
8. तकनीकी सहायक/सहायक लेखाधिकारी संगणक, रोकड़िया सूचना पट्ट वृत कार्यालय बीकानेर ।
9. जिलाधीश बीकानेर/श्रीगंगानगर/चूरू ।
10. डी एए, डी एएस डी एवं, प्रथम द्वितीय वृत कार्यालय बीकानेर ।

(बी. एल. माथुर)
अधिक्षण अभियन्ता
सा. नि. वि. वृत द्वितीय
बीकानेर ।

कार्यालय अधिक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. वृत द्वितीय, बीकानेर ।

क्रमांक :– एफ 11 (154) लेखा/डी ए 1/1 दिनांक 3/4/84

संशोधन पत्र

इस कार्यालय की निविदा संख्या एफ 11 (154) लेखा/डी ए 1/4758 दिनांक 12/1/84 एवं संशोधन पत्र क्रमांक 5329 दिनांक 20/2/84 एवं 5399

दिनांक 23/2/84 एवं 5680 दिनांक 13/3/84 द्वारा विभिन्न, सड़क निर्माण कार्यों हेतु जो निविदाएं दिनांक 5/4/84 तक बेची जाकर दिनांक 7/6/84 को प्राप्त की जानी हैं, अब वे निविदाएं दिनांक 8/5/84 तक बेची जाकर दिनांक 10/5/84 को निम्न हस्ताक्षरर्ता द्वारा प्राप्त की जावेंगी।

अन्य शर्तें व निर्णय अपरिवर्तनीय रहेंगे।

(बी. एल. माथुर)
अधिशासी अभियन्ता
सा. नि. वि. वृत द्वितीय
बीकानेर।

क्रमांक :— एफ 11 (154) लेखा/डी ए 1/1 दिनांक 3/4/84

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रसार हेतु प्रेषित है :—

1. मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. राजस्थान जयपुर (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. (पथ) राज. जयपुर।
3. अधिक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. वृत प्रथम बीकानेर/द्वितीय/तृतीय यांत्रिक जयपुर/प्रथम/द्वितीय/यांत्रिक जोधपुर/प्रथम/द्वितीय/उदयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/श्रीगंगानगर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि. रा. न. प. खण्ड प्रथम/द्वितीय बीकानेर/प्रथम/द्वितीय/नगर/जिला/रा. उ. मा./सर्वेक्षण एवं अनुसंधान/गुण नियंत्रण खण्ड बीकानेर, रा. न. प. सूरतगढ़/अनूपगढ़।
5. सहायक अभियन्ता, सा. नि. वि. रा. न. प. उपखण्ड प्रथम/द्वितीय बीकानेर/प्रथम/द्वितीय/तृतीय छतरगढ़/पूगल/बेरीवाला/श्रीविजयनगर/जैतसर/चतुर्थ अनूपगढ़/पंचम घड़साना/षष्ठम रावला।
6. ठेकेदार सभा, बीकानेर/श्रीगंगानगर/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा।
7. अवैतनिक सचिव निर्माण सभा भारत-25, भगवानदास रोड, जयपुर।
8. तकनीकी सहायक/सहायक ले. अधिकारी/संगणक/रोकड़िया/सूचनापट्ट वृत कार्यालय बीकानेर।
9. जिलाधीश बीकानेर/श्रीगंगानगर/चूरू।
10. डीएए/डीएएस/डीएवी/प्रथम/द्वितीय वृत कार्यालय बीकानेर क्षेत्र।

11. संबंधित संवेदक । (क्रय किये गये टेण्डर फार्म उपयोग योग्य)

ह०
(बी एल माथुर)
सा. नि. वि. वृत द्वितीय
बीकानेर ।

कार्यालय अधिक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. वृत द्वितीय, बीकानेर ।

क्रमांक :-एक : 1 (154) लेखा/डीए 11/5683 दिनांक 11/3/84

संशोधन पत्र

इस कार्यालय की निविदा संख्या एफ 11 (154) लेखा/डी ए 1/4758 दिनांक 12/1/84 एवं संशोधन पत्र क्रमांक 5329 दिनांक 20/2/84 एवं 5399 दिनांक 23/2/84 द्वारा विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों हेतु जो निविदाएं दिनांक 13/3/84 को बेची जाकर दिनांक 15/3/84 को प्राप्त की जानी थी, अब वे निविदाएं दिनांक 5/4/84 तक बेची जाकर दिनांक 7/4/84 को निम्न हस्ताक्षर-कर्ता द्वारा प्राप्त की जावेंगी ।

अन्य शर्तें व नियम अपरिवर्तनीय रहेंगे ।

ह०
(बी. एल. माथुर)
(अधिक्षण अभियन्ता)
सा. नि. वि. वृत द्वितीय
बीकानेर ।

कमांक :-एफ 11 (154) लेखा/डीए 1/5680 दिनांक 13/3/84

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रसार हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता सा. नि. वि. राजस्थान जयपुर ((10) अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. (पथ) राजस्थान, जयपुर ।
3. अधिक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. वृत प्रथम बीकानेर/द्वितीय/तृतीय/यांत्रिक जयपुर/प्रथम/द्वितीय/यांत्रिक जोधपुर/प्रथम/द्वितीय/उदयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/श्रीगंगानगर ।

4. अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि. रा. न. प. खण्ड प्रथम/द्वितीय/नगर/जिला/रा. उ. मा/सर्वेक्षण एवं अनुसंधान/गुण नियंत्रण खण्ड बीकानेर/रा. न. प. सूरतगढ़/अनूपगढ़।

5. सहायक अभियन्ता, सा. नि. वि. रा. न. प. उपखण्ड प्रथम/द्वितीय बीकानेर/प्रथम/द्वितीय/ तृतीय छतरगढ़/पूगल/बेरीवाला/श्रीविजयनगर/जैतसर/चतुर्थ अनूपगढ़/पंचम घड़साना/षष्ठम रावला।

6. ठेकेदार सभा, बीकानेर/श्रीगंगानगर/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा।

7. अवैतनिक सचिव निर्माण सभा भारत—25 भगवानदास रोड, जयपुर।

8. तकनीकी सहायक/सहायक लेखाधिकारी/संगणक/रोकड़िया/सुपरिन्टेन्डेन्ट वृत कार्यालय बीकानेर।

9. जिलाधीश बीकानेर/श्रीगंगानगर/चूरू।

10. डीएए/डीएएस/डीएवी प्रथम/द्वितीय वृत कार्यालय बीकानेर।

11. संबंधित संवेदक। (क्रय किये गये टेण्डर फार्म उपयोग योग्य हैं)

ह०

(बी एल माथुर)

अधिशाषी अभियन्ता

सा. नि. वि. वृत द्वितीय

बीकानेर।

(पाण्डुलिपि सं० 249 से 264 तक पुस्तकालय में अवलोकनार्थ रखी गई)

जिला भीलवाड़ा में सहकारिता अभियान की उपलब्धियां

101. श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) :

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला भीलवाड़ा में हाल ही के सहकारिता अभियान (पखवाड़े) के दौरान किन-किन सहकारी समितियों में गबन के मामले सामने आये तथा किन-किन गबन के मामलों में पुलिस में मुकदमें दर्ज कराये गये ?

(2) समक्ष आये गबन के मामलों में ऐसे कौन-कौन से मामले हैं जिनमें पुलिस कार्यवाही हेतु नहीं लिखा गया और किस कारण ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में सहकारी अभियान के दौरान परिशिष्ट–1 पर अंकित सहकारी समितियों में गबन के मामले सामने आये जिनमें से परिशिष्ट–2 पर अंकित समितियों के गबन के मामलों में पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई।

(2) सहकारी अभियान के दौरान समक्ष आये गबन के उन मामलों में पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कराई गई है, जिनमें सहकारी अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत जांच कार्यवाही अमल में लाई जानी है। इस जांच के बाद ही अन्य कार्यवाही जांच परिणामों के आधार पर अमल में लाई जा सकेगी।

परिशिष्ट–1

1. भीलवाड़ा जिले में हाल ही के सहकारिता अभियान (पखवाड़ा) के दौरान नीचे अंकित सहकारी समितियों में गबन के मामले सामने आये :—

क्र. सं.	नाम सहकारी समिति		पंचायत समिति
1.	ग्राम सेवा स.स.लि.	कान्दा	सुवाणा
2.	,,	सेथुरिया	,,
3.	,,	पीपाली	,,
4.	,,	खैराबाद	,,
5.	,,	बाजून्दा	आसीन्द
6.	,,	चतरापुरा	,,
7.	,,	दांतडा	,,
8.	,,	बिहाड़ा	जहाजपुर
9.	,,	ईटून्दा	,,
10.	,,	जामोली	,,
11.	,,	अमरगढ़	,,
12.	,,	सरदारशहर	बनेड़ा
13.	,,	ईटडिया	शाहपुरा
14.	,,	फूलियाकला	,,
15.	,,	बच्छखेड़ा	,,
16.	,,	नाहरी	रायपुर
17.	,,	बोराना	,,
18.	,,	सगतपुरिया	कोटड़ी
19.	,,	पारोली	,,
20.	,,	कोटड़ी	,,
21.	,,	नीमकाखेड़ा	माण्डलगढ़
22.	,,	सुरास	,,
23.	,,	बिजौलिया	,,

परिशिष्ट-2

जिन मामलों में सहकारिता अभियान के दौरान गबन के मामले प्रकाश में आये एवं जिनमें पुलिस रिपोर्ट अंकित कराई गई उसका ब्योरा निम्न प्रपत्र में अंकित है।

क्र. सं.	नाम समिति	गबन का मामला जो प्रकाश में आया मय राशि	दोषी व्यक्तियों का विवरण व राशि	पुलिस कार्यवाही का विवरण
1.	बिहाड़ा ग्रा. से. स. स. पं. सं. जहाजपुर	ऋण वसूली में अनियमितताएं रु. 30380/-	श्री शफीमोहम्मद भू.पू. व्यवस्थापक रु. 30380/-	एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है दि. 25-9-84
2.	जामोली ग्रा. से. स. स. पं. स. जहाजपुर	फर्जी ऋण राशि नामे माण्डना रसीद नहीं देना रु. 7741/-	श्री शफीमोहम्मद भू. पू. व्यवस्थापक रु. 7741/-	एफ.आई. आर. दर्ज हो चुकी है दि. 25-9-84
3.	कोटड़ी ग्रा. से. स. स. पं. स. कोटड़ी	ऋण वसूली में अनियमितताएं रु. 300/-	श्री हीरालाल व्यवस्थापक रु. 300/-	एफ. आई. आर. दर्ज हो चुकी है दि. 11-9-84
4.	सगतपुरिया ग्रा. से. स. स. पं. स. कोटड़ी	ऋण वितरण में अनियमितताऐं रुपये 2000/-	श्री गुलाबचन्द मून्दड़ा भू. पू. व्यवस्थापक रु. 2000/-	एफ. आई. आर. दर्ज हो चुकी है।
5.	सेंथुरिया ग्रा. से. स. स. पं. स. सुवाणा	ऋण वसूली में अनियमितताऐं रुपये 10000/-	श्री शंकरसिंह, भू.पू. व्यवस्थापक रु. 10000/-	एफ.आई. आर. दर्ज हो चुकी है।
6.	बिजौलिया ग्रा. से. स. स. पं. स. माण्डलगढ़	ऋण वितरण में अनियमितताऐं रुपये 80395/-	श्री भंवरलाल तेली व्यवस्थापक रु. 80395/-	एफ.आई. आर. दर्ज हो चुकी है।

नवीन डिस्पेन्सरी व अस्पताल

102. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1984-85 में अभी तक कोई नवीन डिस्पेन्सरी या अस्पताल नहीं खोले हैं और न ही उपकेन्द्रों को क्रमोन्नत किया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्यों ? यदि खोले हैं तो कृपया नवीन खुले हुए अस्पताल या डिस्पेन्सरीज की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मामला विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

समदड़ी लूनी नदी काजवे का निर्माण

103. श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार का समदड़ी लूनी नदी काजवे (रपट) के अपूर्ण निर्माण कार्य को वर्ष 1984–85 में प्राथमिकता देकर पूर्ण कराने का विचार है ? इस निर्माण कार्य हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत है तथा कितनी राशि इस पर व्यय हो चुकी है ?

(2) काजवे का कितना भाग बन चुका है तथा कितना बनना शेष है ? कितनी निर्माण सामग्री मौके पर पड़ी है ?

(3) क्या सरकार ने समदड़ी काजवे निर्माण कार्य को रेग्यूलर प्लान में ले लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्य कब शुरू होगा ?

उत्तर

(1) समदड़ी लूनी नदी पर काजवे (रपट) काय अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत हुआ है जो अधूरा है। इसे योजना में नहीं लिया गया है।

(2) इस रपट की लम्बाई 1100 मीटर है जिस पर डाऊन स्ट्रीम के 500 मीटर की दीवाल बन सकी है। बाकी कार्य अपूर्ण है। मौके पर लगभग 3000 घन मीटर पत्थर पड़ा हुआ है।

(3) जी नहीं। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही विचार किया जाना सम्भव हो हो सकेगा।

मोर चौकी (टोडारायसिंह) पर पुलिस थाना की स्थापना

104. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह क्षेत्र की 7 पंचायतें लाम्बाहरिसिंह, मालपुरा थानान्तर्गत आती हैं।

(श्री चतुर्भुज)

(2) क्या यह सही है कि इससे इस क्षेत्र की जनता को न्याय मिलने में कठिनाई होती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस समस्या के समाधान स्वरूप मोर चौकी तहसील टोडारायसिंह को थाना बनाने के लिये निवेदन किया गया था ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(3) अभी हाल ही में मोर पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो सरकार के विचाराधीन है। इस पर शीघ्र अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 79 की जांच प्रति

डॉ० रणवीरसिंह
एम. बी. बी. एस. डी. पी. एच.

कार्यालय
उप मुख्य चि०स्वा० अधिकारी (प. क.)
झुन्झुनू ।

अर्द्ध शासकीय पत्रांक/गोप/संख्या/3196-97 दिनांक 27-5-1983

विषय—मातृ शि. क. केन्द्र मण्डावा पर कार्यरत डॉ० स्वामी द्वारा मरीजों के साथ खिलवाड़ ।

आदरणीय डॉ० जैन साहब,

जो जांच मुझे दी थी वह मेरे द्वारा दिनांक 8-4-83 को मण्डावा पहुंच कर की गयी तथा जांच प्रतिवेदन भी आपको इस कार्यालय के क्रमांक गोप/संख्या/83/2544 दिनांक 18-4-83 के द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी लेकिन आपने उक्त प्रतिवेदन आपके कार्यालय के क्रमांक 686 दिनांक 3-5-83 के द्वारा वापस लौटा दी । इसकी अनुपालना में इस कार्यालय के पत्रांक 2925 दिनांक 3-5-83 के द्वारा आपको फिर से प्रस्तुत कर दी गई । इसके पश्चात् आपके पत्र क्रमांक 1591 दिनांक 25-5-83 के द्वारा पूर्ण जांच विवरण चाहने हेतु इस कार्यालय को वापस कर दिये जाने के परिणामस्वरूप मैं आपके आदेशानुसार गोलियों के बैच नम्बर एवं एक्सपायरी डेट आदि का मण्डावा के स्टाक रजिस्टर से मिलान करने हेतु दिनांक 26-5-83 को मण्डावा पहुंचा ।

जांच के दौरान यह पाया कि दिनांक 8-4-83 को एम. सी. डब्लू. सी. के कैम्पस में आइरन और फोलिक एसिड की गोलियां शिकायतकर्ताओं के द्वारा मुझे दिखाई गयीं तथा देखने पर यह ज्ञात हुआ कि गोलियां काफी मात्रा में गढ़ी हुई तथा उनमें से जो गोलियां नमूने के लिए लायी गई थीं वो जांच प्रतिवेदन के साथ आपको इस कार्यालय के पत्रांक 2925 दिनांक 3-5-83 के द्वारा भिजवादी गयीं थीं । इस बारे में डॉ. शंकरलाल स्वामी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एम. सी. डब्लू. सी. मण्डावा से दिनांक 26-5-83 को पूछने पर उन्होंने कबूल किया कि कुछ आइरन एवं फोलिक एसिड की गोलियाँ जो कि एक्सपायरी डेट की थी उनको गडवाने के लिए मैंने एल. एच. वी. से कहा था तथा शायद ये वो ही गोलियाँ हो सकती हैं । इन्होंने इस सम्बन्ध में लिखित में भी दिया है कि जो (जो कि संलग्न है) इसी प्रकार से एल. एच. वी ने भी लिखित रूप में दिया है कि डाक्टर साहब ने आयरन व फोलिक ऐसिड की गोलियां जो कि एक्सपायरी डेट की थी उनको गड़वाने के लिए कहा था (इनका भी बयान संलग्न है) ।

जांच के दौरान एम. सी. डब्लू. सी. के पुराने स्टाक रजिस्टर के पेज नं. 63 को देखने पर पाया गया कि दिनांक 2-8-78 को लास्ट बैलेन्स इस पेज पर 10500 गोलियां बतलाया गया है, तथा जहां शेष दर्शाया गया है उनके नीचे एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ है। बैलेन्स 10500 बतलाया है तथा इस बैलेन्स को अन्य जगह कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। तथा आगे कोई भी खर्चा नहीं दिखाया गया है तथा बैलेन्स निल दिखाय हुआ है। शायद हो सकता है यही गोलियां तो गढ़ी हुई पाई गई। इसके अलावा पुराने रजिस्टर के पेज नं. 64 पर अलग से उक्त गोलियों का विवरण दिखाया गया जिससे पहले वाली शेष 10500 गोलियों को जोड़ा नहीं गया है। पेज नम्बर 64 पर जो गोलियों का हिसाब है वह नये स्टाक रजिस्टर के पेज नम्बर 79 पर लाया गया है इसमें 1-4-81 को शेष कुछ भी नहीं दिखाया गया है। एम. सी डब्लू. सी. मण्डावा एवं ब्यूरो के स्टाक रजिस्टरों में में एक्सपायरी डेट एवं बैच नम्बर नहीं अंकित हुआ है क्योंकि मूल इन्डेन्ट वाऊचर पर जहां से उक्त गोलियां इस संस्था में प्राप्त हुई थी में भी एक्सपायरी डेट एवं बैच नम्बर अंकित नहीं है।

शिकायतकर्ता श्री रामप्रसाद चन्देलिया सदस्य नगरपालिका मण्डावा की धर्म पत्नि श्रीमती शीलादेवी स्वीप्रेस के पद पर एम. सी. डब्लू सी. मण्डावा में कार्यरत है तथा जांच के दौरान मुझे ऐसा भी आभास हुआ कि डाक्टर स्वामी एवं श्रीमती शीलादेवी स्वीप्रेस में कुछ मन मुटाव भी है। हो सकता है कि इसी के परिणामस्वरूप झगड़ा बढ़ता गया तथा दोनों तरफ से शिकायतें होने लगीं। श्रीमती शीलादेवी का उक्त चिकित्सक द्वारा पांच माह का वेतन भी रोक लिया गया था उपस्थिति पंजिका में उक्त स्वीप्रेस का रोजाना आने तथा जाने का समय दर्शाने लगे तथा अनुपस्थिति विवरण पत्र में भी उपस्थिति पंजिका की तरह समय दर्शाया गया जिसकी वजह से कर्मचारी का वेतन बिल पारित नहीं किया गया जा सकता था इस कार्यालय द्वारा डॉ० स्वामी को यह निर्देश दिये जाने पर कि अनुपस्थिति विवरण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर ही भेजा जावे तथा इसके द्वारा निर्धारित परिपत्र पर कर्मचारी के अनुपस्थिति विवरण पत्र भेजे गये इसके पश्चात इस कार्यालय द्वारा इनके वेतन बिल कोष कार्यालय को पारित करवा कर संस्था को भेजे गये। जांच के दिन यह देखा गया कि संस्था में पूर्ण रूप से सफाई नहीं हुई थी।

टेबुल प्रेक्टिस एवं मरीजों के साथ चिकित्सक द्वारा किये जाने वाले सलूक के सम्बन्ध में तीनों शिकायतकर्ताओं ने यह बयान दिये हैं उनसे आप कृपया स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लेवें।

मेरी राय में डॉ० शंकरलाल स्वामी एवं शीलादेवी स्वीप्रेस दोनों के ही कहीं अन्यत्र अलग अलग स्थान पर स्थानान्तरण कर दिये जावें तो उचित होगा।

ह०/-
(डॉ० रणवीरसिंह)

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के प्रपत्र की प्रति

MUNICIPAL COUNCIL, AJMER

No. M. B./287 Dated : 10-6-83

From :—

The Commissioner,
Municipal Council, Ajmer.

To :—

The Secretary,
Sudhar Sabha Medical and Health ward,
936/25, Asha Ganj, Ajmer.

Sub :—Proposed construction at Ashaganj. Ajmer.
Ref :—Your application dated 27-4-83

The undersigned vide his orders dated 18-5-83 has sanctioned the proposed construction with the following modifications :—

1. ABCD portion at ground floor is scaredout as does not belongs to you.
2. The front portion be kept open as shown in the plan and no construction to be put up.

A copy of the corrected sanctioned plan is enclosed herewith.

Sd/-V. D. Vyas.
10-6-84
Commissioner,
Municipal Council, Ajmer.

Encl : One.

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 88 की सूची

वार्षिक योजना 84-85 के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची
जिला नागौर

क्र. सं.	पंचायत समिति	सड़क का नाम	लम्बाई	लागत (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	डीडवाना	दयालपुरा से मावा (1385)	5·0	7·50
2.		खाटू रानीगांव राजकीय 2 किमी. 137/0 से 143/0 के छूटे हुए भाग का निर्माण करना	6·0	9·00
			11·0	16·50
3.	लाड़नूं	सारड़ी से गिरावाद मीठा वाया पिदारी	7·0	10·50
4.		रामधाना से रिगन वाया राड़मलरा	5·0	7·50
5.		सम्पर्क सड़क तीतरी से सिलनवार	13·0	19·50
			25·0	37·50
6.	कुचामन	कुचामन से चितावा (कुछ लम्बाई)	20·0	30·00
7.		प्रबास से पनचोटा	5·0	7·50
8.		कुचामन से रोयला सड़क वाया दलालपुरा का निर्माण कार्य (कुछ लम्बाई)	20·0	20·00
			45·0	57·50
9.	नागौर	सम्पर्क सड़क ताऊसर (3691)	5·0	7·50
10.		बुन्देल से नैनवां सड़क	6·0	9·80
11.		टांकला से भेद	11·0	16·50
			22·0	33·00

1	2	3	4	5
12.	मुंडवा	नागौर जोधपुर सड़क से बेलाया वाया चिमरानी	9·0	13·50
13.		भेद से बारायल	7·0	10·50
14.		जोधपुर मेड़ता रोड पर सनगांव की बानी से हरसोलाव तक सम्पर्क सड़क	4·0	6·00
			20.0	30·00
15.	जायल	सुधार एवं डामरीकरण जायल से, दगसताऊ, मंगलोद सोनाली, समाना देह सड़क (कुछ लम्बाई)	20·0	20·00
16.		भानराव से दुगाली सड़क वाया गोरानरेया	16·0	24·00
			36·0	44·00
17.	मकराना	राजकीय मार्ग नं: 2 पर निर्माण कार्य कि.मी. 106/0 से 114/0	9·0	13·50
18.		गच्चीपुरा से भलतावा	5·0	7·50
19.		सम्पर्क सड़क मामरोली से निम्बी वाया (864) बिल्लू (1693)	12·0	18·00
			26·0	39·00
20.	परबतसर	डागोर बादू रोड का निर्माण कार्य (4634)	12·0	12·00
21.		भेरून्दा हरसोर, परबतसर सड़क पर निर्माण कार्य (राजकीय मार्ग सं. 21)	10·0	10·00
			22·0	22·00

1	2	3	4	5
22.	डिगाना	भेरून्दा हरसोर डेगाना तरनाऊ डीडवाना लोसल राजकीय मार्ग 18 पर छूटे हुए कार्य का निर्माण	10·0	15·00
23.		सम्पर्क सड़क डिबाना सन्जूरोड से भागरवास (1950)	3·0	4·50
24.		डिगाना सन्जू सड़क से चूल (2018)	5·5	8·25
25.		डिगाना सन्जू सड़क से बरना	5·0	7·50
			23·50	35·25
26	रियान	भेरून्दा जसनगर रियान सथना, दालियाना, धमला, किशनगढ़ राजकीय मार्ग–1 पर छूटे हुए कार्य का निर्माण	20·0	30·00
27.		रियान थनावया सड़क से लाड़पुरा (1812)	4·0	6·00
			24·0	36·00
28.	मेड़ता	बोरून्दा से मूंगदादा राजकीय मार्ग–1 का निर्माण कार्य	5·0	7·50
29.		रून से मेड़ता सिटी राजकीय मार्ग–6 का निर्माण कार्य	7·0	10·50
30.		बायड़ की प्याऊ से गगराना	4·0	6·00
31		कालरू से मुक्ता	4·0	6·00
32.		गोटनगांव से तालनपुर सम्पर्क सड़क	6·0	9·00
33.		भेरून्दा सड़क से हरसोरा तक सम्पर्क सड़क (3786)	2·0	3·00
			28·0	42·00

289
[371

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 90 की सूचना

प्रपत्र "क"

पंचायत समिति रानी, देसुरी व मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 1980 से 1984 तक प्रारम्भ कराये गये राहत कार्यों में रहे/पूर्ण/अपूर्ण कार्य–परिशिष्ट (ब)

क्र. सं.	पंचायत समिति	सड़क का नाम	पूर्ण/अपूर्ण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	रानी,	1. खोड़ से जवाली सड़क	पूर्ण	
		2. रानी से मुण्डारा सड़क	अपूर्ण	
		3. खोड़ से रानी वाया नादान भाटान	अपूर्ण	
		4. रानी से मोकनपुरा सड़क	अपूर्ण	
		5. जीवनखुर्द से खारड़ा	अपूर्ण	
		6. नाड़ोल से वीजोवा	अपूर्ण	
		7. ए. आर. चाचोड़ी	पूर्ण	
		8. ए. आर. इठन्तरा मेड़तियान	पूर्ण	
		9. कोजवे रानी (सुकड़ी नदी पर)	अपूर्ण	
		10. रामासिया नाड़ोल	पूर्ण	रिपेयर वर्क्स
		11. खिवाड़ा से पाचेटिया	अपूर्ण	
		12. नाड़ोल से सोमेसर	अपूर्ण	
		13. धनला से बागोल सड़क	अपूर्ण	
		14. पाचेटिया से सोमेसर वाया इन्द्रवाड़ा	अपूर्ण	
		15. खिवाड़ा से सोमेसर वाया पिलावनी	अपूर्ण	
		16. वरकाना से दादाई	अपूर्ण	
		17. ए. आर. किरवा	अपूर्ण	
2.	देसूरी	18. जवाली से परसराम महादेव	अपूर्ण	
		19. धाणेराव से दुदापुरा	अपूर्ण	

1	2	3	4	5
		20. सादड़ी टाऊन बाई पास	अपूर्ण	
		21. बाढ़ बचाव कार्य सादड़ी	अपूर्ण	
		22. देसूरी से आना गिराली	पूर्ण	
		23. सिन्दरली से मुण्डारा	पूर्ण	
		24. बागोल से जोजावर	पूर्ण	
		25. ए. आर. डायलाना	पूर्ण	
		26. घानेराव से मुच्छाला महावीर	पूर्ण	
		27. रामासिया नाडोल	पूर्ण	रिपेयर वर्क्स
3.	मारवाड़ जंक्शन	1. माण्डा से राणावास सड़क	अपूर्ण	
		2. माण्डा से बागोलपनोता सड़क	अपूर्ण	
		3. जाडन से मारवाड़ जंक्शन	अपूर्ण	
		4. धनला से बागोल	अपूर्ण	
		5. सारण से कामुण्डा सड़क	पूर्ण	
		6. मारवाड़ जं. से वोपारो वाया चिरपटिया	अपूर्ण	
		7. इसाली से राणावास	अपूर्ण	
		8. सोजत रोड से बवान सड़क	पूर्ण	
		9. खैरवा से कामलीघाट सड़क	पूर्ण	
		10. मारवाड़ जं. से बिठुडाकल्ला	अपूर्ण	
		11. खारची रेलवे फाटक से आऊवा	अपूर्ण	
		12. राणावास से इसाली वाया झामुडा	अपूर्ण	
		13. आऊवा से कराड़ी वाया वाता	अपूर्ण	
		14. गुडा अजवाजी से वासनी	अपूर्ण	
		15. मारवाड़ जं. से हेमसियावास	अपूर्ण	
		16. मारवाड़ जं. से बागावास	अपूर्ण	
		17. गोलाई से सेखाबास सड़क	अपूर्ण	
		18. धामली से मिमालिया सड़क	अपूर्ण	

1	2	3	4	5
		19. खिवाडा से गादाणा वाया पाचेटिया आऊवा	अपूर्ण	
		20. वातावास से वांता रेलवे स्टेशन	अपूर्ण	
		21. वोरीमादा से सारण भामुडा	अपूर्ण	
		22. गेलावास से गुडा आगुडी सड़क	अपूर्ण	
		23. खेरवा से खारची सड़क	पूर्ण	
		24. निम्बोडा क्रोसिंग से पाचेटिया	अपूर्ण	
		25. गुडा केशरसिंह से गुडा मोखमसिंह	अपूर्ण	
		26. धामली से वांता रेलवे स्टेशन	अपूर्ण	
		27. सेखावास से कंटालिया	अपूर्ण	

प्रपत्र "ख"

पंचायत समिति रानी, देसुरी व मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 1980 से 1984 तक प्रारम्भ कराये गये राहत कार्य-परिशिष्ट (अ)

क्र० सं०	पंचायत समिति	सड़क का नाम
1	2	3
1.	रानी	1. खोड से जवाली
		2. रानी से मुण्डारा
		3. खोड से रानी वाया नादमामाटला
		4. रानी से मोकमपुरा
		5. जीवन खुर्द से खारडा
		6. नाडोल से वीजोवा
		7. ए. आर. चांचोड़ी
		8. ए. आर. इठन्तरा मेडतियान
		9. काजवे कार्य रानी (सुकड़ी नदी पर)
		10. रानासिया से नाडोल
		11. खीवाड़ा से पांचटिया
		12. नाडोलस से सोमेसर (पिलावनी)
		13 घनला से वागोल
		14. पाचेटिया से सोमेसर वाया (इन्दरवाडा)
		15. खीवाडा से सोमेसर वाया पिलानी
		16. बरकाना से दादाई
		17. ए. आर. कोरवा
2.	देसुरी	(अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत)
		18. जवाली से परसराम महादेव
		19. घानेराव से दुदापुरा
		20. सादड़ी टाउन बाइपास

1	2	3	4
		21. बाढ़ बचाव कार्य सादडी	
		22. देसुरी से आना वाया गिराली	
		23. गिरली से मुण्डारा	
		24. बागोल से जोजावर	
		25. ए. आर. डायलाना	
		26. घानेराव से मुच्छला महावीर	
		27. रामासिया से नाडोल	
	मारवाड़ जंक्शन	1. मुण्डा से राणावास सड़क	
		2. माडा से बागोल पनीता सड़क	
		3. जाडन से मारवाड़ जंक्शन	
		4. धनला से बागोल सड़क	
		5. सारण से झामुण्डा सड़क	
		6. इसाली से राणावास सड़क	
		7. मारवाड़ जंक्शन से व्यापारी वाया चिरपटिया	
		8. सोजत रोड से बचाव सड़क	
		9. खेरवा से कामलीघाट	
		10. मारवाड़ जंक्शन से बिठुडा कल्ला वाया भगवानपुरा सड़क	
		11. खारची रेलवे फाटक से आऊवा सड़क	
		12 राणावास से इसाली वाया झामुण्डा सड़क	
		13. आऊवा से कराड़ी वाया वाता सड़क	
		14. गुडा अजवाजी से वासनी सड़क	
		15. मारवाड़ जंक्शन से हेमसिया वास सड़क	
		16. मारवाड़ जंक्शन से बागावास सड़क	
		17. गोलाई से सेखावास सड़क	
		18. धामली से भिमालिया सड़क	

1	2	3
		19. खिवाड़ा से गादाणा वाया पाचेटिया आऊवा
		20. वांतवास से वात रेलवे स्टेशन सड़क
		21. बोरीमादा से सारण झामुडा
		22. गेलावास से गुडा आंगडी सड़क
		23. खेरवा से खारची सड़क
		24. निम्बोड़ा से क्रोसिंग से पांचेटिया सड़क
		25. गुडा केशरसिंह से गुडा मोखमसिंह सड़क
		26. वाली से वांता रेलये स्टेशन सड़क
		27. सेखावास से कंटालिया सड़क

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 91 की सूची)

प्रपत्र "अ"

भीलवाड़ा जिले में 1983–84 से किये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति रु. में	कुल व्यय मार्च, 84 तक	कुल व्यय अगस्त, 84 तक	कार्य की प्रगति का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सर्किट हाऊस भीलवाड़ा में परिवर्तन परिवर्द्धन कार्य	15,000	—	15,000	कार्य पूरा हो चुका
2	जिलाधीश कार्यालय भीलवाड़ा के सेन्ट्रल रूम के काऊन्टर का निर्माण	5,000	—	4,690	"
3.	तहसील भवन भीलवाड़ा के रेकार्ड रूम में टांड लगाने व अन्य परि० कार्य	5,000	—	5,000	"
4.	रायला में आई० यू० डी० आपरेशन थियेटर का निर्माण कार्य	24,000	—	21,000	"

1	2	3	4	5	6
5.	फूलिया कला में एक उप तहसील भवन का निर्माण कार्य	2,09,000	69,024	2,08,951	कार्य पूरा हो चुका
6.	बिजोलिया में न्यायालय भवन का निर्माण	90,000	70,718	86,769	,,
7.	पुलिस स्टेशन मान्डलगढ़ का निर्माण कार्य	3,00,000	2,72,474	2,98,106	,,
8.	शाहपुरा (भीलवाड़ा) में एक "ग" श्रेणी के राजकोष भवन का निर्माण	7,90,000	1,96,589	7,89,946	,,
9.	रा. मा. वि. बीगोद (मान्डलगढ़) में छात्रावास भवन का निर्माण	6,00,000	5,15,023	5 00,662	,,
10.	एम. एल. वी. राज. कालेज भीलवाड़ा के नाउन रेजीडेन्ट सेन्टर भवन का निर्माण	42,600	5,016	42,496	,,
11.	ग्रामरवासी सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर के मुख्य भवन का निर्माण	1,00,000	76,015	1,03,978	,,
12.	भीलवाड़ा जिले में 5 स्थानों पर चि० अधिकारी के आवास गृहों का निर्माण कार्य (कनेछ कलां, रोपा, ग्रामरवासी, बिजोलिया, पारसोली)	2,75,000	2,43,415	2,46,085	,,

1	2	3	4	5	6
13.	बिजोलिया, भीलवाड़ा में एम. जे. एम. हेतु आवास गृहों का निर्माण	67,000	48,019	66,986	कार्य पूरा हो चुका
14.	पुलिया कला में उप तहसील में आवासीय भवनों का निर्माण	2,34,600	53,863	2,32,262	,,
15.	कोटडी में विजय आवास गृह का निर्माण	41,000	36,360	40,963	,,
16.	कोटडी में कृषि अधिकारी के आवास गृह का निर्माण	41,500	40,056	40,050	,,
17.	काछोला में सहायक कृषि अधि० हेतु आवास गृहों का निर्माण	41,500	27,297	34,563	,,
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम				
18.	बरुदनी अप्रोच सड़क	8,00,000	6,77,090	8,00,190	कार्य प्रगति पर
19.	अमरवासी लुहारी कला	7,00,000	5,10,030	5,26,964	
20.	पन्डेर पारोली	10,00,000	9,83,227	10,00,220	कार्य पूर्ण
21.	बीगोद-नन्दराय	10,00,000	7,85,579	9,77,715	कार्य प्रगति पर
22.	तिलस्मा सीगोली	18,00,000	29,503	3,29,971	कार्य प्रगति पर

डिपोजिट कार्य 83–84

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (जमा राशि)	कुल व्यय 83 से मार्च	कुल व्यय 84 तक मार्च
1	2	3	4	5
1.	नये वार्ड का निर्माण कार्य म. गा. अस्पताल भीलवाड़ा	685921	681691	6,85,921
2.	नवीन गेट का ,, ,, ,, ,,	301690	281375	301690
3.	3 कमरों का ,, ,, ,, ,,	113144	91809	1,13,144
4.	बच्चों का कक्ष ,, ,, ,, ,,	29744	—	29,744
5.	काटेज वार्ड ई.एस.आई. ,, ,, ,,	10000	—	7,520
6.	होम्योपैथिक वार्ड का ,, ,, ,,	100000	—	23,974
7.	अस्पताल भवन का विस्तार कार्य शाहपुरा	583000	421003	5,13,004
8.	वार्ड का निर्माण कार्य रेफरल अस्पताल गुलाबपुरा	150000	131104	1,48,189
9.	वार्ड का निर्माण कार्य रेफरल अस्पताल गुलाबपुरा	150000	—	85,605
10.	वार्ड का निर्माण कार्य बनेड़ा	93500	33048	92967
11.	वार्ड का निर्माण कार्य मान्डलगढ़	126000	90160	1,23,495
12.	वार्ड का निर्माण कार्य मान्डलगढ़	90000	—	76,582

1	2	3	4	5
13.	अस्पताल भवन का निर्माण कार्य सलावटिया	75000	—	2,362
14.	बाउन्ड्री कार्य अस्पताल, शाहपुरा	10000	—	9,712
15.	कमरों का निर्माण कार्य गांधीनगर स्कूल भीलवाड़ा	40000	20000	40,000
16.	कमरे का निर्माण कार्य रायला स्कूल	20000	19500	20,000
17.	जिलाधीश कार्यालय में डीआरडीए कमरों का निर्माण	108945	79063	1,08,945
18.	,, ,, ,, ,, ,,	59600	—	39,015
19.	आई. टी. आई होस्टल निर्माण कार्य भीलवाड़ा	199940	93240	1,64,275
20.	,, वर्कशाप ,, ,	200000	82484	1,63,090
21.	आश्रम स्कूल लुहारी कला	426000	89603	3,91,884
22.	प्राथमिक वि० पिपलून्द	50000	50000	50,000
23.	,, ,, मांगथला	50000	29398	29,398
24.	रिपेयर्स ए. एन. एम. होस्टल भीलवाड़ा	40000	—	743
25.	गेट का कार्य कालेज भीलवाड़ा	15954	—	14,334
26.	लेब में विजली फिटिंग का कार्य भीलवाड़ा	3660	—	2,277
27.	पाइप लाइन लैब कार्य	3750	—	3,192
28.	लेब कक्ष में कार्य कालेज छात्राएं भीलवाड़ा	28900	—	25,128

1	2	3	4	5
29.	साइकिल स्टेन्ड कार्य	4000	—	—
30.	विस्तार कार्य कालेज शाहपुरा	13000	—	13,000
31.	रिपेयर्स ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी भीलवाड़ा	12999	—	11,787
32.	दीवार का कार्य ,, ,, ,,	17860	—	15886
33.	रोडवेज बाउन्ड्री का मरम्मत कार्य भीलवाड़ा	17400	—	13,575
34.	बिजली का कार्य सेटलमेन्ट आफिस भीलवाड़ा	6120	—	1,705
35.	फाउन्डेशन स्टोन कामर्स कालेज भीलवाड़ा	9700	—	9,700
36.	ड्रेनेज का कार्य बिगोद	40000	17240	36,451
37.	ट्रेक का निर्माण कार्य स्कूल शाहपुरा	53000	46327	46,327
38.	बास्केट बाल मैदान का कार्य उच्चतर हायर सैकण्डरी स्कूल भीलवाड़ा	55000	44200	45 801

नये निर्माण कार्य

जिला—भीलवाड़ा

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति रु० में	मार्च 84 खर्च	1-4-84 से 31-8-84 तक खर्च	कार्य की प्रगति का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	निर्माण कार्य उप तहसील भवन करेड़ा	2,34,600	2,15,843	—	कार्य सम्पूर्ण हो चुका
2.	निर्माण कार्य उप तहसील करेड़ा में आवासगृह	2,09,000	2,29,001	—	,, ,,
3.	निर्माण कार्य परिवार कल्याण केन्द्र आसीन्द	3,46,900	3,47,647	1677	,, ,,
4.	निर्माण कार्य परिवार कल्याण केन्द्र रायपुर	3,46,900	3,08,618	2108	,, ,,
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालेरा	60,000	19,062	34250	,, होने में है
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरला	60,000	17,553	15033	,, संपूर्ण हो चुका है
7.	ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता गृह मोजुदा	30,000	8,179	17947	कार्य सम्पूर्ण होने में है
8.	ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता गृह शिवपुर	30,000	6,326	15329	छत तक पूर्ण हुआ
9.	ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता गृह सागवा	30,000	6,242	398	,, ,,

ें किये गये कार्यों का विवरण:—

क्रम सं० 1 से 4 व 6 तक के कार्य वर्ष 1983–84 के दौरान सम्पूर्ण किये जा चुके हैं तथा क्रम सं० 5, 7 से 9 तक के कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 1984–85 में किये गये कार्यों का विवरण:—

क्रम सं० 6 का कार्य सम्पूर्ण हो चुका है तथा शेष 7 से 9 तक के कार्य छत लेवल तक पूर्ण हो चुके हैं तथा बचा हुआ कार्य इसी वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण कर दिये जावेंगे।

सड़कों की मरम्मत 1983-84

क्र०सं०	विशेष मरम्मत के कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	मार्च, 1984 तक व्यय	कार्य की प्रगति 1983-84 का विवरण
1	2	3	4	5
(अ) सड़क				
1.	उदयपुर बून्दी सड़क कि. मी. 52 से 54	3.00	0.95	कार्य प्रगति पर
2.	,, ,, ,, 54 से 56	2.60	0.20	,, ,,
3.	,, ,, ,, 56 से 58	3.00	2.85	कार्य पूर्ण हो गया
4.	,, ,, ,, 67 से 69	2.60	0.07	कार्य प्रगति पर
5.	,, ,, ,, 69 से 71	2.60	2.05	कार्य पूर्ण हो गया
6.	,, ,, ,, 66 से 67	2.60	0.03	,, ,,
7.	,, ,, ,, 49 से 51	2.60	0.56	,, ,,
8.	,, ,, ,, 47 से 49	2.60	0.16	,, ,,
9.	,, ,, ,, 64 से 66	2.60	0.03	,, ,,

1	2	3	4	5
10.	कांकरोली से केकड़ी सड़क कि. मी. 22 से 23	1.00	0.63	कार्य प्रगति पर
11.	,, ,, ,, 37 से 39	2.00	0.59	,, ,,
12.	एन. उन. सड़क कि. मी. 111 से 119	3.00	0.50	कार्य पूर्ण हो गया
13.	उदयपुर बून्दी सड़क कि. मी. 70	1.00	0.35	,, ,,
14.	माण्डलगढ़ देवली सड़क कि. मी. 45 से 46	1.20	0.14	कार्य प्रगति पर
15.	भीलवाड़ा कास्या सड़क किमी. 25	2.50	1.58	कार्य पूर्ण हो गया
16.	,, ,, ,, 47 से 49	2.60	0.72	,, ,,
17.	,, ,, ,, 51 से 53	2.60	0.06	,, ,,
18.	भीलवाड़ा कोटडी जहाजपुरा सड़क किमी. 73–74	1.00	0.96	,, ,,
19.	भीलवाड़ा कास्य सड़क किमी. 27–30	1.00	0.03	,, ,,
20.	,, ,, ,, 30–31	1.00	0.28	,, ,,
21.	त्रिवेणी सिगोली सड़क	2.75	2.71	,, ,,
भवन विशेष मरम्मत कार्य	**भीलवाड़ा**			
1.	विशेष मरम्मत कार्य जिलाधीश, भीलवाड़ा	0.25	0.25	कार्य पूर्ण हो गया
2.	वी. आई. पी. कक्ष सर्किट हाउस, भीलवाड़ा	0.32	0.32	,, ,,

1	2	3	4	5
3.	अस्पताल में सड़क मरम्मत कार्य	0.40	0.35	कार्य पूर्ण हो गया
	अस्पताल में किवाड़ा जोड़ी कार्य	0.10	0.10	,, ,,
4.	आयुर्वेदिक अस्पताल में विशेष मरम्मत कार्य	0.05	0.05	,, ,,
5.	पुलिस लाइन में दोहे के किवाड़ बदलने का कार्य	0.12	0.12	,, ,,
6.	बिजली मरम्मत कार्य सैकण्डरी स्कूल	0.02	0.02	,, ,,
7.	कन्या स्कूल गुलमण्डी में मरम्मत कार्य	0.05	0.05	,, ,,
8.	छात्र कालेज में कांच बदलने का कार्य	0.10	0.10	,, ,,
9.	होस्टल में बिजली मरम्मत का कार्य	0.10	0.05	,, ,,
10.	पुरानी तहसील भवन में बिजली का कार्य	0.05	0.05	,, ,,
11.	छत की मरम्मत का कार्य	0.07	0.07	,, ,,
12.	वर्कशाप सा०नि०वि० में गुण नियन्त्रण कक्ष के लिये मरम्मत का कार्य	0.10	0.10	,, ,,
	माण्डलगढ़ में भवनों में विशेष मरम्मत कार्य			
13.	उपजिलाधीश कार्यालय में मरम्मत कार्य	0.10	0.10	,, ,,
14.	अस्पताल भवन में मरम्मत कार्य एवं सुधार कार्य	0.20	0.10	,, ,,

1	2	3	4	5
गुलाबपुरा में विशेष मरम्मत कार्य भवन				
15.	अस्पताल भवन में विशेष मरम्मत कार्य	0.10	0.10	कार्य पूर्ण हो गया
शाहपुरा में भवन पर विशेष मरम्मत कार्य				
16.	कन्या स्कूल में डबरी को उठाने का कार्य	0.10	0 10	,, ,,
17.	एस०टी०सी० होस्टल में विशेष मरम्मत	0.20	0.20	,, ,,
18.	अस्पताल में सेपटीक टेन्क आदि की मरम्मत	0.20	0,10	,, ,,
19.	डाक बंगला में सड़क मरम्मत कार्य	0.10	0.10	,, ,,
20.	मुन्सिफ कोर्ट में मरम्मत कार्य	0.05	0.05	,, ,,
21.	कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल में सुधार कार्य	0.05	0.05	,, ,,
22.	साधारण मरम्मत पर व्यय	—	4.42	,, ,,
रिहायशी भवनों में विशेष मरम्मत कार्य भीलवाड़ा				
1.	बी टाइप आवास गृह में मरम्मत कार्य	0.10	0.10	,, ,,
2.	ई टाइप आवास गृह में मरम्मत कार्य	0.16	0.16	,, ,,
3.	फोर्थ टाइप आवास गृह में मरम्मत कार्य	0.09	0.09	,, ,,

1	2	3	4	5
शाहपुरा				
	4. उप अधीक्षक एवं सहा० अभि० आवासगृह	0.12	0.12	कार्य पूर्ण हो गया
	5. डाक्टर आवास गृह में मरम्मत कार्य	0.10	0.10	,, ,,
माण्डलगढ़				
	6. फोर्थ टाइप आवास गृह में मरम्मत कार्य	0:02	0:02	,, ,,
	7. साधारण मरम्मत पर व्यय	—	1.61	,, ,,

1984–85 में किये गये निर्माण कार्यों का विवरण—

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति रु० में	मार्च 84 तक व्यय	दि. 1-4-84 से 31-8-84 तक खर्च	कार्य की प्रगति विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	परिवर्तन व परिवर्द्धन व सुधार कार्य पी.डब्ल्यू.डी. ग्राफिस भीलवाड़ा	25,000	12,473	13043.00	कार्य पूर्ण हो चुका
2.	सर्किट हाउस भीलवाड़ा में वीआईपी कमरे का निर्माण कार्य	1,25,600	1,15,433	9693.00	कार्य प्रगति पर
3.	माण्डलगढ़, भीलवाड़ा में डाक बंगले का निर्माण	6,80,000	3,79,426 मि. 20,191 वि.	313202.00	कार्य पूर्ण हो चुका
4.	जिलाधीश कार्यालय में परिवर्तन परिवर्द्धन कार्य भीलवाड़ा	31,000	27,975	3024.00	कार्य पूर्ण हो चुका
5.	जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में एक चिकित्सक, एक स्टाफ नर्स, एलएचवी, एवं एक च.श्रे.क. हेतु ग्रावास गृह का निर्माण	2,10,000	34,044	97646.00	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
6.	बेरा में उप केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	60,000	30,464	3391.00	कार्य प्रगति पर
7.	भीलवाडा जिले में ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं के आवास गृह का निर्माण	—	—	—	
1.	सातोला का खेडा	30,000	8,162	10973.00	कार्य पूर्ण हो चुका है भुगतान शेष
2.	रासेड़	30,000	12,549	15763.00	,,
3.	शक्करगढ़	30,000	6,123	10553.00	,,
4.	बराठिया	30,000	27,372	—	,,
8.	खनि. अभियंता, बिजोलिया के लिये भवन का निर्माण कार्य	1,44,000	57,646	457.00	कार्य प्रगति पर
9.	तिलस्मा सिंगोली रोड का निर्माण कार्य (प्लान व केन्द्र प्रवर्तित योजना)	18,00,000	3,29,971	22258.00	,,
10.	अमरवासी लुहारीकला सड़क	7,00,000	5,26,964	135657.00	,,
11.	नन्दराय सड़क का निर्माण	10,00,000	9,77,715	7397.00	,,

1	2	3	4	5	6
	शाहपुरा				
10.	एनएन कोर्अ में मरम्मत कार्य	0.45	0.0	0.45	कार्य पूर्ण हो गया
11.	डांक बंगला शांहपुरा में चार दीवारी एवं अन्य मरम्मत कार्य	0.10	—	0.00	कार्य प्रगति पर है
12.	उपजिलाधीश न्यायालय में मरम्मत कार्य	0.15	—	0.10	,,
13.	साधारण मरम्मत व्यय		—	2.435	,,
	विशेष मरम्मत कार्य आवासीय भवन				
1.	जी टाइप आवास गृह में बिजली एवं अन्य मरम्मत कार्य	0.06	—	0.06	कार्य पूर्ण हो गया
2.	बिजली की मरम्मत कार्य डी एवं एफ टाइप आवास गृह	0.10	—	0.00	कार्य प्रगति पर
3.	बी टाइम आवासगृह में विविध मरम्मत	0.20	—	0.10	,,
4.	एफ टाइप आवासगृह में विविध कार्य	0.11	—	0.00	,,
5.	बी, डी एवं ई टाइप आवासगृह में विविध कार्य	0.14	—	0.10	,,

1	2	3	4	5	6
6.	साधारण मरम्मत पर व्यय	—	—	0.55	कार्य प्रगति पर
जिला भीलवाड़ा		नये निर्माण कार्य			
1.	निर्माण कार्य उपतहसील भसन करेडा	2,34,600	2,15,043	—	कार्य पूर्ण हो गया
2.	निर्माण कार्य आवासगृह	2,69,000	2,29,001	—	,,
3.	निर्माण कार्य परिवार कल्याण केन्द्र रायपुर	3,46,900	3,00,610	2108/-	,,
4.	निर्माण कार्य परिवार प्रासीन्द	3,46,900	3,47,647	1677/-	,,
5.	प्राथमिक स्वा. केन्द्र मालेरा	60,000	19,062	34250/-	कार्य पूर्ण होने में है।
6.	प्राथमिक स्वा. केन्द्र मूरला	60,000	17,553	15033	कार्य पूर्ण हो गया
7.	ग्राम विस्तार कार्यकर्तागृह मौखुन्दा	30,000	6,179	17547	कार्य पूर्ण होने में है।
8.	ग्राम विस्तार कार्यकर्तागृह शिवपुर	30,000	6,326	15329	छत तक पूर्ण हुआ
9.	ग्राम विस्तार कार्यकर्तागृह सांगवा	30,000	6,242	398	,,

वर्ष 1983–84 में किये गये कार्यों का विवरण:—

क्र.सं. 1 से 4 व 6 तक के कार्य वर्ष 1983–84 के दौरान सम्पूर्ण किये जा चुके हैं तथा क्र.सं. 5,7 से 9 तक के कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 1984–85 में किये गये कार्यों का विवरण :—

क्र.सं. 6 का कार्य सम्पूर्ण हो चुका है तथा शेष 7 से 9 तक के कार्य छत लेवल तक पूर्ण हो चुके हैं तथा बचा हुआ कार्य इसी वित्तीय वर्ष में संपूर्ण कर दिये जावेंगे।

जिला–भीलवाड़ा

मेन्टीनेन्स (मरम्मत) कार्यों का विवरण

1983–84

क्र०सं०	विशेष मरम्मत के कार्य का नाम	स्वीकृति लागत	मार्च 1984 तक खर्च	1-4-84 से 31-8-84 तक खर्च	कार्य की प्रगति का विवरण
1	2	3	4	5	6
	विशेष मरम्मत के कार्य				
1.	एस.आर.एनएनरो कि.मी. 135	0.40लाख	43505/–	—	कार्य संपूर्ण
2.	एस.आर.एनएन रोड कि.मी. 131/5-132/5	0.50 ,,	47815/–	—	,,
3.	एस.आर.एनएन रोड कि.मी. 148-149	1.00 ,,	76619/–	—	,,
4.	एस.आर.एनएन रोड कि.मी. 150	0.50 ,,	47500/–	—	,,
5.	एस.आर.के.के. रोड कि.मी. 105–106	0.50 ,,	55495/–	—	,,
6.	एस.आर.के.के. रोड कि.मी. 110–111	1.50 ,,	94740/–	—	,,
7.	एस.आर. मीमगगापुर रोड कि.मी. 15-16	2.00 ,,	25000/–	—	,,
8.	एस.आर. माण्डल देवगढ़ कि.मी. 36-38-39	3.00 ,,	25000/–	—	,,

1	2	3	4	5	6
9.	एस.ग्रार. गंगापुर एप्रौच रोड	3.00 लाख	100000/–	—	कार्य संपूर्ण
10.	एस.ग्रार. पान्सल दरीबा कि.मी. 3,4,5	1.50 ,,	100000/–	—	,,
11.	एस.ग्रार. पान्सल मेजा कि.मी. 7–10	1.00 ,,	20000/–	—	,,
जिला भीलवाड़ा					
	वर्ष 1984–85 माह सितम्बर तक				
1.	एस.आर.एन.एन. रोड कि.मी. 134	0.75 ,,	—	66057	कार्य प्रगति पर है
2.	एस.ग्रार.एन.एन.के.के. रोड़ कि.मी. 130-133/5	4.00 ,,	—	29350	,,
3.	एस.ग्रार.एन.एन. रोड कि.मी. 145	3.25 ,,	—	1,90,822	,,
4.	एस.ग्रार.के.के. रोड कि.मी. 124/0से 127/0	4.00 ,,	—	27,004	,,
5.	एस.ग्रार.के.के. रोड कि.मी. 107-114	3.25 ,,	—	0,093	,,
6.	एस.ग्रार.के.के. रोड कि.मी. 99-100	4.00 ,,	—	34,556	,,

डिपोजिट कार्य 1984–85

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (जमा राशि)	मार्च, 84 तक खर्च	1-4-84 से 31-8-84 तक का खर्च
1	2	3	4	5
1.	काटेज वार्ड ई. एस. आई. मं. गा. अस्पताल भीलवाड़ा	10,000	7,520	2,400·00
2.	होमियोपैथिक वार्ड मा. गा. ,, अस्पताल	1,00,000	23,974	54,026·00
3.	अस्पताल भवन का विस्तार कार्य शाहपुरा	5,03,000	5,13,004	55,546·00
4.	वार्ड का निर्माण कार्य रेफरल अ. गुलाबपुरा	1,50,000	85,605	50,505·00
5.	वार्ड का निर्माण कार्य ,, ,, बनेड़ा	93,500	92,967	200·00
6.	वार्ड का निर्माण कार्य ,, माण्डलगढ़	90,000	76,502	4,400·00
7.	अस्पताल भवन का निर्माण कार्य सलावटिया	75,000	2,362	35,100·00

316

1	2	3	4	5
8.	रिपेयर्स कार्य तहसील जहाजपुर	10,000	—	10,000·00
9.	,, ,, बनेडा	10,000	—	10,000·00
10.	,, ,, माण्डलगढ़	10,000	—	2,570·00
11.	निर्माण कार्य बा. वि. माण्डलगढ़	15,000	—	—
12.	,, ,, भीमगंज भीलवाड़ा	7,500	—	—
13.	अस्पताल में निर्माण कार्य बनेडा	10,000	—	700·00
14.	निर्माण कार्य प्राईमरी हैल्थ जहाजपुर	20,000	—	75·00
15.	जनरेटर कक्ष म. गा. अस्पताल भीलवाड़ा	10,000	—	5,247·00
16.	विस्तार कार्य अस्पताल गुलाबपुरा	50 000	—	5,360·00
17.	जिलाधीश का. मंडी आर. डी. ए. कमरों का निर्माण कार्य	59,600	39·015	20,505·00
18.	आई टी. आई होस्टल का निर्माण कार्य भीलवाड़ा	1,99 940	1,64,275	17,665·00
19.	आश्रम स्कूल लोहारी कला	4,26,000	3,91,004	513·00
20.	प्राथमिक वि मांगथला	50,000	29,390	7,914·00
21.	रिपेयर्स ए. एन. एम. होस्टल अस्पताल भीलवाड़ा	40,000	743	28,745·00

1	2	3	4	5
22.	लेब कक्ष में कार्य कालेज छात्रायें भीलवाड़ा	20,900	25,128	3,772 00
23.	रिपेयर्स आई. एस. आई. डिस्पेन्सरी भीलवाड़ा	12,999	11,707	12,12.00
24.	दीवार का कार्य ,, भीलवाड़ा	17,060	15,006	400,00
25.	रोडवेज बाउन्ड्री का मरम्मत कार्य भीलवाड़ा	17,400	13,574	2,201.00
26.	बिजली कार्य सेटलमेन्ट आफिस भीलवाड़ा	6,120	1,705	4,219·00
27.	ड्रेनेज कार्य बिगोद	40,000	36,451	3.549·00
28.	स्पोर्टस् काम्पलेक्स भीलवाडा	50,000	—	43,243·00
29.	कमरे का निर्माण कार्य उप मा. विद्यालय पन्डेर	17,000	—	325·00

सन् 1984–85 (रुपया लाखों में)

क्र. सं.	विशेष मरम्मत कार्य का नाम		स्वीकृत लागत	मार्च 84 तक का खर्च	1–4–84 से 31–8–84 का व्यय	कार्य की प्रगति का विवरण
1	2		3	4	5	6
सड़क विशेष मरम्मत का कार्य						
1.	उदयपुर बून्दी सड़क कि.मी.	52 से 54	3·00	0·95	2·06	कार्य प्रगति पर है
2.	,, ,, ,,	54 से 56	3·00	0 28	1·06	,, ,,
	,, ,, ,,	67 से 69	2·50	0·07	1·05	,, ,,
	कांकरोली केकड़ी सड़क कि.मी.	30 से 39	2·00	0·59	1·72	कार्य पूर्ण हो गया
5.	,, ,,	22 से 23	1·00	0·63	0·20	,, ,,
6.	एन. एन. रोड़ कि.मी.	95 से 96	4·00	—	0·06	कार्य प्रगति
7.	,, ,,	70 से 71	2·50	—	0·04	,, ,,
8.	मांडलगढ़ देवली सड़क कि.मी.	45 से 46	1·20	0 14	0·22	,, ,,

1	2		3	4	5	6
9.	भीलवाड़ा कस्बा सड़क कि.मी.	0 से 5	3·00	—	0·12	कार्य प्रगति पर
10.	,, ,,	59 से 61	2·00	—	0·03	,, ,,
11.	उदयपुर बून्दी सड़क कि.मी.	71 से 73	3·00	0·00	—	,, ,,
12.	भीलवाड़ा कस्बा सड़क कि.मी.	53 से 55	3·00	0·20	—	,, ,,
13.	,, ,,	57 से 59	3·00	0·20	—	,, ,,
14.	,, ,,	40 से 42	3·00	0·50	—	,, ,,
15.	एन. एन. सड़क पर पुलिया चौड़ी करने का कार्य		1·20	—	0·44	,, ,,
	भवनों की विशेष मरम्मत का कार्य					
	भीलवाड़ा—					
1.	महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा में छत की मरम्मत टायलेट ब्लाक एवं ज्यानरी की मरम्मत का कार्य		0·64	—	0·14	,, ,,
2.	आघो. अस्पताल में मरम्मत कार्य		0·74	—	0·74	कार्य पूर्ण हो गया
3.	कन्या स्कूल बुलपण्डी में मरम्मत कार्य		0·70	—	0·70	,, ,,
4.	कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल ,, ,,		0·70	—	0·70	,, ,,

1	2	3	4	5	6
5.	बिजली मरम्मत: कार्य कालेज: भीलवाड़ा	0·76	—	0·76	कार्य पूर्ण हो गया
6.	लेबर वैलफेयर केन्द्र में बिजली एवं ज्यानरी मरम्मत का कार्य	0·07	—	0·07	,, ,,
7.	जिलाधीश कार्यालय में चारदीवारी टायलेट ब्लाक एवं स्टेयकेस मरम्मत	0·12	—	0·12	,, ,,
8.	पुलिस लाइन भीलवाड़ा में छत, बिजली एवं अन्य मरम्मत कार्य	0·13	—	0·12	कार्य प्रगति पर है
9.	पुलिस लाइन आवासीय गृह में मरम्मत का कार्य	0·07	—	0·04	,, ,,

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 92 की सूची

जयपुर जिले की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की सूची

क्र. सं.	नाम चुनाव क्षेत्र	सन् 1980 से की गई नई सड़कों के नाम
1	2	3
1.	फुलेरा क्षेत्र	1. वागावास से इटावा वाया लालसर सड़क
		2. बधाल से इटावा सड़क
		3. अप्रोच सड़क मण्डा भीम
		4. अप्रोच सड़क भादवा वाया भैसलाना
2.	दूदू क्षेत्र	1. अप्रोच सड़क भाग
		2. निमडा से पालडी सड़क (एक हिस्सा)
		3. रूपनगढ़ मरवा विचून सड़क
3.	फागी क्षेत्र	1. अप्रोच सड़क लदाना
		2. हरसुलिया से पीपला सड़क
		3. निमडा से पालडी सड़क (एक हिस्सा)
		4. अप्रोच सड़क पहाडिया वाया मोहब्बतपुरा सड़क
4.	चौमू क्षेत्र	1. अप्रोच सड़क सिंगोद खुर्द
		2. तिगरिया से घनोता सड़क
		3. मिसिंग लिंक कालाडोरा से हस्तेडा
5.	आमेर क्षेत्र	1. टीमपुरा टथोडी से दौलतपुरा सड़क
		2. कुण्डा नटाटा सायवाड सड़क
6.	जमवारामगढ़ क्षेत्र	1. नकटी घाटी से नायला सड़क
		2. रामगढ़ से रायसर सड़क
		3. मनोहरपुरा से खोरा लाडखानी सड़क
7.	विराटनगर क्षेत्र	1. शाहपुरा से देवन सड़क
		2. तेवरी से विराटनगर सड़क
		3. अप्रोच सड़क भैसलाना रघुनाथपुरा चौकी

1	2	3
8.	कोटपूतली क्षेत्र	1. गोवर्धनपुरा से राजनोता सड़क
		2. अप्रोच सड़क राजनोता मण्डा वाया नागल पंडितपुरा
		3. बडनगर से जयसिंहपुरा सड़क
		4. अप्रोच सड़क दांतिल

———

1.	बस्सी	1. सम्पर्क सड़क सांभरिया
2.	चाकसू	1. चन्दलाई से तितरिया
3.	जयपुर	1. खोरा बिसल से निवारू
		2. सम्पर्क सड़क मुन्डोता
4.	सांगानेर	1. सम्पर्क सड़क देहमी कलां
		2. सम्पर्क सड़क नेवटा
5.	बांदीकुई	1. कुन्डल से गुढा कटला
		2. अनन्तवाडा से नान्देरा
6.	दौसा	1. मांखरी से कुन्डल
		2. आलूदा से पापडदा
		3. पापडदा से खवा

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 93 का विवरण

क्र. सं	वर्ष	नाम ग्राम	उद्योग का नाम प्रस्तावित	संख्या	स्वीकृत उद्योग का नाम	संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	79-80	काप्रेन	—	1	बांस-टोकरी	15
2.	,,	खेडियामान	—	1	आटा चक्की	1
3.	80-81	रडी	कशीदाकारी	1	—	—
4.	,,	काप्रेन	कशीदाकारी	1	—	—
5.	81-82	के० पाटन	बांस टोकरी	3	बांस टोकरी	1
6.	,,	,,	खाद्य तेल	1	चर्म उद्योग	1
7.	,,	,,	आटा चक्की	3		
8.	,,	,,	स्टील फर्नीचर	1		
9.	,,	,,	पीवीसी टेप निवार	1		
10.	,,	,,	ईंट उद्योग	1		
11.	,,	,,	चूना उद्योग	1		
12.	,,	अरड़ाना	कशीदाकारी	1		
13.	,,	घाट का बराना	कशीदाकारी	1		
14.	,,	बाछुंडली	कशीदाकारी	2		
15.	,,	कवंरपुरा	कशीदाकारी	1		
16.	,,	कोठडी	रेडीमेड गारमेंट्स	1		
17.	,,	छप्पनपुरा	रेडीमेड गारमेंट्स	1	रेडी गारमेंट्स	
18.	,,	खरायता	देशी जूती	1		
19.	,,	वहीचा	साइकिल मरम्मत	1		
20.	,,	,,	जूतीया तैयारी	1		

1	2	3	4	5	6	7
21.	81/82	चहीचा	वेलडींग कार्य	1		
22.	,,	ढगारिया	रेडीमेड गारमेंट्स	2		
23.	,,	मायजा	आटा पिसाई	1		
24.	,,	काप्रेन			चर्म रंगाई व जूती	5
25.	,,	,,			बांस टोकरी	1
26.	,,	गैण्डोली			चर्म रंगाई	1
27.	,,	लाखेरी			चर्म रंगाई	1
28.	,,	झालीजी का बराना			गानी हल	1
29.	,,	,,			चर्म जूती	1
30.	,,	पीपल्दा			बांस टोकरी	2
31.	82-83	के० पाटन	बांस टोकरी	2	बांस टोकरी	2
32.	,,	,,	वाशिंग सोप		रेडी गारमेंट्स	1
33.	,,	,,	मोमबत्ती	1		
34.	,,	,,	दियासलाई	1		
35.	,,	,,	आटा चक्की	1		
36.	,,	,,	चर्म जूती	3		
37.	,,	झालीजी का बराना	आटा चक्की	1		
38.	,,	,,	लकड़ी चिराई	1		
39.	,,	रेबारपुरा	सिलाई कार्य	1	सिलाई कार्य	1
40.	,,	बुढिया	आटा चक्की	1		
41.	,,	नाडी			देशी जूतियां	2
42.	,,	मीया			चर्म जूती	1
43.	,	लेसरदा			जूतियां	3
44.	,,	लाखेरी			सिलाई कार्य	1
45.	,,	गैण्डोली			जूतियां	2
46.	,,	मायजा			जूतियां	1
47.	,,	उतराणा			रेडीमेड गारमेंट्स	5

1	2	3	4	5	6	7
48.	82/83	रघुनाथपुरा			रेडीमेड गारमेंट्स	1
49.	,,	करवाला			,,	2
50.	,,	हालीहेड़ा			,,	3
51.	,,	डागरिया			,,	2
52.A	,,	छप्पनपुरा			,,	1
52.B	,,	खरायता क			लकड़ी कार्य	1
53.	83-84	के० पाटन	स्टील फर्नीचर	3	आटा चक्की	1
54.	,,	,,			रेडीमेड गारमेंट्स	1
55.	,,	लवान	मसाला पिसाई	1		
56.	,,	,,	आटा चक्की	1		
57.	,,	,,	स्टील फर्नीचर	1		
58.	,,	ईश्वर नगर	आटा चक्की	1		
59.	,,	,,	कशीदाकारी	1		
60.	,,	सुमेरगंज मण्डी	ईंट उद्योग	1	लकड़ी कार्य	1
61.	,,	,,	चूना उद्योग	1	रेडीमेड गारमेंट्स	4
62.	,,	मायजा	लकडी चिराई	1	बांस टोकरी	1
63.	,,	झालीजी का बराना	लकडी चिराई	2		
64.	,,	,,	वाशिंग सोप	1		
65.	,,	करवाला	कशीदाकारी	6	रेडीमेड गारमेंट्स	4
66.	,,	कालीतलाई	आटा चक्की	1		
67.	,,	रेबारपुरा	आटा चक्की	1		
68.	,,	सखवादा	आटा चक्की	1		
69.	,,	,,	रेडीमेड गारमेंट्स	4		
70.	,,	खेडा	आटा चक्की	1		
71.	,,	नवलपुरा	आटा चक्की	1		
72.	,,	चरडाना	आटा चक्की	1		
73.	,,	देईखेडा			रेडीमेड गारमेंट्स	1
74.	,,	मोहनपुरा			देशी जूती	9
75.	,,	बोरदामाल			रेडीमेड गारमेंट्स	1
76.	,,	उतराना			आटा चक्की	1
				69		85

(ह०) जिलाधीश, बून्दी

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 97 की सूची

पंचायत समितियों के नाम की सूची जिनमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लगाने का निर्णय लिया है।

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	जिला
1	2	3
1.	नोखा	बीकानेर
2.	बीकानेर	,,
3.	सरदारशहर	चूरू
4.	राजगढ़	,,
5.	सुजानगढ़	,,
6.	रायसिंह नगर	श्री गंगानगर
7.	श्री गंगानगर	,,
8.	हनुमानगढ़	,,
9.	नोहर	,,
10	भादरा	,,
11.	उमरैन	अलवर
12.	लक्ष्मणगढ़	,,
13.	तिजारा	,,
14.	कठूमर	,,
15.	मुण्डावर	,,
16.	बांसूर	,,
17.	थानागाजी	,,
18.	नगरपहाड़ी	भरतपुर
19.	कामा	,,
20.	बैर	,,

1	2	3
21.	बयाना	भरतपुर
22.	रूपवास	,,
23.	वस्सी	जयपुर
24.	बांदीकुई	,,
25.	दूदू	,,
25.	गोविन्दगढ़	,,
27.	आमेर	,,
28.	जमवारामगढ़	,,
29.	लालसोट	,,
30.	कोटपुतली	,,
31.	दौसा	,,
32.	झुन्झूनूं	झुन्झूनूं
33.	बुहाना	,,
34.	खेतड़ी	,,
35.	उदयपुरवाटी	,,
36.	धोद	सीकर
37.	दांतारामगढ़	,,
38.	खण्डेला	,,
39.	नीमकाथाना	,,
40.	हिन्डौन	सवाईमाधोपुर
41.	करौली	,,
42.	सपोटरा	,,
43.	टोडाभीम	,,
44.	सवाईमाधोपुर	,,
45.	टौंक	टौंक
46.	निवाई	,,
47.	देवली	,,

1	2	3
48.	जैसलमेर	जैसलमेर
49.	सम	,,
50.	पीसांगन	अजमेर
51.	जवाजा	,,
52.	मसूदा	,,
53.	भिनाय	,,
54.	झालरापाटन	झालावाड़
55.	डग	,,
56.	मनोहरथाना	,,
57.	बालोतर	बाड़मेर
58.	घोरीमन्ना	,,
59.	चोहटन	,,
60.	बाड़मेर	,,
61.	तालेड़ा	बून्दी
62.	केशोरायपाटन	,,
63.	अन्ता	कोटा
64.	अटरू	,,
65.	चेचट	कोटा
66.	सांगोद	,,
67.	सुलतानपुर	,,
68.	इटावा	,,
69.	आहोर	जालौर
70.	सायला	जालौर
71.	सांचौर	,,
72.	ओसियां	जोधपुर
73.	बिलाडा	,,
74.	भोपालगढ़	,,

1	2	3
75.	लूणी	जोधपुर
76.	पिण्डवाड़ा	सिरोही
77.	सिरोही	,,
78.	डीडवाना	नागौर
79.	कुचामन	,,
80.	नागौर	,,
81.	परबतसर	,,
82.	जायल	,,
83.	डेगाना	,,
84.	बाली	पाली
85.	खारची	,,
86.	रानीस्टेशन	,,
87.	जैतारण	,,
88.	सोजत	,,
89.	मांडलगढ़	भीलवाडा
90.	शाहपुरा	,,
91.	सुवाना	,,
92.	माण्डल	,,
93.	आसिन्द	,,
94.	जहाजपुर	,,
95.	बेगू	चित्तोड़गढ़
96.	चित्तोड़गढ़	,,
97.	राश्मी	,,
98.	प्रतापगढ़	,,
99.	निम्बाहेड़ा	,,
100.	मदेसर	,,
101.	धौलपुर	धौलपुर

1	2	3
102.	राजाखेड़ा	घौलपुर
103.	गढ़ी	बांसवाडा
104.	बागीडांरा	,,
105.	घाटोल	,,
106.	बांसवाड़ा	,,
107.	सीमलवाड़ा	डूंगरपुर
108.	बिछीवाड़ा	,,
109.	आसपुर	,,
110.	राजसमन्द	उदयपुर
111.	कुम्भलगढ़	,,
112.	खमनोर	,,
113.	मावली	,,
114.	भिण्डर	,,
115.	झाड़ोल	,,
116.	खैरवाड़ा	,,
117.	सलूम्बर	,,
118.	भीम	,,

261

331

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 100 का ब्यौरा

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियों का ब्यौरा

वर्ष	नसबन्दी लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लूप प्रविष्ठि लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	परम्परागत उपयोगकर्ता	गर्भ निरोधक उपलब्धि	प्रतिशत	मुख सेवन गोलियों की उपयोककर्ता लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1980-81	134000	100541	75.0	35100	18110	51.6	104600	91536	87.5	23680	2248	9.5
1981-82	134000	142058	106.0	35100	18517	52.75	104600	68745	65.72	23600	1832	7.76
1982-83	215000	167096	77.7	65000	21093	32.5	116000	66531	57.4	24000	1260	5.3
1983-84	294000	184357	62.7	85000	35901	42.2	84000	105101	125.2	35000	4079	11.7

समस्त परिवार कल्याण उपयोगकर्ता

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1980-81	297300	212435	71.5
1981-82	297300	231152	77.75
1982-83	420000	255980	60.9
1983-84	498000	329439	66.2

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूचियां

कार्यकारिणी की सूची

1.	डा० ज्ञानेश चन्द्र जी शुक्ला	परामर्शदाता
2.	श्री नाना लाल जी मुखिया	अध्यक्ष
3.	,, फिरोज खां पठान	उपाध्यक्ष
4.	,, शांलती चन्द्र बाबेल	मन्त्री
5.	,, बाल कृष्ण जी सुथार	उप मन्त्री
6.	,, माधव लाल जी मेहता	कोषाध्यक्ष
7.	;, रतन लाल जी वर्मा	उप कोषाध्यक्ष
8.	,, मांगी लाल जी डांगी	सदस्य
9.	,, सन्तोष लाल जी व्यास	,,
10.	,, सुजान मल जी मेहता	,,
11.	,, पारस मल जी कोठारी	,,
12.	,, शान्ति लाल जी कोठारी	,,
13.	,, फखरूद्दीनजी बोहरा	,,
14.	,, इलियाज खां जी पठान	,,
15.	, दौलत सिंह जी बाबेल	,,
16.	,, परशुराम जी स्वर्णकार	,,
17.	,, रतन लाल जी कावरा	,,
18.	,, शान्ति लाल जी दाणी	,,
19.	,, फतेह राम जी चौधरी	,,
20.	,, भंवर लाल जी तम्बोली	,,
21.	,, गोपाल राम जी राजपूत	,,
22.	,, भाग चन्द जी व्यास	,,
23.	,, मणि शंकर जी व्यास	,,
24.	,, हीरा लाल जी भेजी	,,
25.	,, घासी जी रेगर	,,
26.	,. लालू जी मेगवाल	,,
27.	,, गणेश लाल जी दरजी	,,
28.	,, लक्ष्मी कान्त जी व्यास	संयोजक

दानदाताओं एवं संस्थाओं की सूची

1.	राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री कोष से	25,000-00
2.	लोक कला मण्डल, उदयपुर	7,625-00
3.	श्री नारायण दत्त जी व्यास	50,001-00
4.	,, अमृत भाई मेहता	50,001-00
5.	श्रीमति चीमनी बाई	2,000-00
6.	,, मोहन बाई	1,501-00
7.	श्री हाजी मु. इस्मायल जी	1,552-00
8.	,, रावत सा. कर्नसिंह जी	1,000-00
9.	,, परशुराम स्वर्णकार	1,501-00
10.	,, विजय सिंह जी पोखरणा	1,001-00
11.	,, मोहन लाल हीरा लाल जावदा	1,001-00
12.	,, मांगी लाल जी पोखारणा	1,001-00
13.	,, फतेह राम जी चौधरी	1,001-00
14.	,, नरेन्द्र कुमार जी महेन्द्र कुमार जी मानावत	3,000-00
15.	,, ललित कुमार जी जासेली	1,001-00
16.	,, पी.एस.लूकंड चेरिटेबल ट्रस्ट बम्बई	2,000-00
17	,, मेग राज जी दक	2,001-00
18.	,, शान्ति लाल जी बाबेल	1,001-00

परिशिष्ट 15

सूची "क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूचियां

क्र. सं.	नाम थाना	डकैती	लूट	कतल	नकबजनी	सरका मवेशी	सरका सादा	बलात्कार	बलवा	दीगर	विभिन्न एक्ट	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कोतवाली झालावाड़	–	–	2	11	3	8	1	5	38	8	76
2.	झालरापाटन	–	–	2	6	2	5	–	4	27	1	47
3.	बकासी	–	1	–	6	3	1	–	4	37	1	53
4.	असनावर	–	1	1	5	1	1	1	4	2	2	17
5.	रायपुर	–	–	–	2	1	2	–	6	11	–	22
6.	पिड़ावा	–	–	–	3	2	2	3	4	22	3	39
7.	सरोलाकलां	–	2	–	3	–	–	–	6	13	–	24
8.	मालता	–	2	–	3	–	–	3	11	26	–	45
9.	जावर	–	6	–	3	3	2	1	13	30	–	58
10.	खानपुर	–	–	–	10	2	4	–	13	39	2	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	अकलेरा	–	2	1	5	3	3	–	14	29	3	60
12.	मनोहर	–	2	2	9	3	–	4	22	25	–	67
13.	डग	–	4	–	–	3	2	–	8	13	3	33
14.	भवानीमण्डी	–	3	1	6	–	16	1	10	38	6	81
15.	सुनेल	–	3	4	4	–	–	–	10	30	1	51
16.	गंगधार	–	1	–	9	2	10	–	4	25	5	56
17.	पगारिया	–	–	–	2	1	3	–	6	12	–	24
योग		–	27	9	87	29	62	14	143	417	35	823

कुल आई. पी. सी. –788
कुल एक्ट – 35

योग 823

सूची "ख"

वर्तमान पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल में पंजिकृत अभियोगों के निस्तारण की सूची ।

क्र. सं.	अपराध	वर्तमान पु. अ. के कार्यकाल में पंजिकृत अभियोग	अंतिमप्रति.	चालान	पेंडिंग अनुसंधान
1	2	3	4	5	6
1.	डकैती	—	—	—	—
2.	हत्या	9	3	1	5
3.	लूट	27	10	5	12
4.	नकबजनी	87	45	10	32
5.	चोरी	91	37	33	21
6.	बलात्कार	14	3	8	3
7.	बलवा	143	48	47	48
8.	ता. हि. के विभिन्न अभियोग	417	97	196	124
9.	विभिन्न लोकल एक्ट के अन्तर्गत अभियोग	35	4	20	11
	योग	823	247	320	256

सूची "ग"

–: फहरिश्त गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान, जिला झालावाड़ :–

क्र.सं.	नाम थाना	जुर्म धारा	नाम मुल्जिमान ।
1	2	3	4
1.	कोतवाली झालावाड़ ।	54/84, 13 आर. जी ओ. एक्ट ।	रामगोपाल पुत्र गुलाबचन्द ।
2.	59/84	59/84,147,332, 353 ता०हि० ।	सलीम पुत्र लालमोहम्मद, विक्टोर पुत्र फरितुना, रामप्रसाद पुत्र काना गूजर,दोमलिक पुत्र अन्दू, हरमन पुत्र बोदिक, बूड्डू पुत्र अम्बल ईसाई ।
	,,	60/84,451,330 ता०हि० ।	भागचन्द पुत्र चम्पा भील ।
	,,	61/84,451,323 ता०हि० ।	प्रेम पुत्र देवीलाल, हरीश पुत्र कन्हैयालाल
	,,	62/84,451,323 ता०हि० ।	मुकन्दसिंह पुत्र हरी सिंह, गोरधन पुत्र अमर सिंह, धमेन्द्र सिंह पुत्र मुकन्दसिंह
		63/84,447,323 ता०हि० ।	नसीम आलम, पुत्र मुमताज आलम, सलीम आलम पुत्र मुमताज आलम, नौसाद आलम पुत्र मुमताज आलम
	,,	65/84,13 आर. जी.ओ. एक्ट ।	शरीफ खां पुत्र शेर मोहम्मद,

1	2	3	4
	59/84	67/84,147,307 ता०हि० ।	मांगीलाल पुत्र नाथाराम, कालू पुत्र नानूराम; बालाराम पुत्र नानूराम, छीतर पुत्र मन्नालाल, मदन पुत्र मन्नालाल, गणेश पुत्र चम्पालाल, नन्दकिशोर पुत्र गणेश, गोपाल पुत्र दोला, मथुरालाल पुत्र मन्नालाल ।
	,,	70/84,13 आर. जी.ओ. एक्ट ।	लालचन्द पुत्र लटूर, अमर लाल पुत्र नन्दा रेगर, ओम प्रकाश पुत्र सूरजमल ।
	,,	71/84,16/54 एक्साईज एक्ट ।	अब्दुल हमीद पुत्र बाबूखां ।
	,,	72/84,147,447 ता०हि० ।	भंवरलाल पुत्र माधो, रामप्रताप पुत्र भंवर लाल, मोहन पुत्र भंवरलाल ।
	73/84,	73/84,376,511 आई.पी.सी.	बालाराम, पुत्र देवाजी, किशना पुत्र रूपा ।
	,,	74/84,379 ता०हि० ।	सूर्यप्रकाश पुत्र गोरीशंकर, राजेन्द्र पुत्र अम्बिका प्रसाद, ।
	,,	76/84,307 ता०हि० ।	वहिद बेग पुत्र उमराव बेग, आबिद बेग पुत्र उमराव बेग ।
	,,	77/84,307 ता०हि० ।	अजीज पुत्र कालू, महमूद पुत्र यूसुफ ।
	,,	78/84,353,332 ता०हि० ।	राधेश्याम पुत्र बद्रीलाल, सुनील पुत्र श्रवणलाल ।
	,,	80/84,341,323 ता०हि० ।	सुरेन्द्र प्रकाश, हर्षवर्धन, शीलवर्धन ।

1	2	3	4
	कोतवाली झालावाड़	82/84,379,406 ता०हि०	अब्दुल कलाम ।
	,,	85/84,279 ता०हि०	सुल्तान खां ।
	,,	88/84,307 ता०हि०	प्रकाश चन्द्र, राजेन्द्र सिंह
	,,	89/84,307 ता०हि०	अनवर हुसैन ।
	,,	91/84,13 जुआ एक्ट	हलीम मोहम्मद ।
	,,	92/84,379,511 ता०हि०	राजू ।
		93/84,13 जुआ एक्ट	कैलाश ।
	,,	94/84,379 ता०हि०	मांगीलाल, मदन लाल ।
	,,	97/84,379 ता०हि०	जीत मल ।
	,,	98/84,147,341 ता०हि०	हेमा, अम्बा, देवलाल, घासी, रतन ।
	,,	100/84,353,332 ता०हि०	ऋषि ।
	,,	101/84,279,337 ता०हि०	गोरीलाल ।
	,,	103/84,4/9 ता०हि०	गोविन्दराम ।

1	2	3	4
	कोतवाली झालावाड़	106/84,451,323 ता०हि०	मुसम्मात उमा ।
	,,	112/84,325,323 ता०हि०	किशना ।
	,,	114/84,00,354 ता०हि०	हजारी ।
	,,	115/84,13 जूआ एक्ट	राजेन्द्र कुमार ।
	,,	117/84,457,380 ता०हि०	जगदीश, धन्नालाल ।
	,,	119/84,448,323 ता०हि०	करण, मुसम्मात शान्ति ।
	,,	122/84,341,323 ता०हि०	दौखा बाई, सुगन बाई ।
	,,	123/84,379 ता०हि०	मदन
	,,	124/84,307 ता०हि०	राजू
	झालरा पाटन ।	41/84,279,337 ता०हि०	अमर सेन ।
	,,	44/84,341,323 ता०हि०	दुर्गादान ।
	,,	48/84,147,341 ता०हि०	मालाराम, रमजान, कालू, धन्ना, मदन ।
	,,	47/84,452,323 ता०हि०	कृष्णकान्त ।

1	2	3	4
	झालरा पाटन	50/84,279,337 ता०हि०	इन्साफ ।
	,,	52/84,354,341 ता०हि०	मकबूर, श्रीमति जुबेदा, मुस० फरीदा ।
	,,	53/84,457,380 ता०हि०	रामकिशन, नारायण ।
	,,	57/84,354 ता०हि०	अमरलाल एस.सी. ।
	,,	58/84,302 ता०हि०	सुजान, रतन, कनीराम, बजरंगलाल गोपी, भंवरलाल, प्रभुलाल देबीया
	,,	65/84,147,323 ता०हि०	मदनसिंह, जूझार, भेरूसिंह, दरियावसिंह, मंगलसिंह केसू, ।
	,,	66/84,379 ता०हि०	बाबूलाल ।
	,,	68/84,324 ता०हि०	हफीज, ।
	,,	69/84,324 ता०हि०	लालचन्द ।
	,,	70/84,325,323 ता०हि०	भेरूलाल, रतीराम, घनश्याम, राधेश्याम ।
	,,	74/84,326,323 ता०हि०	लालचन्द ।
	,,	78/84,279 ता०हि	बृजकिशोर ।
	,,	79/84,324 ता०हि०	रमेशचन्द्र ।

1	2	3	4
	,,	84/84,452 ता०हि०	बाबू ।
3.	बकानी	37/84,147,323 ता०हि०	नाथू, भमरा, नानूराम, बापू, मूलचन्द, कालू ।
	,,	38/84,379 ता०हि०	कनीराम, पूरा ।
	,,	39/84,324 ता०हि०	बाला गूजर ।
	,,	40/84,341,323 ता०हि०	कालू, रामप्रसाद, मांगीलाल ।
	,,	43/84,457,380 ता०हि०	मदनलाल, पूरनचन्द ।
	,,	44/84,324,323 ता०हि०	हरलाल, गंगा, भंवरलाल ।
	,,	48/84,325 ता०हि०	केशर, तवंर राज ।
	,,	49/84,341,342 ता०हि०	कन्हैयालाल, रमेश, बद्रीलाल ।
	,,	50/84,447,427 ता०हि०	रामसिंह, लोघा ।
	,,	51/84,324,323 ता०हि०	रामप्रसाद, नारायण, ढूलीचन्द ।
	,,	52/84,447,427 ता०हि०	शंकरलाल, कुल्मी ।
	,,	53/84,447,427 ता०हि०	ओंकार, रामचन्द्र, पूनमचन्द, बापू ।
	,,	54/84,325 ता०हि०	मांगीलाल ।

1	2	3	4
	बकानी	55/84,324,323 ता०हि०	कंवरलाल, शान्ति ।
	,,	56/84,13 जुआ एक्ट ।	बाबूलाल ।
	,,	57/84,457 ता०हि०	बद्रीलाल ।
	,,	58/84,452,504 ता०हि०	बनेसिह ।
	,,	61/84,454 ता०हि०	बजराज सिह ।
	,,	62/84,457,780 ता०हि०	प्रभुलाल, बापूलाल, भंवर लाल ।
	,,	63/84,325 ता०हि०	जगन्नाथ, अमरा ।
	,,	64/84,324 ता०हि०	मदन लाल, मनोहर सिंह ।
	,,	67/84,324 ता०हि०	मांगीलाल, लोधा ।
	,,	68/84,324,341 ता०हि०	गोरधन ।
	,,	69/84,354,509 ता०हि०	राधेश्याम ।
	,,	70/84,324,323 ता०हि०	गोरू, बापू, रोडू, मदनलाल ।
	,,	71/84,354,341 ता०हि०	भंवर लाल ।

1	2	3	4
	बकानी	73/84,322,353 ता॰हि॰	परमानन्द, मूरलीधर, प्रदीप
	,,	74/84,324,323 ता॰हि॰	रामा, रोडू, जगन्नाथ ।
	,,	75/84,324,323 ता॰हि॰	कंवरलाल, लालिया ।
	,,	76/84,406 ता॰हि॰	किशनलाल, अमरीबाई ।
	,,	77/84,324,323 ता॰हि॰	नन्दकिशोर, कल्याण ।
	,,	78/84,324,323 ता॰हि॰	बरदा, शिव, सिग्गा ।
	,,	79/84,363,366 ता॰हि॰	कंवरलाल ।
	,,	80/84,325,323 ता॰हि॰	किशनलाल, घनश्याम ।
	,,	81/84,324,323 ता॰हि॰	शिवसिंह, रामलाल, सूजान ।
	,,	82/84,447,147 ता॰हि॰	गोरू, भागीरथ, रामप्रसाद, सीताराम, बल्लभ ।
	,,	86/84,447,427 ता॰हि॰	धन्ना, प्रभूलाल, मांगीलाल ।
	,,	87/84,324,323 ता॰हि॰	प्रतापसिंह, सूजान, केशर, देवजी, लालिया मांगीलाल ।
	,,	88/84,354 ता॰हि॰	तवंर सिंह ।

1	2	3	4
	वकानी	89/84,325,323 ता०हि०	तवंरसिंह, कालू, दाडम, रूपसिंह ।
4.	ऊसनावर	38/84,307 ता०हि०	अमृतलाल, राजमल, लालचन्द ।
	,,	39/84,457,380 ता०हि०	रणजीत, देवा ।
	,,	42/84,13 जूआ एक्ट	कालू ।
	,,	43/84,147,325 ता०हि०	गेन्दीलाल, लालचन्द, कन्हैयालाल, नारायण, देवकरण, ताराचन्द, हरीराम, मन्नू, नूरा, बृजमोहन ।
	,,	45/84,379 ता०हि०	भैरू, रामप्रसाद ।
	,,	47/84,279,337 ता०हि०	हिम्मत सिंह, जवान सिंह ।
	,,	49/84,147,148 ता०हि०	शिवचन्द, किशोर, कल्याण, छीतर, लालचन्द ।
	,,	51/84,376 ता०हि०	गुमान सिंह ।
	,,	52/84,379,441 ता०हि०	हरीराम, तुलसीराम, रसीद ।
5.	रामपुर	24/84,380 ता०हि०	बाबूलाल ।
	,,	25/84,380 ता०हि०	गणेश, मनोहर ।
	,,	26/84,147,447 ता०हि०	भैरू, बाबूलाल, धौलाजी, दुर्गालाल, दलपत, मोती, नानूराम, मनोहर, मांगीलाल, भैरू, बाबू नन्दा, लक्ष्मण ।

1	2	3	4
	रायपुर	28/84,307 ता०हि०	देवीलाल, मोहन लाल।
	,,	29/84,341,324 ता०हि०	भवानीशंकर, देवीलाल, विष्णु प्रसाद, भागीरथ।
	,,	30/84 147,324 ता०हि०	बाबूलाल राधेश्याम चन्द्रलाल शंकरलाल, दिनेश कुमार गणपत।
	,,	31/84 4/16 लेबरएक्ट	पूरीलाल, रामलाल मेरूलाल।
	,,	147.148,427 ता०हि०	प्रभूलाल, भारमल।
	,,	32/84,379,341 ता०हि०	बनेसिंह।
	,,	33/84,147,336 427,504,506 ता०हि०	रामलाल, हरीसिंह, कन्हैयालाल, सरदारसिंह, शिवसिंह, इन्द्रसिंह, फतेहसिंह, कालूसिंह, हीरसिंह, कालूसिंह, भवानी, सिंह।
	,,	36/84 452 323 ता०हि०	दूलेसिंह, गोपालसिंह, नन्दसिंह मदन सिंह।
	,,	41/84 427,447, 336, ता०हि०।	मांगीलाल।
	,,	43/84 354 ता०हि०	पूरीलाल बीरमा।
6.	पिड़ावा	22/84,147,452 ता०हि०	अब्दुलहमीद, गनीखां, अब्दुलअजीज, कालू, बजिरखाँ।
	,,	26/84,343,323 ता०हि०	रामनाथ, बाबूलाल, बिशनलाल।

1	2	3	4
	पिड़ावा	28/84,366,379 ता०हि०	बालाराम ।
	,,	32/84,376,342 ता0 हि0	पूरसिंह, कालूसिंह ।
	,,	34/84,447 ता0 हि0	बिरधीलाल ।
	,,	35/84,448,323 ता0 हि0	साजिद ।
	,,	38/84,447,323 ता0 हि0	बापू, भगवानसिंह, गिरधारी ।
	,,	39/84,447 ता0 हि0	रामकिशन मीणा ।
	,,	40/84,447,147 ता0 हि0	मांगीलाल, सज्जनसिंह, पूरसिंह, इन्द्रसिंह, बापू चमार ।
	,,	41/84,457,380 ता0 हि0	प्यारा माली ।
	,,	42/84,447,323 ता0 हि0	मालूसिंह, बनेसिंह ।
	,,	43/84,376,511 ता0 हि0	नानूराम ।
	,,	44/84,447,379 ता0 हि0	सबीर ।
	,,	46/84,447,336 ता0 हि0	भरिया ।
	,,	47/84,457,380 ता0 हि0	मकबूलखां ।
	,,	48/84,447,427 ता0 हि0	रूपसिंह, चन्द्रसिंह, इन्द्रसिंह, भवानीसिंह, बापूसिंह ।
	,,	49/84,341,323 ता0 हि0	गनी, अब्दुल रजाक, गनी का छोटा लड़का ।

1	2	3	4
	पिड़ावा	51/84,447,427 ता0 हि0	घनेसिंह, चतरसिंह ।
	,,	54/84,324,323 ता0 हि0	मुसरफ अली ।
	,,	55/84,447,323 ता0 हि0	भगवानसिंह ।
	,,	59/84,353 ता0 हि0	उदा ।
	,	26/84,4 सिविल राईट एक्ट	राघू सिंह ।
	,,	57/84,16,54 एक्साईज एक्ट	फतेहसिंह, भवानीसिंह ।
7	भालवा	28/84,447,323 ता0 हि0	गेंदिया, भंवरलाल ।
		29/84,147,148,323 ता0 हि0	देविया, भंवरीया, रामा, भंवरलाल, पांच्या, किशना ।
	,,	33/84,429 ता0 हि0	माधोसिंह, रतनसिंह ।
	,,	34/84,447,427,352 ता0 हि0	मकना ।
	,	35/84,354,376, 511 ता0 हि0	धन्ना ।
	,,	36/84,452,365, 323,147 ता0 हि0	मोहन मांगीलाल, खेमचन्द ।
	,,	38/84,324,147 ता0 हि0	पूरिया, ग्यारसिया, बीरमा, भंवरिया, रतनिया, भम ।
	,,	40/84,324,323 ता0 हि0	अनारसिंह, सालगराम, मोहन ।
	,,	41/84,324,323 ता0 हि0	मांगीलाल, नन्दू, धन्ना ।

1	2	3	4
	मालवा	42/84,324 323 ता0 हि0	हीरालाल ।
	,,	44/84 447 ता0 हि0	बक्शू, मांगीलाल, पेमा, ग्यारसिया ।
	,,	46/84,376,511 ता0 हि0	प्रभुलाल ।
	,,	47/84,324,323 ता0 हि0	देवीलाल ।
	,,	48/84,451,323 ता0 हि0	शिव, मुसम0, हांसीबाई ।
	,,	52/84,147,447, 427 ता0 हि0	कंवरिया, मोलिया, माधोसिंहा, भैरिया, फूलचन्द, रामसिंह ।
	,,	53/84,447,147 ता0 हि0	मांगीलाल ।
	,,	55/84,447,427 ता0 हि0	प्यारा
	,,	57/84,324,323 ता0 हि0	बापू, दानी ।
	,,	58/84,147,447 ता0 हि0	बालू, महताब, कालू, बाली, सज्जन, मूली ।
	,,	60/84,324,323 ता0 हि0	राम सिंह ।
	,,	61/84,324,323 ता0 हि0	बीरा, बालू ।
	,,	63/84,147,447 ता0 हि0	अमरा, देवीलाल, भूरा, देवीलाल, किशोर, कालू, बापू ।
8	बारोला	53/84,452,323 ता0 हि0	रामनाथ, छोटूलाल ।
	,,	54/84,342,323 ता0 हि0	रामकरण, श्योजी, किशनलाल ।

1	2	3	4
	,,	55/84,307,147 ता0 हि0	कालूराम, श्रीलाल, रामनारायण, मांगीलाल, रामरतन।
	,,	57/84,366,363 ता0 हि0	बुद्धराम, कालूलाल, कालू गूजर, भैरू।
	,,	60/84,420 ता0 हि0	रामरतन।
	,,	61/84,447 ता0 हि0	गिरीशराव, रामचन्द्र, राधावल्लभ।
	,,	62/84,392,420 ता0 हि0	गिरीश, राधावल्लभ, छुट्टन।
	,,	63/84,343 ता0 हि0	घासी, कजोड, चम्पालाल, घनश्याम।
	,,	64/84,147,447 ता0 हि0	बजरंगलाल, परमानन्द राधेश्याम, हरलाल, बटूर।
	,,	65/84,147,447 ता0 हि0	रामप्रताप, किशनचन्द, नाथू, भंवरलाल, कालू।
	,,	67/84,341,323 ता0 हि0	रामप्रताप, किशनचन्द, बृजमोहन, कालू।
	,,	68/84,457,380 ता0 हि0	गिरीराजसिंह।
9	जावर	3(/84,324,323 ता0 हि0	बाबू, प्रेमबाई।
	,,	37/84,324 ता0 हि0	जमनालाल।
	,,	39/84,147,447 ता0 हि0	बेलराम, नन्दलाल, रामलाल, धन्ना, गेंदा, मवाना। हजारी, भैरूलालजी, पन्ना, कजोड, गंगाराम।
	,,	41/84,447,504 ता0 हि0	किशनलाल, रामबगस, गंगाराम।

1	2	3	4
	जावर	42/84,324,504 ता0 हि0	घनश्याम, फूलचन्द, लक्ष्मीनारायण ।
	,,	43/84,324,504 ता0 हि0	मन्नालाल, घनश्याम चतरू ।
	,,	44/84,341,342 ता0 हि0	लटूर, चम्पा ।
	,,	47/84,447,427 ता0 हि0	रतनलाल कल्याण ।
	,,	50/84,424,323 ता0 हि0	कल्याण, घुलीलाल, मांगीलाल ।
	,,	52/84,324,504 ता0 हि0	किशनलाल, गंगाराम ।
	,,	53/84,324,504 ता0 हि0	पंजाव ।
	,,	54/84,392 ता0 हि0	हरिसिंह श्योराम, दौला ।
	,,	58/84,452,330 ता0 हि0	जगन्नाथ, घासी, रामरतन ।
	,,	59/84,324,504 ता0 हि0	प्रभुलाल ।
	,,	60/84,323,504,34 ता0 हि0	धन्ना, चन्द्रा, प्रभू ।
	,,	61/84,457,380 ता0 हि0	गंगाराम ।
	,,	62/84,376,452 ता0 हि0	सुल्तान ।
	,,	64/84,324,504 ता0 हि0	रामलाल, भंवरलाल, घीसा ।
	,,	65/84,341,323 ता0 हि0	काना, भंवरिया, परथिया, जमना

1	2	3	4
	जावर	66/84,147,148 ता0 हि0	कंवरलाल, देवा, बद्री, पूरिया, कल्याण, जगन्नाथ पूरिया ।
	,,	67/84,147,336 ता0 हि0	रामनाथ, नारायण, मांगीलाल, धूलीलाल, धन्नालाल, प्रभूलाल, देवलाल ।
	,,	68/84,147,451 ता0 हि0	रामलाल, हजारी, केसरा, नन्दा, फूलचन्द, भंवरलाल, शंकरलाल ।
	,,	69/84,447,427 ता0 हि0	मंगलखां, बाबूखां, सबीरखां, सांवरिया, नाममालूम, जाजीमंगलखां ।
	,,	70/84,447,427 ता0 हि0	सुलेमान खां, इस्माईल खां, घमण्डीखां, रुस्तमखां, सलीमखां, मोसमखां ।
	,,	71/84,147,336 ता0 हि0	मेघा, धूल्या, कल्यो, रुब्बा, करमा, कजोड, धरमा, नारायण ।
	,,	72/84,147,447 ता0 हि0	धन्नालाल, चन्दा, फूलचन्द, नन्दा, प्रेमबिहारी ।
	,,	73/84,343,330 ता0 हि0	मांगीलाल, चम्पालाल ।
	,,	74/84,456,392 ता0 हि0	धूलीलाल ।
	,,	75/84,447,427 ता0 हि0	धूलीलाल, मामसिंह, भंवरलाल, बिरमा ।
	,,	76/84,447,352 ता0 हि0	रतनलाल, कल्याण, ललताबाई, पार्वतीबाई ।
	,,	77/84,324,341 ता0 हि0	धन्ना, भागचन्द, प्रभू ।
	,,	79/84,147,452 ता0 हि0	श्रीलाल, खेमा, दोला, बंशी, ग्यारसी ।

1	2	3	4
	जावर	80/84,366,379 ता0 हि0	पन्ना, धन्ना, धन्ना, मथुरालाल, लालजी, घनश्याम ।
	,,	81/84,452,323 ता0 हि0	देवीलाल, ग्यारसीराम, माधू, खेमरा ।
	,,	82/84,147,447 ता0 हि0	शब्बीर, भूरेखां, आलमखां, इसाखखां, मुन्शिखां, फकरूद्दीन ।
	,,	83/84,447,323 ता0 हि0	प्रेम, ग्यारसी ।
	,,	84/84,447,341 ता0 हि0	जगरूप, कमलीबाई ।
	,,	85/84,447,427 ता0 हि0	किशनलाल ।
	,,	86/84,379,429 ता0 हि0	श्रीलाल, बद्रीलाल ।
	,,	87/84,147,323 ता0 हि0	गोविन्दा, हजारी, हीरालाल, नन्दलाल, रोड़ी ।
10	खानपुर	54/84,324 ता0 हि0	मूल्या ।
	,,	55/84,324,34 ता0 हि0	मोतीलाल, रामदयाल, अमरलाल ।
	,,	56/84,540,352 ता0 हि0	शम्भूसिंह ।
	,,	57/84,326,323,34 ता0 हि0	रामपाल, हजारीलाल ।
	,,	58/84,324 ता0 हि0	भीमराज ।
	,,	59/84,325,323 ता0 हि0	बहादुरसिंह ।
	,,	60/84,325,323,34 ता0 हि0	कालू, बजरंगा, रामधनी ।

1	2	3	4
	खानपुर	64/84, 3/7 ई. सी. एक्ट	ओमप्रकाश ।
	,,	67/84,332,353 ता0 हि0	कल्याण, शंकरलाल, शिवप्रसाद, कन्हैयालाल ।
	,,	69/84,341,323,34 ता0 हि0	रामदयाल, रामफूल ।
	,,	70/84,341,323,34 ता0 हि0	मुन्ना हुसैन, ईदा, इकबाल, सलीम, सुब्बीर, घासी ।
	,,	72/84,380 ता0 हि0	घनश्याम ।
	,,	73/84,447,34 ता0 हि0	मोहनलाल, श्रीकिशन, रामनारायण ।
	,,	74/84,379 ता0 हि0	द्वारकालाल ।
	,,	75/84,295 ता0 हि0	सलीममोहम्मद ।
	,,	79/84,452,332,352 ता0 हि0	जोधसिंह ।
	,,	80/84,147,148,323 ता0 हि0	तेजपाल, घासी, शिवजी, छीतर ।
	,,	81/84,147,148,323 ता0 हि0	सब्बी मोहम्मद, मुन्ना, रफीम, मोहम्मद, साबिर, मुन्ना, सलेखां, छीतर ।
	,,	82/84,325 ता0 हि0	घासीलाल ।
	,,	83/84,341,323 ता0 हि0	राजू, प्रकाश ।
	,,	84/84,147,148,307 ता0 हि0	तेजपाल, रामस्वरूप, बिरदा, घासी ।

1	2	3	4	5
	खानपुर	85/84,147,148, 149,323 ता0 हि0	रामेश्वर, राधेश्याम, प्रहलाद, शिवाजी, शिवाजी से छोटा, मथरलाल, कल्याण, बद्रीलाल, सुरजमल, शंकर नाई, मोहन चमार, रामेश्वर के तीन ग्वाले	
	,,	88/84,325 ता0 हि0	गोपाल मीणा।	
	,,	91/84,325,323 ता0 हि0	गिर्राज नाई।	
	,,	92/84,336,325 ता0 हि0	छीतर, फत्ता।	
	,,	94/84,380 ता0 हि0	मांगीलाल।	
	,,	96/84,332,353 ता0 हि0	सुन्दरलाल, जयप्रकाश।	
	,,	98/84,307 ता0 हि0	महेन्द्र।	
	,,	100/84,429 ता0 हि0	रामदयाल।	
	,,	102/84,457,380 ता0 हि0	ओमप्रकाश।	
	,,	103/84,147,148 ता0 हि0	प्रभूसिह, प्रेमसिह, बाबूसिंह, सरदारसिंह, पहलवानसिंह, धूलसिंह, बहादुरसिंह।	
	,,	105/84,324,323 ता0 हि0	रामेश्वर, बद्रीलाल, प्रहलाद, बाबू, प्रताप, अमरा।	
	,,	110/84,147,148 149,223 ता0 हि0	बगता, गोतम, जगन्नाथ, शंकर, अमरा, पन्ना।	
	,,	112/84,325,323 ता0 हि0	जगन्नाथ, भैरू, प्रताप, कल्याण।	

1	2	3	4
	,,	116/84,448,330, 341,323,342 ता0हि0	इलाही, सब्बीर, मुस्तकीम, रहीद ।
11.	अकलेरा	68/84,380 ता0 हि0	घीसा ।
	,,	70/84,457,380 ता0 हि0	बीगाराम, भीम, बहादुर, कालू ।
	,,	71/84,147,149 ता0 हि0	किस्सीराम, जगन्नाथ, मीमलाल, मीमसिंह, मंहलाल ।
	,,	72/84,147,148 ता० हि0	हरीशचन्द्र, रामेश्वर सिंह, बजरंग सिंह, भंवर सिंह, दशरथसिंह, किशना, बद्रीलाल ।
	,,	73/84,336,323 ता0 हि०	लक्ष्मण, बीरमा, कल्याण ।
	,,	74/84,336 323 ता0 हि0	हरीसिंह नाथूसिंह, लक्ष्मीनारायण ।
	,,	75/84,147,149 ता० हि०	बिरधीलाल, मांगीलाल, दानमल कालु, प्रभु ।
	,,	76/84, 379 ता0 हि०	सेडू ।
	,,	77/84,148,147 ता० हि०	कजोड़, रतन, निराण, जयनारायण ।
	,,	78/84,447 ता० हि०	रामचन्द्र, बजरंग ।
	,,	79/84,147,148 ता0 हि०	कवंरलाल, रूंगलाल, नन्दा, कालु, घन्ना, देवचन्द्र, घासी, चौथमल, बद्रीलाल ।
	,,	80/84,447,427 ता० हि०	सरदारिया ।
	,,	81/84,467 ता० हि0	भिमराज ।

1	2	3	4
	,,	82/84,324 ता० हि०	मुलीचन्द, गुलाबबाई ।
	,,	84/84,392,393 ता० हि0	मांगीलाल, कल्याण, प्रभू ।
	,,	85/84,448 ता० हि०	मोहनलाल ।
	,	87/84,448 ता० हि०	सावंलिया ।
	,,	88/84,325 ता० हि०	श्रीचन्द्र, भवंरी, प्रेमकंवर ।
	,,	89/84,325 ता० हि०	कल्याण, परासिया ।
	,,	90/84,457,323 ता० हि०	ग्यारसीबाई, काना बाई ।
	,,	93/84,147,447 ता० हि०	धन्ना, घीसा, शशिया, रामचन्द्र, रत्ता, गंगाराम, हीरा, घीसा, नन्दा, छीतर, भैरूलाल, कुलचन्द्र हीरा ।
	,,	94/84,324 ता० हि०	भंवरलाल, कल्याण ।
	,,	95/84,353,332 ता० हि०	दीनदयाल ।
	,,	96/84,341,323 ता० हि०	नन्दालाल, हीरालाल ।
	,,	100/84,448 ता० हि०	ग्यारसीलाल ।
	,,	101/84,447 ता० हि०	मांगीलाल, धन्ना, मदन, बेराडीया ।
	,,	102/84,460 ता० हि०	बालचन्द ।

1	2	3	4
	,,	103/84,341,323 ता० हि०	घासीलाल ।
	,,	105/84,332 ता० हि०	नारायण, सम्पत, ग्यारसीलाल।
	,,	106/84,447 ता० हि०	चन्द्रालाल ।
	,,	108/84,12 जुआ एक्ट	अब्दुल रसीद, महमूद, हुसैन ।
	,,	109/84,427,447 ता० हि0	मांगीलाल, भैरूलाल, बाबूलाल
	,,	110/84,354 ता0 हि0	कल्याण ।
	,,	112/84,147,148 ता0हि0	चुन्नीलाल, कन्हैयालाल, बाबू, भोपाल, माधो ।
	,,	113/84,302,307 ता0हि0	मनोहर, कल्याण, रामलाल, राजाराम ।
	,,	114/84,451,323 ता0हि0	मुन्ना ।
	,,	115/84,379 ता0हि0	बिशना ।
	,,	119/84,382 ता0हि0	प्रभूलाल ।
	,,	120/84,307,318 ता0हि0	प्रभुलाल ।
12	मनोहर	43/84,376,511 ता0हि0	देवचन्द ।
	,,	44/84,379 ता0हि0	नन्दा ।

1	2	3	4
	,,	45/84,324 ता0 हि0	बिरम, किशन, कंवरलाल ।
	,,	46/84,457 ता0 हि0	बापू, नारायण ।
	,,	47/84,394 ता0 हि0	माधो, कैलाश ।
	,,	54/84,457 ता0 हि0	देवीलाल ।
	,,	55/84,379 ता0 हि0	कन्हैयालाल, सरदारिया, अमरलाल, देवलाल ।
	,,	61/84,363,366 ता0 हि0	गोपीलाल ।
	,,	64/84,147,427,352 ता0 हि0	अमरसिंह, बेजनाथ, गुलाबचन्द, नारायणी ।
	,,	67/84,147,148 ता0 हि0	गेन्दालाल' गोरीलाल, मांगीलाल, बालचन्द, नन्दा, ओंकार, किशना ।
	,,	68/84,376 ता0 हि0	प्रभुलाल ।
	,,	69/84,457,380 ता0 हि0	श्याजी, हेमा ।
	,,	70/84,420 ता0 हि0	लालचन्द ।
	,,	71/84,447 ता0 हि0	श्रीलाल ।
	,,	78/84,323,300 ता0 हि0	बीरमा, रतन ।
	,,	78/84,324,323 ता6 हि0	देवलाल, कंवरलाल, जगन्नाथ ।

1	2	3	4
	,,	79/84,376 ता0 हि0	श्यामलाल ।
	,,	83/84,324,323 ता0 हि0	बिरमा हीरा, किशोर मथरा ।
	,,	84/84,406,420 ता0 हि0	भंवरी, बिरमा ।
	,,	87/84,4/6 छुम्राछूत एक्ट	रामचरण, रामचरण माली । बन्शि, गुलाबचन्द ।
	,,	88/84,324 ता0 हि0	खेमचन्द ।
	,,	89/84,147,148,307 ता0 हि0	बिरमा, भंवरिया, घनश्याम, कन्हैयालाल, प्रेमबाई ।
	,,	90/84,279,337 ता0 हि0	बूंदू ।
	,,	91/84,324,314 ता0 हि0	मदनलाल, मांगीलाल ।
	,,	92/84,147,324 ता0 हि0	चन्दा, प्रभू, बन्शी, जगन्नाथ ।
	,,	93/84,147,148,302 ता0 हि0	माधो, हरीसिंह, लीला, पाना, कन्चन ।
	,,	95/84,376 ता0 हि0	प्रभुलाल ।
	,,	96/84,379 ता0 हि0	प्रभु, बकुशीलाल ।
	,,	97/84,341,342 ता0 हि0	परनानन्द, श्रीलाल, शेरिया, हरलाल ।
	,,	100/84,447,427 ता0 हि0	गंगाराम, मांगीलाल ।
	,,	103/84,324,323 ता0 हि0	देवा, दाखाँ, वाबू, प्रताप ।

1	2	3	4
	,,	110/84,457, 80 ता0 हि0	कला, बावू ।
13.	डग	24/84,447,341 ता0 हि0	सज्जनबाई, नारायणसिह ।
	,,	25/84,341,323 ता0 हि0	सौभागमल, श्यामलाल ।
	,,	28/84,3/8 सिनेमा एक्ट	अब्दुल रहमान, अब्दुल सलाम, गोपीकृष्ण ।
	,,	29/84,326,323 ता0 हि0	घीसा ।
	,,	30/84,392,323 ता0 हि0	कालूसिह ।
	,,	33/84,448,352 ता0 हि0	कानसिह ।
	,,	34/84,447,427 ता0 हि0	सज्जनसिह, नेपालसिह ।
	,,	36/84,448,380 ता0 हि0	कानसिह ।
	,,	39/84,447 ता0 हि0	मांगीलाल, इन्द्रसिह, चन्द्रसिह, चतरसिह ।
	,,	41/84,447,323 ता0 हि0	शिवलाल ।
	,,	44/84,148,447 ता0 हि0	भगवानसिह, कालूसिह, गंगाराम, बलवन्तसिह ।
	,,	45/84,342 ता0 हि0	मोसीन, कालूराम ।
	,,	46/84,147,352 ता0 हि0	राम सिह, भगवानसिह, भंवरसिह ।
	,,	47/84,448,504 ता0 हि0	नाथूसिह, भवानीसिह, गुमानसिह ।

1	2	3	4
	"	49/84,379 ता0 हि0	कालूसिह ।
	"	50/84, 3/25 आर्म्स एक्ट	अनारसिह ।
	"	51/84,342.323 ता0 हि0	बहाव, अयूब, जाफर ।
	"	52/84,379 ता0 हि0	देवीलाल ।
	"	54/84, 4/9 अफिम एक्ट	मानसिह ।
	"	55/84,324,323 ता0 हि0	भैरूसिह ।
	"	56/84,392,332,353 ता0 हि0	प्रेमसिह, नारायणसिंह ।
14.	भवानी मण्डी	70/84,458,380 ता0 हि0	मांगीलाल, बजारां, गोरिया, विजयसिंह, हरीसिंह ।
	"	73/84,147,447 ता0 हि0	सीताराम, भैरू, भैरू, नाना, नाथू ।
	"	76/84,343,341 ता0 हि0	धन्ना, बाबू, सेवा ।
	"	77/84,279,337 ता0 हि0	राधाकिशन ।
	"	78/84,324,323 ता0 हि0	रघुवीरसिंह ।
	"	79/84,326,504 ता0 हि0	मगू मीणा ।
	"	80/84,324,307 ता0 हि0	बालाराम, देवीलाल, रमेश, कैलाश ।
	"	81/84,279,337 ता0 हि0	नन्दलाल ।

1	2	3	4
	,,	84/84,304 ए0 ता0 हि0	प्रकाशचन्द्र ।
	,,	85/84,452,323 ता0 हि0	सुजानसिंह, अर्जुनसिंह, किशनलाल ।
		86/84,304 ए0, ता0 हि0	गोपाल अहीर ।
	,,	87/84,379 ता0हि0	उदाराम ।
	,,	90/84,379 ता0हि0	बाबूलाल, बगदूसिंह, कुशालसिंह ।
	,,	91/84,394,328 ता0हि0	भंवरलाल, ।
	,,	92/84,279,337 ता0हि0	चाँदमल ।
	,,	93/84,325,323 ता0हि0	लालसिंह ।
	,,	94/84,380 ति0हि0	जोरावरसिंह ।
	,,	95/84,380 ता0हि0	जोरावरसिंह ।
	,,	96/84,379 ता0हि0	उदाराम ।
	,,	102/84,307,34 ता0हि0	इदूखाँ, खब्बजू खाँ ।
	,,	103/84,302 ता0हि0	रतनसिंह, घीसुलाल, रामा ।
	,,	104/84,411 ता0हि0	बन्शी ।
	,,	105/84,13 जुआ एक्ट	रामकुवाँर, नारायण ।

1	2	3	4
	,,	107/84,4 पीसीग्राएक्ट	रतनलाल, कालूलाल, रामनारायण, भैरूलाल, रूघुनाथ, भैरूलाल, सीताराम ।
	,,	108/84,447,341 ता0हि0	रामनारायण, रामकुवंर ।
	,,	109/84,324,323 ता0हि0	हरीसिंह, भूलीबाई, रोड़ी ।
	,,	111/84,147,447 ता0हि0	नारायणसिंह, दूलेसिंह, श्योदानसिंह, रोडसिंह, बालू सिंह उमरावसिंह, ।
	,,	112/84,448,380 ता0हि0	चौथमल, सुरेश, राधेश्याम, बन्शीलाल, सत्यनारायण, ।
	,,	113/84,429 ता0हि0	शम्भुलाल, दुर्गालाल ।
	,,	114/84,279,337 ता0हि0	जगदीश ड्राईवर ।
	,,	117/84,147,447 ता0हि0	बद्रीलाल, कालू, कैलाश, श्यामलाल, रामप्रसाद, ।
	,,	118/84,411 ता0हि0	जीतमल ।
	,,	119/84,13 जुआ एक्ट	जगदीश ।
	,,	122/84,147,447 ता0हि0	भगवाना, भैरू, बाला, बगदीया, भंमरी, रामी, मगनबाई, सरतान बाई, नाथू ।
	,,	123/84,458,380 ता0हि0	रूपा, रमनलाल, बादू ।
	,,	124/84,380 ता0हि0	बगदू ,

1	2	3	4
	,,	125/84,379 ता0हि0	किशनलाल ।
	,,	127/84,341 ता0हि0	रामलाल ।
	,,	128/84,379 ता0हि0	जाफर ।
	,	129/84 324,323 ता0हि0	आनन्द ।
	,,	131/84,324,323 ता0हि0	नारायण ।
	,,	132/84,324,427 ता0हि0	रोड़ा ।
	,,	123/84,4 एसआईटीएक्ट	धन्ना, तारी, ।
	,,	136/84,457 ता0हि0	गोपालसिह ।
	,,	137/84,147,447	घनश्याम, मांगीलाल, राधेश्याम, रामलाल, शंकरलाल, घासीलाल, ओंकार ।
	,,	143/84,13 जुआ एक्ट	नसीरूतुल्ला ।
	,,	144/84,452,342 ता0हि0	जुगलकिशोर, कमलकिशोर, भवरीबाई, शान्तीबाई ।
15	सुनेल	48/84,336,295 ता0हि0	रईस, भेजर, जहीर हुसैन ।
	,,	49/84,147,148 ता0हि0	कैलाश, लक्ष्मीनारायण, रामगोपाल, बृजमोहन, रमेशचन्द्र, बालचन्द्र, रामदयाल ।
	,,	52/84,341,323 ता0हि0	प्रभूलाल ।

1	2	3	4
	,,	53/84,325,323 ता0हि0	रामलाल ।
	,,	54/84,457,380 ता0हि0	गणेश, मनोहरलाल, मानसिंह ।
	,,	55/84,379,342 ता0हि0	बालाराम, रामकरण, प्रभुलाल, पूरीलाल ।
	,,	59/84,341,504 ता0हि0	दयाल, नन्दा, डालू, उदा ।
	,,	60/84,325,323 ता0हि0	नन्दकिशोर, मोहन, मुरली, गोपाल, ।
	,,	62/84,392,341 ता0हि0	अकबर, अब्दुल हुसैन, ।
	,,	63/84,341,330 ता0हि0	असगर अली, गोपाल, रामचन्द्र।
	,,	71/84,448,427 ता0हि0	शम्भूसिंह, चैनसिंह, भवानीलाल, ।
	,,	73/84,392 ता0हि0	देवीलाल ।
	,,	76/84,13 जुआ एक्ट	कंवरलाल ।
	,,	77/84,354 ता0हि0	मोतीलाल ।
	,,	78/84,324,504 ता0हि0	रामलाल, केशुराम, बालूसिंह, बनेसिंह, कन्हैयालाल, गजानन्द ।
	,,	79/84,324,323 ता0हि0	अमरा, रामसिंह, भंवरलाल, कंवरलाल, किशन ।
	,,	80/84,324,323 ता0हि0	मोहन, नाथू,
	,,	81/84,324,323 ता0हि0	लालचन्द, देवीलाल ।

1	2	3	4
	"	83/84,447,427 ता0हि0	कन्हैयालाल, प्रभूलाल ।
	"	84/84,427,447 ता0हि0	रामचन्द्र, रामनारायण, प्रहलाद भंवरलाल ।
	"	85/84,452,323 ता0हि0	शिवलाल, गोकुल ।
	"	86/84,341,392 ता0हि0	रामचन्द्र, जानकीलाल ।
	"	87/84,323,506 ता0हि0	सोभागमल, इन्द्रमल, ललीत ।
	"	88/84,447,147 ता0हि0	भैरुलाल, रामचन्द्र, बद्रीलाल, दुर्गाप्रसाद, उदयराम, सीताराम, मोहनलाल, भंवरलाल, द्वारकालाल, छीतरलाल ।
	"	90/84,325,504 ता0हि0	उदा ।
	"	93/84 447,323 ता0हि0	रामनारायण ।
16	गंगधार	37/84,447 ता0हि0	भंवरसिंह, गोकुलसिंह ।
	"	40/84,13 जुआ एक्ट	मोईनुद्दीन, राकेश ।
	"	42/84,332,353 ता0हि0	असरफअली ।
	"	46/84,307 ता0हि0	नाथूसिंह, गोरधन ।
	"	48/84,147,307 ता0हि0	असरफअली, शराफत ।

1	2	3	4
	"	49/84,452,147 ता0हि0	शकील, अनीस, हनीफ, अकील, नवाब, फिरोज, शकील, शेरु, मुबारिक, पहलवान ।
	"	50/84,279,429 ता0हि0	नारायण ।
	"	51/84,363,376 ता/हि0	चन्दू, नाथू ।
	"	52/84,447,379 ता0हि0	गोपाल, ओंकार, भैरू ।
	"	53/84,420 ता0हि0	चन्द्रसिंह ।
	"	54/84,406,420 ता0हि0	भगवानसिंह ।
	"	55/84,420,467 ता0हि0	शिवसिंह, भैरूसिंह ।
	"	56/84,147,148 ता0हि0	नन्दा, अमरा ।
	"	57/84,147,342 ता0हि0	राधेश्याम ।
	"	58/84,376,366 ता0हि0	कालूसिंह, नाथूसिंह ।
	"	59/84,363,366 ता0हि0	नारायण ।
	"	61/84,452,323 ता0हि0	दयाराम, धापू ।
	"	62/84,406,420 ता0हि0	घीसुलाल ।
	"	63/84,379,215 ता0हि0	रामचन्द्र, भागराम ।

1	2	3	4
	"	64/84,325,323 ता0हि0	नैनसिंह, सरतानसिंह, गाधी, रामा।
	"	65/84,457 ता0हि0	किशनसिंह, हिन्दूसिंह, सुजान सिंह, प्रतापसिंह, मागूसिंह।
	"	68/84,380 ता0हि0	मानसिंह, पूरसिंह।
	"	69/84,324,34 ता0हि0	अमरसिंह।
	"	70/84,447,427 ता0हि0	रघुनाथसिंह, मगदू, चन्द्रसिंह, सरताजसिंह।
	"	72/84,454,380 ता0हि0	बन्सी।
	"	73/84,452 ता0हि0	उमरावसिंह।
	"	75/84,447 ता0हि0	उदा, मानसिंह।
	"	77/84,447,352 ता0हि0	मोती, देवा।
	"	78/84,448,504 ता0हि0	रतनसिंह।
	"	79/84,447,427 ता0हि0	मंधरसिंह, भगगा।
	"	80/84,457,380 ता0हि0	नन्दराम, पूरीबाई, हरीसिंह।
	"	83/84,395,342 ता0हि0	गंगाराम, हरिया, रमेशचन्द्र।
	"	85/84,21,25 ए0एक्ट	लाला।

1	2	2	4
	"	86/84,420 ता0हि0	हरीसिंह ।
	"	88/84,54 एक्साईज एक्ट	सफी मोहम्मद ।
	"	89/84,147,148 ता0हि0	सफी मोहम्मद, सौकतअली, बाबू, सौकतअली, अनवर, मुन्ना, मोहम्मद हुसैन, गनी ।
	"	90/84,447,427 ता0हि0	सरदारसिंह, चैनसिंह, पूरसिंह, शम्भूसिंह ।
	"	91/84,3/7 ई.सी.एक्ट	भैरूलाल, देवीलाल ।
	"	92/84,379 ता0हि0	सरदारसिंह ।
17	पगारिया	31/84,147,148 ता0हि0	भैरूसिंह, शिवसिंह, गुमानसिंह, ओंकार, मांगीलाल, सरतान, नैनसिंह, तेजसिंह ।
	"	32/84,447 ता0हि0	भैरूसिंह,
	"	34/84,147,148 ता0हि0	पूरसिंह, राधूसिंह, चन्द्रसिंह, भगवान, बाबूलाल, काना, फूला, जमीन ।
	"	36/84,447,427 ता0हि0	दुलेसिंह, बालू, गंगाराम ।
	"	37/84,379 ता0हि0	कालू, अर्जुन ।
	"	38/84,447,427 ता0हि0	बिहारी, मदन, बालचन्द ।
	"	42/84,447,427 ता0हि0	अमरसिंह ।

1	2	3	4
	”	44/84,448,427 ता0हि0	समद, भैरूसिंह, गोपाल, गंगा राम, हिरा, मोहनलाल, भारत राम, रामप्रसाद, लालचन्द, गोवरधन, गोपाल, राधेश्याम ।
	”	45/84,448,427 ता0हि0	इन्द्रसिंह, चन्द्रसिंह, सरदारसिंह, गुमानसिंह, भवानीसिंह ।
	”	46/84,380	शंकरलाल ।
	”	50/84,147,323 ता0हि0	राधेश्याम, कालूराम, लक्ष्मण, फकीरचन्द, बीरमा ।

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 106 की सूची)

बाड़मेर एवं जेसलमेर सीमावर्ती जिलों में पिछले एक वर्ष में कितनी राशि का माल व किस किस व्यक्ति से बरामद किया गया की सूची :

जैसलमेर

क्र०सं०	दिनांक	माल का विवरण	कीमत	नाम मुलजिम
1	2	3	4	5
1.	2.10.83	2 टेप रिकार्ड	6000/–	सगता पुत्र सुराव मुसलमान
2.	2.10.83	15 गायें	30000/–	ओसियां मुसलमान
3.	3.10.83	62 गायें	45000/–	—
4.	14.10.83	11 बैल व अन्य पशु	21000/–	—
5.	19.10.83	4 गांठें विदेशी कपड़ा	50000/–	—
6.	24.10.83	4 ”	35000/–	—

1	2	3	4	5
7.	30.10.83	4 गांठें विदेशी कपड़ा	19890/-	ओसिया मुसलमान
8.	18.11.83	3 पिटारे एम. मार्का बीडी	15000/-	—
9.	28.11.83	10 पिटारे " "	120000/-	आदमखां
10.	12.12.83	23 थान विदेशी कपड़ा	12000/-	—
11.	2.2.84	20 गायें	20000/-	1. अलारखा पुत्र मीमण मुसलमान निवासी पाक. 2. कुतुबुद्दीन पुत्र नवाबदीन मुसलमान निवासी पाक.
12.	21.3.84	71 कि.ग्रा. बादाम 17 गांठें विदेशी कपड़ा	765210/-	—
13.	21.3.84	91 गायें	205000/-	शैतानसिंह राजपूत निवासी घटियाली
		योग	13,44,100/-	

जिला जैसलमेर

1	2	3	4	5
1.	26.4.84	विदेशी कपड़ा 2835·75 मीटर	226860/–	कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ
2.	2.6.84	चार.ऊंट, 100 मीटर विदेशी कपड़ा, एक टेपरिकार्ड एक रिवालवर, 11 कारतूस एक ब्लडप्रेशर इन्स्ट्रूमेंट	64000/–	" " "
3.	3.6.84	8 गांठें विदेशी कपड़ा	135000/–	" " "
4.	4.6.84	4 " "	200000/–	" " "
5.	5.6.84	3 " "	254000/–	" " "
6.	7.6.84	300 बोतलें विस्की शराब	30000/–	" " "
7.	15.6.84	80 गांठें विदेशी कपड़ा, 4311 सिले हुए कपड़े, 4 किलो बादाम, एक राईफल 303 बोर, 67 कारतूस	2990000/–	किशनाराम पुत्र फोजाराम मेघवाल नि० सतो पांछी पुत्र कमो " " गंगा पुत्र राहू " " कस्तूरा पुत्र धर्मा " "

1	2	3	4	5
				लीला पुत्र फोटा मेघवाल नि० सतो खंगार पुत्र पुरखाराम ,, ,, साकरिया पुत्र अंखाराम ,, ,, अलसा पुत्र रेशमा ,, ,,
8.	13.6.84	5 गायें, 15 बैल	35000/–	1. अमिया पुत्र मुलायम मुसलमान सा० देईवर 2. सफरिया पुत्र रज्जु ,, 3. अमीन पुत्र आड़ता , 4. लाखा पुत्र सायरा ,, 5. करीम पुत्र बच्चू खां ,,
9.	22.6.84	6 गाठें विदेशी कपड़ा	200000/–	कोई गिरफ्तार नहीं हुआ।
10.	27.6.84	3 बोरी एस मार्का बीड़ी	10000/–	अज्ञात
11.	21.6.84	500 ग्राम अफीम	1000/–	पगलूराम विश्नोई
12.	28.6.84	एक टेपरिकार्ड, 2 केसेट	7120/–	बिबेखां पुत्र बाबलखां मुसलमान सा० धुड़सर ;
13.	30.6.84	400 विदेशी बुशर्ट	12000/–	अज्ञात
14.	7.7.84	4 गांठें विदेशी कपड़ा	150000/–	अज्ञात

1	2	3	4	5
15.	12.7.84	21 गांठें विदेशी कपड़ा 1 टेप रिकार्ड, 8 ऊंट, 8 पिलापा मय गादियो के	900000/-	अज्ञात
16.	18.7.84	1 जोंगा जीप	60000/-	अज्ञात
17.	20.7.84	25 थान विदेशी कपड़ा	16550/-	अज्ञात
18.	24.7.84	43·9 मी. विदेशी कपड़ा	2500/-	अज्ञात
19.	15.8.84	2 ऊंट	10000/-	1. रहीम पुत्र सायर नि० डेहर जिला सखर (पाक.) 2. उराछिया पुत्र जिना नि० आटहया ।
20.	16.8.84	1 निशान ट्रक नं. आर एन जे 4685 27 गांठें विदेशी बुशर्ट	288500/-	अज्ञात
21.	24.8.84	1 ऊंट	3000/-	बहादुरखां (पाक. नागरिक)
22.	31.8.84	23 गायें	11500/-	अज्ञात
23.	12.9.84	100 मीटर विदेशी कपड़ा 20 गर्म कोट	8600/-	अज्ञात

1	2	3	4	5
24.	24.9.84	100 गर्म कोट, 86 बुशर्ट	19050/–	अज्ञात
25.	27.9.84	708 बोतलें एरिस्टोक्रेट विस्की	70800/–	अज्ञात
		कुल योग	5705880/–	
			बाड़मेर जिला	
1.	7.12.83	12 गायें	24000/–	1. अमीर पुत्र ताजो मुसलमान 2. शेरा पुत्र सच्चू मुसलमान सा० कोनरा।
2.	12.12.83	8 कोट	600/–	मीरा पुत्र हसन ,, सा० गोगाला।
3.	27.12.83	14 कोट	1260/–	चूना पुत्र नवला जाट सा० धनाऊ।
4.	25.10 83	6 गायें	1900/–	तगदान पुत्र अचलदान चारण सा० शहीद का तला
5.	10.11.83	13 गायें, 2 भैंस गाड़ियां	5700/–	बचल पुत्र रमीजक मुसलमान सा० उजासर।
6.	10.12.83	14 घोड़ा 7 गाय	3500/–	अज्ञात
7	1.10.83	1 गधा, 1 पत्थर की घरटी 1 सेर पीतल, सूत की डोरी 5 किलो शक्कर	355/–	अज्ञात

1	2	3	4	5
8.	7.12.83	5 किलो वनस्पति घी का डिब्बा	75/–	अज्ञात
9.	23.12.83	31 कोट, 1 ऊंट, किसान वोराजर्ट का एक	4360/–	ञिया पुत्र घोकला जाट नि० घुड़ावा ।
10.	30·11·83	39 गायें व बैल	78000/–	अज्ञात
11.	9·12·83	1 चूनड़ी 1 पड़ा 1 बूंट जोड़ी 1 गर्म सूट, 1 बैग	314/–	महेशसिंह पुत्र महारमसिंह राजपूत सा० मीठराउ ।
12.	16·12·83	6 मीटर सफेद कपड़ा 1 कोट, 44 बोरी मतीरा का बीच निशान ट्रक	67960/–	मीरा पुत्र बावल मुसलमान सा० रमजानकी गफर ।
13.	28 11·83	29 गायें	58000/–	अज्ञात ।
14.	14·12·83	37 मीटर कपड़ा	2536/–	मूलसिंह पुत्र बीजराजसिंह राजपूत सा० बिनावा ।
15.	14·12·83	79 मीटर कपड़ा	5214/–	अमीरसिंह पुत्र रिडमलसिंह राजपूत सा० बिनावा
16.	14·12 83	2 किलो खारका	80/–	,, ,,
17.	14·12·83	94 बुशर्ट	2914/–	गूरसिंह पुत्र कलसिंह राजपूत सा० बीनावा ।
18.	30·11·83	45 गायें	60000/–	अज्ञात ।

1	2	3	4	5
19.	9·10·83	87·80 विदेशी कपड़ा	1300/-	सांवलदास पुत्र चेतनदास लावण बाड़मेर ।
20.	19·10·83	34·35 मीटर कपड़ा	700/-	देरावरसिह पुत्र प्रतापसिह राजपूत बावड़ी ।
21.	31·10·83	15 मीटर कपड़ा	300/-	अचार पुत्र सुभान मुसलमान नि० सांगराड़ ।
22.	26·11·83	टेप मय रेडियो	1200/-	लक्ष्मणराम पुत्र नानगराम नि० बुहड़ा मोडली ।
23.	3·12·83	46 मीटर कपड़ा	926/-	—
24.	19·10·83	41 गायें	4100/-	इब्राहीम पुत्र सत्तार मुसलमान अरोड़ ।
25.	7·11·83	2 ऊँट	8000/-	हमीरा पुत्र मियांलाल नि० नेगरड़ा
26.	31·10·83	14 गज विदेशी कपड़ा	300/-	रेखाराम पुत्र बस्तीराम चामार पटौदा ।
27.	31·10·83	194·75 मीटर कपड़ा	3900/-	गिरधारी पुत्र जेठानन्द लोहाणा बाड़मेर ।
28.	28·12·83	113·40 मीटर कपड़ा एक टेप मय रेडियो 12 गर्मकोट 22 बुशर्ट	15000/-	भीमसिंह पुत्र पुंजराजसिंह राजपूत बामिनी ।
29.	12·4·84	1 जोंगा जीप, 32·600 कि.ग्रा. चांदी, 9 किलो बादाम	225000/-	1. रतनजीत पुत्र दौलतराम महेश्वरी सा. मडरागेड़ । 2. रामेश्वरीलाल पुत्र रतनलाल सा० मंडोर । 3. बलवीरसिंह ।

1	2	3	4	5
	19·1·84	16 गर्म कोट 18·60 मी. कपड़ा	1615/-	पेमाराम पुत्र रासाराम पुरोहित सा० पिंडोकातला ।
31.	17·5·84	15 मी. विदेशी कपड़ा	2675/-	राणुलाल पुत्र किशनलाल महेश्वरी, बाड़मेर ।
32.	30 5·84	19 1/4 मी. कपड़ा	250/-	कमलेश कुमार सा० बाड़मेर ।
33.	23·5·84	6 विदेशी कोट	600/-	मोहन सिंह पुत्र रामसिंह सा० विसाला ।
34.	11 6 84	1160 मी. कपड़ा	34800/-	तिलोका पुत्र पीराराम जाट सा० साबूलो
35.	29.6·84	270 मी. कपड़ा	8000/-	देरावरसिंह पुत्र डूंगरसिंह, मोहनलाल वजीर तामलोर
36.	16·5·84	302·700 कि.ग्रा. गूगल	15150/-	सूणा पुत्र लक्ष्मणा जाट सा० खडोंद ।
37.	12·6 84	31 मी विदेशी कपड़ा	400/-	हीरालाल पुत्र सुलतान बाड़मेर ।
38.	16·7·84	4 तोला सोने के 4 सिक्के	12000/-	बगापारीमल, विनोदकुमार, महाना, सा० गागरिया ।
39.	17·7·84	15 16 मी. विदेशी कपड़ा	75800/-	अज्ञात ।
40.	19·7·34	63 3/4 विदेशी कपड़ा	3100/-	रतनलाल महाजन बाड़मेर ।
41.	31·7·84	एक टेप रिकार्ड स्टीरियो, एक केलकुलेटर, 60 मी. विदेशी कपड़ा	7100/-	हरचन्द पुत्र मेयूमल सिंधी बाड़मेर ।
42.	22·7·84	11·40 मी. कपड़ा	300/-	महेन्द्रकुमार पुत्र दाबूलाल जैन बाडमेर ।

1	2	3	4	5
43.	23·8·84	17 शराब की बोतल 5 वीडियो केसेट 12 1/2 विदेशी कपड़ा एक रेकार्ड भरने का यंत्र	4900/–	उधोमल पुत्र टोपूमल सिंधी बाडमेर ।
44.	1·8·84	200 मी. कपड़ा	4000/–	बल्लभ पुत्र खींवराज महेश्वरी-सा० बाड़मेर ।
45.	14·8·84	52 1/2 मी. विदेशी कपड़ा	1040/–	सलीम पुत्र अनीम मुसलमान बाडमेर ।
46.	29·9·84	12628 मी विदेशी कपड़ा व निशान ट्रक	700000/–	बालसिंह पुत्र कंवराजसिंह राजपूत नि. मारोडी ।
47.	19·1·84	20 मी. कपड़ा	500/–	करीम खां मुसलमान अमोवालिया ।
48.	14·1·84	4 गायें	2200/–	1. गुलाम मुसलमान सा. उनरोड । 2. नारायणसिंह पुत्र विरदसिंह सा. आगालडी ।
49.	21·1·84	200 विदेशी बुशर्ट	3000/–	अज्ञात ।
50.	29·2·84	1 टैप रिकार्ड मय रेडियो	1200/–	अज्ञात ।
51.	27·4·84	13503 मी. कपड़ा	312575/–	अज्ञात ।
52.	16·6·84	12·31 मी कपड़ा	350/–	चनणा पुत्र हजारी जाति सोनी सा. हरसाणी ।

1	2	3	4	5
53.	19 8·84	1 विदेशी टेप रिकार्ड	500/-	अज्ञात ।
54.	1·6·84	506 मी. कपड़ा, 2 ऊंट	27800/-	राणासिंह पुत्र वीरसिंह राजपूत नि. टुडबी ।
55.	22·1·84	6 भैंस/पाडे	1100/-	1. दरिया खां पुत्र तादो मुसलमान सा अदरीमका तला 2. उमाया पुत्र सालन ,, ,,
56.	8·2·84	17 मी. कपड़ा	510/-	खियाराम पुत्र भारताराम विश्नोई सा. बागोडा
57.	9·3·84	21 गायें	15000/-	1. रोशु पुत्र मोहम्मद मुसलमान सा. मागता 2. उमीर पुत्र अहमद मुसलमान सा. कोनरा
58.	12·4·84	990 ग्राम चांदी	4257/-	रासा पुत्र साहीदान मुसलमान आकल
59.	13·4·84	1 टेप रिकार्ड	2000/-	मंगलाराम पुत्र हीराराम सा. खेतड़ी
60.	8 6·84	6 गायें	2300/-	अज्ञात ।
61.	23·6·84	1·600 कि.ग्रा. चांदी	7000/-	प्रभूराम पुत्र गोरधनराम सुनार सा. दोरीमना
62.	14·8·84	4 मी. कपड़ा	100/-	अज्ञात ।
63.	12·9 84	9 मी. कपड़ा	225/-	अज्ञात ।
64.	24·1·84	6570 मी. कपड़ा	2000/-	रतनाराम पुत्र रामलाल जाट सा. मोगावा

383
466

1	2	3	4	5
65.	20·3·84	17·902 कि.ग्रा. चांदी के गहने व एक केलकुलेटर	70000/–	चुखराम पुत्र हरिदास जा. सोनी सा. बाडमेर
66.	26 2 84	270 बुशर्ट	13500/–	बखतावरसिंह पुत्र चिमनसिंह राजपूत सा. केलनोर
67.	30·6·84	9½ मी. कपड़ा	237/–	अज्ञात
68.	16.7.84	24 गायें व बछड़े	26000/–	1. सहीदान पुत्र चीमा 2. सुलार पुत्र मांगी 3. शेरखां पुत्र राणा 4. नेताराम पुत्र अहरीर 5. पिनू पुत्र लेखा मुसलमान सा० खरिया।
69.	25.7.84	15 मी. कपड़ा	750/–	अज्ञात
70.	7.8.84	1. सिला हुआ कपड़ा 2. 2 नग रेवारजी खन्दीके 3. चीनी के बर्तन	2000/–	
71.	13.8.84	3 बोरी शक्कर, 8 बीड़ी, एक बोरी चाय, एक ट्रक आर.जे.सी. 1261	1500/–	उदयसिंह पुत्र नाथूसिंह वगैरा

1	2	3	4	5
72.	13.9.84	2 मी. कपड़ा	100/–	जवाराम पुत्र कसावजीत वजीर सा० कापराउ
73.	28.1.84	50 विदेशी बुशर्ट, 19 किलो गुगल	1100/–	अज्ञात
74.	24.1.84	गायें व बछड़ा, एक पाडा एक ऊंट मय मिलाए	5000/–	जेसा पुत्र नाथा मुसल० नि० करीमे का पास
75.	14.6.84	300 मी. कपडा	10000/–	अज्ञात
76.	17 6.84	1 अजरक, 1/2 तोला सोना, सिले हुए विदेशी कपड़े	2400/–	अज्ञात
77.	18.6.84	8 कोट, वाजी कपडा, 1 बुशर्ट, एक लालटेन एक घड़ी	1220/–	जामन पुत्र हाजी मुसल० माहपुरी
78.	9.9.84	दो बोरी गुगल, 163 किलो पाक करेंसी, 56·40 दो छोटे पैकेट मोटी सुपारी, मीठी गोलियां	2500/–	हसन पुत्र हाजी सा० बदमडा

1	2	3	4	5
79.	13 9.84	9 बण्डल सुपारी के खाल सफेद पेकिट, एक गधा	2500/-	अज्ञात
80.	21.9.84	25 बैल	37000/-	नसीर पुत्र सुमार मुसल० सा० माठडी
81.	27.9.84	1 रेडियो दो बैण्ड, 1 बिदेशी कमीज, 1 गर्म कोट, 9 मी. विदेशी कपड़ा	950/-	पदमा पुत्र खातू मेघवाल सा० गडरारोड
82.	29.9.84	46 मी. विदेशी कपडा	900/-	नखतराम पुत्र लीलाराम देशांतरी सा० गडरा रोड
83.	2.2.84	5 विदेशी बुशर्ट	100/-	अज्ञात
84.	18.2.84	टेपरिकार्ड मय रेडियो 1·200 किग्रा. बादाम	2100/-	1. बुद्धाराम पुत्र कालुजी 2. मोहन पुत्र कानाराम विश्नोई सा० डालवरण जालोर
85.	3.7.84	25 मी. कपड़ा	400/-	अज्ञात
86.	6.7.84.	600 ग्राम सेल, 21/2 नासका	80/-	अज्ञात
87.	16.7.84	1 जोड़ी तरंग पिलो	5000/-	रुगामल पुत्र महोम्मद मुसल० सा० नागरौली

1	2	3	4	5
88.	12.9.84	20 मी. कपडा	310/–	अज्ञात
89.	19.1.84	32 विदेशी बुशर्ट	720/–	अज्ञात
90.	22.1.84	1 टेपरिकार्ड मय रेडियो	1500/–	महो. रहीम पुत्र मीडी मुसल सा० कितनोरिया
91.	21.3.84	10 मी. कपड़ा	250/–	खनीसा पुत्र धार मुसल सा० कुन्दनपुरा
92.	27.4.84	3 बैल	3000/–	मोहम्मद पुत्र जिताबीन मुसल. सा० स्वरूप का तला
93.	13.4.84	7 गाय	5200/–	अज्ञात
94.	8.5.84	5 गायें, 3 टोगड़े	6500/–	अज्ञात
95.	16.8.84	घी का डिब्बा, 2½ किग्रा	40/–	रमजान पुत्र सुमान मुसल. सा० कुन्दनपुरा ।
96.	17.8.84	8 मी. कपड़ा	200/–	श्रीमति सलाल पत्नी मुइव मुसल० सा० मुजासर ।
97.	17.8.84	16 कि.ग्रा. घी वनस्पति	400/–	खानू पुत्र सालू जाट सा० सीतालिया
98.	9.8.84	5 गायें, 1 पाडी, 14 बछड़े	15000/–	सदीक पुत्र उमाया मुसलमान सा० जालिया
99.	11.8.84	26 1/2 मी. कपड़ा	700/–	मीठाल पुत्र मलसर मुसलमान सा० कुन्दनपुरा

1	2	3	4	5
100.	12·9·84	42 1/4 मी. कपड़ा	1300/-	अज्ञात ।
101.	15·3·84	15 बुशर्ट	150/-	खाना पुत्र ठाकरा कौमा सुथार सा० चिमरिया ।
102.	23·6·84	30 बुशर्ट	360/-	अज्ञात ।
103.	26·6·84	23 बुशर्ट	276/-	अज्ञात ।
104.	29·6·84	16 मी. कपड़ा	320/-	अज्ञात ।
105.	29·6·84	5 गर्म कोट	500/-	अज्ञात ।
106.	1·7·84	35 मी. कपड़ा	726/-	मगसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत सा० मिडियाल ।
107.	25·7·84	1 टेप रिकार्ड, ढाई किलो घी	1540/-	सुरता पुत्र धनाराम मेघवाल, सा० आगम का तला ।
108.	27·7·84	2 टेप मय रेडियो	3200/-	कालू पुत्र गायन मेघवाल सा० मिठराऊ ।
109.	1·7·84	11 1/4 मी. कपड़ा	225/-	गेमरसिंह पुत्र सोहनसिंह पुरोहित सा० केलनोर
110.	1·7·84	45 मी. कपड़ा	900/-	मगसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत सा० मिडियाल ।
111.	15·7·84	1 मी. कपड़ा, 28 तोला चांदी	1285/-	रमदा पुत्र फसरा मुसलमान सा० जैसलमेर ।

1	2	3	4	5
112.	23·7·84	45 बुशर्ट	450/–	अज्ञात ।
113.	29·7 84	40 1/2 मीटर कपड़ा	870/–	अज्ञात ।
114.	12·9·84	2 1/2 बोरी बीड़ियां	2500/–	रखतसिंह पुत्र अगमसिंह राजपूत सा० हूरोंका तला ।
115.	6·4 84	12 बैल	20000/–	अज्ञात ।
116.	14·5·84	40 मी. कपड़ा, 6 बुशर्ट	900/–	अज्ञात ।
117.	9·6·84	विदेशी कपड़ा 572 मी.	11000/–	अज्ञात ।
118.	7·7·84	6 गायें	12000/–	खमोशा पुत्र मोमदा मुसलमान अइदों का पार ।
119.	12·7·84	5910 मी. कपड़ा	300000/–	अज्ञात ।.
120.	1·8·84	5 गायें, 5 बछड़े	10000/–	समिर मुसलमान सा० पांदीका पार ।
121.	18 6·84	1 टेप रिकार्ड, 4 कैसेट 1 टौर्च, 1 बड़ी रिको 17 मी. कपड़ा, 18 बुशर्ट टेपरिकार्ड 3	2715/-	दुक्स पुत्र राजी सोनदान मुसलमान सा० लकडियाली ।

1	2	3	4	5
122.	18·6·84	115 1/2 मी. कपड़ा पेटीकोट, 2 टेपरिकार्ड ।	4680/-	सुरतानमल पुत्र सागरमल जैन, मामरिया ।
123.	16·9·84	120 बैल	125000/-	सुसरी पुत्र हमीर, इसमाइल पुत्र अहमद, हसन पुत्र सीदिक, हफीफ पुत्र सीदिक, मगन पुत्र दायम मुसलमान, देरासर ।
		कुल योग	2552895=00	
		जिला जैसलमेर	1344100=00	
		जिला जैसलमेर	5705880=00	
		जिला बाड़मेर	2552895=00	
		वृहत योग	9602875=00	

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 109 की सूचना

श्री घनश्याम तिवाड़ी विधायक, द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर वर्ष जनवरी 84 से अगस्त 84 तक सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा व उसमें कितनी मौतें हुई, जिलेवार ब्यौरा निम्न हैं और दुर्घटनाओं में राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा भी निम्नलिखित है।

क्र. सं.	नाम जिला	पंजिबद्ध अभियोग (दुर्घटना)	सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	अन्य स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	207	58	94	113
2.	भीलवाड़ा	75	50	52	23
3.	नागौर	85	26	31	54
4.	जयपुर शहर	475	105	224	251
5.	झुन्झुनूं	40	18	—	40
6.	सीकर	75	33	64	11
7.	टौंक	44	28	32	12
8.	भरतपुर	116	57	73	43
9.	अलवर	97	40	19	78
10.	सवाई माधोपुर	100	48	5	95
11.	धौलपुर	35	27	17	18
12.	बीकानेर	68	21	26	42
13.	चूरू	36	17	1	35
14.	गंगानगर	165	63	8	157
15.	जोधपुर	214	49	—	214
16.	जालौर	52	21	5	47

1	2	3	4	5	6
17.	जैसलमेर	20	5	5	15
18.	बाडमेर	44	17	4	40
19.	पाली	125	40	123	—
20.	सिरोही	53	37	38	15
21.	कोटा शहर	176	22	33	143
22.	बूंदी	51	27	26	25
23.	झालावाड़	27	9	12	15
24.	उदयपुर	131	84	52	79
25.	बांसवाड़ा	56	24	—	56
26.	चित्तौड़गढ़	124	44	27	97
27.	डूंगरपुर	39	10	8	31
28.	जी. आर. पी.	—	—	—	—
29.	कोटा ग्रामीण	117	34	8	109
30.	जयपुर ग्रामीण	309	121	242	67
	योग	3154	1135	1229	1925

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची

वर्ष 1970 से 1975 तक व्यापारियों में कर बकाया की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	बकाया कर राशि
1	2	3
1.	शराब ठेकेदार	8000·00
2.	गांधी ब्रदर्स	1100·00
3.	माणकलाल बाबूलाल	2400·00
4.	रमेश भाई पटेल	850·00
5.	अलादीन असगर अली	850·00
6.	छगनीराम नेमीचन्द	1200·00
7.	जमालअली सरदारअली	400·00
8.	नथमल बादरमल	1150·00
9.	गिरधारीलाल शेताराम	2400·00
10.	शिवलाल मीठालाल	700·00
11.	मुन्नालाल उत्तमचन्द	1000·00
12.	मोलाबक्श जमालद्दीन	50·00
13.	उत्तमचन्द भरतचन्द	400·00
14.	मदनलाल नेमीचन्द	1000·00
15.	गुरुनानक स्टोर्स	1600·00
16.	चुन्नीलाल रशमेचन्द	950·00
17.	ओटाराम सरताराम	2650·00

1	2	3
18.	अशोककुमार पटेल	400·00
19.	किशनराज विमलचन्द	350·00
20.	मुस्तका अहमद	650·00
21.	बनेचन्द हीराचन्द	1600·30
22.	गिरधारीलाल खेताराम	550·00
23.	सोहनलाल कन्हैयालाल	500·00
24.	जसराज सुमेरमल	100·00
25.	सम्पतराज कन्हैयालाल	300·00
	योग	31150·00

324 परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 116 की सूची

राजस्थान के राज्य मार्गों की सूची राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ–2 (45) पी. डब्ल्यू/ए. एस./79 दिनांक 10·7·79 के अनुसार ।

क्र. सं.	मार्ग/उद्गम एव गंतव्य स्थान	मार्ग नं.
1	2	3
1.	जयपुर, टोंक, देवली. बून्दी, कोटा, झालावाड़, अकलेरा, देवरा (म.प्र.) सीमा तक	राज्य मार्ग नं. 1
2.	झालावाड़ से इन्दोर (राजस्थान सीमा तक)	,, 1ए
3.	राजाखेडा सिरमथुरा, करौली, गंगापुर लालसोट, चाकसू, फागी, दूदू, खाटू, नागौर, फलौदी ।	,, 2
4.	गंगानगर, पदमपुरा, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली ।	,, 3
5.	अजमेर, नसीराबाद भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालौर से (गुजरात) सीमा तक ।	,, 4
6.	ब्यावर, वैर, जोधपुर, डेचू, पोकरण ।	,, 5
7.	डूंगरगढ़, सरदारशहर, तारानगर, राजगढ़, हिसार (पंजाब) ।	,, 6
8.	सरवार किशनगढ़. नारायणपुर, डीडवाना, सुजानगढ़, तालछापर, रतनगढ़, सरदारशहर, पल्लू, हनुमानगढ़, सादुलशहर, वेहर (पंजाब) ।	,, 7ए
9.	किशनगढ़ से नसीराबाद ।	,, 7
10.	सीकर, नवलगढ़, झुन्झुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, लुहारू, (हरियाणा) ।	,, 8

1	2	3
11.	उदयपुर डबोक, मावली, भोपालसागर, कपासिन, चित्तौड़गढ़, लाडपुरा, बूंदी ।	राज्य मार्ग नं० 9
12.	सिरोही, पिण्डवाड़ा, कोटरा, खेरवाड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, रतलाम (मध्यप्रदेश) राज्य सीमा तक ।	,, 10
13.	रानीवास, मन्डार, आबू सड़क ।	,, 11
14.	जयपुर, डिग्गी, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा, बन्दा, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, कांकरोली ।	,, 12
15.	अलवर, शाहपुरा, कांवट, नीमकाथाना, खेतड़ी, सिंघाना, चिड़ावा, पिलानी, राजगढ़ ।	,, 13
16.	भरतपुर, डीग, नगर अलवर बहरोर, नारनौल, (गुजरात) राज्य सीमा तक ।	,, 14
17.	डेबार, डबोक, मगब्रोर, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी, नीमच, (मध्यप्रदेश) राज्य सीमा तक ।	,, 15
18.	बाड़मेर, सिडी जालौर, सन्देराव, सादड़ी, देसूरी, अमृविस ।	,, 16
19.	कोटा, बारां, शाहबाद, शिवपुरी (मध्यप्रदेश) सीमा तक ।	,, 17
20.	अजमेर, बड़ी, घाटी, भेरुनन्दा डिमाना, तरनाऊ, डीडवानां ।	,, 18
21.	इन्द्रगढ़ कटावा, मागरौल, बारां खानपुर, झालावाड़, भवानीमण्डी, डग, अगर (मध्यप्रदेश) सीमा तक ।	,, 19
22.	सीकर सुजानगढ़, तलछापी, नोखा ।	,, 20
23.	दान्तीवाड़ा, पिपारसिटी, मेड़तासिटी, परबतसर ।	,, 21
24.	मांडरेल, करौली, हिन्डौन, महुआ, खेरली, नगर पहाड़ी, राज्य सीमा तक ।	,, 22

1	2	3
25.	भरतपुर, रूपवास, सैपऊ, धोलपुर ।	राज्य मार्ग नं० 23
26.	गंगापुर, नादोती, सिकन्दरा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, किशनगढ़, तिजारा, भिवानी (हरियाणा) सीमा तक।	,, 25
27.	नसीराबाद, केकड़ी, देवली ।	,, 26
28.	बड़, पाली, सिरोही, मन्डार, देवसा (गुजरात) सीमा तक ।	,, 27
29.	जोधपुर, बालोतरा, सिकन्दरी, छीतलवाड़ा	,, 28
30.	बूंदी, लाखेरी, सवाई माधोपुर, दौसा, सिरस्का।	,, 29
31.	टोंक, सवाई माधोपुर, पालीघाट, शिवपुर (मध्यप्रदेश) सीमा तक।	,, 30
32.	जालौर से भीनमाल, रानीवाड़ा सीमा तक ।	,, 31

(327)

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न संख्या 117 की सूची

कार्यालय नगर परिषद, बीकानेर

अतारांकित प्रश्न सं० 422 अ०ता० द्वारा श्री देवीसिंह भाटी

क. सं.	कर्मचारी का नाम पिता/पति का नाम		जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	सर्किल नं०
1	2	3	4	5	6
1.	मामूदेवी/मुरलीधर	स. क.	6·11·75	1·11·75	1 (एक)
2	रतनी/पन्नालाल	,,	11·10·49	1·1·68	,,
3.	कालूराम/रतनलाल	,,	4·6·64	6 10·83	,,
4.	शारदा/भंवर	,,	10·3·40	1·1·68	,,
5.	सोदरकी/नानूराम	,,	8·4·35	1·7·48	,,
6.	परमेश्वरी/भानीराम	,,	4 3·41	23·7·68	,,
7.	तीजकी/ग्राडूडा	,,	5·5·46	22·5·50	,,
8.	शान्ति/रामेश्वर	,,	20·10 52	30·12·72	,,
9.	चांदकी/छैलाराम	,,	15·3·30	1·3·50	,,
10.	सीलूडी/बस्ताराम	,,	26·9·55	23·12·75	,,
11.	रामप्यारी/सुरजाराम	,,	4·2·56	1·1·76	,,
12.	सतोष/बिड़दा	,,	19·4·38	4·8·68	,,
13.	शिवली/सुखदेव	,,	13·1.40	8·1·71	,,
14.	शोभा/किशनलाल	,,	15·10·50	10·11·72	,,
15.	सरला/रामदेव	,,	16·7·55	1·11·75	,,
16.	लालकी/सोहन	,	7 2·35	18·7·60	,,
17.	नाथूड़ी/फागूराम	,,	28.2·30	1·4·47	,,
18.	मीरचली/भंवर	,,	11·10·56	2·1·76	,,

1	2	3	4	5	
19.	गेन्दूडी/मोहन	स. क.	30·12·53	11·4·75	एक
20.	शान्ति/भंवर	,,	11·9·56	1·12·75	,,
21.	भंवरी/गोविन्द	,,	12·1·54	2·3·73	,,
22.	राधकी/अकूड़ाराम	,,	19·1·30	1·4·47	,,
23.	विमला/प्रभूदयाल	,,	15·10·51	30·12·72	,,
24.	गणेश/बिरजूराम	,,	17·7·50	1·9·72	,,
25.	केशर/मंगतू	,,	29·4·35	2·12·60	,,
26.	सावित्री/सीताराम	,,	1·7·50	23·2·72	,,
27.	जसोदा/मगलाराम	,,	1·10·49	23·10·75	,,
28.	पुरखा/गोरीशंकर	,,	2·3·53	3·3·73	,,
29.	अंतराम/मुरली	,,		30·8·76	,,
30.	गीता/मंगलचन्द	,,	1.12·51	23·5·53	,,
31.	भंवरी/कालू	,,	20·8·57	1·12·75	,,
32.	बनारसी/मंगतूराम	,,	7·5·53	10·10·75	,,
33.	रामलाल/जुमन	,,	26·4·50	17·9·69	,,
34.	भाणकी/रामचन्द्र	,,	16·3·46	7 6·73	,,
35.	सुखली/आत्माराम	,,	9·2·30	1·8·47	,,
36.	पानकी/हनुमान	,,	21·2·40	25·1·69	,,
37.	सावित्री/गुरीया	,,	29·4·42	18·5·68	,,
38.	मांगली/गुरीया	,,	11·11·52	18·3·75	,,
39.	परमेश्वरी/गणपत	,,	9·2·35	1·2·60	,,
40.	शान्ति/लालाराम	,,	14·5·55	15·3·75	,,
41.	डबली/रामदेव	,,	10·1·46	24·6·67	,,
42.	लक्ष्मी/अनोप	,,	1·1·54	13.2·75	,,
43.	मैनकी/मूणाराम	,,	20·5·40	20·6·58	,,
44.	संतोष/नारायण	,,	1·5·50	17·2·69	,,
45.	शिवलाल/मांगू	,,	15·8·51	5·8·75	,,

1	2	3	4	5	6
46	चुकली/बंशीया	स. क.	15·9·41	23·4·64	एक
47.	ईब्राहीम/रजब्रूद्दीन	,,	14.4.42	28·9·62	,,
48.	पुष्पा/नोरतनमल	,,	17·6·64	2·8·82	,,
49.	शिवली/माणक	,,	21·5·45	1·5·55	,,
50.	सोहन/तमोली	,,	1·5·28	8·7·53	,,
51.	मैना/प्रकाश	,,	2·5·44	10·6·62	,,
52.	संतरा/गणेश	,,	6·2·45	21·1·69	,,
53.	भंवरीया/फूसा	,,	19·1·42	3·6·62	,,
54.	मणी/चौत्रू	,,	25·3·42	2·2·61	,,
55.	रूपली/भंवर	,,	7·3·45	7·10·68	,,
56.	मनफूली/मांगीया	,,	20·7·49	18·9.70	,,
57.	रामदीन/जेठाराम	,,	1·1·58	20·7·83	,,
58.	संतोष/गोरधन	,,	13·4·50	10·10·69	,,
59.	मनूड़ा/नारायण	,,	16·3·50	1·5·64	,,
60.	बुधली/जगदीश	,,	25·8·37	25·1·69	,,
61.	जगदीश/मालाराम	,,		28·6·73	,,
62.	मधी/ओमप्रकाश	,,	22·7·59	25·8·79	,,
63.	मनूड़ा/मंगतू	,,	15·6·52	10·5·72	,,
64.	राजू/बिड़दा	,,	15·8·63	27·8·83	,,
65.	हेमराज/नारायण	,,	15·4·47	23·4·64	,,
66.	घनश्याम/माणक	,,	20·2·55	22·5·73	,,
67.	शंकर/माला	,,	10·1·49	13·11·63	,,
68.	चौरू/द्वारका	,,	11·5·45	27·6·66	,,
69.	राजली/नवरतन	,,	23·5·50	13·11·68	,,
70.	संतरा/बाबूलाल	,,	15·2·59	23·2·80	,,
71.	सोहनी/बुलाकी	,,	11·5·51	9·5·72	,,
72.	लालकी/जगदीश	,,	5·4·50	12·2·70	,,

1	2	3	4	5	6
73.	भंवरकी/बाबूड़ा	स. क.	23-12-42	7-2-70	एक
74.	श्यामलाल/भंवर	,,	11-5-53	11-4-76	,,
75.	अहमद/वारसखां	,,	5-1-47	22-4-69	,,
76.	नेमीचन्द/बाबूलाल	,,	12-3-55	24-3-77	,,
77.	किरण/चंपालाल	,	20-3-45	27-3-70	,,
78.	द्रोपदी/विश्वालाल	,,	23-11-57	8-1-79	,,
79.	बनारसी/बीरू	,,	1-11-48	13-1-78	,,
80.	हड़मान/माणक	,,	22-1-50	1-4-70	,,
81.	नटवर/माणक	,,	12-2-51	14-4-70	,,
82.	भगवती/बद्री	,,	14-5-50	14-5-70	,,
83.	भगवानदास/छोटूराम	,,	10-4-55	10-5-76	,,
84.	सीता/दाउड़ा	,,	21-5-45	22-4-70	,,
85.	मैनकी/सीवलाल	,,	3-6-48	22-4-70	,,
86.	मीनूड़ी/भंवरलाल	,,	12-3-45	7-2-70	,,
87.	कांता/रामदास	,,	15-6-52	5-1-73	,,
88.	मोतीलाल/नेमीचन्द	,,	8-6-58	1-8-77	,,
89.	ओमप्रकाश 'फागू	,,	17-5-56	1-8-78	,,
90.	गोविन्द/रामपाल	,,	17-5-56	1-8-78	,,
91.	पतासी/सोहन	,	1-6-53	1-8-78	,,
92.	सूंडकी/चम्पालाल	,,	3-10-57	1-8-78	,,
93.	गजराज/आत्माराम	,,	29-8-68	1-8-78	,,
94.	भंवरलाल/शोभाराम	,,	2-7-61	2-7-80	,,
95.	शान्ती/वंशी	,,	3-8-48	1-8-78	,,
96.	गीता/भंवर	,,	14-6-56	1-8-78	,,
97.	गणीया/चम्पलाल	,,	7-4-54	1-8-78	,,
98	लाभूराम/प्रहलाद	,,	11-3-62	5-5-83	(2)
99.	कालीकी/मेंहदीया	,,	6-5-35	30-10-55	,,

1	2	3	4	5	6
100.	गीता/रामप्रसाद	स. क.	15-2-61	9-7-82	2
101.	कैलास/केसरा	,,	21-7-56	13-12-75	,,
102.	बजरंग/शिवलाल	,,	15-2-55	11-9-73	,,
103.	सम्पत/नारायण	,,	22-9-54	2-11-75	,,
104.	बावूड़ी/रामेश्वर	,,	2-5-55	10-10-76	,,
105.	बावूड़ी/मनफूल	,,	20-4-46	1-1-68	,,
106.	मोदरा/सुरजराम	,,	16-1-32	12-10-49	,,
107.	नारायण/सुखदेव	,,	12-2-53	8-3-72	,,
108.	सीता/प्रकाश	,,	13-1-56	15-2-78	,,
109.	कानीया/बाला	,,	3-2-47	1-1-68	,,
110.	रामेश्वर/दासीया	,,	11-7-51	12-7-72	,,
111.	अणची/माणक	,,	11-4-46	1-1-68	,,
112.	भूरू/मगला	,,	16-10-48	25-2-72	,,
113.	भंवरी/मोहन	,,	6-5-48	1-6-66	,,
114.	मीनूड़ी/लाला	,,	2-5-35	18-9-54	,,
115.	बुधली/जगदीश	,,	10-4-51	1-1-68	,,
116.	सीतकी/शंकर	,,	2-1-45	1-1-68	,,
117.	त्रिवेणी/चौथू	,,	1-11-55	23-1-75	,,
118.	किरण/शिवलाल	,,	10-4-51	3-5-61	,,
119.	कमली/श्रीकिशन	,,	21-4-47	8-10-68	,,
120.	पांचीया/होवाराम	,,	5-1-55	7-1-76	,,
121.	कलूड़ी/बनवारी	,,	24-6-55	10.10-75	,,
122.	फूसकी/बिरजू	,,	3-2-36	1-4-77	,,
123.	बाबूड़ा/भानू	,,	20-5-36	6-7-48	,,
124.	रामेश्वरी/पोकर	,,	15-1-56	5-2-76	,,
125.	भंवरी/घोसाराम	,,	27-12-53	1-1-76	,,
126.	बीरजकी/चौरू	,,	18-5-45	1-1-68	,

1	2	3	4	5	6
127	राजूड़ी/भवर	स. क.	24-2-55	1-11-75	(2)
128.	भंवरी/मूलचन्द	,,	15-3-50	24-6-68	,,
129.	बीदामी/जेठीया	,,	17-1-44	1-1-68	,,
130.	ग्यारसी/रेवतिया	,,	10-3-40	18-5-59	,,
131.	कमली/नथू	,,	3-12-49	1-1-68	,,
132.	तुनछी/कासीया	,,	3-5-32	1-4-47	,,
130.	सीताराम/रामपाल	,,	20-5-50	23-5-75	,,
134.	बुधली/बाबूड़ा	,,	3-3-40	18-7-50	,,
135.	नोरंगी/बिड़दा	,,	30-4-35	25-7-48	,,
136.	गणपत/बाला	,,	4-3-47	1-1-68	,,
137.	शान्ती/बाबूलाल	,,	9-3-45	1-1-60	,,
138.	सुन्दरकी/बंशी	,,	3-2-42	1-1-68	,,
139.	कमली/बिरजू	,,	7-7-56	1-11-75	,,
140.	सूरजकी/पारिया	,,	20-10-51	7-12-71	,,
141.	हड़मान/कासिया	,,	10-5-54	11-5-76	,,
142.	शान्ती/चौरिया	,,	30-3-40	1-1-68	,,
143.	लालकी/पूरन	,,	29-3-38	25-3-56	,,
144.	सन्तरा/कीलू	,,	10-4-47	1-1-68	,,
145.	कमली/किशोर	,,	21-5-52	17-5-72	,,
146.	गौरीशंकर/सीताराम	,,	30-4-52	12-7-72	,,
147.	सम्पत/हरनारायण	,,	4-3-50	2-9-67	,,
148.	कोयली/गौरीशंकर	,,	1-11-51	1-11-75	,,
149,	तीजा/नथू	,,	16-5-30	24-6-67	,,
150.	दीनदयाल/माणक	,,	20-7-60	20-2-80	,,
151.	गोदावरी/गणीया	,,	24-8-41	8-10-60	,,
152.	शंकर/बीरखा	,,	12-3-48	27-10-53	,,
153.	सुन्दरलाल/बद्री	,,	1-1-57	16-2-78	,,

1	2	3	4	5	6
154.	शान्ती/आत्माराम	स. क.	11·3 48	1·6·66	2
155.	बनारसी/चौथू	,,	4·5·43	3·9·65	,,
156.	प्रेमचन्द/छैलाराम	,,	21· 1·60	8·1·82	,,
157.	चौरिया/आसू	,,	4·1·35	16·4·56	,,
158.	भवरिया/रामपाल	,,	1·2·37	1·3·48	,
159.	शंकर/बाला	,,	3·1·45	1·7·61	,,
160.	मंगनलाल/भवर	,	12·9·58	1·9·77	,,
161.	रतनी/घीसाराम	,,	19·4·40	26·11·69	,,
162.	चुकली/रामधन	,,	12·9·48	7.6·76	,,
163.	सोहनी/रामेश्वर	,,	1·1·53	5·3·72	,,
164.	मोहनी/अंखला	,,	10·1·40	8·2·68	,,
165.	चम्पालाल/जैचा	,,	1·6·46	1·5·71	,,
166.	बाबूड़ी/बूलाकी	,,	15·5·55	11·4·75	,,
167.	नारायणी/करणीदान	,,	12·3·56	10·2·76	,,
168.	चुकली/रामरख	,,	14·11·52	16·12·72	,,
169.	ईचूड़ी/लालचन्द	,,	10·2 50	3.2·70	,,
170.	किशनलाल/पांचीलाल	,,	20·5·56	11·5·74	,,
171.	रामप्यारी/कन्हैयालाल	,,	10·11.51	23.12·71	,,
172.	महबूब/गफ्फारखां	,,	25·4·46	22·4·69	,,
173.	रतनी/ग्यारसाराम	,,	1·2·45	27·3·70	,,
174.	कस्तूरी/मनीराम	,,	23·4·56	8·3·76	,,
175.	सोवरा/रामजीलाल	,,	25·5·46	1·4·70	,,
176.	गीता/चुन्नीलाल	,,	5·5·57	1·8·78	,,
177.	राधा/सीताराम	,,	5·8·55	1·8·78	,,
178.	गोवरा/घघरलाल	,,	2·6·49	25·6·79	,,
179.	रुकमणी/मंगतू	,,	20·6·59	25·6·79	,,
180.	शरबती/हेमराज	,,	21·2·50	8·10·68	(3)

1	2	3	4	5	6
181.	बुदली/बलदेव	स. क.	7.4.36	1.11.62	(3)
182.	शांती/मीठु	,,	20.1.35	3.10.59	,,
183.	किशनी/विशनु	,,	7.2.41	12.5.75	,,
184.	रतनी/जसराज	,,	9.3.45	24.1.67	,,
185.	रामी/फरसाराम	,,	8.5.46	15.5.68	,,
186.	सुखा/धोकल	,,	25.10.54	28.11.72	,,
187.	किशनड़ी/बुधा	,,	12.3.46	1.1.68	,,
188.	मिठूड़ी/धन्नाराम	,,	15.3.49	3.3 61	,,
189.	सूवा/शंकर	,,	26.9.54	1.11.75	,,
190.	राजुड़ी/भंवर	,,	22.5.53	10.10.75	,,
191.	छोटकी/काशी	,,	15.7.56	1.11.75	,,
192.	मोहन/हुणता	,,	10.1.35	1.2.49	,,
193.	गणपति/मालिया	,,	2.3.32	1.4.47	,,
194.	पानकी/चुनिया	,,	1.1.55	27.5.76	,,
195.	केसिया/भाणुप	,,	10.2.30	1.1.48	,,
196.	चम्पली/जेठिया	,,	1.8.52	1.11.71	,,
197.	बिल्ली/श्रीराम	,,	5.2.38	7.4.56	,,
198.	सरबती/सत्तानन्द	,,	15.6.41	20.11.59	,,
199.	शांती/झंवर	,,	12.8.50	10.10.69	,,
200.	रतनडी/पूनिया	,,	15.9.37	17.6.57	,,
201.	चिडिया/जगना	,,	17.4.45	1.4.54	,,
202.	किरण/शिवलाल	,,	2.5.64	12.10.83	,
203.	मिठडी/भगवानदास	,,	15.4.55	11.4.75	,,
204.	धुलीचन्द/भेराराम	,,	12.2.39	1.6.66	,,
205.	नाथी/जगदीश	,,	2.8.61	9.9.81	,,
206.	मोहनी/रमण	,,	27.2.32	17.10.56	,,

1	2	3	4	5	6
207.	किसोरं/मंगतु	स० का०	4.8.55	30.12.75	तीन
208.	झमकू/बद्री	,,	20.11.47	10.1.73	,,
209.	शांती/सुभाष	,,	16.2.49	23.2.72	,,
210.	कमली/प्रकाश	,,	13.10.61	1.8.80	,,
211.	संपत/मंगलचन्द	,,	12.9.54	10.10.75	,,
212.	रामकंवरी/सीताराम	,,	30.5.47	19.3.71	,,
213.	पालकी/मोहन	,,	5.7.33	14.9.54	,,
214.	बनारसी/प्रभु	,,	15.9.29	11.1.48	,,
215.	मूलकी/महावीर	,,	15.5.57	19.5.80	,,
216.	रामली/मंगलचन्द	,,	3.2.29	1.4.47	,,
217.	किसना/बीजाराम	,,	3.9.30	5.11.48	,,
218.	नोजकी/रामचन्द्र	,,	2.5.40	11.9.60	,,
219.	प्रहलाद/मंगला	,,	5.8.57	27.12.75	,,
220.	भंवरी/टीकू	,,	1.5.52	5.3.72	,,
221.	कमला/मुमीचन्द	,,	13.2.49	12.8.69	,,
222.	तीजकी/भाणु	,,	10.12.55	1.11.75	,,
223.	लालचन्द/चरणदास	,,	11.9.59	26.5.77	,,
224.	शांती/प्रकाश	,,	3.9.54	16.12.75	,,
225.	नेनकी/मंगतू	,	1.4.58	29.8.78	,,
226.	मोहनी/नरसिया	,,	15.2.40	1.6.65	,,
227.	भंवरी/झूमर	,,	3.2.44	8.9.59	,,
228.	झूमरिया/धोकल	,,	11.3.40	15.10.59	,,
229.	बुदली/नेमीचन्द	,,	23.5.68	16.11.69	,,
230.	भवरिया/मांगू	,,	5 3.35	2.4.48	,,
231.	सीता/काशीया	,,	26.1.50	27.2.72	,,
232.	ग्यारसा/बाबूलाल	,,	10.6.62	19.7.82	,,
233.	मोडिया/मंगला	,,	10.4.35	20.12.52	,,

1	2	3	4	5	6
234.	काना/भंवर	स० क०	2.6.55	6.5.80	तीन
235.	कैलाश/लारू	,,	22.6.43	29.12.52	,,
236.	रतनी/महावीर	,,	9.4.44	1.5.68	,,
237.	रामचन्द्र/छगना	,,	10.12.55	1.12.75	,,
238.	श्रयूबहुसन/इलाहीबक्श	,,	12.1.59	22.3.78	,,
239.	शेरखान/मोमनखां	,,	6.4.38	3.4.55	,,
240.	बाबूखां/गुलामखांकादर	,,	15.7.57	22.3.75	,,
241.	राधा/प्रहलाद	,,	20.10.52	22.4.71	,,
242.	मंगलिया/मुरली	,,	6.3.39	4.12.66	,,
243.	शांती/प्रकाश	,,	9.9.55	22.10.76	,,
244.	तुलछिया/रामदेव	,,	10.1.48	24.9.67	,,
245.	शरवती/श्रानन्दप्रकाश	,,	3.3.48	3.2.70	,,
246.	रामरखी/बाबूलाल	,,	24.5.50	27.3.70	ए.ए.
247.	मणी/मोड़ाराम	,,	23-5-46	27-3-70	,,
248.	सम्पत/शंकर	,,	23-5-55	1-4-70	,,
249.	श्रोमप्रकाश/सोहन	,,	1-1-57	1-8-77	,,
250.	किरण/श्यामलाल	,,	1-1-61	30-1-80	,,
251.	रामचन्द्र/मिठू	,,	5-5-59	1-8-78	,,
252.	किशन/बणुराम	,,	5-4-55	1-8-78	,,
253.	देवसी/भंवर	,,	21-5-58	1-8-78	,,
254.	पारसमणी/भंवर	,,	1-4-55	1-8.78	,,
255.	सुल्तान/रामसुख	,,	2-7-50	1-8-78	,,
256.	मनोहर/गीगा	,,	16-4-26	1-7-67	(4)
257.	रत्नी/छैला	,,	10-2-41	1-9-62	,,
258.	जुबली/प्रभुराम	,,	6-3-32	1-4-47	,,
259.	गीता/रामचन्दर	,,	2-3-52	15-3-69	,,
260.	तुलछकी/भंवर	,,	2-3-45	14-5-69	,,

1	2	3	4	5	6
261	कलुड़ी/घोकल	स०.के०	1-1-35	1-6-44	तीन
262.	गवरली/गोरधन	,,	17-1-35	1-5-55	,,
263.	ललुड़ी/घोकल	,,	9-1-35	28-10-60	,,
264.	मुनी/ज्ञानचन्द	,,	13-1-60	14-2-80	,,
265.	राधा/मोहनलाल	,,	10-3-40	1-8-47	,,
266.	जीवणा/सोहन	,,	7-3-63	26-8-35	,
267.	मगाची/बिरजु	,,	1-2-43	12-5-54	,,
268.	गुलाबी/वीरभान	,,	10-7-30	13-9-50	,,
269.	रामदेव/शांताराम	,,	4-4-43	15-5-57	,,
270.	शांती/ग्रानन्द	,	16-5-45	12-6-76	,,
271.	मैनकी/गरीबदास	,,	23-3-40	11-8-61	,,
272.	जतादेवी/सन्नूराम	,,	17-3-45	6-7-55	,,
273.	भंवर/शिवनाथ	,	18-5-53	21-5-62	,,
274.	हरदेव/ग्रखाराम	,,	3-2-46	25-5-64	,,
275.	कलुड़ी/बेजाराम	,,	5-4-37	1-4-47	,,
276.	शांती/सोहन	,,	23-1-48	18-4-68	,,
277.	बाबूलाल/बक्षीराम	,,	17-10-53	18-6-74	,,
278.	पानकी/बुधराम	,,	5-2-28	1-4-47	,,
279.	मुनी/भगवानदास	,,	15-7-56	1-11-75	,,
280.	जमनड़ी/सनीया	,,	13-4-35	1-4-47	,,
281.	चोथकी/छगन	,,	11-3-45	1-4-47	,,
282.	छोटकी/सम्पत	,,	3-4-49	4-12-68	,,
283.	बृजकी/रामपाल	,,	1-6-30	1-6-58	,,
284.	बाबूलाल/रामबक्ष	,,	9-4-38	4-2-50	,,
285.	ईचकी/आसूराम	,,	8-7-29	8-10-47	,,
286.	सुन्दरकी/हड़मान	,,	7-4-45	23-7-64	,,
287.	छैलाराम/रमरा	,,	1-1-59	9-4-77	,,

1	2	3	4	5	6
288.	मेनकी/मोड़ाराम	सा०क०	2-4-49	24-11-64	तीन
289.	शांती/सम्पत	,,	28-8-52	20-9-75	,,
290.	राधा/बावूड़ा	,,	8-10-35	28-9-56	,,
291.	शांती/भेराराम	,,	17-7-54	20-9-75	,,
292.	बूवली/किशोर	,,	25-9-55	27-9-75	,,
293.	विमला/बनूराम	,,	18-1-48	21-6-69	,,
294.	सूड़की/रमण	,,	26-3-35	1-8-58	,,
295.	बूधली/बस्ताराम	,,	3-3-35	1-4-47	,,
296.	नथू/छोटू	,,	16-8-55	10-10-75	,,
297.	जीवली/भंवरिया	,,	5-7-26	1-12-47	,,
298.	गीता/अकूडाराम	,,	17-9-48	13-9-69	,,
299.	विष्णु/रामचन्द्र	,,	15-4-53	10-9-70	,,
300.	शकुन्तला/अनुप	,,		17-9-82	,,
301.	राजुराम/गोरधन	,,	15-7-58	6-8-77	,,
302.	धापली/मुकनाराम	,,	20-1-40	11-4-58	,,
303.	सुखाराम/फुसाराम	,,	3-6-30	18-5-63	,,
304.	अणची/मुरली	,,	1-1-35	1-5-62	,,
305.	धर्मदास/रामपाल	,,	16-8-55	10-10-75	,,
306.	साधुड़ी/रामपाल	,,	21-3-35	8-1-59	,,
307.	विष्णु/छेलाराम	,,	4-8-56	22-10-75	,,
308.	सुन्दर/नवरतन	,,	15-6-59	16-7-81	,,
309.	रामचन्द्रा/बीजाराम	,,	10-4-32	17-7-48	,,
310.	भंवरलाल/फागूराम	,,	20-2-54	23-2-72	,,
311.	गीता/रामदेव	,,	8-3-48	12-9-67	,,
312.	पाचकी/लेडाराम	,,	10-3-31	24-6-67	,,
313.	कमला/रमेश	,,	20-6-59	24-7-79	,,
314.	गवरली/भैराराम	,,	31-5-47	23-11-68	,,

1	2	3	4	5	6
315.	किसना/जयचाराम	स० क०	31-5-40	6-3-54	तीन
316.	फकरीया/गोरूराम	,,	1-5-44	19-8-56	,,
317.	मथुरा/सुल्तान	,,	15-7-51	20-9-77	,,
318.	जेठाराम/बेजाराम	,,	1-4-53	4-5-71	,,
319.	केलाश/गरीबदास	,,	20-7-54	1-11-74	,,
320.	शायरी/सुखाराम	,,	5-5-40	24-6-67	,,
321.	सम्पत/करणीदान	,,	14-5-59	1-5-80	,,
322.	जावबदीन/वारसखां	,,	24-4-30	7-5-58	,,
323.	बसीर/मांगूखां	,,	20-5-54	8-6-74	,,
324.	संतोष/घीसाराम	,,	5-3-57	16-3-79	,,
325.	चुकली/भंवर	,,	5-3-77	22-8-66	,,
326.	हरीराम/भागीरथ	,,	6-6-57	1-8-77	,,
327.	छोटकी/बद्री	,,	18-4-51	26-9-70	,,
328.	श्यामलाल/रामपाल	,,	26-4-46	24-9-67	,,
329.	सरस्वती/कालु	,,	20-2-51	26-11-69	,,
330.	बनारसी/श्यामलाल	,,	3-1-49	3-2-70	,,
331.	भूरी/रामदेव	,,	20-5-48	27-3-70	,,
332.	रतनी/शंकर	,,	24-5-47	27-3-70	,,
333.	कुंजीलाल/रामचन्द	,,	11-1-57	8-1-73	,,
334.	भाणकी/किशनाराम	,,	24-1-45	27-3-70	,,
335.	प्रेमदेवी/नोरतन	,,	20-5-50	20-4-70	,,
336.	शिवराज/गरीबदास	,,	14-5-53	1-8-78	,,
337.	निर्मल/प्रहलाद	,,	15-6-57	1-8-78	,,
338.	सुडाराम/मालाराम	,,	17-6-53	1-8-78	,,
339.	बालकिशन/रामचन्द	,,	15-5-57	1-8-78	,,
340.	कमला/दाउलाल	,,	11-7-60	21-10-82	,,
341.	हरीप्रसाद/प्रभुराम	,,	19-6-58	1-8-78	,,

1	2	3	4	5	6
342.	बूलाकी/जौलाराम	स० क०	25-7-48	1-8-78	चार
343.	बूलाकी/हीरा	,,	4-8-56	5-9-78	,,
344.	शांती/प्रभूदयाल	,,	5-4-55	1-8-78	,,
345.	गवरली/रामदेव	,,	11-1-40	19-2-53	पांच
346.	चोथकी/गीधु	,,	10-3-35	1-3-62	,,
347.	बाबूड़ी/कैलाश	,,	24-4-48	5-4-55	,,
348.	विदामी/मांगया	,,	10-2-51	26-5-76	,,
349.	चिमनलाल/छोटू	,,	15-5-56	20-3-75	,,
350.	भंवरी/भंवर	,,	1-7-47	3-3-72	,,
351.	शांती/भंवर	,,	5-3-52	24-1-67	,,
352.	भंवरी/जेठाराम	,,	15-10-57	16-11-79	,,
353.	तारादेवी/संतोष	,,	10-3-55	17-10-73	,,
354.	रामली/साधुड़ा	,,	5-1-38	11-11-47	,,
355.	मनीलाल/शंकर	,,		10-12-75	,,
356.	शंकर/गोकुल	,,	15-9-49	17-10-75	,,
357.	भंवरलाल/नाथूराम	,,	3.11.55	6.4.75	,,
358.	पूनम/बाबूलाल	,,	30.3.59	22.4.77	,,
359.	प्रकाश/भंवर	,,	1.6.56	22.3.75	,,
360.	कमली/सोहन	,,	7.3.40	16.7 84	,,
361.	गोदावरी/रूडाराम	,,	16.6.40	1.12.53	,,
362.	नर्वदा/गोरीशंकर	,,	22.3.55	11.4.75	,,
363.	लुणकी/भंवर	,,	14.5.40	29.10.59	,,
364.	विमला/श्यामलाल	,,	5.10.56	1.11.75	,,
365.	अयोध्या/इन्द्रपाल	,,	23.5.51	19.6.73	,,
366.	सुभद्रा/शंभु	,,	16.8.31	9.7.50	,,
367.	पुष्पा/मंगतूराम	,,	12·5·54	22·2·75	,,
368.	लक्ष्मी/गोपाल	,,	1·1·42	17·1·56	,,

1	2	3	4	5	6
369.	कमला/मुन्नाराम	स. क.	20·1·52	23·2·72	5
370.	नारायणी/जुमन	,,	19·4·37	1·4·47	,,
371.	मैनकी/कुन्दन	,,	23·4·45	26·6·69	,,
372.	किशनी/मदन	,,	1·1·43	1·4·71	,,
373.	मंगतू/रुगाराम	,,	5·3·35	23·9·40	,,
374.	नर्बदा/मंगतू	,,	15·4·37	22·1·54	,,
375.	विष्णु/रामदेव	,,	15·5·56	17·3·73	,,
376.	अनकी/रामदेय	,,	7·4·50	17 12·68	,,
377.	किशनी/मनीराम	,,	12·5·37	26·8·55	,,
378.	सीता/बुलाकी	,,	1·12·51	10·11·76	,,
379.	आसकरण/लालाराम	,,	1·1·64	30·9·83	,,
380.	शान्ति/शोभाराम	,,	11·6·50	17·1·69	,,
381.	बनारसी/गोरधन	,,	5·11·41	13·12·68	,,
382.	उदाराम/धर्माराम	,,	12·1·53	11·4·75	,,
383.	चौथकी/मगनचन्द	,,	1·9·51	5·12·75	,,
384.	भंवरी/बद्री	,,	17·1·50	1·11·75	,,
385.	पानकी/रामकिशन	,,	19·1·35	18·5·54	,,
386.	प्रेमदेवी/रामपाल	,,	6·3·50	25·11·68	,,
387.	ममोलड़ी/नारायण	,,	18·5·40	1·4·59	,,
388.	चुकली/बस्ताराम	,,	2·1·40	1·4·55	,,
389.	शान्ति/बाबूलाल	,,	10·3·48	12·3·57	,,
390.	कुनड़की/रामलाल	,,	15·5·40	28·1·58	,,
391.	चौथिया/तिलोका	,,	20·1·30	1·11·48	,,
392.	पानकी/लीलाराम	,,	10·4·45	9·3·60	,,
393.	संतोष/मुन्नाराम	,,	12·2·56	10·2·76	,,
394.	जिया/गोरधन	,,	20·11·50	30·12·72	,,
395.	उमकी/सूरजराम	,,	7·3·48	7·9·68	,,

1	2	3	4	5	6
396.	सायरी/मंगतूराम	स. क.	6·7·51	21·8·71	(5)
397.	घारीया/अज्ञाराम	,,	26·2·40	7·1·53	,,
398.	घेवरी/बाबूड़ा	,,	18·3·33	1·6·56	,,
399.	गीता/रामप्रसाद	,,	14·1·54	1·4·77	,,
400.	कमली/कानाराम	,,	28·12·54	2·1·76	,,
401.	राधा/प्रहलाद	,,	1·10·48	1·9·75	,,
402.	अतरकी/जोगला	,,	19·1·40	11·9·56	,,
603.	भंवरी/पुखराज	,,	3·2·47	18.11·68	,,
404.	तारादेवी/नथू	,,	1·12·55	1·1·75	,,
405.	सूरजकी/नुघाराम	,,	10·10·58	11·10·70	,,
406.	गंगादेवी/छंगाराम	,,	3·2·30	1·4·47	,,
407.	गीता/अकूड़िया	,,	28·5·46	7·6·68	,,
408.	कमली/झवरलाल	,,	15·5·58	24·8·78	,,
409.	शान्ती/करणीदान	,,	1·2·53	12·1·71	,,
410.	मनोड़ी/नेहुर	,,	1·3·38	1·4·47	,,
411.	गुलाबड़ी/राधेश्याम	,,	10·5·44	12·3·59	,,
412.	सूरजड़ी/छोटिया	,,	5·4·49	19·7·67	,,
413.	प्रकाश/सोहन	,,	3·5·58	15·7·76	,,
414.	कालू/रामपाल	,,	29·4·45	27·1·64	,,
415.	माणक/मोतीराम	,,	29·1·45	1·8·59	,,
416.	झमकड़ी/चौथू	,,	4·2·54	21·1·76	,,
417.	प्रहलाद/रामचन्द्र	,,	25·2·42	1·10·53	,,
418.	पपूड़ा/साधूराम	,,	30·11·50	5·1·73	,,
419.	मनकी/शिवलाल	,,	21·5·48	19·10·64	,,
420.	धनकी/गुलाबिया	,,	1·2·50	1·7·67	,,
421.	कानूणी/माणक	,,	5·10·54	25·7·75	,,

1	2	3	4	5	6
422.	कोहली/श्रीरामचन्द्र	स. क.	8·11·46	17·2·72	5
423.	चिड़िया/सोहनलाल	,,			5
424.	रामलाल/श्रीनारायण	,,	2·4·51	8·5·74	5
425.	रामूड़ा/रामलाल	,,	21·5·42	1·8·62	5
426.	मूलकी/श्रीगोविन्दराम	,,	3·2·47	3·9·65	5
427.	गोविन्द/चिमनाराम	,,	20·4·56	12·5·74	5
428.	रूकमणी/इन्द्रचन्द	,,	1·11·55	8·12.77	5
429.	गरीबदास/मोजूराम	,,	15 1·46	12·3·68	5
430.	कानिया/धीराराम	,,	8·4·47	2·12·53	5
431.	राजूराम/मांगूराम	,,	20·11·58	3·12·77	5
432.	विदाम/बुद्धराम	,,	6·8·60	1·9·81	5
433.	सलिया/केसर	,,	12·3·35	1·4·47	5
434.	पूर्णकी/बीराराम	,,	3.5·47	3·8·68	5
435.	इन्द्र/भंवरलाल	,,	6·10·49	22·7·71	5
436.	किरण/सीताराम	,,	4·10·53	7·2·72	5
437.	मकसूद/मोखेखां भिस्ती	,,	14·8·51	26·7·73	5
438.	चांदमो0/लालखां भिस्ती	,,	16·8·54	20·8·73	5
439.	रामध्यारी/सल्लाराम	,,	11·1·43	18·9·68	5
440.	चिड़िया/गोपाल	,,	1·3·61	6·8·81	5
441.	रामेश्वर/सेडूराम	,,	25·11·46	1·1·77	5
442.	बिरजी/बक्ताराम	,,	15·4·48	12·2·70	5
443.	तीजकी/नमेरिया	,,	2·3·53	23·2·72	5
444.	सूरजी/बाबूलाल	,,	20·5·50	7·2·70	5
445.	रेशमी/रामदेव	,,	6·2·46	17·2·69	5
446.	मोटूराम/मांगूराम	,,	25·5·46	3·2·70	5
447.	पुष्पा/सोहन	,,	26·12·52	29·12.72	5

[497

1	2	3	4	5	6
448.	नर्बदा/राजूराम	स. क.	25·6·50	15·4·76	5
449.	सरला/जीतूराम	,,	12·11·46	17·12·72	5
450.	कैलाश/सोहन	,,	26·3·48	3·2·70	5
451.	गुलाबिया/हरदेवा	,,	3·4·50	3·2·70	5
452.	कालूराम/दयाराम	,,	7·8·54	20·2·72	5
453.	बीता/कन्हैयालाल	,,	10·4·52	17·2·71	5
454.	पारसी/भाऊराम	,,	17 1·42	19·4·69	5
455.	पारुणी/रामलाल	,,	20·9·53	25·4·69	5
456.	मेनकी बाबूलाल	,,	15·12·51	28·4·69	5
457.	भंवर/चतरूराम	,,	15·7·62	11·6·82	5
458.	पूनकी/सुखाराम	,,	6·1·54	15·1·73	5
459.	चुकली/बाबूलाल	,,	24·9·50	11·4·75	5
460.	लीला/फलाराम	,,	20·5·50	27·3·70	5
461.	चावली मोडाराम	,,	20·5·50	27·3·70	5
462.	भंवरी/इन्द्रचन्द्र	,,		1·8·70	5
463.	लिछियां/रामदेव	,,		3·3·72	5
464.	हीरालाल/मोहनलाल	,,	9·9·58	4·9·76	5
465.	ईश्वर/बंशीराम	,,	22·5·52	27·3·70	5
466.	इन्द्रा/चेनपत	,,	22·6·61	20·7 81	5
467.	किरणा/पूनाराम	,,	21·4·53	30·1·72	5
468.	शान्ती/बस्ताराम	,,	5·10·51	1·4·70	5
469.	बस्तियां/मोतीराम	,,	11·7·49	18·11·70	5
470.	गोमती/हरीकिशन	,,	22·5·50	2·4·70	5
471.	मुन्नी/सीताराम	,,	18·12·61	15·9·81	5
472.	ग्राचूकी/बिरजूराम	,,	2·4·50	1·8·70	5
473.	शान्ती/पन्नालाल	,,	10·6·52	1·8·70	5

1	2	3	4	5	6
474.	भंवरी/सुखाराम	स. क.	20·5·40	1·8·70	5
475.	शान्ती/तोलाराम	,,	24·5·50	20·11·70	5
476.	ग्यारसी/मांगीलाल	,,	10·9·54	17 7·81	5
477.	लालचन्द/गुलाबचन्द	,,	26·7·63	29·7·81	5
478.	सुशीलाल/काशीराम	,,	21·5·58	1·8·81	5
479.	सुशीला/भूराराम	,,	15·8·61	25·6·81	5
480.	कमला/रामलाल	,,	7 9·56	26·8·82	5
481.	मिर्चली/शिवलाल	,,	15·8·60	25·8·81	5
482.	रतनी/देवसी	,,	6 8·59	22·8·81	5
483.	सीताराम/भूडाराम	,,	10·2·62	7·11·81	5
484.	विमला/मोहनलाल	,,	15·8·61	2·9·83	5
485.	राधा/राजूराम	,,	4·9·64	6·9·83	5
486.	जमना/हनुमान	,,	15·1·63	6·9·83	5
487.	बिदामी/फुसाराम	,,	7·4·40	9·3·64	6
488.	सरला/तेजाराम	,,	15·5·56	17·2·75	6
489.	दुर्गा/चोरूराम	,,	5·7·53	1·9·78	6
490.	गंगा/रामपाल	,,	3 2·34	15·10·69	6
491.	चुकली/बाबूलाल	,,	15·5·45	11·4·75	6
492.	बुद्धली/उद्दाराम	,,	6·4·40	1·7 66	6
493.	किरण/मुरजाराम	,,	15·7·53	20·3·75	6
494.	अणची/गजराज	,,	4·3·62	4·7·81	6
495.	काना/बन्नी	,,	10·4·42	1·1·68	6
496.	रतनी/पूनम	,,	5·4·52	5·4·76	6
497.	चीड़की/मिश्रराम	,,	11·5·33	15·1·48	6
498.	भगवती/शंकर	,,	12·7·57	13·11·75	6
499.	भंवरी/मनोहर	,,	31·12·45	30·2·67	6

1	2	3	4	5	6
500.	मोहनी/मूलचन्द	स. क.	25·3·51	1·6·72	6
501.	सुशीला/आखाराम	,,	20·12·56	10·12·75	6
502.	फुलिया/सुगना	,,	10·3·50	12·10·63	6
103.	सुरजाराम/चन्दरराम	,,	26·2·45	1·1·65	6
504	चिरंजी/गोपाल	,,	8·9·58	12·11·75	6
505.	सोनकी/नागरमल	,,	1·1·35	14·2·54	6
506.	जगदीश/आडूराम	,,	17·12·57	6·12·75	6
507.	प्रभाती/अर्जनाराम	,,	5·5·49	12 6·69	6
508.	सावित्री/सुखदेव	,,	17·12·53	1·11·75	6
509.	सन्तरा/लक्ष्मण	,,	1·2·58	1·11·75	6
510.	मुन्नी/जोगीराम	,,	15·5·75	11·4·75	6
511.	लाखुडी/शंकर	,,	1·5·30	9·7·50	6
512.	शान्ती/भंवर	,,	20·5·44	14·8·68	6
513.	गुलाबी/बस्ताराम	,,	10·1·40	1·9·60	6
514.	आचुकी/शंकर	,,	15·4 40	13·2·61	6
515.	लक्ष्मी/चम्पालाल	,,	1·1·50	12·2 80	6
516.	मिसडी/चौथूराम	,,	27·4·37	1·5 57	6
517.	इचूडी/रामचन्द्र	,,	15·4·47	1·11·60	6
518.	जमना/बाबूलाल	,,	16·5·35	18·2·60	6
519.	घेवरी/दयालराम	,,	5·10·55	1·11·75	6
520.	परमेश्वरी/कजलूराम	,,	14·5·52	11·2 75	6
521.	लिचमड़ी/शंकर	,,	3·2·40	1 1·66	6
522.	प्रीतम/बस्ताराम	,,	1·1·57	1·1·76	6
523.	पतासी/बद्री	,,	1·11·30	1 4·47	6
524.	रामी/ओमप्रकाश	,,	26·1·63	13·2·82	6
525.	लीला/सांवरलाल	,,	15·1·55	20·1·76	6

1	2	3	4	5	6
526.	पुष्पा/विष्णु	स. क.	22·11·58	13·6·79	6
527.	ऊमली/रामदीन	,,	1·8·34	1·8·47	6
528.	भगवती/मदन	,,	14·10·56	1·11·75	6
529.	चांदा/सहीराम	,,	15·6·53	11·4·75	6
530.	राजकुमारी/दामोदर	,,	7·5·55	11·4·75	6
531.	बाबूदेवी/ओमप्रकाश	,,	27·10·58	1·11·75	6
532.	भिभुवनकी/हुकमाराम	,,	25·10·55	1·11·75	6
533.	रतनलाल/बाबूलाल	,,	15·10·56	1·11·75	6
534.	तीजकी/दासीराम	,,	13·3·30	1·4·47	6
535.	शान्ती/रामचन्द्र	,,	25·8·52	1·11·75	6
536.	पुष्पा/धनपत	,,	21·10·56	1·12·76	6
537.	विद्या/गोवर्धन	,,	15·5·54	1·11·75	6
538.	गोवंल/महावीर	,,	31·12·44	19·1·72	6
539.	चोरुराम/प्रभूराम	,,	1·4·44	6·1·71	6
540.	भंवरी/भंवर	,,	11·5·32	8·6·54	6
541.	गंगा/मोहन	,,	18·5·55	11·4·75	6
542.	छोटकी/पुखराज	,,	7·11·53	1·1·75	6
543.	रेवतिया/शम्भूराम	,,	16·3·58	6·5·77	6
544.	सोहनी/श्यामलाल	,,	31·1·45	9·4·69	6
545.	वाईसा/भंवर	,,	5·1·60	8·1·79	6
546.	जीयाराम/आसूराम	,,	14·6·40	27·9·56	6
547.	लक्ष्मणी/भंवर	,,	27.11·55	20·12·75	6
548.	बावूणी/हरीप्रसाद	,,	15·4·57	6·5·77	6
549.	कमला/बाबूलाल	,,	30·10·40	29·8·60	6
550.	विद्या/कैलाश	,,	12·11.60	17·11·79	6
551.	बुघली/दीपाराम	,,	5·6·48	9·4·57	6

1	2	3	4	5	6
552.	सुरजिया/बक्सूराम	स. क.	9·9·56	1·11·75	6
553.	भंवरी/मंगतू	,,	13·5·53	20·3·75	6
554.	केशर/श्रवण	,,	16·2·35	22 9·80	6
555.	धापली/जीवणराम	,,	25·4·47	4·12·69	6
556.	राजली/बाबूलाल	,,	15·5·53	11·4·75	6
557.	सीता/बुद्धराम	,,	5·9·61	1·9·83	6
558.	रामी/गरीबदास	,,	10·4·40	20·6·66	6
559.	चिड़िया/प्रह्लाद	,,	15·1·45	3·2·68	6
560.	चुन्नी/मगलाराम	,,	23·8·55	1·11·75	6
561.	सरला/भीखाराम	,,	12·2·56	1·11·75	6
562.	राधा/चोरूराम	,,	3·8·50	24·6·71	6
563.	शिवरी/नेनूराम	,,	13·5·49	11·5·71	6
564.	विदामी/चेतनराम	,,	1·2·35	7·6·69	6
565.	दीनदयाल/लालराम	,,	16·10·57	14·11·75	6
566.	केशर/बंशीलाल	,,	8·10·35	11·12·52	6
567.	चावली/गिरधारी	,,	17.3.44	24·6·67	6
568.	केलादेवी/गोवर्धन	,,	15·5·53	18·6·75	6
569.	जानकी/हनुमान	,,	10·2·38	7·7·66	6
570.	धाचूकी/विश्वाराम	,,	15·8·52	9·2·76	6
571.	ओमप्रकाश/गोतबन्द	,,	26·1·58	3·12·82	6
572.	गोतमी/सूरजाराम	,,	1·1·50	27·8·75	6
573.	दाऊ/गोदू	,,	3·2·49	4·5·44	6
574.	शान्ती/प्रह्लाद	,,	6·3·47	6·9·58	6
575.	भंवरी/किशोर	,,	9·2·38	19·4·61	6
576.	पूनम/मलमल	,,	10·1·45	4·8·62	6
577.	बावूड़ा/गोदूराम	,,	15·12·55	24·4·74	6

1	2	3	4	5	6
578.	सूवड़ी/पूनम	स. क.	5-3-49	26-2-68	6
579.	बुद्धा/देवाराम	,,	16-6-49	29-9-74	6
580.	शान्ती/गणेश	,,	18-12-59	20-12-78	6
581.	पांचीलाल/रेवतराम	,,	20-12-55	1-4-83	6
582.	मुन्नी/कानाराम	,,	5-5-48	8-6-69	6
583.	राधाकिशन/धोकला	,,	10-4-50	19-7-58	6
584.	सुभद्रा/बिल्लूराम	,,	9-4-44	20-9-67	6
585.	मोहनी/पूनम	,,	30-12-54	5-1-73	6
586.	प्रकाश/मोहन	,,	2-5-53	23-2-73	6
587.	ममोल/रामदेव	,,	31-5-45	22-11-68	6
588.	बिरजिया/भानूराम	,,	13-6-55	10-10-73	6
589.	पांचिया/लेखन	,,	3-5-35	15-8-54	6
590.	चोरिया/हनुमान	,,	1-1-33	1-4-47	6
591.	राजूदेवी/चरणदास	,,	7-3-64	27-7-83	6
592.	मुन्ना/मांगीलाल	,,	29-6-64	5-7-83	6
593.	नेमी/भंवर	,,	20-3-51	17-6-72	6
594.	श्रवण/गणपत	,,	12-10-52	5-7-72	6
595.	अबदुलसत्तार/फूलेखां	,,	30-4-35	7-2-63	6
596.	श्रीदेवी/श्यामलाल	,,	18-6-52	29-6-71	6
597.	श्रवण/मुरली	,,	26-2-48	27-6-66	6
598.	अनूपी/चोरू	,,	12-4-52	3-3-77	6
599.	सुशीला/गोविन्दा	,,	15-5-50	31-12-69	6
600.	कन्चन/राधेश्याम	,,	5-4-53	3-8-72	6
601.	नाथी/छेलाराम	,,	20-6-46	3-2-70	6
602.	सूवटी बखतावर	,,	13-3-40	12-7-69	6
603.	बीरबल/पूनम	,,	18-5-58	9-7-77	6

1	2	3	4	5	6
604.	तुलसी/मैसू	स. क.	26 3·45	3·2·70	6
605.	जमना/हंसराज	,,	4·10·51	2·10·70	6
606.	भंवरी/गोविन्द	,,	2·2·40	16·4·59	6
607.	सुमेदा/बालकिशन	,,	5·1·52	3·2·70	6
608.	रामी/मांगीलाल	,,	25.5·50	19·4·69	6
609.	लिक्ष्मणी/पूरणराम	,,	31·12·48	,,	6
610.	भगवती/मदन	,,	3·4·44	10 5·69	6
611.	ओमप्रकाश/चौथू	,,	20·4·50	3·2·70	6
612.	सूरजिया/बन्शी	,,	15·5·55	11·6·73	6
613.	सायरी/मोडाराम	,,	25·1·48	1·5·69	6
614.	जसोदा/शंकर	,,	5·5·50	3·2·70	6
615.	पाना/किशोर	,,	2·5·51	17·2·70	6
616.	सन्तरा/चिमन	,,	27·9·56	10·4·75	6
617.	सम्पत/पांचीलाल	,,	8·5·41	5·2·72	6
618.	मोडिया/भूराराम	,,	25·5·48	27·3·70	6
619.	मैना/वुंशी	,	1·2·48	27·3·70	6
620.	मणी/विष्णु	,,	20·7·60	9·7·79	6
621.	महावीर/गोपाल	,,	2·5.48	12·6·72	6
622.	श्लामलाल/बाबूलाल	,,	8·11·56	1·11·75	6
623.	कमला/बद्री	,,	24·5·46	27·3·70	6
624.	कमला/देवाराम	,,	1·1·48	1·8·70	6
625.	झुमरी/पूनाराम	,,	1·2·48	14·4·70	6
626.	शान्ती/जगदीश	,,	1·7 56	25·8·77	6
627.	जुगलकिशोर/कानाराम	,,	17·3·49	1·8·70	6
628.	छोटकी/प्रहलाद	,,	23·6·59	8·12·81	6

1	2	3	4	5	6
629.	राज/मनीराम	स. क.	26·2·51	10·1·59	7
630.	रामप्रताप/रमन	,,	23·10·52	1·4·71	7
631.	आकाराम/धीराराम	,,	15·1·45	8·1·64	7
632.	जगमोहन/मखमल	,,	10·5·47	25·1·64	7
633.	बसिया/छोटू	,,	25·12·54	11·3·75	7
634.	चूनिया/तारा	,,		22·12·74	7
635.	जेठी/भूद्धाराम	,,	11·6·56	1·11·75	7
636.	ओमप्रकाश/सुगना	,,	10·8·56	25·7·75	7
637.	महावीर/मंगला	,,	6·8·45	25·12·53	7
638.	सावला/सीताराम	,,	18·1·52	2·10·73	7
639.	जीसया/गोदसवर	,,	10·4·47	1·6·66	7
640.	सूरजमल/रामप्रताप	,,	16·5·48	13·10·66	7
641.	नथिया/लेडा	,,		7·9·71	7
642.	प्रकाश/सन्तु	,,	25·10·53	1·1·75	7
643.	विष्णु/मानुराम	,,	25·2·37	24·2·54	7
644.	मनीराम/घेकल	,,	18·3·53	17·7·74	7
645.	विष्णु/गोकुलराम	,,	25·2·37	24·2·54	7
646.	मंजूदेवी/मिताराम	,,	15·8·62	14·9·71	7
647.	करणिया/रामप्रताप	,,	16·1·50	1·2·69	7
648.	जगदीश/रामचन्द्र	,,	9·3·46	11·11·66	7
649.	रामेश्वर/रामचन्द्र	,,	1·5·56	8·5·74	7
650.	कानिया/पूनाराम	,,	15·8·54	9·12·72	7
651.	कन्हैया/भूराराम	,,	22·2·45	14·4·56	7
652.	पारिया/देशाराम	,,	26·1·47	1·8·62	7
653.	सम्पत/बिसजु	,,	2·10·53	5·4·72	7

1	2	3	4	5	6
654.	ओमप्रकाश/माणक	स. क.	22·5·56	19·6·74	7
655.	छोटिया/गंगाराम	,,	19·6·53	2·9·72	7
656.	बाबूलाल/महावीर	,,	17·12·54	1·1·76	7
657	विष्णु/बाबूलाल	,,	2·5·54	9·5·72	7
658.	विनोद/मांगीलाल	,,	30·5·60	17·7·70	7
659.	बूलाराम/शोभाराम	,,	30·3·54	22·5·76	7
660.	प्रेमचन्द/काशीराम	,,	21·4·57	22·5·76	7
661.	शिवरतन/मंगतूराम	,,	14·5·61	10·7·81	7
662.	भंवर/छेगना	,,	12·2·57	10·7·82	7
663.	हरीश/ताराचन्द्र	,,	28·5·56	22·5·76	7
664.	ग्यारसाराम/भेराराम	,,	20·4·55	,,	7
665.	धनराज/शिवरतन	,,	25·1 60	17·5·80	7
666.	मनीराम/माधोराम	,,	28·5 54	22·5·76	7
667.	जीतू/सुन्दर	,,	3·5·54	,	7
668.	रामदास/सुरजाराम	,,	14·4·53	,	7
669.	सुखदेव/धन्नाराम	,,	15·3·54	,,	7
670.	श्यामलाल/रामचन्द्र	,,	15·2·55	,,	7
671.	बल्माराम/घासीराम	,,	5·5·53	,,	7
672.	भीकमचन्द/घोलाराम	,,	11·4·56	,,	7
673.	माया/नवरतन	,,	20·5·63	20·10·76	7
674.	भंवर/रामचन्द्र	,,	1·12·53	18.9·76	7
675.	नवरतन/भंवरीलाल	,,	1·1·52	18·9·76	7
676.	भंवर/मोडाराम	,,	1·10·52	22·10 76	7
677.	कालूराम/गणेशाराम	,,	1.1·57	1·12·76	7
678.	त्रिलोका/चोरूराम	,,	1·5 54	24·4·74	7

1	2	3	4	5	6
679.	विष्णु/सीताराम	स. क.	28·2·42	3·2·70	7
680.	सुरजाराम/बाबूलाल	,,	1·10·48	2·10·69	7
681.	मिनूणा/पूनाराम	,,	2·3·50	23 3·70	7
682.	रामलाल/घोकलराम	,,	11·9·57	6·11·73	7
683.	कानाराम/भागीरथ	,,	13·3·53	11·4·75	7
684.	गोपाल/रामरख	,,	24·5·51	27·3·70	7
685.	कन्हैया/शंकर	,,	16·9·52	3·1·73	7
686.	भंवर/हिम्मता	,,	19·1·42	28·8·62	7
687.	नरकिया/भानूराम	,,	20.5·35	3·9·48	7
688.	हीरालाल/भोडूराम	,,	5·10 54	25·8·75	7
689.	भेरिया/भानूराम	,,	11·9·53	3·3·64	7
690.	रूडिया/दूलाराम	,,	13·3·40	1·2·48	7
691.	सेंसकरण/लिखमाराम	,,	15·3·40	27·11·54	7
692.	लालचन्द/काशीराम	,,	19·5 40	22·5·63	7
693.	दीपला/किशना	,,	7·3·45	4·7·55	7
694.	केशरा/भेराराम	,,	5·4·58	8·4·78	7
695.	मोखला/किशनाराम	,,	10·1·37	18·8·61	7
696.	डूगर/नुकलाराम	,,	4·12·56	1·11·75	7
697.	रामचन्द्र/भाणूराम	,,	18 3·40	16·3·63	7
698.	भाऊराम/सुखदेव	,,	3.1·35	1·2·52	7
699.	मानीराम/ज्ञाराम	,,	10·1·30	1·2·52	7
700.	लीला/मिश्राराम	,,	16·5 35	1·2·52	7
701.	महादेव/छोटूराम	,,	13·1·46	9·7·57	7
702.	मंगतूराम/पीठाराम	,,	22·4 49	24·8·67	7
703.	मोमीचन्द/चांदाराम	,,	15·8·48	24·9·67	7

424
507

1	2		3	4	
704.	दीपक/मानीराम	स. क.	5-12-50	3-2-70	7
705.	चाँदिया/होवाराम	,	12-1-48	3-2-70	7
706.	गोवर्धन/हनुमान	,,	17-3-45	15-4-69	7
707.	रमेशकुमार/गणपत	,,	1-1-51	9-3-72	7
708.	सुरजाराम/केशराराम	,,	2-3-48	27-3-70	7
709.	किशोरीलाल/गोपीराम	,,	22-12-54	14-1-76	7
710.	केशुराम/सुगनाराम	,	15-8-54	29-5-74	7
711.	पूनम/जुमन	,,	7-2-50	1-9-67	7
712.	मोहम्मदअली/मुनीरखां				
713.	सम्पतलाल/मीराराम	,,	22-1-48	4-7-62	7
714.	निसार/कालखां	,,	2-2-28	22-4-69	7
715.	शकूर/मेमडूखां	,,	15-2-28	1-5-76	7
716.	इन्द्रचन्द/फुसलाराम	,,	12-7-53	12-10-79	7
717.	इन्द्रभाण/हजारी	,,	7-6-53	1-8-77	7
718.	भंवर/डालूराम	,,	8-6-52	,,	7
719.	लखपत/पीरूराम	,,	7-6-58	,,	7
720.	काशिया/घीरा	,,	8-6-58	,,	7
721.	दाऊलाल/मिश्रीलाल	,,	8-6-56	,,	7
722.	शंकर/मांगीलाल	,	15-2-58	,,	7
723.	विष्णु/आंसूराम	,,	16-7-57	,,	7
724	गोपाल/आत्माराम	,,	20-4-58	,,	7
725.	चौथराम/नुकलाराम	,,	7-6-55	,,	7
726.	पानादेवी/रामरतन	,,	10-10-58	,,	7
727.	कालीदेवी/बुद्धाराम	,,	24-5-53	,,	7
728.	लीलकी/सुन्दर	,,	28-5-57	,,	7

1	2	3	4	5	6
729.	राजेश/भंवर	स. क.	3-8-58	1.8.77	7
730.	सुरेश/बैजनाथ	,,	8-8-57	,,	7
731.	मनसुख/मुकलाराम	,,	7-6-57	,,	7
722.	भवरी/आत्माराम	,,	8-6-56	,,	7
733.	जगदीश/सीताराम	,,	21-4-57	,,	7
734.	बाबूलाल/लक्ष्मण	,,	4-8-57	,,	7
735,	भंवरलाल/सीताराम	,,	4-6-56	,,	7
736.	ओंकार/कुन्दन	,,	15-5-62	4-7-80	7
737.	बालकिशन/किशोरीलाल	,,	6-6-56	1.8.77	7
738.	प्रेमरतन/पीरूराम	,,	20-5-57	,,	7
739.	दयाल/मघराम			,,	7
740.	छोटूलाल/मंगतराम	,,	2-2-57	,,	7
741.	सीतलदास/मानीराम	,,	1-6-58	,,	6
742.	जगदीश/बस्तीराम	,,	5-6-56	,,	7
743.	हिम्मतलाल/चम्पालाल	,,	5-4-57	,,	7
744.	मुरारीलाल/मातूराम	,,	4-8-68	,,	7
745.	ओमप्रकाश/भंवर	,,	8-6-57	,,	7
746.	कानाराम/शंकरलाल	,,	2-9-58	,,	7
747,	सम्पत/अल्लादीन	,,	15·10·57	,,	7
748.	नन्दलाल/श्रीराम	,,	1-8-59	,,	7
749.	सम्पत/रामचन्द्र	,,	15-5-58	,,	7
750.	किशन/प्रहलाद	,,	20-5-56	1-5-77	7
751.	किशन/गुरूबक्श	,,	19-2-52	1-8-77	7
752.	मोतीलाल/भिडताराम	,,	1-2-58	,,	7
753.	सुन्दरलाल/रामदास	,,	28-7-53	,,	7

1	2	3	4	5	6
754.	कमल/शंकर	स. क.	25-4-58	1-8-77	7
755.	रामचन्द्र/जोगाराम	,,	1-8-51	,,	7
756.	बनवारी/जवाराराम	,,	12-6-58	,,	7
757.	मदन/मंगलाराम	,,	15-4-57	,,	7
758.	कालूराम/माणक	,,	20-2-58	,,	7
759.	मंगतूराम/बाबूलाल	,,	9-6-58	,,	7
760.	विजयकुमार/बलदेव	,,	15-6-60	7-7-80	7
761.	पुनम/गोवर्धन	,,	19-5-58	1-8-77	7
762.	गोपाल/लक्ष्मीचन्द	,,	8-6-57	,,	7
763.	प्रकाश/मोटूराम	,,	25-4-58	,,	7
764.	गोपाल/धोकलराम	,,	1-2-58	,,	7
765.	सुखाराम/सूरजाराम	,,	7-6-55	,,	7
766.	ताराचन्द/सीताराम	,,	6-3-58	,,	7
767.	द्रोपदी/गोवर्धन	,,	1-2-58	,,	7
768.	दाऊलाल/लादूराम	,,	1-4-56	,,	7
769.	शम्भूराम/फकीरा	,,	1-1-58	,,	7
770.	सांवरलाल/सूरजाराम	,,	7-6-58	,,	7
771.	तुलसीराम/अखाराम	,,	10-3-56	8-3-78	7
772.	विनोद/बंशीलाल	,,	2-5-58	1-8-75	7
773.	रतनी/भंवर	,,	16-8-54	1-8-78	7
774.	देवकरण/चौरूराम	,,	15-5-58	,,	7
775.	गंगाराम/जोधाराम	,,	14-6-58	,,	7
776.	शांति/सोहन	,,	16-6-56	,,	7
777.	जगदीश/सूरजाराम	,,	14-6-58	,,	7
778.	सुशीला/बाबूलाल	,,	15-6-57	,,	7

1	2	3	4	5	6
779.	चम्पालाल/हजारीलाल	स. क.	15·3·69	1·8·78	7
780.	छोटकी/रामलाल	,,	13·6·56	,,	7
781.	गेंदा/भंवर	,,	15·6·57	,,	7
782.	कमला/शंकर	,,	15·6·58	,,	7
783.	चम्पा/त्रिलोका	,,	15·6·56	,,	7
784.	रामी/अमरचन्द	,,	14·7·62	12·10·83	7
785,	श्रीचन्द/पूनम	,,	15·6·59	1.8.78	7
786.	कमला/चन्द्रराम	,,	14·6·53	,,	7
787.	छगन/भूराराम	,,	17.6·52	,	7
788.	रामराज/मूलचन्द	,,	16·6·58	,,	7
789.	श्यामलाल/दुलीचन्द	,,	1·6·58	,,	7
790.	चांदकी/श्रीकिशन	,,	1·2·57	,,	7
791.	रामी/सत्यनारायण	,,	13·6·53	,,	7
792.	राधा/काशीराम	,,	23·5·58	,,	7
793.	रतनी/ओमप्रकाश	,,	12·6·56	,,	7
794.	छोटकी/रतनलाल	,,	11·2·57	,,	7
795.	सुशीला/विनोद	,,	16·6·59	,,	7
796.	गीता/पीरूराम	,,	16·6·59	,,	7
797.	शान्ती/बैंजाराम	,,	20·5·57	,,	7
798.	आचूकी/पूनम	,,	16·6·53	,,	7
799.	प्रकाश/सोहन	,,	11·3·58	,,	7
800.	मैना/रतनलाल	,,	20·3·58	,,	7
801.	संतरा/बनवारी	,,	24·4·57	,,	7
802.	शिवली/शंकर	,,	8·5·58	,,	7
803.	द्रौपदी/मनसा	,,	1·12·54	,,	7

1	2	3	4	5	6
804.	मैना/सांवरलाल	स. क.	16·3·57	1·8·78	7
805.	बाबूलाल/शंकर	,,	10·3·58	,,	7
806.	रामेश्वर/पुनमराम	,,	1·6 58	,,	7
807	जीतकी/गजराज	,,	16·6·56	,,	7
808.	पांचू/छैलाराम	,,	30·7·58	,,	7
809.	माणक/भंवर	,,	30·7·58	,,	7
810.	लालचन्द/पांचीलाल	,,	13·6·58	,,	7
811.	किशनलाल/मंगलाराम	,,	15·6·58	,,	7
812.	बिरजू/लक्ष्मण	,,	13·6·59	,,	7
813.	सत्यनारायण/भंवर	,,	15·7·60	,,	7
814.	झापली/हरीराम	,,	16·6·54	,,	7
815.	माया/दीपक	,,	1-6-58	,,	7
816.	विमला/श्यामलाल	,,	7·2 58	,,	7
817.	जमला/दीवानचन्द	,,	20-4-58	,,	7
818.	कमला/बाबूलाल	,,	25·3·58	,,	7
819.	संतोष/हनुमान	,,	26·6·56	,,	7
820.	कमला/किशन	,,	17·6·56	,,	7
821.	घापी/ब्रजलाल	,,	1·6·58	,,	7
822.	सीता/शम्भूराम	,,	14·6·53	,,	7
823.	सबंती/पूनम	,,	10·5·56	,,	7
824.	शांती/गोपाल	,,	25.5.57	,,	7
825.	किशनी/गोकल	,,	10.6.56	,,	7
826.	द्रोपदी/जोगीराम	,,	16.6.56	,,	7
827.	माणकचन्द/रूगाराम	,,	4.6.50	,,	7

1	2	3	4	5	6
828.	तुलसी/पांचीलाल	,,	14.6.53	1.8.78	,,
829.	मिठूडी/सुखराम	,,	1.7.55	1.8.78	,,
830.	भंवरी/गिरधारी	,,	17.7.60	1.8.78	,,
831.	श्यामलाल/शंकर	,,	16.6.58	1.8.78	,,
832.	कौशल्या/मंगलचन्द	,,	15.6.54	1.8.78	,,
833.	सुशीला/जगदीश	,,	1.5.56	15.8.78	,
834.	धन्काराम/धोकक	,,	11.3.59	1.8.78	,,
835.	अशोक/भंवर	,,	11.1.59	1.8.78	,,
736.	किरण/रामदास	,,	15.8.60	1,8.78	,
837.	रमण/रामदेव	,,	1.2.58	1.8.78	,,
838.	तुलसीदेवी/इन्द्रचन्द	,,	28.8.50	19.8.82	,,
839.	वीरूराम/बक्षीराम	,,	25.12.46	1.8.78	,,
840.	शांती/रामलाल	,,	16.6.54	1.8.78	,,
841.	ओमप्रकाश/विष्णु	,,	2.2.59	1.8.78	,,
842.	नर्वदा/बन्शीधर	,'	16.6.53	1.8.78	,,
843.	भूराराम/मुरलीराम	,,	17.7.60	1.8.78	,,
844.	बुद्धी/मोहन	,,	14.6.53	1.8.78	,,
845.	रूपचन्द/रामरतन	,,	25.7.59	1.8.78	,,
846.	लक्ष्मीनारायण/भंवर	,,	5.4.57	1.8.78	,,
847.	रामू/मेंहदीराम	,,	1.7.56	1.8.78	,,
848.	शांती/तारूराम	,,	10.5.59	25.6.79	,,
849.	शारदा/गुरूदयाल	,,	13.4.57	,,	,,
850.	लूणी/पन्नालाल	,,	20.6.57	,,	,,
851.	भूरचन्द/कणपत	,,	20.6.60	,,	,,
852.	पिस्ता/रामेश्वर	,,	14.5.59	,	,,
853.	पारसी/रामरतन	,,	15.6.56	,,	,,

1	2	3	4		5
854.	मेनकी/मदनलाल	,,	26.6.57	25.6.79	7
855.	ईलाची/गोपाल	,,	24.6.60	,,	,,
856.	सुशीला/गोपाल	,,	15.6.60	,,	,,
857.	शिवरत/बस्ताराम	,,	15.9.60	,,	,,
858.	गुलाबचन्द/चिमनाराम	,,	25.7.56	,,	,,
859.	शंकरलाल/मांगीलाल	,,	18.5.55	,,	,,
860.	शंकरलाल/सुवाराम	,,	24.6.60	,,	,,
861.	मंगलचन्द/किशनाराम	,,	10.5.59	,,	,,
862.	ताराचन्द/रामदेव	,,	26.6.60	,,	,,
863.	ताराचन्द/भंवरलाल	,,	20.6.60	,,	,,
864.	नवरतन/मालाराम	,,	5.10.60	,,	,,
865.	कालुराम/बाबूलाल	,,	11.3.60	,,	,,
866.	पांचीलाल/गुरूबक्ष	,,	15.2.61	,,	,,
867.	महेश/छेलाराम	,,	24.6.59	,,	,,
868.	भरत/मिठूराम	,,	28.6.59	,,	,,
869.	भरत/मिठूराम	,,	28.6.59	,,	,,
870.	शांती/मदनलाल	,,	7.6.59	15.11.83	,,
871.	स्वारथाराम/रामपाल	,,	24.6.59	25.6.79	,,
872.	भगवानदास/गणपत	,,	24.6.59	,,	,,
873.	मदन/घासीराम	,,	12.5.55	,,	,,
874.	लाभचन्द/गोपाल	,,	9.12.58	,,	,,
875.	किशन/राधेश्याम	,,	10.6.75	20.7.83	,,
876.	जगदीश/लीलाराम	,,	24.6.79	25.6.79	,,
877.	धनराज/गोबिन्दराम	,,	1.2.60	,,	,,
878.	रामस्वरूप/बाबूलाल	,,	26.6.59	,,	,,
879.	सोहन/नारायण	,,	25.6.54	,,	,,

1	2	3	4	5	6
880.	लालचन्द/रामचन्द	,,	15,6.59	25.6.79	7
881.	रामरतन/चीरुराम	,,	24.6.59	,,	,,
882	राजुराम/चौथूराम	,,	26.6 60	,,	,,
883.	शिवकुमार/गुरुबक्ष	,,	10.6.58	,,	,,
884	कैलाश/बाबूलाल	,,	26.6.70	,,	,,
885.	किशनलाल/लीलाराम	,,	26.6.59	,,	,,
886.	कैलाश/गुलाबचन्द	,,	20.5.61	,,	,,
887.	गंगाराम/मंगलाराम	,,	20.6.60	,,	,,
888.	कालूराम/राधाकिशन	,,	26.6.59	,,	,,
889.	किशवनारायण/सुखराज	,,	24.6.59	,,	,,
890.	राजू/नेमीचन्द	,,	24.6.60	,,	,,
891.	जीतूराम/मणुराम	,,	19.7.59	,,	,,
892.	जसुराम/गुलाबचन्द	,,	21.5.54	,,	,,
893.	जगदीश/कुन्जीलाल	,,	15.6.60	,,	,,
894.	ओमप्रकाश/चौथूराम	,,	9.1.59	,,	,,
895.	सल्लाराम/रामप्रताप	,,	15.6.60	,,	,,
896.	ओमी/ओमप्रकाश	,,	25 6.58	,,	,,
897.	ओमप्रकाश/शम्भू	,,	24.6.59	,,	,,
898.	मदनलाल/शिवराज	,,	24.6.60	,,	,,
899.	पूनमचन्द/मुरलीराम	,,	15.4.60	,	,,
900.	राजेश/मंगलचन्द	,,	10.5.59	,,	,,
901.	गवरीशंकर/विष्णु	,,	5.5.60	25.5.79	,,
902.	रामस्वरूप/भवरी	,,	25.6.60	25.6.79	,,
903.	सुन्दरलाल/बुधराम	,,	15.6.60	25.6.79	,,
904.	श्यामलाल/झाबरलाल	,,	6-9-62	18-9-82	,,
905	गुड्डी/झाबर	,,	6-9-62	18-9-82	,,

1	2	3	4	5	6
906.	शिवराज/गोरधन	15-6-60	25.6.79	25-6-79	7
907.	श्रवण/पीरूराम	,,	20-6-60	25-6-79	,,
908.	केदार/मंगलाराम	,,	25-6-51	,,	,,
909.	रतनलाल/मांगीलाल	,,	26-6-59	,,	,,
910.	ओमप्रकाश/छंगाराम	17.7.50	17-7-56	,,	,,
911.	श्यामलाल/चन्दूराम	,,	20-6-60	,,	,,
912.	सोदरा/नथूराम	,,	24-6-49	,,	,,
913.	चरणदास/भंवरलाल	,,	26-6-60	,,	,,
914.	राजूराम/दुलीचन्द	,,	27-6-59	,,	,,
915.	सांवरा/संतोष	,,	19-6-60	,,	,,
916.	सुरेश/पुनाराम	,,	21-6-59	,,	,,
917.	गवरीशंकर/मुगनाराम	,,	19-5-59	,,	,,
918.	बाबूराम/कसबूबाराम	,,	26-6-59	,,	,,
919.	द्वारकाप्रसाद/रामजीलाल	,,	25-6-60	,,	,,
920.	रामप्यारी/रामचरण	,,	15-5-55	,,	,,
921.	बंशीलाल/आज्ञाराम	15.6.59	25-6-59	,,	,,
922.	हरदेव/पन्नाराम	,,	24-6-79	,,	,,
923.	श्री विष्णु/झडूराम	,,	28-6-59	,,	,,
924.	इन्द्रचन्द/पीरूमल	,,	26-6-59	,,	,,
925.	मंगलचन्द/घीसाराम	,,	26-6-59	,,	,,
926.	श्रवणराम/पन्नाराम	,,	17-7-59	,,	,,
927.	धनकी/रामेश्वर	,,	25-6-59	,,	,,
928.	विमला/शंकर	,,	24-5-57	,,	,,
929.	ओमप्रकाश/जालूराम	,,	15-11-62	1-12-81	,,
930	कुन्दनलाल/सोहन	,,	10-10-58	11-1-78	,,
931.	केसरीचन्द/जीवराम	,,	20-9-50	12-10-70	,,

(M337) ~~516~~

1	2	3	4	5	6
932.	गोविन्दा/छगनलाल	,,	1-1-62	17-2-81	,,
933.	गोबिन्दराम/छोटूराम	,,	17-1-54	1-1-74	,,
934.	जगन्नाथ/देवाराम	,,	17-1-54	1-9-74	,,
935.	दुलीचन्द/रामलाल	,,	22-9-49	1-2-69	,,
936.	प्रभुराम/भंवरलाल	25.3.53	25-9-54	18-6-74	,
937.	पन्नाराम/रामलाल	,,	25-9-53	2-8-72	,
938.	बुधाराम/भंवरलाल	,,	25-9-52	1-10-72	,,
939.	भीखाराम/सूरजाराम	,,	25-9-48	16-5-61	,,
940.	मंगतू/मगाराम	,,	23-9-34	10-9-57	,,
941.	मनीराम/तूलछाराम	,,	5.3.53	1.9.74	,,
942.	महेंद्र/बीरमाराम	,,	1.9.46	17.11.72	,,
943.	मोहन/मोतीराम	2.5.56	2.5.56	1.7.76	,,
944.	राजूराम/डालूराम	,,	15.6.63	1.11.81	,,
945.	रामदीन/भीखाराम	,,	1.9.51	18.6.63	,,
946.	श्यामलाल/जालूराम	,,	10.7.57	1.4.78	,,
947.	शेराराम/छोटूराम	,,	27.3.67	1.11.81	,
948.	सूडाराम/नेनूराम	,,	15.7.55	1.4.78	,,
949.	सुखदेव/बालूराम	,,	25.7.54	1.9.74	,,
950.	सुन्दरलाल/जीवणराम	,,	7.2.53	1.4 77	,,
951.	हनुमान/रामलाल	,,	1.7.54	1.7.78	,,
952.	आशादेवी/भीयाराम	,,	14.9.37	16.7.57	,,
953.	कमला/सूण्डाराम	,,	4.5.60	1.6.79	,
954.	केवली/रामलाल	,,	20.9.39	29.1.57	,,
955.	गबरादेवी/ताराराम	,,	1.7.36	2.7.53	,,
956.	ग्यारसी/छोटूराम	,,	6.3.53	1.7.76	,,
957.	गरीबली/भवरलाल	,,	24.9.44	7.8.63	,,
958.	चांदू/चपालाल	,,	10.9.37	1.1.63	,,

1	2	3	4	5	6
959.	जेलदेवी/हजारीलाल	,,	5.6.63	10.7.82	,,
960.	पुनी/दुलाराम	,,		10.8.65	,,
961.	बनारसी/रामबक्ष	,,	1.7.37	1.4.78	,,
962.	बीदामी/तोलाराम	,,	7.1.50	1.9.74	,,
963.	बीदामी/भंवरलाल	,,		1.4.74	,,
964.	भंवरी/सोहनलाल	,,	20.10.51	1.11.81	,,
965.	मडिया/मनीराम	,,	24.9.52	9.1.73	,,
966.	मणकली/नेमीराम	,,	18.9.37	1.4.56	,,
967.	मलिकी/इंदाराम	,,	21.9.34	2.11.54	,,
968.	मैनादेवी/बुधाराम	,,	21.3.52	1.4.77	,,
969.	मोहनी/शोभाराम	9.7.43	1.8.59	1.8.59	,,
970.	राधा/विशनलाल	,,	21.12.60	11.10.80	,,
971.	लक्ष्मीदेवी/मीयाराम	,,	17.12.54	1.11.75	,,
972.	शारदा/केसूराम	,,	2.7.62	2.7.80	,,
973.	शांती/सोहनलाल	,,	1.4.54	1.9.74	,,
974.	शिरूदेवी/गोविन्दराम	,,	1.3.61	27.5.78	,,
975.	शिवप्यारी/सोहनलाल	,,	11.2.54	1.9.74	,,
976.	सीमादेवी/जीवाराम	,,	19.9.34	7.11.57	,,
977.	सुगनीदेवी/जगन्नाथ	,,	24.9.51	1.2.61	,,
978.	हुकमीदेवी/जालूराम	,,	9.9.44	18.6.74	,,
979.	सोहनलाल/सुरजाराम	,,	25.9.39	5.3.62	,,
980.	जेठीदेवी/फागूराम	,,	14.8.54	19.6.77	,,

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 118 की सूची

क्र० सं०	नाम	योग्यता
1.	श्री यदुनन्दन गौड़	हायर सैकण्डरी, डिप्लोमा पोलोटेक्निक विद्युत तीन वर्ष का।
2.	श्री मन्सुर अली बोहरा	हाई स्कूल पास, व अपर शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र सं० एफ 6/डीएलबी/79/52 दिनांक 7/1/83 द्वारा आवश्यक तकनीकी योग्यता आई० टी० आई० डिप्लोमा में शिथिलता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची

नगर परिषद, जयपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी क० लिपिकों, च० श्रेणी क० सम्बन्धी विवरण

परिशिष्ट क

नगर परिषद, जयपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी 12 कनिष्ट लिपिकों की सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

परिशिष्ट ख

दैनिक वेतन भोगी च० श्रे० क० की सूची परिशिष्ट 'ख' संलग्न है:—

1. बागायत शाखा	34
2. विद्युत शाखा	15
3. राजस्व शाखा	23
4. यू० सी० डी० व वेतन स्थिरिकरण शाखा	3
5. मोतीडूंगरी जोन में	13
6. हवामहल जोन में	15
7. चांदपोल व सिविल लाईन जोन में	18
	121

लेखाधिकारी,
नगर परिषद, जयपुर

परिशिष्ट क

वेतन स्थिरीकरण शाखा

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	पद	नियुक्ति तिथि
1.	श्री छुटनलाल/भूरसिंह माथुर	कनिष्ट लिपिक	31/12/80
2.	श्री अमरसिंह/भोलाराम	,,	31/12/80
3.	श्री बनवारीलाल शर्मा/शिवदयाल	,,	8/4/81
4.	श्री चिरंजीलाल समगत/गुलाबचंद	,,	1/4/81
5.	श्री प्रदीपकुमार माथुर/दौलतराम	,,	12/6/81
6.	श्री मुरारीलाल/पी० एल० शर्मा	,,	8/7/81
7.	श्री अरविन्दकुमार/शंकरलाल	,,	10/12/81
8.	श्री रमेशचन्द शर्मा/श्याम सुन्दर शर्मा	,,	5/1/82
9.	श्री सुरेन्द्रकमार/सत्यनारायण	,,	2/3/82
10.	श्री गिरधर शर्मा/लल्लूलाल शर्मा	,	28/4/81
11.	श्री प्रभात कुमार शर्मा/लक्ष्मणलाल	,,	18/8/82
12.	श्री बद्रीनारायणशर्मा/गोविन्दनारायण	,,	6/10/80

12 कुल

वरिष्ठ लेखाधिकारी
नगर परिषद, जयपुर

परिशिष्ट ख

368

नगर परिषद, जयपुर

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूची

क्रम सं०	नाम कर्मचारी मय वल्दियत	पद	नियुक्ति तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
बागायत शाखा—				
1.	श्री दामोदर/मूलचन्द	इलैक्ट्रिशियन	16.9.79	240 दिवस पूरे कर लिये हैं।
2.	,, कानाराम/जीवनराम	माली	3.9.87	,,
3.	,, कन्हैयालाल/कल्याणसहाय	,,	23.9.80	,,
4.	,, कन्हैयालाल/रामनाथ	,,	,,	,,
5.	बशीर/दुल्ला	भिश्ती	27.11.80	,,
6.	,, बाबूलाल/कानाराम	माली	12.9.81	,,
7.	,, कैलाश/सुगनचन्द	,	1.4.81	,,
8.	,, छगन/फूलाराम	,,	,,	,,
9.	,, छोटेलाल/बादल	,,	15.4.81	,,
10.	,, भागीरथ/भंवरलाल	,	17.4.81	,,
11.	,, रतनलाल/नाथूलाल	,,	,,	,,
12.	,, हरिनारायन/मनफूल	,,	1.6.81	,,
13.	,, जगदीश/महादेव	,,	1.6.81	,,
14.	,, रामेश्वर/छीतरमल	,,	1.7.81	,,
15.	,, विनोद/गणपत	,,	1.7.81	,,
16.	,, हीरालाल/गणपत	,,	1.7.81	,,

1	2	3	4	5
17.	श्री छीतर/रामनाथ	माली	1.8.81	240 दिवस पूरे कर लिये हैं।
18.	,, गुलाबबेग/गफूरबेग	,,	1.8.81	,,
19.	,, मनोज/पुरुषोतम	जमादार	1.10.81	,,
20.	,, मो०शब्बीर/अहमदखां	माली	1.10.81	,,
21.	,, विजयकुमार/बृजमोहन	,,	5.1.82	,,
22.	,, घनश्याम/केशवराम	,,	3.7.82	,,
23.	,, अमरनाथ/भगवतीप्रसाद	,,	2.8.82	,,
24.	,, सत्यनारायण/जगदीश	,,	1.10.82	,,
25.	,, सुरेन्द्र/नाथूलाल	,,	21.10.82	,,
26.	,, गोकुलचन्द/महादास	,,	1.1.83	,,
27.	,, बाबूलाल/मूलचन्द	,,	2.5.83	,,
28.	,, नवल/बलराम	,,	2.5.83	,,
29.	,, सलीम/यासीनखां	,,	5.5.83	,,
30.	,, रामेश्वर/सुखदेव	,,	1.7.83	,,
31.	,, मोतीलाल/भंवर	हरिजन	1.6.84	240 दिवस पूरे नहीं हुये।
32.	,, शेरअली/गफूरबेग	माली	2.7.84	,,
33.	,, मो०सद्दीकखां/सुहअलीखां	,,	2.7.84	,,
34.	,, अर्जुन/झाजूराम	,,	1.8.84	,,

विद्युत शाखा

370

1	2	3	4	5
32.	श्री किशनसिंह/गोरधन सिंह	हेल्पर	1.1.80	240 दिवस पूरे कर लिए हैं
36.	,, सत्यनारायण/घीसालाल शर्मा	,,	1.8.80	,,
37.	,, रामवतार/रामकुमार	,,	19.9. 0	,,
38.	,, मो०खालिद/सुलतान अख्तर	,,	20.9.80	,,
39.	,, लक्ष्मण/जगतनारायण	,,	,,	,,
40.	,, कमरुद्दीन/करीमखां	,,	,,	,,
41.	,, नारायणलाल/विजयलाल	,,	,,	,,
42.	,, जुगलकिशोर/गंगाराम	,,	,,	,,
43.	,, भंवरलाल फगोड़िया/ महादेवराम	,,	24.9.80	,,
44.	,, सुमापसिंह/अर्जुनसिंह	,,	,,	,,
45.	,, सुरेशचन्द्र/रामचन्द्र	,,	,,	,,
46.	,, प्यारेलाल/जोहरीलाल	,,	,,	,,
47.	,, अशोकजौहरी/हरिशचन्द्र	,,	26 9.80	,,
48.	,, भागीरथसिंह/भगवानाराम	,,	1.10.80	,,
49.	,, साबीर/समसाद	,,	,,	,,

लेखाधिकारी
नगर परिषद् जयपुर

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूची निम्न प्रकार है :

चांदपोल जोन

क्र०सं०	नाम कर्मचारी/पिता का नाम	पद	नियुक्ति	विवरण
(1)	निरंजनलाल/भजनलाल	मिस्त्री	27-11-77	240 दिन पूरे हो चुके हैं
(2)	जयसिंह/बालाराम	,,	10-10-78	,,
(3)	मोतीलाल/बद्रीलाल	चौकीदार	11-2-82	,,
(4)	रामकृपाल/बुद्धाराम	,,	,,	,,
(5)	लालाराम/रिछपाल	मैट	16-12-81	,,
(6)	राजेन्द्र/महादेव	,,	7-9-82	,,
(7)	रमेश/श्याम	,,	29-8-79	,,
(8)	भैरूराम/धन्नालाल	ड्राईवर	27-1-83	,,
(9)	जगदीश/नाथूलाल	बेलदार	जनवरी, 81	,,
(10)	दल्लाराम/नाथूलाल	कारीगर	5-4-81	,,

सिविल लाइन जोन

क्र०सं०	नाम कर्मचारी/पिता का नाम	पद	नियुक्ति	विवरण
(1)	जितेन्द्रपाल/अमरसिंह	मैट	7-3-83	240 दिन पूरे हो चुके हैं।
(2)	रविशंकर/गौरीशंकर	बेलदार	1-3-84	240 दिन पूरे नहीं हुये।
(3)	राजू/पूरणचन्द्र	,,	1-12-83	,,
(4)	ओमप्रकाश/गोपालनाल	,,	10-4-84	,,
(5)	भैरूलाल/पदमाराम	,,	22-8-84	,,
(6)	कन्हैया/भंवरलाल	,,	23-2-83	,,
(7)	सूरजमल/भंवरलाल	,,	12-9-84	,,
(8)	पुष्पेन्द्रकुमार/हरभगवान	,,	,,	,,

लेखाधिकारी,
नगर परिषद् जयपुर

378

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूचि निम्न प्रकार है :– 442

372

मोती डूंगरी क्षेत्र

क्र०सं०	नाम कर्मचारी/पिता का नाम	पद	नियमित दिनाक	विवरण
(1)	श्रवणकुमार/चौथूराम	मेट	17-12-81	17-12-81 से लगातार कार्य कर रहा है।
(2)	दौलतराम/बल्वदास	मेट	16-1-82	लगातार
(3)	विक्रमसिंह/सुल्तानसिंह	,,	1-4-82	,,
(4)	इदरीस/सफीमोहम्मद	कारीगर	20-1-82	,,
(5)	लालचन्द/नाथूराम	,,	24-3-82	,,
(6)	भगवानसिंह/रामसिंह	बेलदार	1-4-82	,,
(7)	मदनलाल/नाथूराम	,,	8-4-82	,,
(8)	लुम्बाराम/किशनराम	,,	1-4-82	,,
(9)	श्री नारायण/गोपीराम	,,	1-4-82	,,
(10)	,, मुन्शी/इमामुद्दीन	,,	1-6-82	,
(11)	,, गफ्फार/करीमबक्ष	,,	1-6-82	,,
(12)	,, दिनेश/प्रभूदयाल	,,	2-6-82	,,
(13)	,, सुरेश/रामेश्वर	,,	2-6-82	,

ह०/–
Assistant Engneer
Municipal Council, Jaipur

(445) राजस्व शाखा में कार्यरत गेंगमेन (च. श्रे. क.) की सूची

1.	श्री शंकरलाल पुत्र श्री महादेव	नियुक्त तिथि 22-9-81
2.	,, रामनारायण/नाथूलाल	,,
3.	,, रमेश/गोकुल	,,
4.	,, मालचन्द/रामपाल	,,
5.	,, रमेश/घासीलाल	,,
6.	,, रामवतार/रामकिशोर	,,
7.	,, सीताराम/रामकुंवार	,,
8.	,, दुर्गालाल/गोविन्दराम	,,
9.	,, सीताराम/दयालसिंह	14-11-81
10.	,, अरूण तिवारी/धर्मेन्द्र तिवारी	15-11-81
11.	,, गोरधन/मालीराम	25-11-81
12.	,, बाबूलाल/घीसीलाल	5-12-81
13.	,, खलीगुर रहमान/गुलाबखां	20-12-81
14.	,, रामजीलाल/बृजमोहन	,,
15.	,, अब्दुलगनी/शकूर	11-1-82
16.	,, पूरणमल/भंवरलाल	16-2-82
17.	,, अब्दुल सलीम	22-2-82
18.	,, लक्ष्मणसिंह/गोविन्दसिंह	,,
19.	,, जगदीश/रामविलास	24-3-82
20.	,, राजेन्द्रप्रसाद मारस्दल/रामनारायण	15-2-82
21.	,, कैलाशचन्द्र/सीताराम	18-1-84
22.	,, आनन्दीलाल/मुवालाल	27-1-84
23.	,, रामभजन/कन्हैयालाल	28-1-84

लेखाधिकारी,
नगर परिषद, जयपुर।

374 यू० सी० डी० शाखा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ५५५

क्र. स.	नाम कर्मचारी	पद	नियुक्ति तिथि
1.	श्री बजरंगसिंह	च०श्रे०क०	23-11-84
2.	श्री शंकरलाल	"	

वेतन स्थिरिकरण शाखा

1.	श्री गोरधनलाल गूजर पुत्र श्री अर्जुनलाल	च. श्रे. क.	2-2-81

ह०/
लेखाधिकारी
नगर परिषद, जयपुर

375

(५४५)

नगर परिषद, जयपुर (हवामहल क्षेत्र) दैनिक वेतन भोगी

कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम/पिता का नाम	पद	नियुक्त तिथि	विवरण
1.	श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह	मेट	7-5-79	
2.	श्री गिरधारी/श्री मालाराम	,,	1-11-79	
3.	श्री राधामोहन/रामस्वरूप	,,	1-10-79	
4.	श्री सरवण/श्री वंशीधर	,,	1-9-81	
5.	श्री कमल/श्री लालचन्द	,,	6-10-79	
6.	श्री कन्हैयालाल/श्री रामचन्द्र	कारीगर	24-3-82	
7.	श्री लल्लूलाल/श्री कालूराम	बेलदार	13-7-83	पूर्व में, अगस्त 81 से 1-10-82 तक) 13-7-83 से समझौता अधिकारी के आदेशानुसार लगातार ।
8.	श्री मेवाराम/श्री दूलाराम	बेलदार	सन् 1981 से कार्यरत	
9.	श्री नोरतीलाल/श्री पूरणसिंह	बेलदार	16·1·83	
10.	श्री गुलाब/श्री किशन	कुली	240 दिन से अधिक	
11.	श्री छोटा/श्री घासी	,,	,,	
12.	श्री गुलाब/श्री हरयर	,,	,,	
13.	श्री नारायण/श्री लालाराम	,,	,,	
14.	श्री बाबूलाल/श्री लादूराम	बेलदार	अगस्त, 81	
15.	श्री पूरणसिंह/नराणपतसिंह	,,	1 जून 82	

सहायक अभियन्ता,
नगर परिषद, जयपुर ।

परिशिष्ट–23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 120 का विवरण)

	कार्य विवरण	पत्र संख्या	दिनांक
1.	समस्त चूने, ईंटों के भट्टों के मालिकों को नोटिस दिया गया।	967–1004	9·2·79
2.	प्रशासक, नगर परिषद, अजमेर के उप जिलाधीश, अजमेर को जिला प्रशासन का सहयोग के लिए लिखा।	1202–4	28·3·79
3.	प्रशासक, नगर परिषद, ने अतिरिक्त जिलाधीश, अजमेर को खान विभाग का सहयोग प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा।	437	5·2·80
4.	प्रशासक, नगर परिषद, अजमेर द्वारा जिलाधीश अजमेर को पत्र भेजा।	216	23·6·80

(५४७)

परिशिष्ट-24

अतारांकित प्रश्न संख्या 122 की प्रति

राजस्थान सरकार

स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान ,जयपुर

क्रमांक: नियम/एफ 3 (39) डी. ए. पी/ए 4/817 दिनांक 11.5.84

प्रशासक,
नगर परिषद,
जयपुर ।

विषय:—होटल बाईपास के सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अनुभागाधिकारी के सम्बन्ध में शंकाओं का समाधान बाबत ।

प्रसंग:—आपका अ. शा. पत्रांक 7240 दिनांक 7-3-84 के सन्दर्भ में ।

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि—

स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा पत्र अवैध हैं क्योंकि इस विषय में स्वीकृत उपनियमों में जब तक परिषद द्वारा अन्यथा नियुक्ति नहीं की जावे, आयुक्त को ही प्राधिकृत किया जाता है ।

बिन्दु 2, 3 व 4 के सन्दर्भ में प्रशासक उपनियमों में प्राधिकृत अधिकारी (आयुक्त) के अधिकारों को स्वयं लेकर अन्य अधिकारी को राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बाद ही दे सकता है ।

ह०/-
सहायक निदेशक